लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनदित संस्करण

८

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

तेहरवां सत्र

Thirteenth Session

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated 28-8-9
Parliament Library

खंड 48 म श्रंक 1 से 10 तक हैं।

Vol. XLVIII contains Nos. 1 to 10

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

न्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची/Contents

अंक 3, बुधवार, 19 फरवरी, 1975/30 माघ, 1896 (शक)

No, Wednesday, February 19, 1975 Magha 30, 1886 (Saka)

निधन सम्बन्धी उल्लेख — Obituary Reference

ता० प्र० संख्या / S.Q. No.	विषय / Subject	पृष्ठ / Pages
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर — **ORAL ANSWER TO QUESTIONS**	
21	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संबंधी संसदीय फोरम द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन — Memorandum submitted by Parliamentary Forum for S.C. & S.T.	1
22	पर्वतीय क्षेत्रों का विकास — Development of Hilly Areas	5
23	चण्डीगढ़ रेडियो स्टेशन के लिये कार्यक्रम — Programmes for Chandigarh Radio Station	8
25	भूतपूर्व रेल मंत्री की जान लेने वाले बम विस्फोट की जांच — Investigation into the Bomb Blast that claimed the Life of Former Railway Minister	9
	प्रश्नों के लिखित उत्तर — **WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
24	प्रधान मंत्री के साथ शेख अब्दुला की बातचीत — Sheikh Abdullah's Meeting with Prime Minister	14
26	स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र को चिकित्सा सहायता — Medical Attention to late Shri L.N. Mishra	14
27	मिजोरम में विद्रोही गतिविधियां — Rebel Activities in Mizoram	15
28	तमिलनाडु के मुख्य मंत्री की मांगें — Demands of Chief Minister of Tamil Nadu	15
29	दिल्ली पुलिस के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत 'मांग पत्र' — Charter of Demands by Class IV Employees of Delhi Police	15

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
30 चण्डीगढ़ का पंजाब को हस्तान्तरण	Transfer of Chandigarh to Punjab	16
31 कर्नाटक राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में लाइसेंस के लिये विचाराधीन पड़े आवेदन	Pending Application for Licences for Backward Areas of Karnataka .	17
32 तारापुर परमाणु बिजली घर में बार-बार बिजली का फेल होना	Frequent Breakdowns in Tarapore Atomic Power Station . . .	17
33 समाचार भारती	Samachar Bharti	17
34 राज्यों के लिए वार्षिक योजना	Annual Plan for States	18
35 दिल्ली में 'क्राम-बार' टेलीफोन एक्सचेंज	Cross Bar Telephone Exchanges in Delhi	18
36 सीमेंट के मूल्य में वृद्धि	Increase in Price of Cement	19
37 फिल्म इन्स्टीट्यूट, पूना का बन्द किया जाना	Closure of Film Institute, Poona	19
38 राज्य विधान मण्डलों द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति	President's Assent to Bills Passed by State Legislatures	19
39 वर्ष 1974–75 में राज्यों का योजना परिव्यय	an Outl ay of States in 1974-75	2
40 योजना के विद्युत क्षेत्र के लिए अतिरिक्त संसाधन	Additional Resources for power Sector of Plan	21

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.		
201 फिल्म समारोह में संसद सदस्यों को असुविधा	Inconvenience to Members of Parliament at Film Festival . . .	22
202. विज्ञापन परिषद की स्थापना	Setting up of Advertising Council .	22
203 दक्षिण कनारा जिले में उप-डाकघर	Sub-Post Office in South Kanara District	23
204 भटिण्डा में गुरुनानक तापीय संयंत्र का बन्द होना	Closure of Guru Nanak Thermal Plant at Bhatinda	23
205 टेलीफोन कनैक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची	Waiting list for Telephone Connections	24
206 बिहार के दरभंगा जिले के सिरुआ ग्राम में हरिजनों पर हमला किया जाना	Assault on Harijans in Sirua Village Darbhanga District, Bihar . .	24

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
207	बिहार के विभिन्न कस्बों के बीच सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की व्यवस्था / Direct Dialling between various towns in Bihar	25
208	राज्य परिवहन उपक्रम को 'चैसिस' का आवंटन / Allocation of Chassis to state Transport Undertakings	25
209	नागा विद्रोहियों तथा सुरक्षा सैनिकों के बीच मुठभेड़ / Clash between Naga Rebels and Security Forces	25
210	बिहार में झरिया के कोयला क्षेत्रों का विकास करने हेतु भारत-पोलैंड समझौता / Indo-Poland Agreement for Development of Jharia Coal Fields in Bihar	26
211	वित्तीय संसाधनों की कमी और लागत में वृद्धि के कारण योजनों की प्राथमिकता में फेर बदल / Rearrangement of Plan Priorities in view of increase in costs and paucity of Financial Resources	26
212	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित अवर सचिव तथा समान सम्वर्ग के पदों का भरा जाना / Filling up of Posts in Under Secretary and Equivalent Cadres Reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	27
213	पोर्ट ब्लेयर में बिजली बन्द होना / Power Failure at Port Blair	27
214	चौरंगी रोड, कलकत्ता में भूमि का अधिग्रहण / Acquiring Land on Chowringhee Road, Calcutta	28
215	औद्योगिक नीति में परिवर्तन / Changes in Industrial Policy	28
216	फिल्म समारोह में दिखाई गई हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं की फिल्में / Hindi and Regional Languages Films Shown in the Film Festival	29
217	लाइसेंस प्राप्त करने हेतु फर्मों द्वारा गलत तथ्य पेश करना / Misrepresentation of Facts by Firms for obtaining Licences	29
218	कर्नाटक में कागज कारखाना / Paper Unit in Karnataka	30
219	पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए सुविधाएं / Facilities for Development of Advasi Backward Areas	30
220	समस्तीपुर बम विस्फोट और श्री एल० एन० मिश्र की मृत्यु के बारे में जांच / Investigation into the Samastipur Bomb Blast and Death of Shri L.N. Mishra	31

अ ता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
221 दिल्ली गुरुद्वारा चुनाव	Delhi Gurudwara Elections	31
222 समस्तीपुर बम विस्फोट की जांच करने वाली एजेन्सियां	Agencies Investigating the Samastipur Bomb Blast	31
223 कर्नाटक में आणविक बिजली घर का स्थापना स्थान	Location of Nuclear Power Station in Karnataka . . .	32
224 मध्य प्रदेश की कोयला खानों में खनिक तथा पर्यवेक्षक कर्मचारी	Miners and Supervisory Staff working in Coal Mines in Madhya Pradesh .	32
226 कोयला उत्पादन	Coal Production .	32
227 वर्ष 1975-76 के लिए उत्तर प्रदेश की वार्षिक योजना	Annual Plan for U.P. for 1975-76	33
228 सरकारी क्षेत्र के सर्वोच्च अधिकारियों के विरुद्ध कथित आरोप	Alleged Charges against Public Sector Bosses	33
229 नार्थ दामोदर, कोलियरी, डूगडा के हरिजनों पर अत्याचार	Atrocities on Harijans at North Damodar Colliery, Dugda . . .	34
230 फिल्म समारोह में प्रदर्शन हेतु प्राप्त फिल्में	Films received for screening in the Film Festival	34
231 कोयला खानों में अनिवार्य जमा योजना की क्रियान्विति	Implementation of Compulsory Deposit Scheme in Coal Mines . .	34
232 परमाणु बिजली घरों में बजली फेल होना	Breakdowns in Atomic Power Units	35
233 फिल्म समारोह हेतु फिल्मों के चुनाव का मानदण्ड	Criteria for selection of films for the Film Festival	35
234 फिल्म समारोह में चल चित्रों की सप्लाई और थियेटरों के चुनाव का आधार	Criteria for Selection of Theatres and supply of films in the Film Festival .	36
235 मैसर्स शालीमार वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता के बारे में जांच	Enquiry regarding M/s. Shalimar Works Ltd., Calcutta	37
236 मैसर्स शालीमार वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता के श्रमिकों की मांगें	Demands made by workers of M/s. Shalimar Works Limited, Calcutta. .	37
237 फिल्म समारोह आयोजित करने का अभिप्राय	Purpose of conducting the Film Festival . . .	38

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
238	करनाली परियोजना के बारे में भारत-नेपाल समझौता / Indo-Nepal settlement on Karnali Project	38
239	केरल में भारी इंजीनियरिंग एककों की स्थापना / Setting up of Heavy Engineering Units in Kerala	38
240	चन्द्रमा और अन्य ग्रहों संबंधी अनुसंधान में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा भाग लेना / Participation by Indian Scientists in Exploration of Moon and Planets	39
241	महाराष्ट्र में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार / Employment for educated unemployed in Maharashtra	40
242	सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करना / Redressal of grievances of Government Employees	40
244	विदेशी कम्पनियों में भारतीय साम्य पूंजी निवेश / Indian equity participation in foreign Companies	41
245	दिल्ली नगर निगम को देय राशि / Dues payable to Delhi Municipal Corporation	41
246	पिछड़ी जातियों की जनसंख्या / Population of backward classes	43
247	राज्यों को केन्द्रीय सहायता में वृद्धि / Increase in Central Assistance to States	43
248	'एम्प्लायमेंट गारन्टी तथा काटन मोनोपोली पर्चेज स्कीम्स' पर महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री का कथित वक्तव्य / Reported statement of Maharashtra Chief Minister on "Employment Guarantee and Cotton Monopoly Purchase Schemes"	44
249	उत्तर प्रदेश द्वारा बिजली घरों की बिक्री / Sale of Power Houses by U.P.	44
250	वर्ष 1975-76 के दौरान राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता / Central Assistance to States during 1975-76	45
251	रेबेल्स स्वे इन मिजोरम / Rebels Sway in Mizoram	46
252	ऐजल मिजोरम में सुरक्षा संबंधी उपाय / Security Measures in Aijal in Mizoram	46
253	आपातकालीन स्थिति का समाप्त किया जाना / Revocation of Emergency	46
254	योजना आयोग का पुनर्गठन / Reorganisation of Planning Commission	47

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
255 उज्जेन से प्रकाशित होने वाले हिन्दी दैनिक "अवन्तिका" को दिया गया अखबारी कागज का कोटा	Newsprint quota given to "Avantika" Hindi daily of Ujjain .	47
256 वर्ष 1973-74 और 1974-75 के दौरान जनजाति क्षेत्रों के विद्युतीकरण हेतु धन का नियतन	Allocation of Funds for Electrification of Tribal areas during 1973-74 and 1974-75 .	47
257 कर्नाटक में काली विद्युत परियोजना को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Kali Power Project in Karnataka .	48
258 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वार्षिक योजना परिव्यय	Annual Plan outlay for States and Union Territories . .	49
259 दक्षिण भारतीय नगरों के लिए मुरैना से बुक किए ट्रंक काल	Trunk Calls booked from Morena City for South Indian Towns	51
260 समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर बम विस्फोट	Bomb Blast at Samastipur Railway station . .	51
261 समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर 2 जनवरी 1975 को सुरक्षा प्रबन्धों के लिए उत्तरदायित्व	Responsibility for Security arrangements at Samastipur Railway station on 2-1-75	52
262 गोआ, दमण और दीव में कानूनों का लागू होना	Application of the Laws in Goa, Daman and Diu .	52
263 2 जनवरी, 1975 को समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर रेल प्रशासन द्वारा किये गये सुरक्षा प्रबंध	Security arrangements made by Railway Administration at Samastipur Railway Station on 2-1-75	52
264 समस्तीपुर में बम विस्फोट को रोकने के लिये की गई कार्यवाही	Steps taken to prevent Bomb Blast at Samastipur . . .	53
265 रेल मंत्री को समस्तीपुर से दानापुर लाने वाली विशेष रेल गाड़ी का देर से पहुंचना	Late arrival of special Train Carrying Railway Minister from Samastipur to Danapur .	53
266 दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा भारतीय तेल निगम तथा कोयला खानों को देय धन राशि	Amount owed to IOC and Coal Mines by DESU .	54
267 उड़ीसा में अखबारी कागज का लघु संयंत्र	Mini Newsprint Plant in Orissa .	54

अता०प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
268 दक्षिण कनारा जिले में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र और डाकघर	P.C.Os and Post Offices in South Kanara District	54
269 आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली में टेलीफोन कलाकारों और तकनीकी कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by Television Artists and Technical staff at Akashvani Bhawan, New Delhi . . .	56
270 उच्च जाति के जमीदारों द्वारा बिहार के मधुबनी जिले के सोहपुर ग्राम के हरिजनों की नजरबन्दी	Confinement of Harijans of Sohpur Village of Madhubani District of Bihar by Upper Cast Landlords .	56
271 आकाशवाणी केन्द्रों को समाचार सम्बन्धी पत्र लिखने के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति	Appointment of persons to write News-letters to Radio stations . . .	57
272 टायरों और ट्यूबों की कमी	Shortage of Tyres and Tubes	58
273 डाक-तार सलाहकार समितियों की बैठकें	Meetings of P&T Advisory Committees.	59
274 मिजोरम में मिजो विद्रोहियों द्वारा जबर्दस्ती कर की वसूली	Collection of Tax forcibly by Mizo Rebels in Mizoram . . .	59
275 डाक-तार कर्मचारियों के लिये आवास व्यवस्था	Residential Accommodation for P&T Employees	59
276 पिछड़े क्षेत्रों में विदेशी फर्मों को औद्योगिक लाइसेंस देने से इन्कार किया जाना	Refusal of Industrial Licences to Foreign Firms in Backward Areas .	60
277 कोका कोला कारखाने	Coca Cola Factories .	61
278 इदिक्की बिजली परियोजना का पूरा होना	Completion of Idikki Power project	62
279 केरल इलक्ट्रानिकी निगम द्वारा भारतीय इलैक्ट्रानिकी निगम की सहायता से इलैक्ट्रानिकी उपकरण बनाने के छोटे-छोटे कारखानों की स्थापना	Setting up of small Electronics Manufacturing Units by Kerala Electronics Corporation with Assistance of Electronics Corporation of India .	62
280 भारत को परमाणु उपकरण भेजने के लिये कनाडा द्वारा निर्यात परमिट का रद्द किया जाना	Cancellation of an Export Permit by Canada for shipment of Nuclear Equipment to India	62

अता०प्र० सख्या U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
281 वर्ष 1975-76 की योजना के लिये बिहार को वित्तीय सहायता देने का अनुरोध	Request for Financial Assistance to Bihar for 1975-76 Plan .	63
282 मोकामेह स्थित माल डिब्बे बनाने वाले कारखाने को हुई हानि	Losses suffered by Mokamah based Wagon Factory . .	63
283 वर्ष 1974 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास	Development of Science and Technology in 1974	63
284 उत्तर प्रदेश द्वारा रिहेंद विद्युत केन्द्र से मध्य प्रदेश को विद्युत की सप्लाई	Supply of power to Madhya Pradesh from Rihand Power station by U.P.	64
285 पटना से टेलीविजन प्रसारण	Television Telecast from Patna .	64
286 भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा कलकत्ता में 'एटामिक स्मैशर' बनाया जाना	Building of an Atom Smasher in Calcutta by Indian Scientists . .	65
287 दूर संचार लाइनें स्थापित करने के लिये विश्व स्तर पर टेंडर	Global Tenders for installing Telecommunication Lines . . .	65
288 आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिये एक पृथक संगठन की स्थापना	Setting up of a separate Organisation for distribution of Essential Commodities	66
289 वार्षिक अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों का आयोजन	Conducting of Yearly International Film Festivals	66
290 विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिये विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता का मांगा जाना	Financial Assistance sought from World Bank and International Financial agencies for setting up power plants.	67
291 उड़ीसा की 1975-76 के लिये वार्षिक योजना	Annual Plan for Orissa for 1975-76.	67
292 लाइसेंसों के लिये अनिर्णीत पड़े आवेदन-पत्र	Pending Applications for Licences	67
293 टेलीफोन राजस्व की बकाया राशि	Outstanding Telephone Dues .	69
294 पाली जिले में 1975 के दौरान गांवों में बिजली पहुंचाना	Electrification of Villages in Pali District during 1975 . . .	69
295 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का कार्य-करण	Working of National Small Scale Industries Corporation.	69

अता०प्र० संख्या .S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
296	भूमिगत नागाओं का चीन जाने का प्रयत्न / Underground Nagas Bid to proceed to China	70
297	कर्नाटक में नगरों के नामों में परिवर्तन / Change in names of cities in Karnataka	71
298	टेलीफोन एक्सचेंज खरीदने के लिये विश्व बैंक से ऋण / World Bank loan for purchase of Telephone Exchanges	71
299	फिल्म समारोह का स्थान / Venue of Film Festival	72
300	पांचवी योजना में गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों का विकास / Development of Tribal areas of Gujarat in Fifth Plan	72
301	तेज गति से औद्योगिकीकरण एवं विकास का सुझाव / Suggestion for rapid Industrialisation and development	73
302	क्यूबा की एक फिल्म के प्रदर्शन की अनुमति न दिया जाना / Denial of permission to Screen a Cuban Film	73
303	अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में टिकटों की बिक्री और फिल्मों के दुरुपयोग के बारे में आरोप / Allegations about sale of tickets and misuse of Films at the International Film Festival	74
304	अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में हुआ कारोबार / Business transactions at International Film Festival	74
305	औद्योगिक उत्पादन / Industrial Output	75
306	अगले वर्ष के दौरान बिजली उत्पादन क्षमता स्थापित किया जाना / Installation of Power Generation Capacity during next year	76
307	दंगों के मामलों में वृद्धि / Increase in Cases of rioting	77
308	साम्प्रदायिक संगठनों पर प्रतिबन्ध / Ban on Communal Organisations	77
309	ऊर्जा संसाधनों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए प्रस्ताव / Proposal for Maximisation of Energy Resources	78
310	मिजोरम में विद्रोहियों द्वारा एक समानांतर सरकार का चलाया जाना / Functioning of a parallel Government by Rebels in Mizoram	78
311	फिल्म समारोह में प्रदर्शित फिल्मों का स्तर / Standard of films shown at Film Festival	79

अ ता० ० संख्या U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
312 हिन्दुस्तान मोटर्स में तीसरी पारी बन्द करना	Closure of Third shift in Hindustan Motors	79
313 पिछड़े और जनजाति क्षेत्रों में गांवों का विद्युतीकरण	Electrification of Villages in backward and tribal areas . . .	80
314 डायल घुमा कर सीधे की जाने वाली टेलीफोन 'कालों' का रिकार्ड किया जाना	Recording of STD calls .	80
315 भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड को प्राप्त आदेश	Orders for Bharat Heavy Electricals Ltd.	81
316 नये आशय पत्रों को जारी करना	Issue of fresh letters of intent	83
317 केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों की रहस्यमय रूप से मृत्यु	Mysterious killing of C.B.I. Officers.	83
318 इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर का विकास	Development of an Electronic Teleprinter	84
319 दिल्ली के टेलीफोनों से ट्रंक काल करने में कदाचार	Malpractices in making trunk calls from telephones in Delhi . . .	84
320 ईराक को फिल्मों का निर्यात	Export of Films to Iraq	85
321 निर्यात के लिये सीमेंट निर्माताओं को राज सहायता	Subsidy for manufacture of cement for export	85
322 औद्योगिक लाइसेंस नीति	Industrial Licensing Policy .	86
323 पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना	Establishment of industries in backward areas	87
324 कर्नाटक के लिये वर्ष 1975-76 की वार्षिक योजना	Annual Plan for Karnataka for 1975-76	88
325 बंगला देश द्वारा भारतीय समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं के प्रवेश पर प्रतिबन्ध	Restrictions by Bangladesh on entry of Indian newspapers and journals	88
326 बोगस छोटे एककों को समाप्त करना	Liquidation of bogus small units	88
327 राज्यों के लिए पांचवीं योजना	Fifth Plan for States . . .	89
328 गुजरात के लिये वर्ष 1975-76 की वार्षिक योजना	Annual Plan for Gujarat for 1975-76	89
329 हिंसा और उग्रवादी गतिविधियों का प्रसार	Spread of violence and extremist activities	90

अता०प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
330	नव निर्माण समिति द्वारा आन्दोलन	Agitation by Nav Nirman Samiti	90
331	आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों में प्रधान मंत्री के कथनों को शामिल किया जाना	Inclusion of Prime Minister's Utterances in news bulletins of A.I.R.	90
332	राज्यों में पिछड़े क्षेत्रों का विकास	Development of backward areas in States	91
333	संथाल परगना (बिहार) में टायर कारखाना	Tyre factory in Santhal Pargana (Bihar)	91
334	भूमिगत नागाओं की समस्या हल करने के लिए नागालैण्ड सरकार की योजना	Nagaland Government Plan to solve the Problems of underground Nagas	92
335	अन्तर्राज्यीय सीमा विवाद	Inter-State boundary disputes	92
336	सिगरेट कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of cigarette companies	93
337	दक्षिण गुजरात के डांग क्षेत्र में रेडियो संचार व्यवस्था	Radio transmission in Dang area of South Gujarat . . .	93
338	'सेंट्रल जेनेरेशन कम्पनी' का गठन	Constitution of Central Generation Companies	93
339	दिल्ली महानगर क्षेत्र में अपराध	Crimes in Delhi Metropolitan area	94
340	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा मध्य प्रदेश में स्वीकृत/अनुमोदित परियोजनाएं	Projects sanctioned/approved in Madhya Pradesh by R.E.C. .	94
341	जुलाई, 1974 में आयोजित विद्युत् मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों को क्रियान्वित करना	Implementation of recommendations of Powers Ministers conference held in July, 1974	94
342	हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन के प्रबंध-निदेशक को ज्ञापन	Memorandum to Managing Director, HEC.	95
343	स्वतन्त्रता सेनानियों के लिये आवास	Homes for Freedom Fighters	95
344	स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन की स्वीकृति	Grant of pension to Freedom Fighters	96
345	पाश्चात्य प्रौद्योगिकी का आयात	Import of Western Technology .	96
346	साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लीयर फिजिक्स, कलकत्ता के रिसर्च वर्कर्स तथा कर्मचारियों से अभ्यावेदन	Representation from Research workers and staff of Saha Institute of Nuclear Physics, Calcutta	97

अता०प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
347 केन्द्रीय जांच ब्यूरो के इंस्पेक्टर श्री डी० रामानाथन् की दिल्ली में सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु	Death of Shri D. Ramanathan, C.B.I. Inspector in Road Accident in Delhi.	98
348 विभागेत्तर ब्रांच डाकघरों का खोला जाना	Opening of Extra-Departmental Branch Post Offices.	98
349 वितरण योजना के संबंध में दिसम्बर, 1974 में हुआ राज्यों के नागरिक पूर्ति मंत्रियों का सम्मेलन	Conference of Ministers of Civil Supplies of States in December,19 74 regarding distribution plan . .	99
350 प्राथमिकता के आधार पर उर्वरक संयंत्रों को बिजली की सप्लाई	Supply of Power to Fertiliser Plants on priority basis	99
351 सीमेंट पर से नियंत्रण हटाना	Decontrol of Cement	100
352 हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड, उत्तरपाड़ा, पश्चिम बंगाल के श्रमिक संघ नेताओं की मांग	Demands made by Trade Union Leaders of Hindustan Motors Ltd. Uttarpara, West Bengal.	100
353 फिल्म समारोह प्रबंध की आलोचना	Criticism of Film Festival arrangements	100
354 नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा देय राशि की अदायगी संबंधी नई दिल्ली नगरपालिका तथा नगर निगम के बीच विवाद	Dispute between N.D.M.C. and Municipal Corporation over payment of Dues by N.D.M.C.	101
355 दिल्ली में एक आयकर अधिकारी के घर में अनाधिकार प्रवेश	Trespass in the House of an Income Tax Officer in Delhi . . .	102
356 पश्चिम बंगाल में विद्युत् की राशन व्यवस्था के कारण औद्योगिक उत्पादन में गिरावट	Loss to Industrial Production in West Bengal due to Power Rationing	102
357 चालू वर्ष में बिजली का उत्पादन	Generation of Power in Current year	103
358 वर्ष 1974 में औद्योगिक उत्पादन	Industrial Production in 1974	104
359 दिल्ली में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि	Increase in Incidence of Crime in Delhi	104
360 'प्रीमियर प्रेजीडेंट' कार का मूल्य	Price of Premier President Car	105
361 दक्षिण क्षेत्रीय परिषद् की बैठक	Southern Zonal Council Meeting .	105
362 औद्योगिक लाइसेंस नीति में परिवर्तन	Changes in Industrial Licensing Policy	106

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
363 महाराष्ट्र राज्य विद्युत् बोर्ड के लिए पुर्जों का आयात	Import of Spares for Maharashtra State Electricity Board	106
364 आई० ई० एस० और आई० एस० एस० की फीडर लिस्ट का अंतिम रूप से तैयार करना	Finalisation of Feeder List of I.E.S. and I.S.S	107
365 गुजरात में हरिजनों पर अत्याचार	Atrocities on Harijans in Gujarat	107
366 उत्तर प्रदेश में निर्माण कार्यों का क्रियान्वित न किया जाना	Non-execution of Works in U.P. .	107
367 जिला बहराइच (उत्तर प्रदेश) के गांवों में बिजली लगाने का काम	Rural Electrification Work in District Bahraich (U.P.)	108
369 राष्ट्रीयकरण से पहले और उसके बाद की कोयले की बिक्री से कुल आय	Sales proceeds of Coal before and after Nationalisation	108
370 अखबारों की अर्थव्यवस्था संबंधी जांच समिति (फैक्ट फाइंडिंग कमेटी) का प्रतिवेदन	Report of the Fact finding Committee on Newspaper Economics . . .	109
371 योजना अवकाश	Plan Holiday	109
372 तमिलनाडु में रावण लीला	Ravan Leela in Tamil Nadu . .	109
373 महाराष्ट्र में रोजगार गारंटी योजना	Employment Guarantee Scheme in Maharashtra	110
374 'अम्बेसेडर' कार का मूल्य	Price of Ambassador Car . . .	110
375 आयात-समर्थक समूह की गतिविधियां औद्योगिक विकास में बाधक	Activities of Import Lobby against Industrial Development . . .	110
376 दिल्ली में स्वाधीनता सेनानियों के लिये गृह	Home for Freedom Fighters in Delhi .	111
377 डाक विभाग में सावधिक वेतनमान वाले क्लर्क-सुपरवाइजर	Time scale clerk-supervisors in Postal Department	111
378 हिन्दुस्तान लीवर्स लिमिटेड के विरुद्ध शिकायत	Complaint against Hindustan Levers .	112
379 दूर संचार विभाग के कर्मचारियों के लिये वेतन सहित छुट्टियां	Paid holidays for Telecommunication staff	112

अता०प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGE S
380	संगीत और नाटक प्रभाग के कर्मचारियों की शेष मांगें	Outstanding demands of employees of Song and Drama Division . . 112
381	उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर	Post Offices in rural areas of U.P. . 113
382	'सेटेलाइट इनस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरीमेंट' आरंभ करने में विलम्ब	Delay in launching satellite instructional T.V. experiment . . 113
383	उचित मूल्य की दुकानों में आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध होना	Essential commodities in Fair Price Shops 114
384	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को कोयला खान प्राधिकरण की सहायक कम्पनी बनाया जाना	Bharat Coking Coal Ltd. a subsidiary of coalmines authority . . . 114
385	द्रुत कार्यक्रमों को समाप्त करना	Doing away with crash programmes 114
386	विदेशी सहायता से घड़ियों के कारखाने की स्थापना	Setting up of watch factory with foreign collaboration . . 115
387	एच०एम०टी० घड़ियों की मांग	Demand for H.M.T. Watches 115
388	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत ऋण	Loans sanctioned by Rural Electrification Corporation . . . 115
389	उत्तरी क्षेत्र में बिजली की कमी	Power shortage in Northern Region. 116
390	थीन बांध परियोजना	Thein Dam Project . 116
391	जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तानी गुप्तचरों का जाल	Pakistani espionage network in Jammu and Kashmir 117
392	राजकोट में एक डाकघर का जलाया जाना	Burning of a Post Office in Rajkot. 117
393	द्वितीय प्रेस आयोग की स्थापना	Setting up of Second Press Commission 117
394	लघु उद्योगों का पंजीकरण करना और पंजीकरण समाप्त करना	Registration and de-registration of small industries 118
395	वर्ष 1975-76 और पांचवी योजना में विद्युत् की सप्लाई की स्थिति में सुधार लाने के लिए पश्चिम बंगाल द्वारा धन का मांगा जाना	Funds sought by West Bengal for augmenting power supply position during 1975-76 and Fifth Plan . . 118
396	केरल में निर्यातोन्मुखी उद्योगों का विकास	Development of Export Oriented industries in Kerala 118

अ०ता०प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
397 सीमेंट की कमी	Shortage of Cement .	119
398 पांच लाख व्यक्तियों को रोजगार देने की योजना के अन्तर्गत उपलब्ध करवाये गये रोजगार	Jobs created under 'Half-a-Million' jobs Scheme.	119
399 मध्य प्रदेश के पोरासा और बड़ौदा गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र	P.C.Os. in Porasa and Baroda Villages of Madhya Pradesh	119
400 मुरैना जिले में टेलीफोन एक्सचेंज	Telephone Exchanges in Morena District	120
दिल्ली के जामा मस्जिद क्षेत्र में घटी घटनाओं की चर्चा के बारे में	Re : Discussion on Incidents in Jama Masjid Area, Delhi . . .	120
सभापटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	123
गुजरात में चुनाव कराने के बारे में	Re : Holding of Elections in Gujarat .	131
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—50वां प्रतिवेदन	Committee on Private Members Bills and Resolutions—Fiftieth Report	134
लोक वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के समय को बढ़ाया जाना	Public Financial Institutions Laws (Amendment) Bill—Extension of time for presentation of Report of Joint Committee	135
नियम 377 के अधीन मामला—	Matter Under Rule 377—	
रेलों में कोयले का स्टाक कम होने के कारण गाड़ियों का कथित रद्द किया जाना	Reported cancellation of Trains due to shortage of coal with Railways . .	135
केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अदायगी के बारे में	Re : Payment of D.A. to Central Government Employees	135
मध्य प्रदेश के छतीसगढ़ में अकाल की स्थिति के बारे में	Re : Famine conditions in Chhatisgarh, Madhya Pradesh.	136
राजस्थान में भुखमरी के कारण हुई कथित मौतों के बारे में	Re : Reported starvation deaths in Rajasthan.	136

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
दिल्ली के जामा मस्जिद क्षेत्र में पुलिस के कथित अत्याचारों के बारे में चर्चा	Discussions Re: Reported Police atrocities in Jama Masjid Area, Delhi.	136
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu . . .	136
श्री अर्जुन सेठी	Shri Arjun Sethi . .	138
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट	Shri Ebrahim Sulaiman Sait . .	139
श्रीमती सुभद्रा जोशी	Smt. Subhadra Joshi . .	141
श्री अटल बिहारी बाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee .	141
श्री एच० के० एल० भगत	Shri H. K. L. Bhagat . . .	142
श्री इसहाक सम्भली	Shri Ishaq Sambhali	144
श्री टी० सोहन लाल	Shri T. Sohan Lal	145
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	145
श्री एस० ए० शमीम	Shri S.A. Shamim . . .	146
श्री जनेश्वर मिश्र	Shri Janeshwar Misra . . .	147
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	148
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra . .	149
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee	150
श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी	Shri K. Brahmananda Reddy .	150

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 19 फरवरी, 1975/30 माघ 1896 (शक)
Wednesday, February 19, 1975/Magha 30, 1986 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को श्री कु० शिव प्रधाशन के देहांत का समाचार देना है जोकि 16 फरवरी, 1975 को 62 वर्ष की आयु में पांडिचेरी में हुआ।

श्री शिवप्रधाशन वर्ष 1963 से 1967 के दौरान पांडिचेरी निर्वाचन क्षेत्र से तीसरी लोक सभा के सदस्य रहे। एक शिक्षाविद् होने के नाते, उन्होंने भूतपूर्व फ्रांसीसी उपनिवेशों को भारत में मिलाने के कार्य में बहुत सक्रिय रुचि ली। उन्होंने हरिजनों के उद्धार और सांस्कृतिक विकास के लिये भी कार्य किया।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवार को अपने संवेदना भेजने में यह सभा मेरे साथ है।

अब शोकाभिव्यक्ति के लिये सब सदस्यगण कुछ क्षणों के लिये मौन खड़े होंगे।

तत्पश्चात सदस्यगण कुछ देर मौन खड़े रहे।

The Members then stood in silence for a short while

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संबंधी संसदीय फोरम द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन

*21. **श्री एस० एम० सिद्दैया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संबंधी संसदीय फौरम द्वारा पिछले बजट सत्र में प्रधान मंत्री को दिये गये ज्ञापन पर सरकार ने कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) और (ख) ज्ञापन में उठाये गये प्रश्नों का स्पष्टीकरण तथा तत्सम्बन्धी स्थिति का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

[मंत्रालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8908/75]

श्री एस० एम० सिद्दैया : मद संख्या 2 के सम्बन्ध में विवरण में यह दिया हुआ है :—

"अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के अपने संगठन को मजबूत करने का प्रस्ताव पर विचार हो रहा है।"

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि संविधान के अन्तर्गत आयुक्त को अपना कार्य करने के लिये पहले ही देश भर में 17 क्षेत्रीय कार्यालय थे जो कि उसके कार्य में सहायता करते थे। इन कार्यालयों को 1967 में समाप्त कर दिया गया। तब से इलायापेरूमल समिति जिसने इस मामले की जांच की, तथा संसदीय समिति ने इस बात की सिफारिश की, कि इन क्षेत्रीय कार्यालयों की पुनः स्थापना की जानी चाहिये। अन्यथा आयुक्त अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं निभा पायेगा। जब पहले यह प्रश्न सभा में उठाया गया था तो संबंधित मंत्री ने आश्वासन दिया था कि आयुक्त जो कुछ चाहता है, वह उसे यथासंभव शीघ्र दे दिया जायेगा। इस आश्वासन को ध्यान में रखते हुए, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार उन 17 क्षेत्रीय कार्यालयों को अगले वित्तीय वर्ष अर्थात् 1975-76 से पुनः स्थापना कर देगी।

श्री ओम मेहता : जैसा कि मैंने प्रश्न के उत्तर में कहा कि आयुक्त के संगठन को मजबूत बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। हम उनके केन्द्रीय कार्यालय को भी मजबूत बनाने पर विचार कर रहे हैं। मद्रास, भोपाल, पटना, लखनऊ आदि में इनकी स्थापना हो चुकी है और जहां कहीं वह जाते हैं तथा जो कुछ भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वह उन्हें इन क्षेत्रीय कार्यालयों से मिल जाती है।

श्री एस० एम० सिद्दैया : सरकार आयुक्त के लिये उन सब 17 क्षेत्रीय कार्यालयों की पुनः स्थापना करने के पक्ष में नहीं है। सरकार का ऐसा ही विचार है। अब मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी संसदीय समिति की बात करता हूं। एक प्रश्न के उत्तर में, कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी संसदीय समिति को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की व्यक्तिगत शिकायतों को प्राप्त करने और उनकी जांच करने की शक्ति होनी चाहिये, यह कहा गया है कि इस पर विचार करना समिति और अध्यक्ष का काम है। क्या यह सत्य नहीं है कि गृह मंत्रालय के कहने पर समिति को दी गई शक्ति वापस ले ली गई ? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार आश्वासन, दे सकती है कि वह इस संबंध में अध्यक्ष और समिति के स्वाविवेक में हस्तक्षेप नहीं करेगी ?

श्री ओम मेहता : श्रीमान् जी, यह अध्यक्ष द्वारा नियुक्त समिति होती है वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनकी शिकायतों की जांच करते हैं। इस समय मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है जबकि किसी प्रकार की शक्ति वापस ली गई है।

श्री दसरथ देव : श्रीमान् जी, समिति द्वारा पेश किये गये इस ज्ञापन की मद संख्या 5 में यह कहा गया है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति

की तरह प्रत्येक राज्य में विधान मंडलों की एक ऐसी समिति स्थापित करने के लिये राज्य सरकारों पर जोर दिया जाना चाहिये। इसका उत्तर यह था कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल ने पहले ही ऐसी समितियों की स्थापना कर दी है। कई अन्य राज्यों ने कहा है कि वहां पहले ही सलाहकार समितियां/ बोर्ड आदि हैं जिनके सदस्य विधायक हैं । सलाहकार बोर्ड संसदीय समिति की तरह नहीं हैं। इस संबंध में बोर्ड का कार्यकरण संसदीय समिति के कार्यकरण से सर्वथा भिन्न है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस मामले पर उन राज्य सरकारों से बातचीत करेगी जिन्होंने इस तरह की समितियां नहीं बनाई हैं ?

श्री ओम मेहता : हम अन्य राज्य सरकारों से भी इस बारे में बातचीत करेंगे। यह कार्य पूर्णतया राज्य सरकारों का है कि वे इस तरह की समितियों की स्थापना करें।

श्री डी० बासुमतारी : क्या यह सच है कि संसदीय समिति के अध्यक्ष ने राज्य मंत्रियों से इस तरह की विधायी समितियों की स्थापना करने का अनुरोध किया है। यदि हां, तो राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री ओम मेहता : जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि कुछ राज्यों जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल ने इस तरह की समितियां पहले ही बना ली हैं। इस तरह की विधायी समितियों को बनाने का कार्य राज्य सरकारों का है। हम राज्य सरकारों से इस मामले पर बातचीत करेंगे।

श्री शक्ति कुमार सरकार : क्या यह सत्य है कि अस्पृश्यता अपराध (संशोधन) विधेयक का शीर्षक बदल दिया गया है ? संयुक्त प्रवर समिति ने मतैक्य से यह स्वीकार किया है कि इसका नाम अब "नागरिक अधिकार रक्षा विधेयक" होगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि इसका शीर्षक बदल दिया गया हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

श्री ओम मेहता : सरकार का विचार है कि अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 का मुल नाम बना रहे। अतः पुराना ही नाम चल रहा है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं जानना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की रक्षा के लिये सरकार तथा अन्य संगठनों द्वारा तंत्र को मजबूत बनाने के लिये किये जा रहे प्रयासों के बावजूद भी क्या यह सत्य नहीं है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में किये जाने वाले अत्याचार तथा अन्याय प्रतिवर्ष बढ़ते ही जा रहे हैं ? क्या सरकार को इस बारे में कोई आंकड़े प्राप्त हुए हैं कि उनके पास कितने मामले दर्ज किये गये हैं ताकि यह पता चल सके कि इस तरह के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। यदि हां, तो क्या यह सुनिश्चित करने के लिये, कि इस तरह के अपराध कानून के अन्तर्गत दण्डनीय समझे जायें और उन लोगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाये जो इस तरह के कार्य करते हैं, केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन कुछ विधायी और प्रशासनिक उपाय है ?

श्री ओम मेहता: सही संख्या के लिये मैं एक पृथक सूचना चाहूंगा किन्तु यह कहना बहुत ही कठिन है कि इस तरह के मामलों में वृद्धि हो रही है। जैसा कि श्री गुप्त जानते हैं कि हम इस अस्पृश्यता अपराध विधेयक को, जो संयुक्त प्रवर समिति को सौंपा गया और पिछले दो या तीन सत्रों

से सभा के समक्ष है, पारित करने के लिये उत्सुक हैं। इस विधेयक की मुख्य विशेषता यह की है कि अस्पृश्यता संबंधी अपराधों को अधिक संख्या में विधेयक के अन्तर्गत लाने का उपबन्ध कर दिया गया है और इस अपराध के लिये कठोर दंड तथा सामुहिक जुमाने की व्यवस्था की गई है। जो पुलिस अधिकारी जानबूझ कर इस तरह के मामलों की जांच में जानबूझ कर उपेक्षा बरतेंगे उन्हें भी दंड दिया जायेगा। श्रीमान जी यह विधेयक गत कई सत्रों से आप के समक्ष रहा है और हम इसे पारित करवाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप हमें समय दें तो हम इसे तत्काल पारित करवा लेंगे। यहां तक गत सत्र के दौरान भी मैंने प्रस्ताव किया था कि विधेयक पर विचार किया जाये। किन्तु दुर्भाग्य से इसके लिए समय नहीं दिया गया।

Shri Atal Bihari Vajpayee : You move the bill today and we will pass it today itself.

Shri K. S. Chavada : You call meeting of the Business Advisory Committee, today itself.

Shri Atal Bihari Vajpayee : The Home Ministry has stopped the scholarships of those Harijan students who are compelled to work to feed their family members. This has been done by issuing an order. I would like to know that why such order has been issued ? whether Government are aware of the fact that many students are compelled to work because their families are not in a position to earn their livelihood ? How many students have to work ? Government should think over it. According to old rules the family income was fixed Rs. 175/-. Now the upper limit has been fixed at Rs. 750/-. If the son of member of Parliament can get scholarship, then why it should be refused to a student who earns Rs.40/- per month and wants to join evening classes ? It is a facility being given to Harijan students to keep continue their study. Why this order has been issued and what is the justification in issuing it ?

Mr. Speaker : You are giving it a shape of specific question.

Shri Atal Bihari Vajpayee : You just see the statement. It is in detail. At the same time see the question and the reply given by the Government.

"6. मैट्रिक से पूर्व छात्रवृत्ति की दरें दुगनी की जानी चाहिए और अनुसूचित जातियों के छात्रों को ये छात्रवृत्तियां देने के लिए ली जाने वाली परीक्षा समाप्त की जानी चाहिए।	मैट्रिक से पूर्व दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की दरें शैक्षणिक वर्ष 1974-75 से बढ़ा दी गई हैं। अनुसूचित जातियों के लिए सीमा को 500 रुपये से बढ़ाकर 750 रुपये प्रतिमाह करके परीक्षा में भी उदारता बरती गई है।

The upper limit has been increased but the students who work during the day time, they will not get any scholarships.

Shri Om Mehta : There was a repeated demand from the people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes that the rates of scholarships should be increased. So the Government have increased these rates to one and half and some rates have been doubled. We are giving post-matric scholarships to 3½ lakh students. The rates are in between Rs. 125/- and Rs. 40/-. Those who are studying in day classes and at the same time in lower classes, are being given Rs. 40/- as scholarship and those who are studying in evening classes, are being given Rs. 125/-. We want that more and more students should get this benefit. That is why we have allocated 200 crores of rupees for post-matric scholarship for students belonging to Scheduled Castes and scheduled Tribes. But those students have been debarred, who are earning. We have done so, because we want that more and more persons should be benefited from this scheme, particularly those who have no means to earn their livelihood.

पर्वतीय क्षेत्रों का विकास :

*22. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लए रेलवे, सड़क, औद्योगीकरण, पनबिजली, सिंचाई और पेय जल सम्बन्धी विभिन्न परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार ने कोई प्राथमिकता दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिए कोई आवंटन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक क्षेत्र/विभाग के लिये कितना आवंटन किया गया है ताकि पर्वतीय क्षेत्रों का उचित विकास निश्चित किया जा सके ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) यद्यपि पहाड़ी क्षेत्रों के विकास की जिम्मेदारी मुख्यतः सम्बद्ध राज्य सरकारों की है । परन्तु जैसा कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप से स्पष्ट है केन्द्रीय सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों के त्वरित विकास में विशेष दिलचस्पी ली है । पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए उदार शर्तों पर राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था की गई है । इसके अलावा, पहाड़ी क्षेत्रों में (तथा अन्य पिछड़े क्षेत्रों में भी) औद्योगिकीकरण, सिंचाई और पन बिजली निर्माण से सम्बन्धित स्कीमों पर भी केन्द्रीय योजना में ध्यान दिया जायेगा ।

(ख) और (ग) पहाड़ी तथा आदिम जाति क्षेत्रों के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना प्रारूप में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए 500 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है । क्षेत्रों/सेक्टरों के लिए इस राशि के ब्यौरे को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

Prof. Narain Chand Parashar : I thank to the Hon. Minister for his sympathetic attitude in this regard. He has stated that the responsibility of development of hill areas is primarily of the State Governments. I think the Central Government is also equally responsible in this respect. Because today many departments are under the Central Government. I would like to know whether Government will take interest in the development of those departments in the same way as they take interest in the development of states ?

Shri Vidya Charan Shukla : I stated in my original reply that although this is state subject, but we are also assisting from centre in solving the special problems of hill areas and for this purpose we have allocated sufficient amount in the fifth five year plan.

Prof. Narain Chand Parashar : Whether the Hon. Minister will give me an assurance that this amount of 500 crores rupees will not be reduced and the development works under taken by various ministries will continue and the central Government will adopt a sympathetic attitude in this regard ?

Shri Vidya Charan Shukla : No doubt our attitude will remain sympathetic in this reagard but so far as curtailment in allocation is concerned, we can not give any assurance because we want to make certain changes in the draft of the fifth five year plan, so that it may suit the present economical conditions and we may introduce it as early as possible. We will have to make some adjustment, if needed. But even then it will be our endeavour to develop the hill areas and we will not change our original policy in this regard.

श्री नूरूल हुडा : सरकार जानती है कि उत्तरी कच्छार पर्वतीय क्षेत्र तथा मिकिर पर्वतीय क्षेत्र अभी भी आसाम के भाग हैं और ये क्षेत्र देश के पिछड़े हुए क्षेत्रों में से हैं । क्या इन पर्वतीय क्षेत्रों के विकास तथा उद्योगीकरण की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा ? क्योंकि अब मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड तथा नेफा आसाम से पृथक हो गए हैं और केवल ये ही पर्वतीय क्षेत्र आसाम के भाग रह गए हैं ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम आसाम के इन दो जिलों की ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं। माननीय सदस्य को इस प्रकार की कोई आशंका नहीं होनी चाहिए कि इन क्षेत्रों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है क्योंकि ये अभी आसाम में हैं। ये पर्वतीय जिले समझे जा रहे हैं और इसलिए उनकी ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

श्री चिन्तामणि पाणीग्रही: चौथी योजना के दौरान क्या यह सरकार के ध्यान में आया था कि जो धन पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए निर्धारित किया गया था उसका अधिकांश भाग उन राज्यों के विकसित क्षेत्रों पर ही व्यय किया गया ? यदि हां, तो पांचवीं योजना में सरकार ऐसे कौन से उपाय कर रही है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि पिछड़े क्षेत्रों के लिए जो धन निर्धारित किया जायेगा वह उन्हीं पर ही व्यय किया जायेगा ? और क्या सरकार को इस बात का भी पता है कि कुछ संसद सदस्य पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए अभियान चला रहे हैं जिसका प्रधान मंत्री ने भी उद्घाटन किया था ? क्या पिछड़ा क्षेत्र विकास अधिकरण स्थापित करने के लिए कोई विशेष सुझाव दिया गया।

श्री विद्याचरण शुक्ल: इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि आरम्भ में इस तरह की बातें हुई हैं। पांचवीं योजना में इसे रोकने के लिए हमने उप-योजना की एक प्रणाली तैयार की है जिसके अनुसार हम इन पर्वतीय क्षेत्रों तथा आदिवासी क्षेत्रों के विशेष क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाएं निर्धारित करेंगे। अतः माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकते हैं कि अतीत में जिन कठिनाइयों का सामना किया गया था उन्हें अब बाधक नहीं बनने दिया जायेगा।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली : इस बात को ध्यान में रखते हुए, कि हिमालय से लगे पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या का बिखराव है तथा वहां संचार के साधन न के बराबर हैं और वहां के विकास का कार्य-क्रम कठिनता से ही वहां के लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार होता है, ऐसे में क्या सरकार पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को निर्धारित करते समय, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के संदर्भ में, प्रशासनिक सुधार आयोग, कार्य-दल, कृषि सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग तथा अन्य विशेषज्ञ निकायों की सिफारिशों को ध्यान में रखेगी।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जब पांचवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया जा रहा था तो इन सभी सिफारिशों को ध्यान में रखा गया था और इसी कारण पर्वतीय क्षेत्रों के विकास की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि हम पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों की समस्याओं से भली भांति परिचित हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : whether it is a fact that during the rainy season the land-slides take place and it resulted obstacles in the flow of water in rivers and ultimately devastating floods take place. If so, whether there is any scheme of afforestation under Governments' consideration so that the land-slides may not take place.

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics, Minister of Space, Minister of Planning and Minister of Science and Technology (Shrimati Indira Gandhi): It is a good idea.

Shri Vidya Charan Shukla : The Hon. members made a good suggestion and we are seized of this matter. We undertake this job under a mixed programme. We have to check land erosion, we have to check land-slides, we have to protect our forests. We have to avoid silting in dame. We have given top priority to this suggestion.

Shri C. C. Gohain : Mr. Speaker, I want to refer some facts before I ask the question, so that you may know every thing. Perhaps you know that there is not a single railway line in the hill areas of eastern region. The result is this that the free rail passes issued to the

members are not utilized. They go waste. Perhaps you know that there were no roads in Arunachal Pradesh earlier. Some roads have been constructed after the China war of 1962. The roads constructed by the task Force were for the use of army and not for the public. Those roads are also incomplete. I want to inform you that on the 12th I went to my native place. At one place the diversion of the road was damaged, our jeep could not pass and ultimately we had to stay in the forest during the whole night. We did not get anything to eat.

So far as education is concerned, it was started there after the independence. But the problem is this that the medium of education, there is changed every year. Some time it is Assamese, some time English and some time Hindi.

The students in my region face much difficulty due to change in the media of education. It was English some years also but now it is proposed to switch over to Hindi. That is why I am also trying to speak in Hindi.

There is abundence of raw materials whereas there are no industries worth the name. Water resources are a plenty and therefore hydel power can be generated but in the committe it was stated that laying cables was difficult and involves lots of expenditure. But is exe penditure not incurred on laying pipelines for conveying crude to Barauni.

Mr. Speaker : You may say all this during discussion on President's Address.

Shri C.C. Gohain : I want to know the steps taken by Government for the development of Arunachal Pradesh during the fifth Plan ?

Shri Vidya Charan Shukla : We have included all the district of Arunachal Pradesh in our special scheme and as far as possible facilities like rail, education, roads, industries, power etc. would be extended under the special scheme.

Regarding roads, we shall try to remove the difficulties of citizens as stated by the hon. Member regarding making use of the roads.

Regarding education and the medium thereof, Home Ministry is pursuing a set policy and I hope the difficulties of the State in this regard shall be removed in the next 4-5 years.

As the hon. Members are aware, we have extended numerous facilities to such areas including transport subsidy as also investment finance and financial assistance to those who are desirous of establishing industires there. Therefore, we hope to adequately answer in the Fifth Plan all those question raised by the hon. Member.

Shri Lalji Bhai : Sir, since Rajasthan is more a hill area than desert area and Government have drawn up many schemes like road building, tanks, canals and building up of irrigation resources, water supply, but despite making provision therefor in many Five-year Plans, the amount could not be properly made use of. Today Government policy is to start development work in there areas on the eve of elections to get votes only. Whereas untold corruption creaps in such development works. So, whether Government propose to appoint a team to ensure proper utilisation of funds at proper places for proper periodical checking ?

Shri Vidya Charan Shukla : It is absolutely wrong to say that we link development work with elections. We do give preference wherever it is deemded essential. We do not link development with political issue.

I had clarified the position in regard to avoiding misuse of funds. I had stated that a provision is being made in the sub-plans we are preparing whereunder the money meant to be used in a particular area, especially Adivasi and Hill areas would be utilised for the same specific project.

Shri Pratap Singh Negi : Whether the Hill Development Council for eight hill districts of U.P. will remain inoperative or whether it will be given same status so that development work start there ?

Shri Vidya Charan Shukla : The precise function of that Council is to give advice and suggestion to the State and Central Government so that no area needing development is overlooked and I think that body is functioning properly.

Shri Vir Bhadra Singh : Road-building is essential for the development of Hill and backward areas but the provisions made in Five-Year Plans so far have not passed adequate I would therefore like to know whether additional funds have been provided for road-building in these areas in the Fifth Plan and if not, whether the state would be allowed to divert funds out of state Plan for road-building ?

Shri Vidya Charan Sahukla : It is true that adequate attention has not so far been paid towards road-building in Hill areas. That is why we propose to pay special attention toward this in the Fifth Plan. Morever we have asked the Chief Ministers and Planning Ministers of Hill States to pay special attention towards this aspect with the help of State and Central assistance. I hope this will satisfy the hon. Members.

Smt. Sabodra Bai Rai : I was one of the Members of the Committee which visited Arunchal Pradesh recently and we find little development in the field of education and roads etc. People complained to us that collectors and S.D.O.s of U.P. are stationed there for the last sixteen years, therefore, things are not in proper shape. I therefore a want them transferred so that development work is completed expeditiously. Most of the funds go into their-Pockets The Adivasis of those areas are claiming for electricity, roads and communica tion links and other development works. I, therefore, request the hon. Minister to take immediate steps for the development of those reforms.

Shri Vidya Charan Shukla: It is not correct to say that absolutely no developments has taken place there but I can admit that much remains to be done yet and the persons there are taking special efforts in this regard, though they have peculiar problems of theitr own. Moreover, they are working in areas where generally nobody wants to go. But they are working therewith dedication.

We are paying attention towards the adminstrative problems raised by the hon. Lady Member and we transfer an official if he had stayed at a particular place for too long and has ceased to be useful. She has rightly stressed that we should pay special attention towards Arunachal Pradesh and that is why we are trying our best in the Fifth Plan.

चण्डीगढ़ रेडियो स्टेशन के लिए कार्यक्रम

*23. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ रेडियो स्टेशन के लिए कार्यक्रम दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में तैयार किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो चण्डीगढ़ रेडियो स्टेशन के अधिकारी और कर्मचारी दिल्ली में काम क्यों करते हैं जबकि इस समय चण्डीगढ़ में स्टूडियो की तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(ग) क्या इन अधिकारियों और कर्मचारियों को चण्डीगढ़ भेजने का निर्णय कर लिया गया है या उन्हें भेजने के लिए समय निर्धारित कर दिया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) चण्डीगढ़ में अपेक्षित तकनीकी कर्मचारियों के अभाव में कार्यक्रम कर्मचारियों को दिल्ली में सुविधायें इस्तेमाल करनी पड़ रही हैं ।

Shri Rajdev Singh : The hon. Deputy Minister has stated that in the absence of coponent of technical staff at Chandigarh, they are working in Delhi for Chandigarh. I want now the annual expenditure involved in sending tapes daily and contacting the officers at Chandigarh on telephones ? Regarding Components at are they not available anywhere in the world ? If so, whether orders have been placed for their import ?

Secondly, what is Government's policy in regard to sending tapes daily to Chandigarh and establishing telephonic Contact with officers at Chandigarh and thereby Spending lakhs of rupees when the operational cost could not exceed a few thousand. I want a lucid and specific reply.

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल): इस बात की ओर ध्यान दिलाने के लिए मैं सदस्य महोदय का आभारी हूं। वास्तव में प्रश्न कल-पुर्जों के बारे में नहीं हैं। मेरे साथी ने तो तकनीकी कर्मचारियों के बारे में ही कहा था कि उन्हें वहां तैनात किया जाना है। मंजूरी आदि के बारे में कुछ कठिनाई थी परन्तु यह प्रश्न आने पर मेरा ध्यान इस ओर गया है और मेरी कोशिश यही है कि इस मास के भीतर इसे क्रियान्वित कर दिया जाये।

Sri Rajdeo Singh : What about part (c) of my question ?

श्री आई० के० गुजराल : इसी मास में।

Shri Bhan Singh Bhaura : It is sad that programmes are not being prepared at Chandigarh which is a capital city and tapes are being sent there. Is it that some officers are reluctant to go to Chandigarh ? Whether you can give us a definite assurance that programmes in Punjabi and other languages would start being relayed from there itself within one month ?

Shri I. K. Gujral : I do not think that the hon. Member has understood the question properly. Even at present programmes of 14 hour duration are being broadcast from there are 40-42 persons working there. Only dubbing is done here in respect of Commercial programmes in this respect also I have directed that all programmes should be broadcast from Chandigarh within this month.

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। डा० रानेन सेन और श्री आर० वी० स्वामीनाथन दोनों अनुपस्थित हैं।

श्री दिनेन भट्टाचार्य: सूचनार्थ ही मंत्री महोदय को उत्तर देने की अनुमति दे दी जाये।

अध्यक्ष महोदय: नियमों से बाहर की बात मत लाएं। अगला प्रश्न।

भूतपूर्व रेल मत्री की जान लेने वाले बम विस्फोट की जांच

***25 श्री पी० एम० मेहता:**

श्री गजाधर माझी:

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूतपूर्व रेल मंत्री श्री ललित नारायण मिश्र तथा अन्य व्यक्तियों के जीवन को समाप्त करने वाले बम विस्फोट के बारे में कोई जांच कराई गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

गृह मन्त्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) तथा (ख) जांच पड़ताल प्रगति पर है। इस मामले पर 18 फरवरी, 1975 को इस सदन में एक काम रोको प्रस्ताव के मेरे उत्तर के दौरान भी विचार किया गया था। मेरे उत्तर से मुख्य बातों का एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

2 जनवरी, 1975 को शाम के लगभग 5 बजकर 10 मिनट पर समस्तीपुर मुज्जफ्फरपुर बड़ी लाइन का उद्घाटन करने श्री एल० एन० मिश्र समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। उनके पहुंचने के तुरन्त बाद समारोह शुरू हुआ और लगभग 30 मिनट तक जनसमूह को सम्बोधित किया। उन्होंने मंच पर विस्फोट होते ही अपना भाषण समाप्त कर दिया था। विस्फोट में श्री एल० एन० मिश्र,

डा० जगन्नाथ मिश्र, कृषि मंत्री, बिहार, श्री राम भगत पासवान, संसद सदस्य, श्री यमुना प्रसाद मण्डल, संसद सदस्य, श्री सूरत नारायण झा, सदस्य विधान परिषद्, बिहार और आर० के० पी० एस० किशोर, रेल के कर्मचारी समेत मंच पर लगभग 28 व्यक्ति घायल हुए। उत्तर पूर्वी रेलवे के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा तुरन्त परीक्षा के बाद श्री एल० एन० मिश्र और डा० जे० एन० मिश्र रेलगाड़ी से दानापुर के लिये रवाना हुए और अर्धरात्रि के लगभग पहुंचे । दानापुर में पटना मैडिकल कालेज के प्रमुख सर्जनों द्वारा श्री मिश्र की जांच की गई थी और जख्मों के लिये शल्य-क्रिया की गई थी । 3 जनवरी, 1975 को प्रातः उनका देहावसान हो गया । समस्तीपुर में अन्य घायलों में से श्री आर० के० पी० एस० किशोर का देहान्त 3 जनवरी, 1975 की रात्रि को समस्तीपुर रेलवे अस्पताल में हो गया और श्री सूरज नारायण झा का देहान्त 4 जनवरी, 1975 को दरभंगा मैडिकल कालेज अस्पताल में हो गया।

2. समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर विस्फोट के बाद उसी दिन अर्थात् 2 जनवरी, 1975 को रात्रि के लगभग 8 बजे श्री महादेव साहू, सहायक लेखा अधिकारी, उत्तर पूर्वी रेलवे, समस्तीपुर के घर में एक दूसरा विस्फोट हुआ था । इस सम्बन्ध में राज्य पुलिस ने दो मामले एक भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120ख/302/307 और रेलवे स्टेशन घटना के बारे में विस्फोट पदार्थ की धारा 3 व 4 के अधीन और दूसरा महादेव साहू के मकान में घटना के बारे में विस्फोट पदार्थ की धारा 3 व 4 के अधीन दर्ज किये । मामले के महत्व को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय जांच ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी 4 जनवरी को समस्तीपुर का दौरा करने के लिये प्रतिनियुक्त किये गये थे और राज्य पुलिस जांच-पड़ताल में उनके साथ थी । बाद में बिहार सरकार के अनुरोध पर 8 जनवरी, 1975 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दो मामले जांच-पड़ताल के लिये हाथ में लिये और जांच-पड़ताल प्रगति पर है ।

3. स्व० श्री एल० एन० मिश्र को चिकित्सा सहायता प्रदान करने में विलम्ब के बारे में समाचार-पत्रों की रिपोर्टों में अनेक आशंकाएं प्रकाशित की गई थी । 28 जनवरी, 1975 को बिहार सरकार ने यह जांच करने के लिए कि क्या श्री एल० एन० मिश्र को तुरन्त तथा पर्याप्त चिकित्सा दी गई थी चिकित्सा विशेषज्ञों की समिति बनाई थी । समिति द्वारा जांच प्रगति पर है ।

4. विस्फोटों की किस्म, सुरक्षा प्रबन्धों की पर्याप्तता और अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के बारे में समाचार-पत्रों में अनेक कहानियां भी प्रकाशित हुई थीं । इन कहानियों से जनता के दिमाग में सन्देह उत्पन्न हुआ और दुखान्त घटना के बारे में निराधार युक्तियों तथा अफवाहों को बढ़ावा मिला । संसद सदस्यों और राजनैतिक दलों समेत अनेक पक्षों द्वारा मामले के सभी पहलुओं की जांच करने के लिये मांग की थी ।

5. अतः केन्द्र सरकार ने दोनों विस्फोटों के बारे में सामान्य पृष्ठभूमि और तथ्य तथा परिस्थितियों घटना के समय श्री० एल०एन० मिश्र के संरक्षण व सुरक्षा के लियें किय गये उपायों का स्वरूप तथा पर्याप्तता, घटना के बाद उनको दी गई चिकित्सा सहायता का स्वरूप तथा पर्याप्तता और इन विवादों के सम्बद्ध ऐसे दूसरे मामलों की जांच करने के लिए उच्चतम-न्यायालय के श्री न्यायाधीश श्री के० के० मैथ्यू के अधीन 10 फरवरी, 1975 को एक जांच आयोग नियुक्त किया ।

6. केन्द्रीय जांच ब्यूरो अपनी जांच पड़ताल जारी रखेगा । यह आयोग को वह सहायता भी प्रदान करेगा, जिसकी उसे अपनी जांच के दौरान अपेक्षा होगा । जबकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच पड़ताल का उद्देश्य अभियुक्तों को मुकदमें के लिये न्यायालय के समक्ष लाना है, जांच आयोग का कार्य क्षेत्र विस्तृत है और अपने विस्तृत कार्य में आयोग केन्द्रीय जांच ब्यूरो और बिहार सरकार द्वारा नियुक्त चिकित्सा विशेषज्ञों के दर का सहयोग तथा सहायता लेगा ।

7. आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है और उसके गठन के दिन से तीन महीने के भीतर अपनी जांच पूरी करने तथा केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करने की आशा है ।

Mr. Speaker : This issue was discussed at length yesterday.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं आपके विचारार्थ एक निवेदन करना चाहता हूं। कल जब इस विषय पर चर्चा हो रही थी तो गृह मंत्री महोदय ने बिल्कुल शब्दशः यही वक्तव्य दिया था जो आज प्रश्न के उत्तर में दिया गया है । अगर यही बात थी तो या तो यह प्रश्न वापिस लिये जाने की अनुमति दी जाती या प्रश्न को ही अस्वीकार कर दिया जाता अन्यथा तो इस पर आज सदन का समय ही व्यर्थ नष्ट किया जा रहा है । यदि सरकार के पास और नई जानकारी नहीं थी, तो यह प्रश्न वापिस लिया जा सकता था ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: या यह प्रश्न किसी अन्य दिन के लिए स्थगित किया जा सकता था ।

श्री पी० एम० मेहता: मैं भी यही चाहता था ।

Mr. Speaker : It should have been withdrawn by you and not by him. The discussion on it continued till late last night.

श्री पी० एम० मेहता: मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या 8 जनवरी से लेकर आजतक गृह मंत्री तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच अब तक हुये जांच कार्य का मूल्यांकन करने हेतु कोई बैठक हुई है और क्या इसी कार्य के लिए बिहार के मुख्य मंत्री और गृह मंत्री के बीच भी कोई बैठक हुई है । क्या वह सभा को यह बतायेंगे कि अब तक इस कार्य के संबन्ध में जो प्रगति हुई है वह संतोषजनक है और उससे अन्ततः रहस्य का पता चल जायेगा ?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मेरे साथ इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है । केन्द्रीय जांच ब्यूरों के जो अधिकारी इसकी जांच में लगे है, उनकी मेरे साथ इस मामले में कोई बातचीत नहीं हुई है । दूसरे बिहार के मुख्य मंत्री की भी मेरे साथ इस संबन्ध में कोई बात चीत नहीं हुई है । जैसा कि मैंने कल ही कहा था जांच कार्य सक्रिय रूप से चल रहा है ।

श्री पीलू मोदी : आपको कैसे मालूम है ?

श्री पी० एम० मेहता : मैं तो केवल इतना ही जानना चाहता था कि अब तक इस कार्य में जो प्रगति हुई है वह संपोषजनक है या नहीं ?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मैं अभी यह कहने की स्थिति में नहीं हूं कि प्रगति संतोषजनक है या नहीं। परन्तु मुझे मालूम हुआ है कि वह काफी जोरदार ढंग से प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री त्रिदिब चौधरी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या गृह मन्त्री महोदय का ध्यान गत दो या तीन दिनों से लगातार प्रकाशित हो रहे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि गिरफ्तार किये गये कुछ व्यक्तियों द्वारा जुर्म स्वीकार कर लिया है और रहस्य के बारे में जानकारी मिल गई है । मैं यह नहीं चाहता कि वह यह बतायें कि ऐसा हुआ है या नहीं। परन्तु वह कृपया जांच अधिकारियों को यह निदेश दे दें कि उन्हें समय समय पर इस प्रकार जानकारी नहीं देनी चाहिये क्योंकि उससे जनता के मस्तिष्क में अनेक प्रकार की आशंकाये तथा धारणायें उत्पन्न हो जाती हैं।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : इस प्रश्न के लिए मैं आपका धन्यबाद करता हूं। जहां तक मुझे जानकारी है, कोई भी केन्द्रीय जांच ब्यूरों का अधिकारी कभी किसी संवाददाता से साक्षात्कार नहीं करता है ।

अतः जो भी कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित होता है, चाहे वह किसी के नाम से हो या नहीं, हमें उसे अधिक महत्व नहीं देना चाहिये।

Shri Sarjoo Pandey : Regarding the arrest of Mr. Mohadeo Sahu, it is said that he belongs to Anand Marg. I want to know Government's reactions on it. I would like to know from the Home Minister whether this has been looked into by the Government or not ?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : जहां तक मुझे मालूम है, जैसा कि मैंने कल कहा था, उसी दिन रात के लगभग 8 बजे सहायक लेखा अधिकारी श्री महादेव साहु के घर में भी विस्फोट हुआ था।

Shri Sarjoo Pandey : I want to know whether he belonged to Anand Marg or not ?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : इस समय तो मैं यह बताने की स्थिति में नहीं हूं कि उनका संबन्ध आनन्द मार्ग या किसी अन्य दल से था।

श्री समर गुह : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या श्री एल० एन० मिश्र को आपरेशन कक्ष में ले जाने से पूर्व, उनका कोई बयान लिया गया था और यदि हां, तो उस बयान का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो कोई बयान न लिये जाने के क्या कारण है।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है कि श्री एल०एन० मिश्र को आपरेशन कक्ष में ले जाने से पूर्व उनका कोई बयान लिया गया था या नहीं।

श्री समर गुह : जब भी कोई व्यक्ति जख्मी हो जाता है तो उसे आपरेशन कक्ष में ले जाने से पूर्व उसका ब्यान लेना सरकार का प्रथम कर्त्तव्य होता है।

अध्यक्ष महोदय : कल हमने इस विषय पर काफी विस्तृत चर्चा की थी।

श्री समर गुह : मैं विषय से पूर्णतया सम्बद्ध प्रश्न पूछा है और उन्हें इसका उत्तर देने में टालमटोल नहीं करनी चाहिये। यह क्या जबाव है ? इनके साथी जख्मी हुये और उन्हें आपरेशन कक्ष ले जाया गया। यह स्वाभाविक ही था कि पुलिस द्वारा उनका बयान लिया जाता है। मंत्री महोदय यह बतायें कि ब्यान लिया गया या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने पहले ही इसका उत्तर दे दिया है। आप कृपया बैठ जाइये।

श्री पीलू मोदी : उन्होंने यह कहा है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। परन्तु उन्हें यह और कहना चाहिये कि वह इसका पता लगायेंगे।

श्री समर गुह : 'मुझे मालूम नहीं है' क्या यह भी कोई उत्तर है ? यह कोई उत्तर नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें ऐसा उत्तर देने के लिए तो बाध्य नहीं कर सकता जो आपके मन भाता हो। आखिर आपने प्रश्न पूछा है और उन्होंने उसका उत्तर दे दिया है।

श्री समर गुह : यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : तभी तो मैंने इसकी अनुमति दे दी।

श्री समर गुह : वह कह सकते थे कि मैं इसका पता लगाउंगा। परन्तु इस दुखद मृत्यु से संबन्ध यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैं अगला प्रश्न लेना चाहता हूं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : सरकार से यह जानकारी प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। यदि पुलिस अधिकारियों ने यह मामला दर्ज किया था तो दुर्घटना के तुरन्त बाद श्री मिश्र का बयान लेने की जिम्मेदारी पुलिस अधिकारियों की थी। क्या उन्होंने श्री मिश्र का बयान लिया या नहीं, इस संदर्भ में पूछा जाने वाला यह बहुत ही संगत प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : वह यह कैसे कह सकते हैं कि वह इसे जानते है। आप उन्हें कोई ऐसी बात कहने के लिए क्यों कहते है जिसे कि वह जानते नहीं है ?

श्री श्यामनन्दन मिश्र : उन्हें इसका पता लगाना चाहिये।

श्री अटल विहारी वाजपेयी : वह यह कह दे कि वह जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। उन्हें इन सब बातों की जानकारी होनी चाहिये और वह यह भी बताये कि क्या उनसे मृत्यु से पूर्व कोई बयान लिया गया था या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न तो पूछा जा सकता है। परन्तु आप सभी तो सदन की कार्यवाही रोक रहे हो। चूंकि मंत्री महोदय ने इनकी पसन्द का उत्तर नहीं दिया है, इसीलिए वह कार्यवाही रोकना चाहते है। कृपया आप सभी बैठ जाईये

Shri Atal Behari Vajpayee : If he had said that no statement was recorded or if he had said that he would look into it, the matter would have been over.

प्रधान मंत्री, परमाणु उर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अंतरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान तथा तकनीकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) उन्होंने बताया है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : वह मंत्री किस कार्य के लिए है? उन्हें वेतन किस कार्य का मिलता है? उन्हें पता लगाना चाहिये। वह किसी दल विशेष की घरेलू संस्था के सदस्य नहीं है। वह सरकार के सदस्य है और सरकार का खर्चा देश द्वारा वहन किया जाता है। ....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया कार्यवाही में रुकावट मत डालिये। आप सभी से निवेदन है कि कृपया बैठ जाईये। मैं मंत्री महोदय को बाध्य नहीं कर सकता कि वह आपकी पसन्द के अनुसार उत्तर दे।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, यह तो कोई उत्तर नहीं है।

Shri Atal Bihari Vajpayee: Mr. Speaker, we want your protection. A question has been asked. If the Minister is not having full information, he should have stated that he will find it out. The question asked was whether any statement of late Shri Mishra was recorded or not ? He could say that he will find it out. He should answer properly.

श्री पीलू मोदी : आप उन्हें यह कहने से क्यों डर रहे हैं कि वह इसका पता लगाकर हमें बता दें ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो मंत्री महोदय को कहना चाहिये।

Shri Hukam Chand Kachwai : The Hon. Minister does not want to reply it but House wants to have a reply from him.

अध्यक्ष महोदय: इस प्रकार शोर मचाना मुझे अच्छा नहीं लगता।

श्री समर गुह : इस सम्पूर्ण दुखद घटनाचक्र में यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र: मामला दर्ज किये जाने के बाद सम्भवतः श्री मिश्र द्वारा बयान दिया हो।

Shri Janeshwar Mishra : What about my adjournment motion regarding Jama Masjid incident.

श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी : मरते समय कोई बयान...

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मरते समय की जाने वाली बयान का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी: ऐसा लगता है कि उन्होंने मरते समय कोई बयान नहीं दिया था। परन्तु उन्होंने श्री जगन्नाथ मिश्र से कुछ बातचीत की थी।

श्री श्यामनन्दन मिश्र: परन्तु पुलिस ने उनका कोई बयान नहीं लिया था? इसके बारे में आपको क्या कहना है? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

प्रधान मंत्री के साथ शेख अब्दुल्ला की बातचीत

24. श्री रानेन सेन :

श्री आर० वी० स्वामिनाथन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में प्रधान मंत्री के साथ शेख अब्दुल्ला की बातचीत हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या रहा?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी): (क) जी हां श्रीमान्।

(ख) बातचीत के निश्चित परिणाम निकले हैं और सरकार जल्दी ही इस संबंध में एक वक्तव्य देगी।

स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र को चिकित्सा सहायता

***26. श्री सोमनाथ चटर्जी :**

श्री त्रिदिव चौधरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समस्तीपुर में 2 जनवरी, 1975 को बम से आहत होने के पश्चात् स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र को समय पर समुचित चिकित्सा सहायता नहीं दी गई थी; और

(ख) क्या सरकार ने विभिन्न प्रमुख व्यक्तियों, राजनीतिक नेताओं, और संगठनों की इच्छाओं का सम्मान करते हुए इस घटना की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच के अलावा खुली निष्पक्ष जांच के भी आदेश दिये हैं ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) तथा (ख) इस सदन के तारांकित प्रश्न सं० 25 के उत्तर में आज सदन के पटल पर रखे गये विवरण की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

Rebel Activities in Mizoram

***27. Shri M.C. Daga :**

Shri Mukhtiar Singh Malik:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the reasons behind rebel activities in Mizoram ;

(b) the names of persons who killed high police officers, the number of persons arrested in connection with those murders and the action taken against them so far ;

(c) whether Government feel the hand of some foreign power behind it and whether Chinese rifles, guns and cartridges have been seized which prove this ; and

(d) the preventive measures taken to check recurrence of such incidents ?

The Minister of Home Affairs (Shri K. Brahmananda Reddy) (a) to (d) : Some misguided elements in Mizoram indulging in violent activities have been motivated by secessionist objectives. Some important arrests have been made and some arms, ammunitions and uniforms have also been recovered. As the investigations are still in progress it would not be in public interest to disclose the names of the assailants, the source of the weapons used in the outrage and the steps taken to apprehend the accused. Apart from deputing senior officers to assist and expedite the investigations, security arrangements have also been further strengthened to prevent recurrence of similar outrages.

तमिलनाडु के मुख्य मंत्री की मांगें

*28. **श्री वी० मायावन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के मुख्य मंत्री केन्द्र के सामने जो जो मांगे रखते आ रहे हैं, उनमें से कुछ मांगे शेख अब्दुल्ला के मामले में स्वीकार कर ली गयी हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या तमिलनाडु राज्य की इसी प्रकार की मांगें भी स्वीकार कर ली जाएंगी ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली पुलिस के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र

*29. **श्रीमती सावित्री श्याम :**

श्री अमर सिंह चौधरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें जनवरी 1975 में "दिल्ली पुलिस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन" से दिल्ली पुलिस के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में मांग पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं तथा क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) और (ग) यह एसोसिएशन सेवा की शर्तों के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में समय समय पर मांग करता रहा है। इन पर विचार किया गया है और जहां आवश्यक हुआ कार्यवाही की गई थी। हाल में एसोसिएशन ने 22 मांगों की लम्बी सूची प्रस्तुत की थी जिनमें से अधिकांश को पहले उठाया गया था और उन पर विचार भी किया गया था। नई मांगे इस प्रकार हैं :—

(1) रसोई घरों को आधुनिक बनाया जाय और वर्तमान रसोई घरों को गैस के चूल्हों में परिवर्तित किया जाय।

(2) 20 वर्ष की सेवा के बाद रसोइयों को सेवानिवृत्त किया जाय।

(3) साइकिल भत्ता 6 रु० माहवार तथा साइकिल मरम्मत भत्ता रु० 10 प्रतिवर्ष किया जाय।

(4) धुलाई भत्ता 5 रु० माहवार दिया जाय।

(5) रिहायशी मकान ड्यूटी के स्थान के आस-पास आवंटित किए जाएं। प्रयोगात्मक आधार पर एक स्थापना में खाना पकाने के लिए गैस प्रारम्भ की गई है इस सुविधा का अन्य रसोई घरों में विस्तार करने के लिए इस परिक्षण को कुछ समय देख लेने के बाद अन्तिम निर्णय किया जायगा। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को मकान आवंटित किए जा रहे हैं परन्तु आवास की सामान्य कमी के कारण पूर्ण रूप से मांग पूरी करना संभव नहीं है। उपरोक्त स्तम्भ (2) में दी गई मांग स्पष्ट नहीं है। साइकिल भत्ता तथा धुलाई भत्ता सम्बन्धी दो मांगें एक सामान्य किस्म की है और उन पर केवल दिल्ली पुलिस के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के सम्बन्ध में अलग से विचार नहीं किया जा सकता है।

चण्डीगढ़ का पंजाब को स्थानान्तरण

*30. **श्री राम सहाय पाण्डे :**

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चण्डीगढ़ का पंजाब को हस्तान्तरण करने के निर्णय की क्रियान्विति को स्थगित कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) तथा (ख) 29 जनवरी, 1970 को जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में यह स्पष्ट किया गया था कि नई राजधानी के निर्माण में कुछ वर्ष अवश्य लगेंगे और इसलिये हरियाणा की सरकार केन्द्रीय सरकार द्वारा इस समय आवंटित कार्यालय और निवास स्थान का प्रयोग अधिक से अधिक पांच वर्ष की अवधि तक, जिसके दौरान चण्डीगढ़ संघ शासित क्षेत्र रहेगा प्रयोग करती रहेगी। यह प्रबन्ध कुछ लम्बे समय तक जारी रहेगा।

कर्नाटक राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में लाइसेंस के लिए विचाराधीन पड़े आवेदन

31. **श्री एम० वी० कृष्णाप्पा :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना हेतु लाइसेंस देने सम्बन्धी कितने आवेदन केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) किन निधियों से ये आवेदन विचाराधीन हैं; और

(ग) इन आवेदनों को कब तक निपटा दिया जाएगा तथा लाइसेंस जारी करने का मानदण्ड क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) : कर्नाटक के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए जनवरी 1975 तक प्राप्त 29 आवेदन अनिर्णीत पड़े हैं। इनमें से 1972 के (4 मामले), 1974 के (21 मामले) तथा जनवरी के 1975 तक के (4 मामले) हैं।

(ग) अनिर्णीत पड़े आवेदनों को यथासंभव शीघ्र निपटाने के लिए सभी प्रयत्न किए जा रहे, हैं। औद्योगिक लाइसेंस आवेदनों पर निर्णय लेते समय अवस्थापना सुविधाएं, कच्चा माल, जानकारी की उपलब्धता तथा मांग और अधिष्ठापित क्षमता आदि विभिन्न बातों का ध्यान रखा जाता है।

तारापुर परमाणु बिजलीघर में बार-बार बिजली फेल होना

*32. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री डो० पी० जदेजा :

क्या **परमाणु ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तारापुर परमाणु बिजलीघर में बार-बार बिजली फेल होने के कारण गुजरात को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

समाचार भारती

33. ***श्रीमती पार्वती कृष्णन् :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री जयप्रकाश नारायण ने "समाचार भारती" समाचार एजेंसी, नई दिल्ली के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया है;

(ख) क्या यह सच है कि प्रबन्धकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा धन के गबन के आरोप हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इस समाचार एजेंसी के कार्यकरण की कोई जांच की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल): (क) जी, नहीं।

(ख) कम्पनी कार्य विभाग ने जांच के दौरान "कम्पनी" के लेखे में कुछ अनियमिततायें पकड़ी थीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों के लिए वार्षिक योजना

34* **श्री सी० के० चन्द्रप्पन:**
श्री आर० एन० बर्मन:

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग तथा सभी राज्यों के योजना मंत्रियों के बीच वार्षिक योजना की रूप-रेखा पर विचार करने के लिए बैठकें हुई थीं;

(ख) यदि हां, तो चर्चा किन मुख्य बातों पर हुई और इसमें क्या-क्या निर्णय लिये गये; और

(ग) क्या सरकार का विचार पांचवीं योजना के आकार को इन चर्चाओं के आधार पर रूप देने का है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरन शुक्ल): (क) वर्ष 1975-76 की वार्षिक योजना पर विचार-विमर्श करने के लिए योजना आयोग और राज्यों के मुख्य मंत्रियों के मध्य बैठक जनवरी-फरवरी 1975 में हुई थी। आमतौर पर राज्यों के योजना मंत्री भी इन बैठकों में उपस्थित थे।

(ख) और (ग) मुख्य रूप से इन बैठकों की चर्चा का विषय, उपलब्ध होने वाले संसाधनों के अनुमान और महत्वपूर्ण क्षेत्रों की आवश्यकताओं के आधार पर 1975-76 के वार्षिक योजना के आकार का निर्धारण करने से सम्बन्धित था। विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवंटन राज्य तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में निर्दिष्ट विकास की मोटी रूपरेखा को ध्यान में रख कर निर्धारित किए गए थे।

दिल्ली में "क्रास-बार" टेलीफोन एक्सचेंज

*35. **श्री नवल किशोर शर्मा:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टेलीफोन उपभोक्ताओं को तुरन्त टेलीफोन सम्बन्ध स्थापित करने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली के "क्रास-बार" टेलीफोन एक्सचेंजों में एक नए किस्म का उपकरण लगाया गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और किन टेलीफोन एक्सचेंजों में यह उपकरण लगाया गया है;

(ग) क्या इस सुविधा का विस्तार (सीधे डायल घुमा कर टेलीफोन करने की प्रणाली) एस० टी०डी० के लिए भी किया गया है, और

(घ) यदि हां, तो इस सुविधा द्वारा टेलीफोन सेवाओं में एस०टी०डी० तथा स्थानीय कालों में किस हद तक शीघ्रता और कुशलता प्राप्त होगी?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सीमेंट के मूल्य में वृद्धि

36. **श्री डी० के० पण्डा :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्ष के बीच सीमेंट वर्तमान स्थिर मूल्यों में वृद्धि करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और इसके कारण क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी०पी० मौर्य) : (क) और (ख): 14 सितम्बर, 1974 को जारी किए गए सीमेंट नियन्त्रण (छठा संशोधन आदेश 1974 द्वारा सीमेंट के कारखाने निकलते समय के निश्चित किए गए स्थिर मूल्य 1978-79 तक की मूल्य अवधि तक वैध रहेंगे। किन्तु सरकार ने प्रशुल्क आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया कि प्रतिवर्ष सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में वृद्धि हो जाने कोयला विद्युत प्रशुल्क तथा कोयले के किराये में वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप 1 जुलाई को स्थिर मूल्यों में परिवर्तन करने पर विचार किया जायेगा। 1975 में उत्पादन प्रारम्भ करने वाले एककों अर्थात जिन कारखानों के लिए काम चालू रखने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं और जिन्हें आशयपत्र जारी किए गए हैं। तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा उनके द्वारा उत्पादित सीमेंट का स्थिर मूल्य निर्धारित करने पर सरकार विचार कर रही है।

'फिल्म इंस्टीट्यूट' पना का बन्द किया जाना

*37 **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूना स्थित फिल्म इन्स्टीट्यूट आफ इन्डिया 24 दिसम्बर, 1974 को अनिश्चित काल के लिए बन्द कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इन्स्टीट्यूट किन कारणों से बन्द किया गया; और

(ग) गतिरोध समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल): (क) जी, हां। इन्स्टीट्यूट का फिल्म विंग 24 दिसम्बर, 1974 से 3 फरवरी, 1975 तक अस्थायी रूप से बन्द रहा।

(ख) : इन्स्टीट्यूट को अभिनय पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों, जिन्होंने यह मांग की थी कि निर्देशन के विद्यार्थियों को अभिनय के विद्यार्थियों के अलावा बाहर से अभिनेता लेने की अनुमति नहीं होनी चाहिये और जिन्होंने बाद में डिप्लोमा फिल्मों के काम में बाधा डाली, के आन्दोलन के कारण बन्द करना पड़ा।

(ग) : इन्स्टीट्यूट को आन्दोलनकारी विद्यार्थियों से यह आश्वासन मिलने पर कि वे डिप्लोमा फिल्मों के शूटिंग कार्यक्रम में बाधा नहीं डालेंगे, 3 फरवरी, 1975 को पुनः खोल दिया गया।

राज्य विधान मण्डलों द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति

*38 **श्री मोहम्मद इस्माइल :**

श्री धामनकर :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य विधान मण्डलों द्वारा पारित कुल कितने विधेयकों को अभी तक राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं दी गई है;

(ख) उक्त विधेयकों के नाम क्या हैं और वे किन-किन तारीखों को स्वीकृति के लिये भेजे गये थे; और

(ग) इस में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं?

गृह मन्त्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी): (क) 25

(ख) और (ग) विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-8909/75].

वर्ष 1974-75 में राज्यों का योजना परिव्यय

*39. **श्री सरजू पांडे**: क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1974-75 के लिये विभिन्न राज्यों का कुल योजना परिव्यय क्या है;

(ख) प्रत्येक राज्य ने केन्द्र से कुल कितनी सहायता मांगी है; और

(ग) प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशी मंजूर की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) से (ग): सभा पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है, जिसमें 1974-75 की राज्य योजनाओं के लिए योजना आयोग द्वारा स्वीकृत योजना परिव्ययों और राज्यवार केन्द्रीय सहायता के नियतन को दर्शाया गया है राज्यों ने आमतौर पर यद्यपि अधिक मात्रा में केन्द्रीय सहायता की मांग की, लेकिन केन्द्रीय सहायता की मात्रा के बारे में उन्होंने किसी निश्चित राशि का प्रस्ताव औपचारिक रूप से नहीं भेजा।

विवरण

वार्षिक योजना 1974-75 के लिए स्वीकृत योजना परिव्ययों और राज्यों को नियत की गयी केन्द्रीय सहायता

(करोड़ रुपये)

राज्य	स्वीकृत वार्षिक योजना परिव्यय 1974–75	वार्षिक योजना, 1974–75 के लिए राज्यों को नियत की गई केन्द्रीय सहायता
1	2	3
1. आन्ध्र प्रदेश	127.39	48.75
2. असम	53.66	40.04
3. बिहार	140.27	68.68
4. गुजरात	143.32	32.17
5. हरियाणा	81.60	15.99
6. हिमाचल प्रदेश	31.16	22.35

1	2	3
7. जम्मू व कशमीर	48.00	30.21
8. कर्नाटक	110.75	35.46
9. केरल	73.89	35.72
10. मध्य प्रदेश	152.25	53.32
11. महाराष्ट्र	275.84	49.98
12. मणिपुर	12.06	7.52
13. मेघालय	13.63	8.85
14. नागालैंड	14.00	7.12
15. उड़ीसा	71.24	32.70
16. पंजाब	107.87	20.64
17. राजस्थान	77.85	45.06
18. तमिलनाडु	112.00	41.15
19. त्रिपुरा	11.00	7.61
20. उत्तर प्रदेश	255.19	106.89
21. प० बंगाल	147.87	44.94
सभी राज्य	2060.84	755.15

योजना के विद्युत क्षेत्र के लिए अतिरिक्त संसाधन

*40. **श्री डी० डी० देसाई:**

श्री इन्द्रजीत गुप्त:

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना के विद्युत क्षेत्र के लिये अतिरिक्त संसाधन पता लगाने के प्रश्न पर उनके मंत्रालय ने योजना आयोग से बातचीत की थी;

(ख) क्या आयोग ने नई परियोजनायें स्वीकार कर ली हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सभी प्रस्तावित परियोजनाओं को पूरा करने के लिये अपेक्षित धन के बारे में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अनुमान लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) से (घ): पांचवीं योजना के प्रारूप दस्तावेज में उत्पादन स्कीमों के लिये 3318.57 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी, जिनमें कई ऐसी नयी स्कीमें भी शामिल थीं जो पांचवीं योजना की अवधि के दौरान 16.55 मिलियन किलोवाट की वृद्धि करने के लिये अभिकल्पित की गई थीं। तत्पश्चात्, दिसम्बर, 1973 में विद्यमान लागत-स्तर के आधार पर सभी

परियोजनाओं की लागत में वृद्धि कर दी गई थी और यह अनुमान लगाया गया था कि इन उत्पादन स्कीमों को पूर्ण करने के लिये 1440 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी। यह मूल्यांकन योजना आयोग को भेज दिया गया था। पांचवीं योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है और इस मामले में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

फिल्म समारोह में संसद सदस्यों को असुविधा

201. **श्री एन० ई० होरो :**

श्री डी० बी० चन्द्रगोडा :

क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए उनके मन्त्रालय ने संसद सदस्यों को प्यारेलाल आडीटोरियम के लिए पास जारी किये थे और बाद में बिना सूचना के महाराष्ट्र रंगायन आडीटोरियम के लिये पास जारी किये गये;

(ख) क्या महाराष्ट्र रंगायन में जिस दिन 'गौड फादर' फिल्म दिखाई जानी थी, उस दिन अनेक पास होल्डर व्यक्तियों को दरवाजों पर तैनात पुलिस ने वापस भेज दिया था क्योंकि सभी स्थान पहले ही भर चुके थे; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) समयाभाव के कारण संसद सदस्यों को स्थान के परिवर्तन के सम्बन्ध में सूचना नहीं दी जा सकी। इससे सदस्यों को हुई असुविधा के लिए खेद है।

(ख) तथा (ग) जिस दिन महाराष्ट्र रंगायन में 'गोड फादर' नामक फिल्म दिखाई गई, उस दिन शो शुरू होने से पूर्व आडिटोरियम में दाखिल होने के लिए बिना वैध प्रवेश-पत्रों के काफी संख्या में लोग आ गए जिसके परिणामस्वरूप प्रेस के कुछ लोग तथा कुछ संसद सदस्य जिनके पास प्रवेश-पत्र थे, आडिटोरियम में प्रविष्ट नहीं हो सके। ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों ने संकट के अन्देशे से मुख्य द्वार बन्द कर दिये और प्रवेश द्वार पर खड़े लोगों से चले जाने का अनुरोध किया।

विज्ञापन परिषद की स्थापना

202. **श्री रामगोपाल रेड्डी :**

श्री रामसहाय पाण्डे :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस परिषद के समान विज्ञापन परिषद् स्थापित करने के लिये सरकार से मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिण कनारा जिले में उप डाकघर

203. **श्री पी० आर० शिनाय :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य के दक्षिण कनारा जिले में उप डाकघरों की कुल संख्या का खण्डवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन स्थानों के खण्डवार नाम क्या हैं, जहां के लिए उप डाकघरों की मांग की गई और उसे पूरा नहीं किया गया; और

(ग) प्रत्येक मामले में मांग पूरी न करने का क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) उप डाकघरों की संख्या नीचे दी गई है :—

ब्लाक का नाम	डाक घरों की संख्या
मंगलूर	41
बंटवाल	8
पुट्टूर	10
बैलथांगडी	8
मुल्लिया	6
करकला	18
उडीपी	37
कूंडापुर	19

(ख) संबंधित ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

ब्लाक का नाम	प्राप्त मांगे	न पूरी की गई मांग
(i) मंगलूर	(i) मुक्का	(i) मुक्का
(ii) बंटवाल	(ii) थुम्बे, कन्याना पंचायत	(ii) थुम्बे
(iii) पुट्टूर	(iii) पनाजे	(iii) कोई नहीं
(iv) बेलथांगडी	(iv) अलदानगडी	(iv) अलदानगडी
(v) करकला	(v) कल्लामुंडाकुर	(v) कल्लामुंडाकर
(vi) उडीपी	(vi) बंटाकल गुडियानगडी	(vi) गुडियानगडी

(ग) कन्याना पंचायत, पनाजे और बंटाकल में उप डाकघर खोलने के संबंध में जांच की जा रही है। दूसरे उल्लिखित स्थानों पर विभागीय मानकों के अनुसार उप डाकघर खोलने का औचित्य नहीं है।

भटिण्डा में गुरूनानक तापीय संयंत्र का बन्द होना

204. **श्री मान सिंह भौरा :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भटिण्डा स्थित गुरू नामक तापीय संयंत्र बन्द हो गया है ।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे फिर से चालू करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है;

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) से (ग) भटिण्डा का गुरू नानक तापीय संयंत्र, संयंत्र के संभरकों मैसर्ज भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्ज लिमिटेड के अनुरोध पर कुछ आवश्यक रख-रखाव संबंधी कार्य करने के लिए 28 जनवरी, 1975 को बन्द कर दिया गया था । मरम्मत-कार्य पूर्ण हो चुका है और विद्युत्-केन्द्र 14-2-1975 को पुनः चालू हो गया था । एक सुपर हीटर ट्यूब से निःसरण होने के कारण सेट को 15-2-1975 को बन्द करना पड़ा था । इसके पुनः शीघ्र चालू होने की संभावना है।

टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

205. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उपकरणों और भूमिगत केबलों के अपर्याप्त उत्पादन के कारण टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा-सूची में भारी मात्रा में आवेदन पत्र दर्ज हैं, और

(ख) यदि हां, तो आगामी वित्तीय वर्ष में स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा): (क) और (ख) देश में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये एक बहुत बड़ी प्रतीक्षा सूची है जिसमें 31-12-74 को करीब 5 लाख 90 हजार अर्जियां दर्ज है । साज-सामान और वित्तीय साधनों की कमी के कारण अतिरिक्त टेलीफोन कनेक्शनों की मांग पूरी नहीं की जा सकी है । इन्हीं कारणों से आवश्यक उपस्कर, केबुल आदि का उत्पादन करने वाले कारखानों की उत्पादन क्षमता का विकास करना भी सीमित है ।

मौजुदा बाध्यताओं के अन्तर्गत, वर्ष 1975-76 के दौरान करीब 1 लाख 20 हजार टेलीफोन कनेक्शन देने का प्रस्ताव है ।

बिहार के दरभंगा जिले के सिरुआ ग्राम में हरिजनों पर हमला किया जाना

206. **श्री भोगेन्द्र झा**: क्या गृह मन्त्री बिहार के दरभंगा जिले के सिरुआ ग्राम में हरिजनों पर आक्रमण के बारे में 11 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4038 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस बीच तथ्यों का पता कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और हरिजनों के विरुद्ध अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) और (ख) सदस्य महोदय संभवत्या 11 नवम्बर, 1974 को इस सदन में अतारांकित प्रश्न सं० 4038 के दिए गए उत्तर का हवाला दे रहे हैं । बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार आगजनी और हरिजनों पर आक्रमण की एक घटना की सूचना नवम्बर, 1974 के पहले पखवाड़े में जिला दरभंगा में बहेरी थाने के क्षेत्राधिकार के गांव सिरुवा से मिली थी । यह घटना 9 नवम्बर, 1974 को गांव सिरुवा के श्री बालेल पासवान तथा साथ के गांव खेरा के कुछ लोगों के बीच एक झगड़े के कारण हुई थी । श्री बालेल पासवान तथा उसकी जाति के कुछ अन्य लोगों की झोपड़ी को आग लगा दी गई थी । पांच व्यक्ति जो घर के अन्दर थे बताया जाता है कि उन्हें पीटा गया जिससे उन्हें साधारण चोटें आईं । सूचना मिलते ही पुलिस तुरन्त घटनास्थल

पर पहुंची और स्थिति पर नियंत्रण किया । 19 अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया गया था जिनमें से 11 व्यक्तियों ने 27-11-74 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। उनको बाद में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जमानत पर छोड़ दिया । पुलिस ने शेष 8 अभियुक्तों की सम्पत्ति कुर्क करने की कार्यवाही शुरु की है । अभियुक्तों के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही भी आरम्भ की गई है और शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये उस क्षेत्र में एक पुलिस दल तैनात किया गया है ।

Direct Dialling Between Various Towns in Bihar

207. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of Communications be pleased to state the names of the towns of Bihar State which are intereconnected by direct dialling and the names of the towns proposed to be linked by direct dialling during the next year?

The Minister of Communicaions (Dr. Shanker Dayal Sharma) : Patna and Muzaffarpur towns of Bihar are interconnected at present for direct subscriber dialling. In addition Patna is connected on S.T.D. basis to Lucknow, Kanpur, Varanasi and Delhi.

During next one year, Patna and Chapra are expected to be interconnected on STD basis.

राज्य परिवहन उपक्रम को 'चेसिस' का आवंटन

208. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वह राज्य परिवहन उपक्रमों को 'चेसिस' का आवंटन प्राथमिकता के आधार पर करें; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख)

दो प्रमुख निर्माताओं द्वारा निर्मित बस चेसिस एक मामले में लगभग 57.3% और दूसरे मामले में 48% राज्य परिवहन निगमों को आवंटित किए जाते हैं । इस बात को देखने के लिये निरन्तर प्रयास किए जाते हैं कि राज्य परिवहन निगमों से प्राप्त मांग पत्र प्राथमिकता के आधार पर पूरे हों ।

Clash Between Naga Rebels and Security Forces

209. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Home affiairs** be pleased to state :

(a) whether Naga rebels have intensified their activities ;

(b) whether any clashes took place between the rebel Nagas and the Security Forces in January, 1975; and

(c) if so, the number of persons killed or injured on both sides ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) Yes, Sir.

(b) During January, 1975, there were 7 encounters between the Naga undergrounds and the Security Forces. Security Forces also intercepted during the same period an Underground Naga gang, reportedly on its way to China.

(c) In the above encounters, one Security Forces personnel was killed and three injured. On the rebels side, seven undergrounds were killed and one injured. The Security Forces also apprehended 101 members of the underground China bound Naga gang.

बिहार में झरिया के कोयला क्षेत्रों का विकास करने हेतु भारत-पोलैंड समझौता

210. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **उर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में झरिया के कोयला क्षेत्रों का विकास करने हेतु अभी हाल ही में भारत ने पोलैण्ड के साथ कोई आर्थिक तथा तकनीकी समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) जनवरी, 1972 में पोलैंड के साथ एक समझौता किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ झरिया की कोककर कोयला खानों के पुनर्गठन और पुनः निर्माण में सहयोग प्राप्ति की व्यवस्था थी । उपर्युक्त समझौते के अनुसरण में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने झरिया कोयला क्षेत्र की कोककर कोयला खानों के आयोजन, पुनः निर्माण और पुनर्गठन के लिये पोलैंड के मैसर्स 'कोपेक्स' के साथ एक करार किया था । इस समझौते/करार पर समय-समय पर पुनः विचार होता रहा है । नवीनतम पुनर्विचार भारत-पोलैंड संयुक्त आयोग द्वारा जनवरी, 1975 में नई दिल्ली में अपनी दूसरी बैठक में किया गया था । इस समझौते के अनुसार मैसर्स कोपैक्स इस प्रकार के पुनर्निर्माण और पुनर्गठन के लिये साध्यता रिपोर्ट तैयार करने में विशेषज्ञ-सेवा तथा सहयोग प्रदान करेगा। पोलिश-विशेषज्ञों की नियुक्ति और प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की उपर्युक्त व्यवस्था का पहला चरण है ।

Rearrangement of Plan Priorities in view of increase in costs and Paucity of Financial Resources

211. Shri R.V. Bade :

Shri Mahdevrao Scindia :

Shri Atal Bihari Vajpayee :

Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the percentage of increase in the cost of living recorded during each of the last three years and the current year uptil now, indicating the impact thereof on the various targets of the Fifth Plan ; and

(b) whether the plan priorities have also been rearranged in view of the increased costs and paucity of financial resources; and if so, the nature thereof ?

The Minister of state in the Ministry of Planning (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The cost of living as reflected by the change in the All India Consumer Price Index for Industrial Workers increased by 3.2, 7.8 and 20.8 per cent in 1971-72, 1972-73 and 1973-74 respectively. This further increased by 26.0 per cent during the current financial year—April—December, 1974.

The Draft Fifth Plan was formulated in terms of 1972-73 prices. The increase in the cost of living and the general price level since then and other developments e.g. rise in the international prices specially of crude oil and its products have affected the targets and projections of the Draft Fifth Plan to varying degrees. It is, however, not possible to indicate their precise impact at this stage.

(b) The entire matter is still under consideration. In the meantime the Annual Plan 1975-76 is being drawn up giving priority to agriculture, irrigation and energy sources such as power, oil & coal.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अवर सचिव तथा समान सम्वर्ग के पदों का भरा जाना ।

212 **श्री हरी सिंह: क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसम्बर, 1974 को भारत सरकार के विभिन्न विभागों में अवर सचिव तथा समान सम्वर्ग के स्थायी तथा अस्थायी, पृथक-पृथक, कुल कितने पद थे;

(ख) अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिये ऐसे कुल कितने पद आरक्षित थे;

(ग) 31 दिसम्बर, 1974 को कितने आरक्षित पद भरे हुये थे; और

(घ) वर्ष 1974 में आरक्षित पदों के लिये ऐसे कितने अधिकारी चुने गये जो पोस्टिंग के लिये प्रतीक्षा में हैं और उनकी पोस्टिंग में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्यविभाग में राज्य मंत्री : (श्री ओम मेहता) : (क) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में 31-2-74 को अवर सचिव और उसके समकक्ष रैंक के 731 पद थे, जिन पर नियुक्तियों के लिये केन्द्रीय स्थापना बोर्ड का अनुमोदन अपेक्षित था । इस सम्बन्ध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है कि इनमें से कितने पद स्थायी हैं और कितने अस्थायी ।

(ख) और (ग) : उपर्युक्त (क) के अधीन उल्लिखित अवर सचिव तथा उसके सममकक्ष पदों की अखिल भारतीय सेवाओं, केन्द्रीय सेवायें श्रेणी I, केन्द्रीय सचिवालय सेवा तथा राज्य सिविल सेवाओं के अधिकारियों में से भरा जाता है । केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों को छोड़कर अन्य सेवाओं के अधिकारियों को नियुक्त कार्यकाल (टेन्यार) के आधार पर की जाती हैं । अवर सचिव के पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कोई आरक्षण नहीं है । किन्तु केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों द्वारा भरे जाने वाले अवर सचिव के पद केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड I के संवर्ग पद माने जाते हैं । श्रेणी II से I श्रेणी को निम्नतम सीढ़ी (रंग) के पदों में पदोन्नति के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के उमीदवारों के लिये आरक्षण के सामान्य आदेशों के अनुसार, 1974 में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड I में पदोन्नति के लिये कुल 125 रिक्तियों में से अनुसूचित जाति अधिकारियों के लिये 19 रिक्तियां और अनुसूचित आदिम जाति के अधिकारियों के लिये 10 रिक्तियां उपलब्ध थीं । इन रिक्तियों के लिये प्रवर सूची में 23 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित आदिम जाति के अधिकारी सम्मिलित थे ।

(घ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड I के लिये 1974 की प्रवर सूची में सम्मिलित 18 अनुसूचित जाति और I अनुसूचित आदिम जाति के अधिकारियों का पोस्टिंग होना बाकी है । प्रवर सूची के जिन अधिचारियों को अपने ही मंत्रालयों/विभागों में नहीं खपाया जा सकता. उनका नाम उन मंत्रालयों/विभागों से बाहर पोस्टिंग करने के लिये कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को भेज दिया जाता है । दो अधिकारी अभी तक अन्यत्र पोस्टिंग के लिये उपलब्ध घोषित नहीं हुए हैं । शेष 17 अधिकारियों को, जो अन्यत्र पोस्टिंग के लिए उपलब्ध घोषित किए गए हैं, उपलब्ध रिक्तयों में नियुक्त करने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है ।

पोर्ट ब्लेयर में बिजली बन्द होना

213. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्:** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पोर्ट ब्लेयर में गत छः महीनों से बराबर बिजली बन्द होती रहती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसकी सामान्य स्थिति लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या अंडमान प्रशासन के अन्तर्गत बिजली विभाग में डीजल खपत/सामग्री खपन अत्यधिक है और नियमित रूप से कोई लेखा परीक्षा नहीं होती है; और

(घ) क्या विभागीय कर्मचारियों की सांठगांठ से उपभोक्ताओं को बिजली का दुरूपयोग करने दिया जाता है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) : पोर्ट ब्लेयर में विद्युत् की सप्लाई कई छोटे तापीय और डीजल सेटों से की जाती है, जिनकी कुल संख्या 7 है । इनमें से अधिकांश सेट बहुत पुराने हैं और इस समय केवल तीन सेट काम कर रहे हैं । इस समय कुल 1040 कि० वा० विद्युत उपलब्ध है, जबकि इसके मुकाबले शिखर लोड मांग 1400 कि० वा० है । 248 कि० वा० के एक और सेट का नवीकरण किया जा रहा है । इसका मार्च, 1975 तक चालू होना अनुसूचित है, जिससे स्थिति में काफी सुधार होगा । दो और सेट एक हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड से और दूसरा गुजरात राज्य बिजली बोर्ड से खरीदे गए हैं । इन सेटों का दिसम्बर, 1975 के अन्त तक चालू होना अनुसूचित है ।

(ग) विद्युत विभाग के कार्यकरण के संबंध में नियमित रूप से लेखा-परीक्षा की जा रही है । सेटों की आयु को ध्यान में रखते हुए, तेल को खपत को अत्यधिक नहीं माना जा सकता ।

(घ) पोर्ट ब्लेयर शासन ने सूचित किया है कि विभाग के कर्मचारियों की सांठगांठ से विद्युत के कुप्रयोग के कुछ मामलों की सूचना मिली थी और पूछताछ करने पर ये आरोप सिद्ध नहीं किए जा सके ।

चौरंडी रोड़, कलकत्ता में भूमि का अधिग्रहण

214. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौरंगी रोड कलकत्ता, में उस भूमि को अधिगृहीत करने संबंधी कार्यवाही को समाप्त करने के बारे में केन्द्रीय सरकार को अभी निर्णय लेना है जिस पर दिवंगत रेलवे मंत्री ने वाणिज्य संबंधी प्राइवेट भवन निर्माण के लिये शिलान्यास किया था; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा): (क) जी हां ।

(ख) इस इलाके में और इसके आस-पास के इलाके में टेलीफोनो की बहुत मांग है ।

औद्योगिक नीति में परिवर्तन

215. श्री पी० ए० सामिनाथन:

श्री प्रसन्नाभाई मेहता:

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार औद्योगिक नीति को पुनः समायोजित करने तथा इसमें संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परिवर्तनों की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इन परिवर्तनों की घोषणा कब की जाएगी; और

(घ) उद्योगों के विकास के लिये ये परिवर्तन किस सीमा तक सहायक होंगे ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) से (घ) औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि के लक्ष्यों, सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये सरकारी नीतियों को नियंत्रित करता रहा है । औद्योगिक नीति संकल्प के विशद ढांचे के अंदर सरकार ने वृद्धि को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से विशेष रूप से राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के लिये औद्योगिक लाइसेंस संबंधी नीति में समय समय पर परिवर्तन किए हैं ।

फिल्म समारोह में दिखाई गई हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं की फिल्में

216. **श्री एम० एस० पुरती:**
श्री एन० ई० होरो:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में हुए अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में कोई हिन्दी फिल्म दिखाई गई थी ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या भारत की प्रादेशिक भाषाओं की किन्हीं फिल्मों को भी स्थान दिए गए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) जी, हां । हिन्दी की नौ फिल्में दिखाई गई थीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी हां । दो बंगला फिल्में, दो कन्नड़ फिल्में, एक मलयालम फिल्म तथा एक तमिल फिल्म दिखाई गई थी ।

लाइसेंस प्राप्त करने हेतु फर्मों द्वारा गलत तथ्य पेश करना

217. **श्री के०एस० चावड़ा** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस ऐजेन्सी का नाम क्या है जो इस बात की जांच करती है कि औद्योगिक लाइसेंस देने संबंधी नीति तथा उसके अधीन सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं का उल्लंघन नहीं हो रहा ; और

(ख) क्या सरकार को इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कुछ फर्में अपने आवेदन पत्रों में गलत तथ्यों को पेश कर रही है तथा अन्य प्रकार की अनियमितताएं भी बरत रही हैं और इन मामलों की संख्या क्या है जिनकी सरकार ने गत तीन वर्षों में जांच की है तथा उसके क्या परिणाम निकले ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी०ए० पाई): (क) और (ख) योजनाओं के संभाव्यता से संबंधित सभी ब्योरों की सत्यता तथा उपलब्धता का सुनिश्चय करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस के आवेदनों की औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय द्वारा प्रभावी ढंग से जांच पड़ताल की जाती है । इसके बाद इन मामलों को स्वीकृति समिति के समक्ष रखने से पहले उनकी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों और तकनीकी प्राधिकरणों द्वारा और आगे जांच

की जाती है । औद्योगिक लाइसेंस के आवेदनों पर विचार करने के लिए गठित स्वीकृति समिति सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित औद्योगिक लाइसेंस नीति के अनुरूप विचार करती है ।

फर्मों द्वारा की गई अनियमितताओं के बारे में जब भी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय में उन पर कार्यवाही की जाती है।इस संबंध में कोई भी केन्द्रीकृत आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

कर्नाटक में कागज कारखाना

218. **श्री के० मालन्ना:**

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कर्नाटक में एक करोड़ रुपये की लागत से कागज का कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी है;

(ख) क्या हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन के पास देश के विभिन्न भागों में कागज संयंत्र लगाने के लिए 400 करोड़ रुपये की परियोजना है; और

(ग) यदि हां, तो देश के विभिन्न भागों में अब तक मंजूर स्थापना-स्थल कौन-कौन से हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन के हाथ में इस समय चल रही निम्नलिखित परियोजनाएं हैं:—

1. 30,000 भी टन लुगदो/कागज की वार्षिक क्षमता वाली 60 करोड़ की अनुमानित लागत की तुली, नागालैण्ड लुगदी और कागज मिल ।
2. 80,000 मी० टन की वार्षिक क्षमता की 90 करोड़ रुपये अनुमानित लागत की वैल्लोर, केरल अखवारी कागज परियोजना ।
3. करीब 30 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से माण्डयां नेशनल पेपर मिल्स, वेलागुल्ला, कर्नाटक का विस्तार कार्यक्रम ।

इसके अलावा निगम ने आसाम के नौगांव और कछार प्रत्येक स्थान पर करीब 1 लाख भी० टन क्षमता की कागज मिल स्थापित करने की दो परियोजनाओं का प्रारंभिक कार्य पूरा किया है ।

Facilities for Development of Adivasi Backward Areas

219. **Shri B. S. Chowhan :** Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) the special facilities provided in the backward Adivasi areas for their industrial development during the last three yeas; and

(b) the benefits that accrued to those areas from these facilities ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri A.P. Sharma): (a) Selected backward districts/areas are eligible for concessional finance from financing institutions; a few of them have also been declared eligible for the Central Capital Subsidy. Certain areas in North East India, Hilly Districts of UP and Himachal Pradesh and J& K are also entitled for the Transport Subsidy. A number of these selected industrially backward districts include areas having concentration of tribal population. Apart from these no other special facilities are provided by the centre specially for promotion of industries in the backward Adivasi areas.

(b) Does not arise.

समस्तीपुर बम विस्फोट और श्री एल० एन० मिश्र की मृत्यु के बारे में जांच

220. **श्री मधु लिमये** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने समस्तीपुर बम विस्फोट तथा लम्बे आपरेशन के बाद दानापुर रेलवे अस्पताल में श्री एल० एन० मिश्र की मृत्यु के बारे में जांच पूरी कर ली है;

(ख) क्या प्रधान मंत्री द्वारा जयप्रकाश के आन्दोलन तथा प्रतिपक्ष के विरुद्ध लगाए गए आरोपों तथा लांछनों से जांच कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तथा पक्षपात नहीं हुआ है क्योंकि वह केन्द्रीय जांच ब्यूरो, खुफिया ब्यूरो तथा जांच एजेन्सियों की प्रमुख हैं; और

(ग) क्या प्रधान मंत्री ने 'लिंक' के साथ अपने इन्टरव्यू में बताया है कि यह 'आवश्यक नहीं', है कि उन्हे किस ने मारा और हत्या के लिए प्रतिपक्ष द्वारा किया गया प्रचार जिम्मेदार है ?

गृह मन्त्री (श्री के० ब्रहमानन्द रेड्डी) :

(क) जी नहीं श्रीमान् ।

(ख) प्रधान मंत्री ने समय समय पर आन्दोलनात्मक गतिविधियों की, जिनसे हिंसा का वातावरण पैदा होता है, निन्दा की थी, परन्तु उन्होंने स्वर्गीय श्री एल० एन० मिश्रा की हत्या के लिये उत्तरदायी किसी व्यक्ति अथवा संगठन का हवाला नहीं दिया था । समस्तीपुर में विशिष्ट अपराध की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है और इस पर किसी बाह्य तत्व द्वारा प्रभाव नहीं डाला गया है।

(ग) जैसा कि 'लिंक' के 1975 के गणतंत्र दिवस के अंक में सूचित किया गया है, प्रधान मंत्री ने भेंट के दौरान कहा था कि जब घृणा, झूठे आरोप तथा हिंसा का वातावरण पैदा किया जाता है तो किसी के लिये भी हिंसा करना आसान हो जाता है ।

दिल्ली गुरुद्वारा चुनाव

221. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान जनवरी, 1975 के तीसरे सप्ताह में प्रकाशित इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है जिसमें सिख ब्रदरहुड इन्टरनेशनल के प्रधान ने दिल्ली के गुरुद्वारों के लिये शीघ्र चुनाव की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन):

(क) और (ख): सरकार ने इस सम्बन्ध में एक रिपोर्ट देखी है जो हिन्दुस्तान टाइम्स में 20-1-1975 को प्रकाशित हुई थी । दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि 30-3-1975 तक चुनाव कराने के लिए आवश्यक प्रबन्ध किए जा रहे हैं ।

समस्तीपुर बम विस्फोटक की जांच करने वाली एजेन्सियां

222. **श्री हरि किशोर सिंह**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 2 जनवरी, 1975 को हुई समस्तीपुर दुखद बम विस्फोट घटना की जांच किस एजेंसी अथवा एजेंसियों द्वारा की जा रही है और तत्सम्बन्धी परिणाम क्या है ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेडडी):

इस सदन के तारांकित प्रश्न सं० 25 के उत्तर में आज सदन के पटल पर रखे गये विवरण की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

कर्नाटक में आणविक बिजली घर का स्थापना स्थान

223. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों के किसी केन्द्रीय दल ने एक आणविक बिजलीघर लगाने के लिए कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों का निरीक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं और उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :(क) जी हां, स्थल चयन समिति ने दक्षिणी क्षेत्र में कई वैकल्पिक स्थानों, जिनमें कर्नाटक भी शामिल है, का निरीक्षण किया है ।

(ख) दक्षिणी क्षेत्र के बारे में कमेटी की रिपोर्ट सरकार को हाल ही में प्राप्त हुई है तथा उसका अध्ययन किया जा रहा है ।

मध्य प्रदेश की कोयला खानों में खनिक तथा पर्यवेक्षक कर्मचारी

224. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश की कोयला खानों में काम कर रहे खनिकों, निम्न श्रेणी के पर्यवेक्षण कर्मचारियों, श्रेणी II तथा श्रेणी I के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) इनमें से प्रत्येक श्रेणी में कितने कर्मचारी मध्य प्रदेश के हैं ;

(ग) क्या कारण है कि 500 रुपये प्रति मास से कम आय वाले निम्न वर्गों के काफी कर्मचारी भी मध्य प्रदेश से बाहर के हैं ; और

(घ) मध्य प्रदेश से बाहर के कर्मचारियों को उनके राज्यों में स्थानान्तरित करने तथा स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) से (घ) : जानकारी प्राप्त की जा रही है और उसे सभा पटल रख दिया जाएगा ।

Coal Production

226. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether coal production has gone up ;

(b) if so, the month-wise figures of coal production from the month of June, 1974 to January, 1975; and

(c) the scheme prepared by Government to further increase coal production ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Professor Siddheshwar Prasad) (a) & (b) : Yes, Sir, The month-wise details of coal production in India from the month of June, 1974 are as follows :—

Month	Production (In million tonnes)
June, 1974	6.65
July, 1974	6.94

August, 1974	6.86
September, 1974	6.95
October, 1974	6.81
November, 1974	7.16
December,1974	7.73
January ,1975	8.68

(c) The measures taken to improve production include intensive working of the open-cast mines and the mechanised underground mines, timely procurement of the needed equipments for replacement, rationalisation and re organisation of mines; co ordinating transport facilities ensuring uninterrupted power supply, expansion of existing mines, arrangements for adequate supply of iron and steel, explosives and other inputs.

In addition to the steps already taken to improve coal production a number of new mines are being developed and advance action is also being taken for projecting more mines

वर्ष 1975-76 के लिए उत्तर प्रदेश की वार्षिक योजना

327. **श्री के० एम० मधुकर :**

श्री एस० एन० मिश्र :

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1975-76 के लिए 498 करोड़ रुपये की योजना, योजना आयोग की मंजूरी के लिए भेजी गई है ; और

(ख) यदि, हां तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) (क) तथा (ख)] उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त राज्य की वार्षिक योजना 1975-76 के लिए वित्तीय और भौतिक रूप से प्रस्तावना दर्शाते हुए एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत हैं [ग्रन्थालय में रखा गया] देखिए संख्या एल० टी० -89/10/75 राज्य की वार्षिक योजना 1975-76 के आकार तथा विषय वस्तु को, योजना आयोग में अधिकारी और मंत्री दोनों स्तरों पर हाल ही में हुए विचार-विमर्शों को ध्यान में रखते हुए अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

सरकारी क्षेत्र के सर्वोच्च अधिकारियों के विरुद्ध कथित आरोप

228 **श्री एम० कतापुत्तु:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के इस आशय के उल्लेखों की ओर दिलाया गया है कि सरकारी क्षेत्र के सर्वोच्च अधिकारी "भ्रष्ट" हैं; और

(ख) क्या सरकार 6 जनवरी, 1975 को नई दिल्ली में मुख्य सतर्कता अधिकारियों के 11 वें ओरियेंटेशन कोर्स के अवसर पर दिये गये उद्घाटन भाषण का पूरा ब्यौरा सभा-पटल पर रखेगी ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता):(क) तथा (ख) 6 जनवरी, 1975 को नई दिल्ली में मुख्य सतर्कता अधिकारियों के 11 वें ओरियेंटेशन कोर्स के अवसर पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दिये गये उद्घाटन भाषण के पूर्णपाठ को संसद-पुस्तकालय में रख दिया गया है । इस भाषण से यह प्रतीत होता है कि जहा केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त ने सरकारी कर्मचारियों में, जिनमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्त कार्यकारी अधिकारी भी सम्मिलित है, सत्य निष्ठा के सम्बन्ध में कुछ विचार व्यक्त किए हैं, वहां भाषण में ऐसा कोई वक्तव्य नहीं है कि "सरकारी क्षेत्र के सर्वोच्च अधिकारी भ्रष्ट हैं" ।

नार्थ दामोदर कोलियरी, डगूडा के हरिजनों पर अत्याचार

229 **श्री समर मुखर्जी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान गुंडों की सांठगांठ से आफिसर-इन्चार्ज , डूगडा द्वारा नार्थ दामोदर कोलियरी के हरिजनों पर किये अत्याचारों की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस जघन्य अपराध के लिये दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :

(क) तथा (ख) तथ्य मालूम किए जा रहे है ।

फिल्म समारोह में प्रदर्शन हेतु प्राप्य फिल्में

230 **श्री वयालार रवि** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में दिल्ली में हुए पांचवे फिल्म समारोह में दिखाने हेतु कुल कितनी फिल्म प्राप्त हुई;

(ख) समारोह के दौरान प्रतियोगिता तथा सूचना अनुभागों में 'स्क्रीनिंग' समिति द्वारा प्रदर्शन के लिये कितनी फिल्में चुनी गई ; और

(ग) इन फिल्मों को दिखाने तथा चुनने के लिये क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त अपनाए गए ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) प्रतियोगिता विभाग में 47 फीचर फिल्में और 40 लघु फिल्में प्रविष्ट हुई थीं। इनमें से 24 फीचर फिल्में और 22 लघु फिल्में समारोह के इस विभाग के लिए स्वीकृत की गई। शेष 23 फीचर फिल्में और 18 लघु फिल्में सूचना विभाग के लिए पात्र थीं और उन पर इस विभाग के लिए विशेष रूप से प्रविष्ट 128 फीचर फिल्मों और 50 लघु फिल्मों के साथ विचार किया गया। कुल 151 फीचर फिल्मों और 68 लघु फिल्मों में से, 118 फीचर फिल्में और 47 लघु फिल्में सूचना विभाग के लिए स्वीकृत की गई।

(ग) जो फिल्में समारोह के विनियमों में निर्दिष्ट उद्देश्यों के अनुरूप थी, प्रदर्शन हेतु उनका चयन उनके स्तर के आधार पर इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया कि वे भाग लेने वाले किसी भी देश की राष्ट्रीय भावनाओं और अनुभूतियों को ठेस पहुंचाने वाली न हों।

कोयला खानों में अनिवार्य जमा योजना की क्रियान्विति

231. **श्री रोबिन सेन** :

श्री घामनकर :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कोयला खानों में अनिवार्य जमा योजना को क्रियान्विति के सन्दर्भ में हुई अनियमितताओं की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड (सी एम ए एल) तथा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा श्रमिकों के लेखों सम्बन्धी पुस्तकों के उचित रखरखाव के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) कोयला खानों में अनिवार्य जमा योजना लागू करने में तथा कथित अनियमितताओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ।

(ख) अतिरिक्त परिलब्धियां अनिवार्य जमा (केन्द्रीय तथा स्थानीय प्राधिकरणों के कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारी) योजना, 1974 तथा लेजर खाते रखने के बारे में लागू व्यवस्थाएं, जो वित्त मंत्रालय द्वारा नवम्बर, 1974 में जारी की गई थी, कोयला खान प्राधिकरण तथा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं ।

परमाणु बिजली घरों में बिजली फेल होना

232. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान परमाणु बिजली उत्पादन एककों में बार-बार बिजली फेल हुई;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है जैसे कि कितनी बार बिजली फेल हुई तथा उसके क्या कारण थे और इसके परिणामस्वरूप विद्युत उत्पादन में कितनी क्षति हुई;

(ग) क्या स्वदेशी दक्षता और जानकारी संयंत्रों की सामान्य कार्यकरण की स्थिति वापिस लाने के लिए पर्याप्त है; और

(घ) संयंत्रों को विद्युत उत्पादन के लिए भरोसेमन्द बनाने हेतु स्थायी समाधान निकालने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-8911/75]

फिल्म समारोह हेतु फिल्मों के चुनाव का मानदण्ड

233. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में हुए पांचवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह हेतु फिल्मों का चुनाव करने वाली चयन समिति के सदस्य कौन-कौन थे;

(ख) फिल्मों के चुनाव के लिए क्या मानदण्ड रखे गये थे ;

(ग) क्या प्रतियोगी फिल्मों के लिये पुरस्कार प्राप्त फिल्म 'निर्मलयम' सहित कोई मलयाली फिल्म नहीं चुनी गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) पांचवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए फिल्मों का चयन करने वाली चयन समिति का गठन इस प्रकार था :—

1. श्री जी० डी० खोसला, अध्यक्ष
2. श्री एस० सी० खन्ना
3. श्री वी० डी० व्यास
4. श्री एस० एम० मुशैद
5. श्री ए० एन० डी० हक्सर
6. श्री एस० एल० नहाटा
7. श्री रामू कारिआत
8. श्री मोहिन्द्र सिंह
9. कुमारी उषा भगत
10. श्रीमती वी० मूले
11. श्रीमती उमा दे कुन्हा (केवल 26-11-1974 तक)
12. श्रीमती शान्ता सर्बजीत सिंह
13. श्रीमती अरुणा वासुदेव
14. श्रीमती आशा सेठ

(ख) फिल्मों के चयन का मापदण्ड था :—(1) प्रविष्ठ फिल्में समारोह के उद्देश्यों के अनुरूप हों (2) फिल्में भाग लेने वाले किसी भी देश की राष्ट्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली या जातीय भेदभाव को बढ़ावा देनेवाली न हों ।

(ग) 'नेल्लू' नामक मलयालम फिल्म समारोह के प्रतियोगिता विभाग में प्रविष्ट हुई थी । परन्तु इसका चयन समिति द्वारा अन्तिम प्रदर्शन कार्यक्रम में सम्मिलित करने हेतु पास नहीं किया गया । 'निर्मलयम' उपशीर्षक रहित होने के कारण प्रविष्ट नहीं की गई ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

फिल्म समारोह में चल चित्रों को सप्लाई और थियेटरों के चुनाव का आधार

234. **श्री झारखंडे राय :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवां अन्तर्राष्ट्रीय चल चित्र समारोह नई दिल्ली में हुआ था;

(ख) यदि हां, तो किन-किन थियेटरों में ये चलचित्र प्रदर्शित किये गये थे; और

(ग) थियेटरों को चुनने और चलचित्र सप्लाई करने का आधार क्या था ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 1. विज्ञान भवन
2. मावलंकर हाल
3. ओडियन
4. प्लाजा
5. रीगल
6. सपना

} प्रतियोगिता तथा सूचना विभागों की फिल्मों के लिए ।

7. डिलाइट 8. चाणक्य 9. ईरोज 10. उपहार 11. अर्चना 12. पायल	प्रतियोगिता तथा सूचना विभागों की फिल्मों के लिए।
13. दिल्ली विश्वविद्यालय थियेटर	
14. आई० आई० टी० थियेटर	
1. प्यारेलाल भवन 2. महाराष्ट्र रंगायन 3. विज्ञान भवन	संसद सदस्यों तथा प्रेस के व्यक्तियों के लिये फिल्म शो।
(प्रातः कालीन शो)	
1. फिल्म प्रभाग आडिटोरियम 2. आर्मी सिनेमा 3. डिपार्टमेंट आफ टीचिंग एड्ज थियेटर	मार्केट विभाग के लिये फिल्म शो।

(ग) थियेटरों का चयन मुख्य रूप से उपलब्धता, प्रोजक्शन के स्तर, किराये की उपयुक्तता, दर्शकों की सुविधा, इत्यादि बातों को ध्यान में रखते हुए किया गया था।

प्रत्येक थियेटर के लिये फिल्म प्रदर्शन कार्यक्रम समान वितरण सुनिश्चित करते हुए तैयार किया गया था।

मैसर्स शालीमार वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता के बारे में जांच

235. **श्री मनोरंजन हाजरा :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसर्स शालीमार वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता के संबंध में कोई जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मैसर्स शालीमार वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता के श्रमिकों की मांगें

236. **श्री मनोरंजन हाजरा :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का ध्यान मैसस शालीमार वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता के श्रमिकों की इस मांग की ओर दिलाया गया है कि उक्त कम्पनी को सरकार अपने नियंत्रण में ले;

(ख) यदि हां, तो ऐसी मांगों का स्वरूप क्या है; और

(ग) उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) मांग मोटे तौर पर उपक्रमों के अधिग्रहण करने की है ।

(ग) सरकार के अभी अंतिम रूप से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है ।

फिल्म समारोह आयोजित करने का अभिप्राय

237. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में पांचवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह को आयोजित करने से क्या अभिप्राय पूरा होने की अपेक्षा थी;

(ख) क्या यह अभिप्राय पूरा हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूप-रेखा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) समारोह का उद्देश्य था:--

(1) संसार की फिल्मों को अपनी फिल्म कला की श्रेष्ठता प्रतिबिम्बित करने के लिये एक सामान्य मंच उपलब्ध करना;

(2) विभिन्न राष्ट्रों की फिल्म संस्कृतियों को उनके सामाजिक तथा सांस्कृतिक आचार के सन्दर्भ में समझने और मूल्यांकन करने में योगदान देना; तथा

(3) संसार के विभिन्न लोगों के मध्य सहयोग और मित्रता बढ़ाना ।

(ख) जी, हां।

(ग) भारत के पांचवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में 46 देशों की सब मिलाकर 142 फीचर फिल्में तथा 69 लघु फिल्में दिखाई गईं । समारोह में लगभग 211 प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।

करनाली परियोजना के बारे में भारत नेपाल समझौता

238. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल राज्य क्षेत्र में स्थित करनाली परियोजना त्याग दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या भारत सरकार और नेपाल के बीच इस बारे में कोई समझौता अन्तिम रूप से हो गया है; और

(ग) उक्त परियोजना का कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) नेपाल और भारत सरकार के बीच करनाली परियोजना में संबंधित करार की शर्तें अभी दोनों सरकारों के विचाराधीन हैं ।

केरल में भारी इंजीनियरिंग एककों की स्थापना

239. **श्री वरके जार्ज** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड की सहायता से चार भारी इंजीनियरिंग एकक चालू करने की योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इन योजनाओं को स्वीकृति दे दी है; और

(ग) उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) से (ख) स्टील इंडस्ट्रियल्स केरल लिमिटेड ने निम्नलिखित वस्तुओं का निर्माण करने के लिये औद्योगिक लाइसेंस के लिये औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में चार प्रस्ताव भेजे:—

(i) इस्पात निर्माण
(ii) इस्पात की ढली हुई वस्तुएं
(iii) रोलर बियरिंग
(iv) इस्पात

कच्चे माल की भारी कमी और विद्यमान क्षमता के न्यून-उपयोग के कारण इस्पात निर्माण के लिए आवेदन पत्र लाइसेंस समिति द्वारा रद्द कर दिया गया था । लाइसेंस समिति ने इस्पात की ढ़ली हुई वस्तुओं के लिये आवेदन पत्र भी रद्द कर दिया गया था क्योंकि इस वस्तु का निर्माण करने के लिये पर्याप्त क्षमता पहले ही विद्यमान है । उन्होंने इस निर्णय के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया था और वह अभ्यावेदन विचाराधीन है । रोल बियरिंग का निर्माण करने के लिये आवेदन पत्र जनवरी, 1975 के अंतिम सप्ताह में प्राप्त हुआ था और उस पर कार्यवाही की जा रही है । इस्पात की गढ़ी हुई वस्तुओं के लिये फर्म को निम्नलिखित क्षमता हेतु अक्तूबर, 1974 में एक आशय पत्र जारी किया गया है:—

(i) क्लोज्ड डाई एण्ड स्टील फोर्जिंग्स	4250 मी० टन प्रति वर्ष
(ii) कॉयल स्प्रिंग	60,000 मी० टन प्रति वर्ष

स्टील इण्डस्ट्रियल्स केरल लिमिटेड ने इस महीने एक आवेदन-पत्र भेजा है कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि० को इन परियोजनाओं में 4 या 5 करोड़ रुपये की इक्विटी साझेदारी होनी चाहिये। इस अनुरोध की भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स के परामर्श से जांच की जा रही है ।

चन्द्रमा और अन्य ग्रहों संबंधी अनुसंधान में वैज्ञानिकों द्वारा भाग लेना

240. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे**: क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत शीघ्र ही चन्द्रमा और अन्य ग्रहों संबंधी अनुसंधान में भाग लेगा;

(ख) क्या चन्द्रमा तथा अन्य ग्रहों को जाने वाले सोवियत अंतरिक्ष उपग्रहों में अनुसंधान संबंधी उपकरणों को लगाने के लिये भारतीय वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) अमरीकी और सोवियत अन्तरिक्ष कार्यक्रमों द्वारा चन्द्रमा को चट्टान के जो नमूने धरती पर लाए गए थे, उनके अध्ययन द्वारा भारत पहले ही चन्द्रमा के अनुसंधान कार्य में भाग ले रहा है।

(ख) चन्द्रमा तथा अन्य ग्रहों को जाने वाले सोवियत अन्तरिक्ष उपग्रहों में अनुसंधान संबंधी उपकरणों को लगाने की संभावना पर यद्यपि विचार किया गया है तथापि उसके लिए कोई निश्चित योजना नहीं हैं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

महाराष्ट्र में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार

241. **श्री मधु दंडवते:** क्या **योजना** मंत्री यह बतने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की कोई योजना योजना आयोग को भेजी गई है ;

(ख) क्या महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने यह कहकर कि आयोग ने योजना को समाप्त कर दिया है सरकार पर सार्वजनिक रूप से दोषारोपण किया है ;

(ग) क्या सरकार का विचार योजना पर पुनर्विचार करने का है, यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम 1974-75 के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षित बेरोजगारों के लिये रोजगार अवसर प्रदान करने से संबंधित 6 स्कीमों का एक सैट प्रस्तुत किया था। ऐसी चार स्कीमें जो कार्यक्रम के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप थीं को स्वीकार कर लिया गया। इन स्वीकार की गई स्कीमों का कुल परिव्यय 173.99 लाख रुपये था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करना

242. **श्री एस०एम० बनर्जी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान नियमों के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिये अपनी शिकायतें दूर कराने हेतु संसत्सदस्यों से संपर्क करना वर्जित है ;

(ख) क्या गृह मंत्रालय द्वारा इस संदर्भ में कोई स्पष्टीकरण प्रचालित किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो नियमों में संशोधन करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियम 1964 के नियम 20 में यह निर्धारित किया गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार के अधीन अपनी सेवा से संबंधित मामलों को लेकर अपने हितों के लिये किसी उच्चतर प्राधिकारी के ऊपर कोई राजनतिक अथवा कोई अन्य प्रभाव नहीं डालेगा अथवा डालने का प्रयत्न ही करेगा। अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियम 1968 के नियम 18 में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के संबंध में भी इसी प्रकार की व्यवस्था विद्यमान है।

(ख) नवम्बर, 1974 में अनुदेश जारी किए गए हैं जिसमें सरकारी कर्मचारियों का ध्यान आचरण नियमों के उपर्युक्त उपबंधों की ओर आकृष्ट किया गया है और उन पर जोर दिया गया है कि वे अपने व्यक्तिगत मामलों को लेकर संसद अथवा राज्य विधान मंडल के सदस्यों के पास न पहुंचे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी कंपनियों में भारतीय साम्य पूंजी निवेश

244. श्री सतपाल कपूर : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उपभोक्ता उत्पादों विशेषकर केडबरी फाई, कालगेट, पामोलिव, कोका कोला निर्यात निगम और चेस बरी पोण्ड्स के मामलों में विदेशी कम्पनियों की शाखाओं के बारे में 'फेरा' (विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम) 'सेल' द्वारा सुझाई गई भारतीय साम्य पूंजी साझेदारी की प्रतिशतता कितनी है ; और

(ख) कम्पनियों द्वारा कितनी अवधि में उक्त सुझाव क्रियान्वित किया जाना है और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी०पी० मौर्य) : (क) और (ख) रिजर्व बैंक आफ इंडिया को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन प्राप्त आवेदन-पत्र अभी रिर्ज बैंक आफ इंडिया के विचाराधीन हैं। आशा है कि बैंक इन पर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार जो सभापटल पर रख दिए गए थे, निर्णय लेगा।

दिल्ली नगर निगम को देय राशि

245. **श्री मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार दिल्ली प्रशासन नई दिल्ली नगर पालिका तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिल्ली नगर निगम से प्राप्त विभिन्न सेवाओं के लिये निगम को कुल मिलाकर 12,36,39,000 रुपये अदा करने हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी तथ्य क्या है तथा उसकी वसूली के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि केन्द्रीय सरकार, दिल्ली प्रशासन, नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली विकास अधिकरण पर निम्नलिखित देय राशि बकाया है :—

	(लाख रुपये)
1. 12-1-74 तक सम्पत्ति कर / सेवा खर्च का बकाया राशि .	(लगभग) 500.00
2. 12-1-74 तक नई दिल्ली नगर पालिका पर बिजली के उपयोग, बिक्री अथवा सप्लाई संबन्धी कर	(लगभग) 500.00
3. दिल्ली प्रशासन से न्यायालयों के माध्यम से जुर्मानों की प्राप्ति .	51.42
4. 3-1-74 तक नई दिल्ली नगर पालिका पर दिल्ली अग्नि शमन सेवा के रख रखाव पर व्यय के विभाजन के लिये बकाया राशि का दावा।	86.17
5. गन्दी बस्तियों तथा झुग्गी झोंपड़ी योजनाओं पर अधिक-भुगतान (भारत सरकार द्वारा देय)	67.60
6. गन्दी बस्ती परियोजनाओं पर स्थापना खर्च (सरकार द्वारा देय) . .	31.20
जोड़ .	1236.39

उपरोक्त मदों के बारे में स्थिति इस प्रकार है:—

(1) सम्पत्ति कर/सेवा खर्च की बकाया राशि

इस शीर्ष के अधीन मांग में निम्नलिखित है:—

	(लाख रुपये)
1. आवास तथा निर्माण मंत्रालय . . .	188.64
2. दिल्ली प्रशासन .	159.24
3. रेलवे	6.33
4. दिल्ली विकास अधिकरण	79.00
5. केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालय, अर्थात्, रक्षा, नागर विमानन, खाद्य और कृषि, रसायन, श्रम तथा रोजगार, सूचना तथा प्रसारण, संचार और पुनर्वास	65.97
जोड़ . . .	499.18

इस प्रश्न पर कि मूल्यांकन के लिये सम्पत्ति की यूनिट, कर का हिसाब लगाने की दर और उनके द्वारा देय सेवा खर्ज की मात्रा क्या होनी चाहिए, संबन्धित प्राधिकारियों द्वारा इस राशि की मात्रा का विरोध किया जाता है । मामला निर्माण तथा आवास मंत्रालय के विचाराधीन है ।

(2) नई दिल्ली नगर पालिका पर बिजली के उपभोग बिक्री अथवा सप्लाई संबंधी कर।

बिजली के उपभोग, बिक्री अथवा सप्लाई संबन्धी कर के बारे में नई दिल्ली नगर पालिका ने इस मांग की वैधता को चुनौती दी है । 1960 से विवाद चल रहा है । दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका, दोनों ने कानूनी सलाह ली थी और प्रमुख विधिवेत्ताओं ने इस कानूनी विवाद पर विरोधी राय दी थी। 7-1-1975 को एक बैठक मेयर और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री के बीच हुई थी। और जैसी बैठक में सहमति हुई थी, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका और गृह मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा 28-1-1975 को भी मामले पर विचारविमर्श किया गया था। किन्तु विवाद हल करने के लिये अपनाई जाने वाली पद्धति के बारे में अभी तक कोई सहमति नहीं हुई है ।

(3) न्यायालयों द्वारा दिल्ली प्रशासन से देय जुर्माना की प्राप्ति ।

निगम, दिल्ली प्रशासन और दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ मामले को चला रहा है। इस दावे को इन प्राधिकारियों के ध्यान में लाया गया है।

(4) नई दिल्ली नगर पालिका पर दिल्ली अग्नि शमन सेवा के रख-रखाव पर व्यय के विभाजन के लिये देय राशि के बकाया का दावा।

उप राज्यपाल, दिल्ली से मामले की जांच करने को कहा गया था। 25-1-1975 को दिल्ली प्रशासन से एक उत्तर प्राप्त हुआ है कि सचिव (एल० एस० जी०) दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका के अधिकारियों के साथ परामर्श में मामले की जांच कर रहे हैं।

(5) गन्दी बस्तियों तथा झुग्गी-झोंपड़ी योजनाओं पर अधिक भुगतान।

(6) गन्दी बस्ती परियोजनाओं पर स्थापना खर्च ।

दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली प्रशासन के साथ मामले को चला रहा है। इन दावों को इन प्राधिकारियों के ध्यान में लाया गया है।

Population of Backward Classes

246. **Shri Mukki Raj Saini** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state

(a) the names of the backward classes which are in the list of Shri Kaka Kalekar Commission ;

(b) their population in the country ;

(c) their State-wise population; and

(d) the facilities and the assistance being provided to them by the Central Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) to (c) The names of the castes recommended by the Backward Classes Commission for recognition as other Backward Classes are contained in Volume II of the Report of the Backward Classes Commission laid on the Table of the House on the 3rd September 1956. Information regarding their estimated population in 1951 has also been indicated by the Commission in its Report. However since individual castes other than the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not enumerated in the various censuses precise population figures of these castes are not available.

(d) Since the Government of India have not drawn up any list of backward classes other than the Scheduled Castes and Scheduled Tribes no special failities or assistance has been proveded by the Central Government apart from the Minimum Needs Programme and other programmes included in the Fifth Five Year Plan.

राज्यों को केन्द्रीय सहायता में वृद्धि

247. **श्री डी०बी०चन्द्रगौड़** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों की ओर से बहुत अधिक दबाव पड़ने पर भी केन्द्र सरकार उनको दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की राशि में वृद्धि करने को राजी नहीं है ;

(ख) क्या राज्यों ने वर्ष 1974-75 के दौरान गत वर्ष की अपेक्षा अधिक अतिरिक्त संसाधन जुटाये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार केन्द्रीय सहायता में वृद्धि करने का है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) (क) से (ग) : राज्यों की आर्थिक उन्नति के लिये उनकी वित्तीय आवश्यकताओं के प्रति केन्द्रीय सरकार सदैव ही सजग रही है। लेकिन केन्द्र में संसाधनों की कमी के कारण यह संभव नहीं है कि चालू वित्तीय वर्ष में राज्य योजनाओं के लिये सामान्य केन्द्रीय सहायता की मात्रा को 1973-74 के स्तर से आगे बढ़ाया जाय। बहरहाल, 25 करोड़ रु० की अतिरिक्त सहायता पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों के लिये और अन्य 10 करोड़ रु० उत्तर पूर्वी परिषद के कार्यक्रमों के लिए आवंटित किये गय है इसके अतिरिक्त सूखा और बाढ से प्रभावित राज्यों को, चालू वर्ष में उनकी योजनाओं के लिये 55 करोड़ रुपये की अग्रिम सहायता देने की संभावना है ताकि वे सूखा / बाढ़ से उत्पन्न परिस्थितियों का मुकाबला कर सकें।

राज्यों में पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष अधिक मात्रा में अतिरिक्त संसाधन जुटाये हैं, परन्तु केन्द्रीय सहायता की मांग में वृद्धि कराने के लिये उनको कोई अधिकार प्रदान नहीं करता।

'एम्प्लायमेंट गारन्टी' तथा 'काटन मोनोपोली पर्चेज स्कीम्स' पर महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री का कथित वक्तव्य

248. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री श्री वी०पी० नाईक के उस कथित वक्तव्य की ओर दिलवाया गया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को 'एम्प्लायमेंट गारंटी' तथा 'काटन मोनोपाली पर्चेज स्कीम' को रद्द करने का प्रस्ताव कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र की ये योजनाएं कब भेजी गयीं थी; और

(ग) उन पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : **(क) से (ग) कपास की एकाधिकार क्रय स्कीम (काटन मनोपोली परचेज स्कीम)**

महाराष्ट्र सरकार की कपास की एकाधिकार क्रय स्कीम पर काम हो रहा है अतः केन्द्र सरकार द्वारा रुकावट डालने का प्रश्न नहीं उठता। यह हो सकता है कि पर्याप्त धन के अभाव में राज्य सरकार कुछ कठिनाइयां अनुभव कर रही हो किन्तु इस प्रश्न पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋण पर लगाए गए प्रतिबंधों और अर्थ व्यवस्था पर मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विचार करना होगा।

रोजगार गारंटी स्कीम :

यह स्कीम भी चल रही है और केन्द्र द्वारा रुकावट पैदा किए जाने का प्रश्न नहीं उठता। वर्तमान वर्ष में राज्य सरकार द्वारा इस स्कीम पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की संभावना है। महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त हुए 1975-76 के वार्षिक योजना प्रारूप प्रस्तावों में इस स्कीम के लिए 50 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। राज्य सरकार की वार्षिक योजना को अंतिम रूप देते समय इन प्रस्तावों को ध्यान में रखा जाएगा ।

उत्तर प्रदेश द्वारा बिजली घरों की बिक्री

249. **श्री एस०एन० मिश्र** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य के कतिपय बिजली घरों की निजी फर्मों को बिक्री से पूर्व केन्द्रीय सरकार से परामर्श किया गया था;

(ख) यह बिजली घर किस-किस स्थान पर हैं ; तथा उनकी क्षमता कितनी है और उन्हें किन मूल्यों पर बेचा गया ; और

(ग) क्या यह बिजली घर इस समय अपनी पूरी क्षमता से बिजली का उत्पादन कर रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) बिक्री से पूर्व विभिन्न ताप विद्युत केन्द्र जहां स्थित थे, उन स्थानों तथा उनकी क्षमता और कीमतें, जिन पर उपस्कर बेचे गए थे; को दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं ।

विवरण

उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा बेचे गए विभिन्न ताप-विद्युतों केन्द्रों पर प्रतिष्ठापित उपस्करों का ब्योरा

क्र०सं०	मशीनरी का ब्योरा	स्थान का नाम जहां स्थित था	मशीनरी की क्षमता (मेगावाट में)	बातचीत के बाद तय हुई कीमत
1	2	3	4	5
				रुपये
1.	के०ई०एस०ए०	कानपुर	1 × 3	7,50,000.00
2.	विद्युत केन्द्र उत्पादन सैट और बायलर (संख्या 1 से 6 और 8)	कासिमपुर	1 × 10	29,96,436.10
			1 × 5	
	सैट और बायलर संख्या 7, 9, 10		1 × 5	19,50,000.00
3.	सोहावल विद्युत घर उत्पादन सैट तथा 3 बायलर सैट तथा 2 बायलर	फैजाबाद	2 × 1.28	9,25,000.00
			2 × 1	7,75,000.00
4.	रामपुर विद्युत घर	रामपुर	2 × 1	3,50,000.00
	उत्पादन सैट और एक बायलर		1 × 2.2	3,00,000.00
	सैट तथा 6 बायलर		1 × 1.6	
			1 × 3.125	36,00,000.00
5.	ए०ई०एस०यू० उत्पादन सैट और बायलर	इलाहाबाद	2 × 1	1,27,786.00
6.	एल०ई०एस०यू०	लखनऊ	1 × 1.25	78,893.00
	उत्पादन सैट तथा बायलर		1 × 1.25	6,25,000.00
7.	बलरामपुर विद्युत घर	गोंडा	1 × 1	58,172.00
	उत्पादन सैट		1 × 2	1,16,344.71
	सेट और 2 बायलर		1 × 0.4	1,26,666.66
8.	चन्दौसी विद्युत घर उत्पादन सैट और 5 बायलर	चन्दौसी	3 × 3.2	1,05,06,000.00
9.	सीतापुर सेट और बायलर	सीतापुर	1 × 0.3	1,55,000.00

वर्ष 1975-76 के दौरान राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता

250. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा: क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 1975-76 के लिए राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में वृद्धि करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी, हां। संसाधनों की अत्यधिक कमी होने के कारण, राज्य सरकारों से खासतौर पर अनुरोध किया गया था कि वे वार्षिक योजना 1975-76 के लिए अपने प्रारूप प्रस्ताव बनाते समय केन्द्रीय सहायता का अनुमान 1974-75 के स्तर पर लगा लें। राज्यों के साथ उनके 1975-76 के प्रारूप प्रस्तावों पर हाल ही में चर्चा हुई है, अतः योजना आकारों और प्रत्येक राज्य योजना में धन उपलब्ध करने की स्कीम पर विचार किया जा रहा है।

रेबेल्स स्वे इन मिजोरम

251. **श्री बसन्त साठे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 जनवरी, 1975 के एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में "रेबेल्स स्व इन मिजोरम" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस में बताई गई बातों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) छिपी मिजोरम सेना की गतिविधियों की रोकथाम के लिए क्या प्रभावी कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिम) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) इस रिपोर्ट में कोई सचाई नहीं है कि मिजोरम में पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं किये गये थे।

(ग) मिजो विद्रोहियों की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय और मजबूत कर दिये गये हैं।

ऐजल मिजोरम में सुरक्षा संबंधी उपाय

252. **श्री निम्बालकर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐजल, मिजोम में हुए उत्पादन के पश्चात कड़े सुरक्षात्मक उपाय किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उपाय किए गये हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) जी हां, श्रीमान । ऐजल में तीन उच्च श्रेणी के पुलिस अधिकारियों के मारे जाने के परिणामस्वरूप सारे मिजोरम में सुरक्षा उपाय कड़े कर दिये गये हैं। सुरक्षा बल लगातार निगरानी रख रहे हैं।

आपतकालीन स्थिति का समाप्त किया जाना

253. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में आपतकालीन स्थिति समाप्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) तथा (ख) : मामले का लगातार पुनरीक्षण किया जा रहा है।

योजना आयोग का पुनर्गठन

254. **श्री पो० वेंकटसुब्बया** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग का पुनर्गठन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सभी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति कर दी गई है ; और

(घ) योजना आयोग के कार्य में सुधार करने के लिए इससे कितनी सहायता मिलेगी ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : **(क) से (घ)** योजना आयोग का पुनर्गठन तो नहीं हुआ है, परन्तु श्री दुर्गा प्रसाद धर द्वारा त्यागपत्र दिये जाने पर श्री पी० एन० हक्सर को 4 जनवरी, 1975 से आयोग का पूर्णकालिक उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आयोग के कुछ महत्वपूर्ण पद अभी तक नहीं भरे गये हैं।

Newsprint Quota given to "Avantika" Hindi Daily of Ujjain

255. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5493 on the 20th December, 1974 and state :

(a) the year-wise newsprint quota and *ad hoc* newsprint quota given to "Avantika" a Hindi daily published from Ujjain, Madhya Pradesh, during 1972-73 and 1973-74 ;

(b) whether exaggerated figures of its circulation have again been given whereas the actual figures in this regard range between 1000 to 1200 copies ; and

(c) whether Government propose to hold an enquiry into this matter and if so; when ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information & Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) The year-wise *ad hoc* newsprint quota given to "Avantika" Hindi daily, Ujjain, is :

In 1972-73	an *ad hoc* allocation of 25 tonnes was made.
In 1973-74	an *ad hoc* allocation of 15 tonnes was made.

(b) The publisher claimed circulation of 5179 for the year 1972-73 and 4096 for the year 1973-74. The assessment of circulation was not finalised, as the records had been taken over by CBI for investigation.

(c) The CBI investigation report since received by Government is under examination.

वर्ष 1973-74 और 1974-75 के दौरान जनजाति क्षेत्रों के विद्युतीकरण हेतु धन का नियतन

256. **श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1973-74 और वर्ष 1974-75 के दौरान, वर्षवार तथा राज्यवार, जनजाति क्षेत्रों का विद्युतीकरण करने हेतु, विभिन्न राज्यों को कितना धन आबंटित किया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : जनजातीय क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिए अलग से धन का कोई आवंटन नहीं किया गया है । केन्द्रीय सेक्टर में स्थापित सरकारी उपक्रम ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ने इन वर्षों के दौरान, मुख्य रूप से जनजातीय जनसंख्या वाले क्षेत्रों/तालुकों में ग्राम विद्युतीकरण के लिए 23.78 करोड़ रुपये की ऋण सहायता स्वीकृत की है । इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

मुख्यत : जन जातीय जनसंख्या वाले क्षेत्रों/तालुकों के लिए ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के संबंध में 1973-74 और 1974-75 (13-2-1975 तक) ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड द्वारा स्वीकृत ऋणों के वर्षवार तथा राज्यवार ब्यौरा (लाख रुपयों में)

क्रम	राज्य का नाम	स्वीकृत ऋण की राशि	
		1973-74	1974-75
1.	आंध्र प्रदेश	24.460	165.473
2.	असम	—	97.315
3.	बिहार	109.784	559.385
4.	हिमाचल प्रदेश	27.508	—
5.	मध्य प्रदेश	264.858	283.220
6.	महाराष्ट्र	71.900	—
7.	मेघालय	22.750	—
8.	उड़ीसा	25.720	295.029
9.	राजस्थान	66.714	228.747
10.	त्रिपुरा	—	78.969
11.	पश्चिम बंगाल	59.503	—
	कुल	670.197	1,708.138

कर्नाटक में काली विद्युत परियोजना को वित्तीय सहायता

257. **श्री के० लकप्पा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में काली विद्युत परियोजना को अब तक कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ख) इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा परियोजना पर कितनी राशि व्यय की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) कालीनदी परियोजना पर कार्य में तेजी लाने के लिए कर्नाटक सरकार को सहायता देने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने पूर्णतया एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के अन्तिम दो वर्षों में परियोजना के चरण-दो के लिए राज्य योजना के बाहर सहायता आबंटित करना स्वीकार कर लिया था । तदनुसार, राज्य सरकार को 1972-73 तथा 1973-74 के दौरान 25.27 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई थी । जहां तक पांचवीं योजना का संबंध है, इस परियोजना के परिव्यय को राज्य के योजना संसाधनों से पूर्ण किया जाएगा ।

(ख) उत्पादन संयंत्र और उपस्कर के लिए मैसर्ज भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज लिमिटेड को आर्डर दे दिए गए हैं। सिविल कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 29.40 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं और वर्ष 1974-75 में 14.06 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वार्षिक योजना परिव्यय

258. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975-76 के लिए सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के वार्षिक योजना परिव्यय को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिए कितना परिव्यय रखा गया है ; और

(ग) वर्ष 1974-75 में प्रत्येक राज्य का वार्षिक योजना परिव्यय कितना है तथा उसका राज्य-वार किस प्रकार उपयोग किया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) राज्यों की वार्षिक योजना 1975-76 पर विचार-विमर्श अधिकारी और मंत्री स्तरों पर पूरा हो चुका है। इन विचार-विमर्शों के आधार पर प्रत्येक राज्य की वार्षिक योजना के आकार को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। संघ शासित क्षेत्रों की वार्षिक योजनाओं, जिन्हें अन्तिम रूप दे दिया गया है, के संबंध में एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। इस विवरण में, योजना आयोग द्वारा 1975-76 के लिए स्वीकृत परिव्यय के साथ-साथ 1974-75 के स्वीकृत परिव्यय और संबंधित संघ शासित क्षेत्रों द्वारा बतलाये गये उस वर्ष के प्रत्याशित व्यय को दर्शाया गया है। राज्यों की वार्षिक योजना 1974-75 के बारे में भी इसी प्रकार की सूचना विवरण में दी गई है।

विवरण (करोड़ रुपये)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1974-75 के लिए स्वीकृत परिव्यय	1974-75 के लिए प्रत्याशित व्यय	1975-76 के लिए स्वीकृत परिव्यय
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	127.39	137.89	अभी तक तय नहीं हुआ
2. असम	53.66	61.63	—वही—
3. बिहार .	140.27	168.98	—वही—
4. गुजरात	143.32	140.98	—वही—
5. हरियाणा	81.60	79.00	—वही—
6. हिमाचल प्रदेश	31.16	33.30	—वही—
7. जम्मू और कश्मीर .	48.00	52.84	—वही—
8. कर्नाटक	110.75	115.75	—वही—

1	2	3	4
9. केरल	73.89	75.49	अभी तक तय नहीं हुआ
10. मध्य प्रदेश .	152.25	152.63	—वही—
11. महाराष्ट्र .	275.84	275.85	—वही—
12. मणिपुर	12.06	12.35	—वही—
13. मेघालय	13.63	13.53	—वही—
14. नागालैण्ड .	14.00	15.32	—वही—
15. उड़ीसा	71.24	81.01	—वही—
16. पंजाब	107.87	126.52	—वही—
17. राजस्थान .	77.85	88.46	—वही—
18. तमिलनाडु .	112.00	158.42	—वही—
19. त्रिपुरा	11.00	10.91	—वही—
20. उत्तर प्रदेश	255.19	439.16	—वही—
21. पश्चिम बंगाल . . .	147.87	150.32	—वही—
पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता	25.00	—	—वही—
कुल राज्य	2085.84	2390.34	
1. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	5.20	4.67	5.50
2. अरुणाचल प्रदेश	7.25	7.22	7.65
3. चण्डीगढ़ .	5.05	5.23	5.35
4. दादरा और नगर हवेली	0.90	0.88	0.91
5. गोवा, दमन और दीव	12.00	17.61	12.97
6. दिल्ली	45.00	43.36	50.50
7. लक्षद्वीप	0.75	0.83	0.83
8. मिजोराम	6.90	7.26	7.35
9. पाण्डिचेरी .	5.25	4.37	5.14
कुल संघ शासित क्षेत्र	88.30	91.43	96.10
कुल योग . . .	2,174.14	2,481.77	

Trunk Calls booked from Morena City for South Indian Towns

259. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Communications** be please to state :

(a) the number of trunk calls booked from Morena city for South Indian towns dur ing the years 1972-73 and 1973-74 and the number of urgent and ordinary calls among them separately ;

(b) the time-gap between the booking and actual materialization of the calls ;

(c) whether the lines are connected from Morena to Gwalior from Gwalior to Agra and from Agra to South India and not from Gwalior to South Indian towns direct ; and

(d) the arrangement proposed to be made by Government to provide a direct line from Gwalior to South India ?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma) : (a) & (b) Since trunk call tickets are destroyed after retention for six months information asked for is not available. Statistical information based on observation for one day period for each quarter indicates an average of 28 calls per day from Morena city to South Indian cities with percentage effectiveness of 40 and an average delay of about 7 hours.

(c) Yes; but in addition two direct outlets are available from Morena to Agra which have access to all the important cities in the country.

(d) The proposal to connect Gwalior with South Indian cities with Operator dialling is under consideration of the Department.

समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर बम विस्फोट

260. **श्रीमती सावित्री श्याम** :

श्री शंकर दयाल सिंह :

श्री के० लक्कप्पा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर 2 जनवरी, 1975 को हुई बम विस्फोट की घटना में कुछ व्यक्ति घायल हुये और कुछ मारे गये ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है तथा इस मामले में कितने रेल कर्मचारी, उनके परिवार के सदस्य और उनके सम्बन्धी अब तक गिरफ्तार किये गये तथा जिन से पूछ ताछ की गई; और

(ग) प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को क्या मुआवजा दिया गया अथवा दिया जायेगा ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : **(क) तथा (ख)** बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 2 जनवरी, 1975 को समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर विस्फोट में लगभग 28 व्यक्ति घायल हुए थे । उनमें से, बाद में तीन व्यक्तियों नामतः श्री एल० एन० मिश्रा, भूतपूर्व रेल मंत्री, श्री सूरज नारायण झा, सदस्य, बिहार विधान परिषद् तथा श्री आर० के० पी० एस० किशोर, उत्तर पूर्वी रेलवे का कर्मचारी, की मृत्यु हो गई थी । इस संबंध में एक मामला दर्ज किया गया है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है । जांच किये गये या पकड़े गये व्यक्तियों के ब्यौरे इस अवस्था में देना उचित जांच पड़ताल के हित में नहीं होगा ।

(ग) बिहार सरकार ने सूचित किया है कि उसने श्री सूरज नारायण झा, सदस्य विधान परिषद् की विधवा को मासिक पेंशन के अलावा 10,000 रुपये का अनुग्रहपूर्वक अनुदान देने का निश्चय किया है । संबंधित प्राधिकारियों से और सूचना एकत्र की जा रही है ।

समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर 2 जनवरी, 1975 को सुरक्षा प्रबन्धों के लिए उत्तरदायित्व

261. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : दिनांक 2 जनवरी, 1975 को समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर बड़ी लाइन के उद्घाटन समारोह के अवसर पर समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा प्रबन्धों के लिये उत्तरदायी एजेंसी का नाम क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : 2 जनवरी, 1975 को समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर बड़ी लाइन के उद्घाटन समारोह के अवसर पर समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा प्रबन्ध राज्य सरकार द्वारा किये गये थे ।

गोआ, दमन और दीव में कानूनों का लागू होना

262. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वे सभी कानून जो भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं गोआ, दमन और दीव में रहने वाले भारतीयों पर भी लागू होते हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं; और

(ग) वे सभी कानून जो शेष भारत पर लागू होते हैं गोआ, दमन और दीव में कब तक लागू किये जायेंगे ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) से (ग) सभी पुर्तगाली कानून जो ठीक 20 दिसम्बर, 1961 के पुर्व गोआ, दमन व दीव में लागू थे अर्थात् उस तिथि को जब इन क्षेत्रों को संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया था संसद द्वारा अधिनियमित गोआ, दमन व दीव (प्रशासन) अधिनियम, 1962 द्वारा लागू रहे जब तक उनका एक सक्षम विधान मण्डल अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधन अथवा निर्सन नहीं किया गया । अब उन में से बहुत से कानूनों को केन्द्रीय अधिनियमों अथवा संघ राज्य क्षेत्र के विधान मंडल द्वारा अधिनियमत कानूनों द्वारा बदल दिया गया है । शेष पुर्तगाली कानूनों को बदलने का प्रश्न सरकार द्वारा नियुक्त विधि-आयोग की सिफारिशों के आधार पर संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के विचाराधीन है ।

2 जनवरी, 1975 को समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर रेल प्रशासन द्वारा किये गये सुरक्षा प्रबन्ध

263. **श्री त्रिदिव चौधरी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2 जनवरी, 1975 को समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर हाल ही में बनी समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर बड़ी लाइन के उद्घाटन के समय रेल प्रशासन ने कुल मिलाकर क्या-क्या सुरक्षा प्रबन्ध किये थे जहां हथगोला विस्फोट हुआ था जिसके परिणामस्वरूप स्वर्गीय श्री एल० एन० मिश्र, रेल मंत्री को घातक चोट लगी और उनकी दुःखद मृत्यु हुई थी; और

(ख) क्या इन प्रबन्धों के पर्याप्त होने की कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच मोहसिन) : (क) समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर के बीच बनाई गई नई लाइन का समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर 2 जनवरी, 1975 को उद्घाटन करते समय सुरक्षा के प्रबन्ध राज्य सरकार द्वारा किये गये थे।

(ख) उक्त अवसर पर अन्य बातों के साथ केन्द्रीय रेल मंत्री के आवश्यक संरक्षण तथा सुरक्षा के लिये किये गये उपायों के स्वभाव तथा पर्याप्तता की जांच करने के लिये उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश का एक जांच आयोग नियुक्त किया गया है । आयोग की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

समस्तीपुर में बम विस्फोट को रोकने के लिए की गई कार्यवाही

264. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे आसूचना कर्मचारी समस्तीपुर में बम विस्फोट का पता लगाने तथा उसे रोकने में असफल रहे; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये किन-किन व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया गया और उक्त असफलता के लिये क्या विभागीय कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेंड्डी) : **(क) तथा (ख)** 2 जनवरी, 1975 को समस्तीपुर में विस्फोट से संबंधित तथ्यों तथा हालातों की व्यापक जांच करने के लिये जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत श्री न्यायाधीश के० के० मैथ्यू के अधीन एक जांच आयोग की नियुक्ति की गई है। अन्य बातों के साथ-साथ आयोग घटना के समय श्री एल० एन० मिश्रा के संरक्षण व सुरक्षा के लिये किये उपायों के स्वरूप तथा उनकी पर्याप्तता की जांच करेगा । आयोग से तीन महीने के अन्दर अपनी जांच पूरी करने तथा सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करने की आशा की जाती है । भूलों के संबंध में, यदि कोई हैं, आगे कार्यवाही पर आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद विचार किया जायेगा।

रेल मंत्री को समस्तीपुर से दानापुर लाने वाली विशेष रेलगाड़ी का देर से पहुंचना

265. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैसा कि समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है रेल मंत्री को लाने वाली विशेष रेलगाड़ी समस्तीपुर से बम विस्फोट के, जिसके कारण रेल मंत्री की मृत्यु हो गई, दो घंटे पश्चात् रवाना हुई और उसे दानापुर पहुंचने में लगभग आठ घंटे लगे जबकि सामान्यतया इसे केवल तीन घंटे लगते हैं ;

(ख) इस संबंध में तथ्य क्या है और क्या उसके लिये किसी को उत्तरदायी ठहराया गया है ;

(ग) क्या किन्हीं रेल कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : **(क) से (घ)** सरकार को उपलब्ध सूचना के अनुसार घायल रेल मंत्री को ले जाने वाली विशेष रेलगाड़ी 2 जनवरी, 1975 को विस्फोट के लगभग 2 घंटे बाद आवश्यक शल्यक्रिया तथा सुरक्षात्मक आवश्यकताओं के पूरा होने पर समस्तीपुर से चली थी और समस्तीपुर तथा दानापुर के बीच की दूरी 3 घंटे 35 मिनट में तय की।

विस्फोट के संबंधित सभी पहलूओं की जांच करने के लिये जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री के० के० मैथ्यू के अधीन एक जांच आयोग नियुक्त किया गया है । आयोग ने अपना कार्य शुरू कर दिया है और उससे तीन महीने के अन्दर अपनी जांच पूरी करने तथा रिपोर्ट पेश करने की आशा है ।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा भारतीय तेल निगम तथा कोयला खानों को देय धन राशि

266. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :**

श्री राम सहाय पांडे :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम तथा कुछ कोयला खानों को देय काफी मात्रा में धनराशि दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान की ओर बकाया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऋणों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) 12-2-1975 को दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान द्वारा मैसर्ज इण्डियन आयल कम्पनी को तेल की सप्लाई के लिये कोई राशि देय नहीं थी ।

15 फरवरी, 1975 को दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान द्वारा कोयला संभरकों को देय बकाया राशियां इस प्रकार थीं :—

(i) मैसर्स बी०सी०सी०एल० . . . . . 101.00 लाख रुपये

(ii) मैसर्स सी०एम०ए०एल० . . . . 42.50 लाख रुपये

भुगतान की ये बकाया राशियां संस्थान की कठिन वित्तीय स्थिति के कारण बढ़ गई हैं ।

उड़ीसा में अखबारी कागज का लघु संयंत्र

267. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **उद्योग और नागरिक** पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में अखबारी कागज का लघु संयंत्र स्थापित करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी०ए० पाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दक्षिण कनारा जिले में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र और डाकघर

268. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य के दक्षिण कनारा जिले में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की कुल संख्या का खण्डवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) 1 अप्रैल, 1972 से जिन स्थानों के लिये डाकघरों के लिये मांग की गई है उनकी संख्या का (नाम सहित) खण्डवार ब्यौरा क्या है और कितने स्थानों के लिये मांग की पूरी नहीं की गई; और

(ग) प्रत्येक मामले में मांग पूरी न करने का क्या कारण है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा): (क) कर्नाटक राज्य के दक्षिण कनारा जिले में ब्लाक-वार सार्वजनिक टेलीफोन घरों की कुल संख्या इस प्रकार है :—

1. बैलथानगडी	6
2. बंटवाल	8
3. कूडापुर	10
4. करकला	12
5. मंगलूर	7
6. पुट्टूर	5
7. उडोपी	14
8. सुल्लिया	

(ख) संबंधित ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

1. मंगलूर ब्लाक

72-73	कोई नहीं
73-74	(1) ब्लाम्बी (2) चेम्बूर
74-75	कोई नहीं

2. बंटवाल ब्लाक

72-73	
73-74	कोई नहीं
74-75	

3. पुट्टूर ब्लाक

72-73	केम्मारा
73-74	परनाजे
74-75	कोई नहीं

4. बेलथानगडी ब्लाक

72-73	कोई नहीं
73-74	गांधी-बगोलू और बंदर
74-75	कोई नहीं

5. सुल्लिया ब्लाक

72-73	कोई नहीं
73-74	दुग्गा लड़का
74-75	कोई नहीं

आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली में टेलीविजन कलाकारों और तकनीकी कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन

269. **श्री वरके जार्ज** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टैलीविजन कलाकारों और तकनीकी कर्मचारियों ने अपने पदों को नियमित करने, पृथक संवर्ग बनाने, वेतन आयोग की रिपोर्ट के तत्काल क्रियान्वयन और अपनी सेवा शर्तों में सुधार करने की अपनी मांगों पर जोर देने के लिये 23 दिसम्बर, 1974 को आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली में प्रदर्शन किया था; और

(ख) उनकी मांगों पर विचार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) दिल्ली टैलीविजन केन्द्र के कुछ स्टाफ आर्टिस्टों के द्वारा उपरिनिर्दिष्ट तारीख को एक प्रदर्शन किया गया था।

(ख) वेतन आयोग की सिफारिशें केवल नियमित सरकारी कर्मचारियों पर ही लागू होती हैं, स्टाफ आर्टिस्टों पर नहीं । इस देश में टैलीविजन अभी निर्माण अवस्था में है । इसकी विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, टैलीविजन के लिये एक युक्तिसंगत स्टाफ ढांचा बनाया जा रहा है, जिसमें एक अलग व्यावसायिक अनन्यता तथा उपयुक्त सेवा शर्तों और उन्नति के अच्छे अवसरों पर जोर दिया जायेगा ।

उच्च जाति के जमीदारों द्वारा बिहार के मधुबनी जिले के सोहपुर ग्राम के हरिजनों की नजरबन्दी

270. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **गृह** मंत्री उच्च जाति के जमींदारों द्वारा बिहार के मधुबनी जिले के सोहपुर ग्राम के हरिजनों को नजरबन्द किये जाने के बारे में 11 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4184 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तथ्यों के बारे में इस बीच पता कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और हरिजनों के विरुद्ध अपराध करने वाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) संभवतया आदरणीय सदस्य 11 दिसम्बर, 1974 को इस सदन में अतारांकित प्रश्न सं० 4184 के उत्तर का उल्लेख कर रहे हैं। बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार यह सही नहीं है कि मधुबनी जिले में सोहपुर ग्राम के आठ मुशारों को 10 नवम्बर, 1974 को चलती गाड़ी से जबरदस्ती उतार दिया गया था और ग्राम हैवतपुर थाना फतुहा जिला पटना के कुछ ऊंची जाति के जमींदारों द्वारा अवैध रूप से बन्दी रखा गया था। किन्तु उस दिन, जब कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ प्रदर्शनकारी जिनमें ग्राम सोहपुर के आठ मुशार सम्मिलित थे, भोजपुर शटल ट्रेन से पटना जा रहे थे उन पर अज्ञात व्यक्तियों के एक दल ने आक्रमण किया । आठों मुशार उस स्थान से भाग कर और उसी शाम को ग्राम हैवतपुर पहुंचे । अगले आठ दिन तक उन्होंने दो स्थानीय लोगों के खेतों में मजदूरों के रूप में काम किया । उन्हें भोजन दिया गया परन्तु कोई मजदूरी नहीं दी गई । नवें दिन वे पटना स्थित कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय गये जहां से अन्त में वे अपने घर पहुंचे।

भोजपुर शटल ट्रेन के यात्रियों पर आक्रमण की घटना पर 10-11-1974 को भा०द०स० की धारा 144/147/337/323/379 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया था।

आकाशवाणी केन्द्रों को समाचार सम्बन्धी पत्र लिखने के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति

271. **श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में आकाशवाणी केन्द्रों के निदेशकों द्वारा वर्ष 1974-75 में आकाशवाणी केन्द्रों को समाचारों सम्बन्धी पत्र लिखने के लिये कोई व्यक्ति नियुक्त किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो नियुक्त किये गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं और वे किन-किन जिलों में नियुक्त किये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) इस प्रयोजन के लिये विशेष रूप से कोई संवाददाता नियुक्त नहीं किया गया है । जहां आकाशवाणी के अपने संवाददाता उपलब्ध नहीं हैं, वहां जिला न्यूजलैटर लिखने का काम स्थानीय पत्रकारों या अन्य उपयुक्त व्यक्तियों को अनुबन्ध आधार पर दिया जाता है । कुछ मामलों में आकाशवाणी केन्द्र जिला सूचना अधिकारियों की सहायता भी लेते हैं ।

पंजाब राज्य के लिये अभी तक कोई जिला न्यूजलैटर प्रारम्भ नहीं किया गया है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें आकाशवाणी के उन संवाददाताओं और अन्य व्यक्तियों के नाम दिये गये हैं जिन्होंने आकाशवाणी के शिमला, श्रीनगर और जम्मू केन्द्रों से प्रसारण के लिये जिला न्यूजलैटर तैयार किये।

विवरण

शिमला

1 श्री शब्बीर कुरेशी, संवाददाता, टाइम्स आफ इंडिया, बिलासपुर।
2. श्री करम सिंह, आकाशवाणी के अंशकालिक संवाददाता, धर्मशाला।
3. श्री दुर्गादास, एडवोकेट, कल्पा।
4. श्री वी०सी० शर्मा, आकाशवाणी के अंशकालिक संवाददाता, पनाली।
5. श्री किशोरी लाल, आकाशवाणी के अंशकालिक संवादादाता, मण्डी।
6. श्री एच०ओ० पाण्डे, संवाददाता, नेशनल हैरल्ड, शिमला।
7. श्री एम०पी० जोशी, संवाददाता, ट्रिब्यून, नाहन।
8. श्री सन्त राम, आकाशवाणी के अंशकालिक संवाददाता, सोलन।
9. श्री ललित शर्मा, प्रैस संवाददाता, ऊना।

श्रीनगर

1. श्री पी०एन० रेना, काश्मीर न्यूज सर्विस, श्रीनगर।
2. श्री ओ०एन० कौल, संवाददाता, इकोनोमिक टाइम्स, श्रीनगर।
3. श्री मलिक मोहम्मद सईद, संवाददाता, पैट्रियाट, श्रीनगर।
4. श्री नन्दलाल वतल, सम्पादक, खिदमत, श्रीनगर।
5. श्री एच०यू० शाइर, सहायक समाचार सम्पादक, रेडियो काश्मीर, श्रीनगर।
6. श्री जी०एम० तांत्री, सहायक समाचार सम्पादक, रेडियो काश्मीर, श्रीनगर।
7. श्री टी०एन० रेना, सहायक समाचार सम्पादक, रेडियो काश्मीर, श्रीनगर।
8. श्री श्याम कौल, संवाददाता, रेडियो काश्मीर, श्रीनगर।

जम्मू

1. श्री एस०एन० करीकूर, जिला सूचना अधिकारी, जम्मू।
2. श्री वीरेंद्र गुप्त, जिला सूचना अधिकारी, ऊधमपुर।
3. श्री एम०एल० कपूर, जिला सूचना अधिकारी, कथूआ।
4. श्री बी०के० व्रच, जिला सूचना अधिकारी, राजौरी।
5. श्री बैजनाथ, इन्चार्ज, जिला सूचना केन्द्र, दौडा।
6. श्री रामेश्वर प्रसाद, इन्चार्ज, जिला सूचना केन्द्र, पूंछ।
7. श्री खेम राज शर्मा, जिला सूचना अधिकारी, जम्मू।
8. श्री डी०सी० प्रशांत, आकाशवाणी के अंशकालिक संवाददाता, जम्मू।
9. श्री शिव रेना, सहायक सूचना अधिकारी, जम्मू।
10. श्री ज्योति पथिक, सहायक सूचना अधिकारी, जम्मू।
11. ईशरत काश्मीर, मुख्य सम्पादक, कौमी आवाज, जम्मू।
12. श्री के०बी० जन्दयाल, सहायक सूचना अधिकारी, जम्मू।
13. श्री आई० एस० बिलवरेया, सम्पादक, चनाब, जम्मू।

टायरों और ट्यूबों की कमी

272. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में टायरों और ट्यूबों की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को समाप्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी०ए० पाई) : (क) और (ख) बिजली की कटौती, श्रमिक हड़तालों आदि के परिणामस्वरूप उत्पादन में हुई हानि के कारण, देश में ट्रक और स्कूटर टायरों की उपलब्धता मांग के अनुपात में कम है । आपूर्ति स्थिति की कठिनाई पर काबू पाने के लिये उद्योग से अधिकतम उत्पादन करने के लिये अतिरिक्त पालियों एवं अवकाश और रविवार के दिनों में कार्य करने को कहा गया था। मोटर गाड़ियों के टायर और ट्यूब बनाने के लिये नये एककों की स्थापना और विद्यमान एककों का पर्याप्त विस्तार करने संबंधी अनेक योजनाओं की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिये स्वीकृति दे दी गई है ।

समान वितरण का सुनिश्चय करने हेतु वितरण प्रणाली को भी सुप्रवाही बना दिया गया है ।

डाक-तार सलाहकार समितियों की बैठकें

273. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 के दौरान हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में से प्रत्येक राज्य के लिए पृथक-पृथक डाक-तार सलाहकार समितियों द्वारा कितनी बैठकें की गईं ; और

(ख) इस साल के दौरान इन राज्यों में से प्रत्येक राज्य के लिये दो बैठकें आयोजित न करने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा): (क) हिमाचल प्रदेश की डाक-तार सलाहकार समिति की एक बैठक 1974 में हुई थी । उस वर्ष पंजाब और हरियाणा की डाक-तार सलाहकार समितियों की कोई बैठक नहीं हुई।

(ख) पंजाब और हरियाणा की डाक-तार सलाहकार समितियों की बैठकें इसलिये नहीं हो सकीं क्योंकि डाक-तार अधिकारी रेल कर्मचारियों की हड़ताल और भूतपूर्व संयुक्त डाक-तार सर्किलों को डाक और दूरसंचार सर्किलों में पुनर्गठित करने के सिलसिले में व्यस्त थे ।

मिज़ोरम में मिज़ो विद्रोहियों द्वारा जबर्दस्ती कर की वसूली

274. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र मिज़ोरम में मिज़ो विद्रोहियों द्वारा जबर्दस्ती कर की वसूली किये जाने की सरकार को जानकारी है; और

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) यदि हां, तो तो मिज़ोरम के शान्तिप्रिय नागरिकों की सम्पत्ति और जीवन की रक्षा करने तथा जबर्दस्ती वसूल किये जाने वाले करों से उन्हें बचाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(ग) मिज़ोराम में शान्तिप्रिय नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने और मिज़ो विद्रोहियों की गतिविधियों को दबाने के लिए संघ राज्य क्षेत्र में सुरक्षा प्रबन्ध कड़े कर दिये गये है ?

Residential Accommodation for P&T Employees

275. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the housing arrangements made so far for Class III and Class IV employees working in the Posts and Telegraphs Department State-wise ;

(b) whether the number of residential quarters constructed for these employees is the least in the State of Bihar; and

(c) if so, the steps proposed to be taken by Government to build more residential quarters in Bihar ?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma) : (a) State-wise position of quarters available for Classes III and IV staff is indicated at Annexure 'A'.

(b) No Sir.

(c) A ban has been imposed on construction of non-functional buildings on account of the present financial stringency. Hence construction of new quarters for staff in any part of the country is not being undertaken for the present.

Statement

Name of P&T Circle	States covered	Total Departmental quarters available as on 31-3-1974
1	2	3
Andhra	Andhra	812
N.E. Circle	Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Tripura, Arunachal Pradesh and Mizoram	927
Bihar	Bihar	1061
Gujarat	Gujarat	427
J&K	J & K	59
Kerala	Kerala	385
Madhya Pradesh	Madhya Pradesh	1223
Maharashtra	Maharashtra and Goa	2307
Karnataka	Karnataka	384
Orissa	Orissa	657
Punjab	Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Chandigarh	2327
Rajasthan	Rajasthan	454
Tamil Nadu	Tamil Nadu	824
U.P.	U.P.	1436
West Bengal	West Bengal	1060
Delhi	Delhi	2480

NOTE:—Where P&T Circle jurisdiction covers more than one State separate figures for each State are not readily available.

पिछड़े क्षेत्रों में विदेशी फर्मों को औद्योगिक लाइसेंस देने से इंकार किया जाना

276. **श्री के०एस० चावड़ा** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी फर्मों द्वारा नियंत्रित उद्योगान्मुख उद्योगों को आक्सीजन तथा रसायनों के लिये भी, पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक लाइसेंस देने से इन्कार कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनके आवेदन-पत्रों को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार इस योजना में किस प्रकार संशोधन करना चाहती है ताकि पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में क्षेत्रों का औद्योगिकीकरण किया जा सके ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) : अगस्त, 1974 से जनवरी, 1975 तक के 6 महीनों की अवधि में पिछड़े क्षेत्रों में परिष्कृत समुद्री उत्पाद, लुग्दी और लिखने एवं छापने का कागज, अधिक लम्बे ब्रैडड रबड़ होस संश्लिष्ट प्रक्षात्मक और सफाई का सामान, उद्योगों की स्थापना करने के लिये विदेशी/विदेशी बहुलांश वाली कम्पनियों को दो आशय-पत्र और तीन औद्योगिक लाइसेंस दिये गये थे ।

विदेशी/विदेशी बहुलांश वाली कम्पनियों से इस अवधि में प्राप्त किये गये आवेदनों में से पिछड़े क्षेत्र में पाली विनायल क्लोराइड बनाने के लिये एक आवेदन को रद्द किया गया था क्योंकि इसकी पर्याप्त क्षमता के लिये स्वीकृति दी जा चुकी है और लुग्दी कागज बनाने के एक अन्य आवेदन पर मंजूरी दे दी है । रबड़ कन्वेयर बैल्टिंग, ड्रग्स एण्ड फार्मस्युटिकल्स और कैल्सियम कार्बाइड के काढ़े में तीन और आवेदन अभी अनिर्णीत पड़े हैं । सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों का विकास और संवर्धन करने के लिये केन्द्रीय प्रत्यक्ष अनुदान अथवा राज-सहायता योजना 1971, परिवहन राज-सहायता योजना 1971 लघु उद्योगों के लिए विशेष परिवहन सुविधायें और रियायती वित्त योजना जैसे अनेक प्रोत्साहनों की घोषणा की है ।

कोका कोला कारखाने

277. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने कोका कोला कारखाने चल रहे हैं, उनकी क्षमता कितनी है, कितनी पूंजी के उपकरण लगाने की अनुमति है और गत तीन वर्षों में कितना उत्पादन हुआ है ;

(ख) कोका कोला बनाने का स्रोत क्या है तथा क्या कोका कोला 'कन्सेंट्रेट' कृत्रिम मूल का रसायन है अथवा वास्तविक मूल है ;

(ग) कोका कोला निर्यात निगम की भारतीय सहायक फर्मों तथा भारत में कोका कोला की बोतलें भरने वालों के बीच ठेके की शर्तें क्या हैं और गत तीन वर्षों में प्रत्येक कारखाने से कितनी विदेशी मुद्रा बाहर भेजी गई है ; और

(घ) भारत में बोतल भरने वाले कारखानों के निदेशकों के नाम क्या हैं और क्या वे परस्पर सम्बन्धित हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी०ए० पाई) : (क) जानकारी नीचे दी गई है :--

कार्यशील कोका कोला कारखानों की संख्या	उनकी क्षमता	विदेश अनुमानित	उत्पादन (दस लाख बोतलों में)		
			1972	1973	1974
21	13150 लाख बोतलें	10 करोड़ रु०	778.8	614.5	609.29† अनुमानित†

(ख) कोका कोला का उत्पादन कोका कोला सांद्रण से किया जाता है जो फर्म का एक गोपनीय पेटेंट है और जो मूल रूप से प्राकृतिक या वनस्पति वस्तुओं से तैयार किया जाता है ।

(ग) कोका कोला निर्यात निगम की भारतीय सहायक फर्मों और भारत में कोका कोला की बोतलें भरने वालों के मध्य करार की शर्तों को सरकार ने स्वीकृत नहीं किया है । अतः सरकार को उनके बारे में जानकारी नहीं है । किन्तु बोतलें भरने वाले एककों द्वारा विदेश में कोई भुगतान नहीं किये गये हैं । भारत में बोतलें भरने वाले एककों ने केवल वही भुगतान किया है जो सांद्रण खरीदने के लिय कोका कोला निर्यात निगम को किया था ।

(घ) संबंधित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

इदिक्की बिजली परियोजना का पूरा होना

278. **श्री बयालार रवि** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इदिक्की बिजली परियोजना का प्रथम चरण पूर्व घोषणा के अनुसार इस वर्ष जून में आरम्भ होगा;

(ख) क्या बांध स्थल पर हाल के श्रमिक विवाद तथा अनुभव की गई वित्तीय कठिनाइयों से कार्य की समयसारिणी को फिर से बनाना आवश्यक हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक और सरकार ने इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिये क्या कदम उठायें हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) इदिक्की विद्युत परियोजना के प्रथम चरण को चालू करने में मुख्य रूप से श्रमिक अशांति और बाढ़ों के कारण हुई अव्यवस्था के परिणामस्वरूप जून, 1975 से आगे लगभग 3 महीने की देरी हो सकती है। इस परियोजना की श्रमिक समस्याओं पर उच्चतम स्तर पर ध्यान किया जा रहा है और परियोजना के पूर्ण करने में और अधिक विलम्ब से बचने के लिये सभी संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं।

केरल इलैक्ट्रानिकी निगम द्वारा भारतीय इलैक्ट्रानिकी निगम की सहायता से इलैक्ट्रानिकी उपकरण बनाने के छोटे-छोटे कारखानों की स्थापना

279. **श्री वयालार रवि** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इलैक्ट्रानिकी निगम की सहायता से केरल राज्य में इलैक्ट्रानिकी उपकरण बनाने के छोटे-छोटे कारखाने स्थापित करने में केरल इलेक्ट्रानिक्स निगम ने क्या प्रगति की है; और

(ख) इस संबंध में अब तक किये गये कार्य की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है और कौन सी नई परियोजनायें तुरन्त ही आरम्भ की जानी हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) केरल राज्य इलैक्ट्रानिक्स विकास निगम इलैक्ट्रानिक संघटक तथा उपकरण बनाने की कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है। उस निगम ने इस विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के साथ एक करार किया है, जिसके अनुसार वह निगम इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रदत्त तकनीकी जानकारी के आधार पर टेलीविजन सैट बनायेगा।

भारत को परमाणु उपकरण भेजने के लिए कनाडा द्वारा निर्यात परमिट का रद्द किया जाना

280. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या भारत को परमाणु ऊर्जा उपकरण भेजने के लिये कनाडा ने अधिकृत रूप से एक निर्यात परमिट रद्द कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं और सरकार इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री, तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) कनाडा ने यह कदम सम्भवत: विभाग द्वारा शांतिपूर्ण कार्यों के लिये किये गये परमाणु परीक्षण को ध्यान में रखते हुए उठाया है। ये उपकरण अन्य वैकल्पिक स्रोतों से प्राप्त करने की व्यवस्था की जा रही है।

वर्ष 1975-76 की योजना के लिए बिहार को वित्तीय सहायता देने का अनुरोध

281. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य की वर्ष 1975-76 की योजना के वित्तीय पोषण के लिये केन्द्र से 98 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने अनुरोध स्वीकार कर लिया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मोकामा स्थित माल डिब्बे बनाने वाले कारखाने को हुई हानि

282. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मोकामा स्थित माल डिब्बे बनाने वाले कारखाने में जिस को केन्द्रीय सरकार ने गत वर्ष अपने हाथ में लिया था, भारी हानि हो रही है तथा दूसरी बार तालाबन्दी चल रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसे रोकने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) ब्रिटानिया इंजीनियरिंग वर्क्स, मोकामा को इस समय काफी हानियां हो रही है लेकिन इसमें तालाबन्दी की कोई सभावना नहीं है।

(ख) हानियों का मुख्य कारण यह है कि गत समय में वैगन के जो क्रयदेश लिये गये थे, उनका मूल्य-ढांचा अलाभकारी रहा है। इस बात के लिये तरीकों का पता लगाया जा रहा है कि इन प्रत्यक्ष अलाभकारी क्रयादेशों के संबंध में हानियों को कुछ सीमा तक कैसे कम किया जा सकता है।

वर्ष 1974 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास

283. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि: वर्ष 1974 के दौरान विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में क्या विकास तथा प्रगति हुई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है जिसमें सूचना दी गई है।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 8912/75]

Supply of Power to Madhya Pradesh from Rihand Power Station by U.P.

284. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of Energy be pleased to state :

(a) whether Uttar Pradesh is supplying the share of power due to Madhya Pradesh from the Rihand Power Station and is holding back the supply for meeting the demand of its own consumers ;

(b) whether Uttar Pradesh is making payment for the share of power which is due to Madhya Pradesh from the Rihand Power Station and which it itself is consuming ;

(c) the time by which Uttar Pradesh will start making full supply of the share of power due to Madhya Pradesh from Rihand Power Station in accordance with the decision of the Central Zonal Council which was accepted by both the State Governmnts; and

(d) whether Uttar Pradesh is disregarding the directive of the Government of India by not implementing the recommendations of the Zonal Council in regard to supply of power to Madhya Pradesh ?

The Minister of Energy (Shri K.C. Pant) : (a) to (d) In the Sixth meeting of the Central Zonal Council held in July, 1963 it had been decided that U.P. should supply to Madhya Pradesh 15% of the energy available at Rihand at cost plus 5%. The transmission line, which could carry this power to Madhya Pradesh was completed only in 1969 and some power was drawn by Madhya Pradesh in 1968-69, 1969-70 and 1971-72. Since March, 1972, U.P. has not been supplying power to Madhya Pradesh from Rihand, due to depletion of the reservoir, and an acute scarcity of power in that State.

Madhya Pradesh has made a claim for payment of compensation for power not supplied. This claim has not been accepted by U.P. and the matter has yet to be decided. The Govt. of U.P. have intimated that they will make every effort to implement the recommendations of the Zonal Council in regard to supply of power to Madhya Pradesh, as and when the Rihand reservoir is replenished.

पटना में टेलीविजन प्रसारण

285. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना में निर्माणाधीन स्टुडियो कम्पलक्स से इस वर्ष के अन्त तक टेलीविजन कार्यक्रम प्रसारित होन लगेंगे;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष के अन्त तक अन्य किन-किन नगरों और क्षेत्रों में ये कार्यक्रम प्रसारित हो सकेंगे; और

(ग) दश में 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी नगरों में टेलीविजन कार्यक्रम प्रसारित करने का, वर्षवार, कार्यक्रम क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) : जी, नहीं स्रोतों की कमी के कारण पटना के टलीविजन स्टूडियो का निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। तथापि, पटना में ट्रांसमिटिंग स्टेशन, जो लगभग 16,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सेवा प्रदान करेगा, के 1976-77 तक चालू हो जाने की संभावना है।

(ग) 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में टेलीविजन सेवा प्रदान करने का वर्षवार कार्यक्रम निम्नलिखित है :—

(1) दिल्ली, बम्बई, पूना—इनमें टेलीविजन सेवा पहले ही प्रदान की जा रही है।

(2) कलकत्ता, मद्रास—1975-76 ।

(3) लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, जयपुर—1976-77 ।

स्रोतों की कमी के कारण, 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शेष नगरों में टेलीविजन सेवा प्रदान करने के प्रस्तावों पर बाद में स्रोतों की स्थिति में सुधार होने पर विचार करना होगा।

भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा कलकत्ता में 'एटामिक स्मैशर' बनाया जाना

286. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे परमाणु वैज्ञानिकों द्वारा कलकत्ता में 'साइक्लोट्रान' अथवा 'एटामिक स्मैशर' बनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी कार्यकरण क्षमता का परीक्षण किया गया है; और

(ग) क्या इस वैज्ञानिक उपलब्धि के परिणामस्वरूप कुछ विदेशी मुद्रा की बचत होगी; और यदि हां, तो कितनी ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) आवश्यक राशि के उपलब्ध होने की अवस्था में यह आशा की जा सकती है कि यह साइक्लोट्रान इस वर्ष की अंतिम छमाही में काम करने लगेगा।

(ग) साइक्लोट्रानों की सहायता से उत्पादित किये जाने वाले कुछ ऐसे आइसोटोप जिन्हें अब तक आयात किया जाता है, इस साइक्लोट्रान की सहायता से तैयार किये जा सकेंगे। विद्युत् रिएक्टर लगाने के कार्यक्रम के लिये आवश्यक सामग्री पर विकिरण से पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन भी इस साइक्लोट्रान की सहायता से किया जा सकेगा। आइसोटोपों के उत्पादन से तथा उपर्युक्त किस्म की सामग्री की जांच देश में ही करने के परिणामस्वरूप बचाई जा सकने वाली विदेशी मुद्रा की मात्रा के बारे में अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

दूर संचार लाइनें स्थापित करने के लिए विश्व स्तर पर टेंडर

287. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर स्थित इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज द्वारा सुरीनाम में दूर संचार लाइनें स्थापित करने के लिये विश्व स्तर पर टेंडर प्रथम विश्व टेंडर है ; और

(ख) यदि नहीं, तो अन्य टेंडरों के बारे में तथ्य क्या हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख) सुरीनाम में विश्व स्तर के टेंडर प्राप्त करने के अलावा इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ने विश्व-स्तर के टेंडर द्वारा दूरसंचार उपस्कर की सप्लाई और स्थापन के कई आदेश प्राप्त किये हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त अन्य प्रमुख आदेशों का ब्यौरा नीचे दिया गया :—

(i) क्राउन एजेण्ट्स, लन्दन द्वारा जारी किये गये टेन्डरों के माध्यम से इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ने 1973 में कीनिया, युगाण्डा और तंजानिया के पूर्व अफ्रीकी प्रदेशों में टेलीफोन एक्सचेंजों की सप्लाई और स्थापना करने के लिये 60 लाख रुपये के मूल्य के आदेश प्राप्त किये।

(ii) जोर्डन के दूरसंचार विभाग द्वारा जारी किये गये टेंडर के माध्यम से 1972 और 1973 में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ने साल्ट टाऊन के लिये टेलीफोन एक्सचेंज और अन्तर्राष्ट्रीय स्विचिंग सेंटर के लिये करचल एक्सचेंज की सप्लाई और स्थापना करने के लिये 33 लाख रुपये के आदेश प्राप्त किये।

(iii) नेपाल दूरसंचार बोर्ड द्वारा प्रचारित टेंडर के माध्यम से इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ने 1972 और 1974 में 12 लाख रुपये के मूल्य के टेलीफोन उपस्कर की सप्लाई और स्थापना करने के लिये आदेश प्राप्त किये।

आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए एक पृथक संगठन की स्थापना

288. **श्री रानेन सेन** :

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :

श्री हरी सिंह :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिये प्रस्तावित योजना को लागू करने के लिये सरकार का एक पृथक संगठन स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम ने इस योजना को स्वयं आरम्भ करने की पेशकश की है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

वार्षिक अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों का आयोजन

289. **श्री रानेन सेन** :

श्री डी०पी० जदेजा :

श्री बेकारीया :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हर वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) तथा (ख) जी, हां। परन्तु अभी तक कोई पक्का निर्णय नहीं लिया गया है।

विद्युत् संयंत्र स्थापित करने के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता का मांगा जाना

290. **श्री गजाधर माझी** :

श्री एम०एस०पुरती :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिजली की कमी दूर करने के लिये, जिसके कारण कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन में बाधा पड़ रही है, देश के विभिन्न प्रदेशों में अनेक विशाल विद्युत् संयंत्र स्थापित करने हेतु बड़े पैमाने पर ऋण की संभावनाओं का पता लगाने के लिये विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) पिटहैंडों पर सुपर ताप-विद्युत् केन्द्रों और बृहद जल-विद्युत परियोजनाओं के लिये धन की व्यवस्था करने के लिये सहायता देने हेतु विश्व बैंक से अनुरोध किया गया है। ये प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन हैं।

उड़ीसा की 1975-76 के लिए वार्षिक योजना

291. **श्री गजाधर माझी** :

श्री अर्जुन सेठी :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में सूखा के भारी खतरे को ध्यान में रखते हुए इस राज्य की 1975-76 की वार्षिक योजना के लिये सलाहकार ने योजना आयोग को कितने परिव्यय की सिफारिश की है;

(ख) राज्य ने वास्तव में क्या मांग की थी; और

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) तथा (ख) सलाहकार (कार्यक्रम प्रशासन), योजना आयोग ने उड़ीसा की वार्षिक योजना 1975-76 के लिये 89.25 करोड़ रुपये के परिव्यय की सिफारिश की है जब कि राज्य सरकार के प्रारूप प्रस्ताव 104.81 करोड़ रुपये के थे।

(ग) राज्य सरकार के प्रस्तावों के प्रारूप पर योजना आयोग में सरकारी एवं मंत्री दोनों स्तरों पर विचार विमर्श किया गया था। राज्य योजना के आकार पर अंतिम निर्णय., इन विचार-विमर्शों तथा संसाधनों की सुलभता को ध्यान में रख कर कर लिया गया था।

Pending Applications for Licences

292. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) the number of pending applications for licences and C.O.B. licences State-wise ;

(b) the date from which these applications are pending and the reasons therefor; and

(c) the time by which these applications will be disposed of ?

The Minister of Industry & Civil Supplies (Shri T.A. Pai) : (a) A statement is enclosed.

(b) Of the pending COB applications 26 cases relate to the years 1970 to 1973 and 449 cases relate to 1974. Of the other pending licensing applications 220 cases relate to the years 1969 to 1973 and 1087 cases relate to 1974. Of the pending applications of both types, 262 cases are not yet due for disposal as they are pending within 90 days. The other cases are pending as they require detailed consideration of various aspects of the proposals.

(c) Procedures for the disposal of industrial licensing applications have been simplified and stremlined with the setting up of the Secretariat for Industrial Approvals (SIA) on Ist November, 1973. The backlog of 3265 pre-SIA applications has been reduced to 220 and 3511 new applictions have been disposed of during 1974. Special efforts are being made to liquidate the remaining pre-SIA arrears and to dispose of the new applications within the prescribed time limits.

Statement

Number of pending applications for licences and COB licencee State-wise received upto 31st December 1974 is given below :

Sl. No.	State	COB	Others
1.	Andhra Pradesh	20	30
2.	Assam	7	4
3.	Bihar	10	27
4.	Gujarat	28	90
5.	Haryana	33	38
6.	Himachal Pradesh	2	12
7.	Jammu & Kashmir	—	3
8.	Kerala	3	18
9.	Madhya Pradesh	19	37
10.	Maharashtra	101	207
11.	Manipur	—	1
12.	Meghalaya	1	3
13.	Karnataka	16	50
14.	Orissa	2	13
15.	Punjab	37	29
16.	Rajasthan	18	33
17.	Tamil Nadu	22	78
18.	Tripura	—	1
19.	Uttar Pradesh	57	52
20.	West Bengal	65	64
21.	Andaman & Nicobar	—	1
22.	Chandigarh	2	4
23.	Dadar Haveli	—	2
24.	Delhi	15	7
25.	Goa	4	4
26.	Pondicherry	1	1
27.	More than one State/(State not indicated)	12	23
	TOTAL	475	832

Outstanding Telephone Dues

293. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) Whether an amount of Rs. 6 crores and 92 lakhs on account of telephone revenue was outstanding on the 1st July, 1972 and out of this amount, Rs. 2 crores and 38 lakhs were due from Governmnt departments ;

(b) if so, the names of the departments against which telephone dues are outstnading indicating the amounts due against each department and the persons responsible for such arrears ; and

(c) the reasons for not recovering these arrears and the amount recovered so far and the amount yet to be recovered ?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma) : (a) Yes, Sir.

(b) Out of Rs. 6.92 crores—

The outstanding against Defence Department were Rs. 77.58 lakhs.

The outstandings against Central Government Departments other than Defence were Rs. 68.53 lakhs.

The outstanding against State Government Departments were Rs. 92.27 lakhs.

The outstanding amountt against each of the numerous State and Central Deparments is not separately maintained.

(c) As the bills for telephone service are issued after the service is availed of, some bills always remain outstanding and recovery of these is a continuous process which the Department is treating as one of urgent importance. Outstanding bills are systematically pursued with the concerned Departments/State Gdvernment at the appropriate levels, Out of Rs. 6.92 crores outstandings as on 1.7.72, Rs. 4.43 crores have been recovered during the period from July, 1972 to october, 1974 leaving a balance of Rs. 2.49 crores of which the outstandings against Government Departments account for Rs. 66 lakhs.

Electrification of Villages in Pali District During 1975

294. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Energy** be pleased to state the names of the villages in Pali district which will be electrified during the year 1975 under the Rural Electrification Scheme and the names of villages electrified in this district during the last year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad): The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Working of National Small Scale Industries Corporation

295. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Indsutry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) The concrete steps taken by the National Small Industries Corporation Limited for development of industries in backward areas during 1973-74 ;

(b) the places at which its branches are located and the annual administrative expenditure incurred thereon :

(c) the annual income of the Corporation; and

(d) the profit earned by the Corporation during 1972-73, areawise ;

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri A. P . Sharma) : (a) Steps taken by National Small Industries Corporation towards development of backward areas include organisation of intensive campaigns in such areas for speedier disposal of hire purchase applications, provisions of concessionary interest rate to entrepreneurs from backward areas, establishment of raw material depots etc.

(b)	Expenditure incurred (Rs. lakhs) in 1973-74
Branch Office Bombay	13
Branch Office Calcutta	13
Branch Office Madras	14
Branch Office Delhi.	9
Raw Material Depot Khurja	0.70
Raw Material Depot Pondicherry	0.49
Prototype Development-cum-Training Centres :	
Okhla	37.00
Rajkot	16.00
Howrah	35.00

(c) Name of activity :

	Income 1973-74 (Rs. lakhs)
Hire Purchase.	171.79
Marketing	47.06
Prototype Development-cum-Training Centres	38.23

(d)	1972-73
Branch Office Bombay	8.76
Branch Office Calcutta	2.37
Branch Office Madras	3.74
Branch Office Delhi.	8.23
Pottery Depot at Khurja	0.09
Pottery Depot at Pondicherry	0.45
Delhi	9.59

भूमिगत नागाओं का चीन जाने का प्रयत्न

296. **श्री राम सहाय पांडे :**

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भूमिगत नागाओं के नये दल के द्वारा प्रशिक्षण तथा शस्त्रों की प्राप्ति के लिये चीन जाने के प्रयत्न सम्बन्धी समाचारों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो चीन के सभी भागों को बन्द करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) कितने नागा दलों को समाप्त किया जा चुका है और इस संबंध में क्या निरोधक उपाय किये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जिन विद्रोहियों के बारे में चीन जाने की सूचना मिलती है उन्हें बाहर जाने से रोकने के लिये सीमाओं पर और नागालैण्ड के भीतर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

(ग) सुरक्षा बल छिपे नागाओं के दो गिरोहों के प्रयत्न को विफल करने में सफल हुए हैं सुरक्षा कार्यों की सहायता के लिये राज्य के प्राधिकारियों ने संवेदनशील क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया था।

कर्नाटक में नगरों के नामों में परिवर्तन

297. **श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने राज्य में कुछ नगरों के नामों में परिवर्तन करने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे नगरों के नाम क्या हैं जिनके नामों में परिवर्तन किये जाने की संभावना है; और

(ग) कितने मामलों में यह अनुमति दी हुई है ?

गृह मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) वर्ष 1973 और 1974 तथा वर्ष 1975 में गांवों, नगरों आदि के नामों में परिवर्तन करने के बारे में कर्नाटक सरकार से अब तक प्राप्त 8 प्रस्तावों में से 2 स्वीकृत किये गये, 2 अस्वीकृत किये गये, 2 राज्य सरकार द्वारा छोड़ दिये गये, एक का जो केवल एक इलाके के नाम में परिवर्तन करने के बारे में था, भारत सरकार से कोई संबंध नहीं था और एक जो फ्लैग स्टेशन का नामकरण करने के बारे में नवम्बर, 1974 में प्राप्त हुआ था विचाराधीन है। स्वीकृत किये गये प्रस्ताव हैदरगेरी से हरन्यगिरी तथा मसाविकाट्टे से चन्द्रशेकरपुरा गांवों के नामों में परिवर्तन के लिये थे।

टेलीफोन एक्सचेंज खरीदने के लिये विश्व बैंक से ऋण

298. **श्री अरविन्द एम० पटेल:**

श्री बेकारिया :

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों से टेलीफोन ऐक्सचेंज खरीदने के लिये विश्व बैंक से ऋण मांगा है;

(ख) यदि हां, तो कितना ऋण मांगा गया है; और

(ग) उन देशों के नाम क्या है जिनसे टेलीफोन ऐक्सचेंज खरीदे जाने की संभावना है?

संचार मन्त्री (डा० शंकर दयाल शर्मा): (क) जी हां। टेलीफोन एक्सचेंजों के लिये अन्य उपस्करों के साथ कच्चा माल और साज-सामान तथा स्विचिंग उपस्करों का आयात करने लिये सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (इन्टरनेशनल डेवलपमेंट एसोसियेशन) से एक ऋण लिया है।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से मिले 8 करोड़ अमेरिकी डालर (58 करोड़ 20 लाख रुपये) के कुल ऋण में से टेलीफोन एक्सचेंज स्विचिंग उपस्कर के लिये 1 करोड़ 24.6 लाख अमेरिकी डालर (9 करोड़ रुपये) की रकम रखी गई है।

(ग) इस उपस्कर के आयात के लिये जो विश्वव्यापी टेंडर भेजे गये थे। इनके जवाब में जापान, स्वीडन और इंगलैंड ने सप्लाई करने की अपनी दरें और शर्तें बताई हैं। इन टेंडरों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

फिल्म समारोह का स्थान

299. **श्री अरविन्द एम० पटेल:**
श्री डी० पी० जदेजा:
श्री सी० जनार्दनन:

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जब कभी भारत में फिल्म समारोह होगा तो वह बम्बई में आयोजित किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) भारत के अगले अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के स्थान के बारे में निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पांचवी योजना में गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों का विकास

300. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**
श्री बेकारिया :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में सरकार का विचार गुजरात राज्य के आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिये पृथक योजना आरम्भ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) और (ख) जी, हां। पांचवीं योजना के दौरान गुजरात राज्य में आदिम जाति क्षेत्रों के विकास के लिये राज्य योजना के अन्तर्गत उप-योजना बनाने का प्रस्ताव है।

आदिम जाति क्षेत्रों की उप-योजना के लिये राज्य सरकार ने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिये हैं। इन पर योजना आयोग में चर्चा हो चुकी है। योजना आयोग द्वारा दिये गये सुझावों के आधार पर इस योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। उप-योजना प्रारूप की मुख्य बातें निम्नप्रकार से हैं:—

उप-योजना की तैयारी के लिये तेरह आदिम जाति बाहुल क्षेत्रों को चुना गया है। इसके अलावा, अनुसूचित क्षेत्रों के दो तालुके और 15 आदिम जाति पाकेट उप-योजना के अन्तर्गत आते हैं। आदिम जाति जनसंख्या के लगभग 29.95 लाख लोग यानी गुजरात की कुल आदिम जाति जनसंख्या के 79.3 प्रतिशत इस उप-योजना के अन्तर्गत आते हैं। उप-योजना के मुख्य उद्देश्य हैं: आदिम जाति और अन्य क्षेत्रों के विकास के स्तरों के मध्य जो अन्तर है उसे कम करना और आदिम जाति जन समुदायों के जीवनयापन में सुधार करना। उपर्युक्त उद्देश्यों की उपलब्धि के लिये सभी प्रकार के शोषण को दूर करने पर मुख्य रूप से बल दिया जायेगा। जो अन्य कदम उठाये जायेंगे वे हैं (1) आदिम जातियों के आर्थिक और सामाजिक बुनियादी आधार की कमी को पूरा करना, (2) इन क्षेत्रों की संसाधन क्षमता के निर्माण के लिये आवश्यक विनियोजन उपलब्ध करना और (3) स्वैच्छिक संगठनों को पर्याप्त प्रोत्साह-

नात्मक और संगठनात्मक सहायता प्रदान करना ताकि सामाजिक और संस्थागत परिवर्तन लाने में सुविधा हो। आदिम जाति क्षेत्रों के विकास के लिये निम्नांकित कार्य नीतियां अपनाई जानी हैं:--

(1) पूर्व निर्दिष्ट स्थानों पर अनेक विकास केन्द्रों को विकसित किया जायेगा।

(2) सिंचाई सुविधाओं, सड़कों और ग्रामीण बिजलीकरण को प्राथमिकता दी जायेगी।

(3) चयनात्मक आधार पर विकास केन्द्र पर लघु उद्योग स्थापित करने के लिये विशेष प्रयत्न किये जायेंगे और ग्रामोद्योग व कुटीर उद्योगों के विकास के लिये सहायता दी जायेगी।

(4) आदिम जाति के लोगों में कुशलता के निर्माण के कार्यक्रम का सूत्रपात किया जायेगा।

(5) समाज शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पोषाहार, जलापूर्ति और ग्रामीण आवास के कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जायगी।

(6) आदिम जाति के लोगों की शोषण के खिलाफ रक्षा की जायेगी।

(7) आदिम जाति आवश्यकताओं के अनुरूप ठोस संस्थागत ढांचे का विकास किया जायेगा।

(8) आदिम जाति जनसमुदाय में अत्यधिक पिछड़े वर्गों का निर्धारण किया जायेगा और उनके विकास पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। मुख्य परियोजनाओं--सिंचाई और औद्योगिक से विस्थापित आदिम जाति के लोगों पर विशेश ध्यान दिया जायेगा।

(9) विकास के काम पर स्वैच्छिक अभिकरणों को लगाया जायेगा।

(10) आदिम जाति क्षेत्रों में प्रशासनिक संगठन को सुदृढ़ किया जायेगा।

तेज गति से औद्योगिक करण विकास का सुझाव

301 **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री आर० के० बिड़ला ने तेज गति से औद्योगीकरण और विकास का सुझाव देते हुये सरकार को एक नोट प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त नोट के तथ्य क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० एन० पई०) : (क) श्री आर० के० बिड़ला ने तेज गति से औद्योगीकिकरण और विकास का सुझाव देने वाला कोई नोट हाल ही में उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय को नहीं प्रस्तुत किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

क्यूबा को एक फिल्म के प्रदर्शन की अनुमति न दिया जाना

302. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन:**

श्री एस० एम० बनर्जी:

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की जांच समिति ने क्यूबा को 'गिरीन' नामक फिल्म को प्रदर्शित किये जाने की अनुमति नहीं दी थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त समारोह में फिल्मों के प्रवेश का निर्णय करने के लिये क्या मानदंड अपनाया गया?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) जी, नहीं। वास्तव में इस फिल्म को समारोह के सूचना विभाग में दिखाया गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चयन समिति ने अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शन हेतु फिल्म की उपयुक्तता का निर्णय समारोह के विनियमों में दिये गये उद्देश्यों तथा पात्रता सम्बन्धी नियमों के आधार पर लिया था। मुख्य मापदंड ये थे :—

(1) फिल्मों का स्तर।

(2) फिल्म ऐसी नहीं हो जो भाग लेने वाले किसी देश की राष्ट्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचाती हो या जातीय भेदभाव को बढ़ावा देती हो।

अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में टिकटों की बिक्री और फिल्मों के दुरूपयोग के बारे में आरोप

303. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

श्री एम० कतामुत्तु:

सरदार महेन्द्रसिंह गिल :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिये टिकटों की बिक्री और निमंत्रण पत्र जारी किये जाने के बारे में कथित आरोपों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या कुछ देशों ने जिनकी फिल्मों को फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया था उन्होंने यह आरोप लगाया कि उनकी फिल्मों का दुरुपयोग किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) समाचारपत्रों में प्रकाशित कुछ आलोचना सरकार के ध्यान में आई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में हुआ कारोबार

304. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित करने से कितनी आय हुई और कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ख) इस समारोह के समय अन्य देशों को भारतीय फिल्में बेच कर या हमारी फिल्मों के निर्यात के लिये समझौते करके कितना कारोबार हुआ; और

(ग) तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) (क) राजस्व और व्यय के मुकम्मल आंकड़े अभी तैयार नहीं हैं, क्योंकि सभी राजस्व रसीदें और बिल अभी तक प्राप्त नहीं हुये हैं। भारत के पांचवे अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के संशोधित प्राक्कलनों में 11 लाख 50 हजार रुपये के व्यय के मुकाबले में राजस्व का 29 लाख रुपये का अनुमान लगाया गया है। वास्तविक व्यय संशोधित प्राक्कलनों के आसपास ही होने की उम्मीद है।

(ख) और (ग): फिल्म मार्केट में विदेशों को भारतीय फिल्मों के निर्यात सम्बन्धी अब तक 7,68,000 रुपये के सौदे हुये हैं। लगभग 30 लाख रुपये के और सौदों के बारे में बातचीत चल रही है।

औद्योगिक उत्पादन

305. **श्री नवल किशोर शर्मा:** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वे उद्योग कौन से हैं जिनके उत्पादन में सुधार हो रहा है और उनके बढ़े हुये उत्पादन का प्रतिशत क्या है;

(ग) क्या देश के उद्योग के कुछ क्षेत्रों के क्रयादेशों में भी कोई गतिरोध आया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) घाटे को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी तथा बढ़े हुये उत्पादन के परिणामस्वरूप भारत ने विदेशी मुद्रा सहित कितना लाभ अर्जित किया है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई): (क) जी, हां। 1974-75 के प्रथम चार महीनों (अप्रैल से जुलाई) आधार 1960-100, औद्योगिक उत्पादन का उपलब्ध सामान्य सूचकांक मे जो 200 था, 1973-74 के इसी अवधि में हुए उत्पादन की अपेक्षा 3.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

(ख) चुने हुये उद्योगों के उत्पादन के आंकड़े 1974 के पूरे वर्ष के उपलब्ध हैं। जिन उद्योगों का उत्पादन और प्रतिशत पर्याप्त रूप से बढ़ा है वे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। (ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-8913/75)

(ग) और (घ) : विभिन्न उद्योगों द्वारा बुक किये गये आर्डरों के बारे में ठीक टीक जानकारी उपलब्ध नहीं हैं। हाथ के औजारों और मशीनी उद्योग के विषय में उपलब्ध आंशिक आंकड़ों से पता चलता है कि आर्डर बुक करने की स्थिति सन्तोषजनक है।

(ङ) महत्व के क्षेत्रों यथा कोयला इस्पात और विद्युत में उत्पादन बढ़ाने के लिये कदम उठाये गये हैं। सरकार ने विद्यमान क्षमता का उपयोग करने की दृष्टि से हाथ के औजारों और मशीनों के निर्माताओं का अपनी समग्र लाइसेंसिंग क्षमता के अन्दर ही उत्पादन में विविधता लाने की अनुमति दे दी है। भारत के इंजीनियरिंग माल का निर्यात बढ़ाने हेतु प्रयत्न किये जा रहे हैं जो अप्रैल-सितम्बर, 1973 से हुये 75.93 करोड़ रु० से बढ़कर अप्रैल-सितम्बर, 1974 में 141.07 करोड़ रु० हो गया है।

अगले वर्ष के दौरान बिजली उत्पादन क्षमता स्थापित किया जाना

306. **श्री नवल किशोर शर्मा:** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अगले वर्ष के दौरान देश में 3240 मेगावट बिजली उत्पादन क्षमता स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो देश में संस्थापनों का ब्यौरा क्या है और मार्च, 1975 तक और अगले वर्ष के दौरान उनकी बिजली उत्पादन क्षमता में कितनी वृद्धि किये जाने की आशा है;

(ग) ये संस्थान औद्योगिक/वाणिज्यिक तथा घरेलू दोनों ही आवश्यकताओं को किस सीमा तक पूरी कर सकेंगे, और

(घ) राजस्थान और जम्मू तथा कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में भू-तापीय ऊर्जा जुटाने के लिये वहां दी जाने वाली बिजली का ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) से (ग) : 1975-76 के दौरान, संलग्न विवरण के अनुसार 2684.7 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता चालू करने का प्रस्ताव है। इस अतिरिक्त क्षमता से औद्योगिक/वाणिज्यिक और घरेलू उपभोक्ताओं सहित, विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं की अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी ।

(घ) लद्दाख घाटी (जम्मू और कश्मीर) में पुग्गा के स्थान पर मेगावाट एक क्षमता की एक पायलट परियोजना स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। देश के अन्य भागों में, जहां कहीं व्यवहार्य हो, यथा समय भू-तापीय परियोजनायें स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस समय राजस्थान में भू-तापीय ऊर्जा के समुपयोजन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

परियोजना का नाम	राज्य	क्षमता (मेगावाट)
उत्तरी क्षेत्र		
1. फरीदाबाद विस्तार	हरियाणा	1 × 55 = 55
2. भटिंडा यूनिट दो	पंजाब	1 × 110 = 110
3. चेनानी यूनिट पांच	जम्मू व कश्मीर	1 × 4.6 = 4.6
4. यमुना चरण-दो (चिदरो) यूनिट 3 और 4	उ० प्र०	2 × 60 = 120
5. ओबरा तापीय विस्तार यूनिट 3	उ० प्र०	1 × 100 = 100
6. यमुना चरण-चार यूनिट 2 और 3 (कुलहल)	उ० प्र०	2 × 10 = 20
7. रामगंगा यूनिट 1 और 2	उ० प्र०	2 × 60 = 120
8. पंकी तापीय विस्तार यूनिट।	उ० प्र०	1 × 110 = 110
9. हरदुआगंज तापीय चरण-6, यूनिट-1	उ० प्र०	1 × 55 = 55
10. राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना (परमाणु) यूनिट दो केन्द्रीय	राजस्थान	1 × 235 = 235
पांश्चमी क्षेत्र		
1. उकई जलविद्युत यूनिट 3 और 4	गुजरात	2 × 75 = 150
2. उकई तापीय यूनिट 1 और 2	गुजरात	2 × 120 = 240

परियोजना का नाम	राज्य	क्षमता मेगावाट
3. भाटगर जल-विद्युत	महाराष्ट्र	1 × 16 = 16
4. कोराडी ताप-विद्युत यूनिट 3 और 4	महाराष्ट्र	2 × 120 = 240
5. कोयना चरण-तीन जलविद्युत यूनिट 1, 2 और 3	महाराष्ट्र	3 × 80 = 240
6. वतरणा जलविद्युत	महाराष्ट्र	1 × 60 = 60
दक्षिणी क्षेत्र		
1. लोअर सिलेरु जलविद्युत यूनिट-1	आन्ध्र प्रदेश	1 × 100 = 100
2. इडिक्की जलविद्युत, चरण-एक, यूनिट 1 और 2	केरल	2 × 130 = 260
3. शरावती जलविद्युत यूनिट 10	कर्नाटक	1 × 89.1 = 89.1
4. एन्नौर तापीय विस्तार	तमिलाडु	1 × 110 = 110
पूर्वी क्षेत्र		
1. बलिमेला जलविद्युत यूनिट 5 और 6	उड़ीसा	2 × 60 = 120
2. संतालडीह तापीय यनिट-2	पं० बंगाल	1 × 120 = 120
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र		
1. गुमती यूनिट 1 और 2	त्रिपुरा	2 × 5 = 10
	कुल	268.7

दंगो के मामलों में वृद्धि

307. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में दंगों के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे दंगों की, राज्यवार संख्या क्या है और गत तीन वर्षों में इन दंगों में कितने व्यक्ति मारे गये; और

(ग) ऐसे दंगों को खत्म करने के लिये सरकार का विचार क्या सख्त कार्यवाही करने का है?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) तथा (ख) : तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

(ग) राज्य सरकारें, जो प्राथमिक रूप से विधि व व्यवस्था प्रबन्धों से संबंधित हैं, पूरी निगरानी रख रही है और जब कभी सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा होता है सभी सम्भव पूर्वोउपाय तथा निरोधक उपाय किये जाते हैं। केन्द्रीय सरकार भी राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क बनाये रखती हैं और इस सम्बन्ध में जब वे अनुरोध करते हैं तो प्रत्येक उचित सहायता प्रदान की जाती है।

साम्प्रदायिक संगठनों पर प्रतिबन्ध

308. **श्री नवल किशोर शर्मा**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और आनन्द मार्ग जैसे साम्प्रदायिक संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) और (ख) ऐसे संगठन जिनकी गतिविधियां साम्प्रदायिक सदभाव तथा राष्ट्रीय एकता के हित के लिये प्रतिकूल हों उनसे निपटने के लिये आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 1972 सरकार को समर्थ करता है। समय-समय पर सरकार द्वारा इन उपबन्धों को किसी संगठन पर लागू करने की संभावनाओं की जांच संगठन के सम्बन्ध में उसके पास उपलब्ध सामग्री को देखते हुये की जाती है।

ऊर्जा संसाधनों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए प्रस्ताव

309. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऊर्जा संसाधनों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिये एक कार्यक्रम तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) और (ख) ऊर्जा मंत्रालय ने ऐसा कार्य हाथ में लिया है जिससे एक राष्ट्रीय ऊर्जा नीति तैयार की जा सकेगी। इस नीति में ऊर्जा की अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक आवश्यकताओं का मूल्यांकन और वह ढंग सम्मिलित होगा, जिससे देश के ऊर्जा संसाधनों के अधिकतम उपयोग द्वारा इन आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। कार्यक्रम का प्रतिपादन ईंधन नीति समिति की सिफारिशों तथा ऐसे और अध्ययनों पर आधारित होगा, जो आवश्यक प्रतीत होंगे : इस वर्ष, बाद में ऊर्जा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का भी प्रस्ताव है।

मिजोरम में विद्रोहियों द्वारा एक समानांतर सरकार का चलाया जाना

310. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघे**: क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजोरम में तीन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को मिजो विद्रोहियों द्वारा गोली से मार देने के कुच्छेक महीने पूर्व मिजोरम (ऐंजल) में विद्रोहियों द्वारा एक समानान्तर सरकार चलाये जाने सम्बन्धी खबरें समाचार-पत्रों में निरन्तर प्रकाशित हो रही थीं;

(ख) क्या घने जंगलों में सेना द्वारा विद्रोहियों को समाप्त करने सम्बन्धी अभियान को वस्तुत: बन्द करने की स्थिति का लाभ उठाते हुये विद्रोहियों ने अपने को मजबूत बना लिया और पड़ोसी देशों से आधुनिकतम हथियार प्राप्त कर लिये; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति का सामना करने के लिये और विशेष रूप से इस बारे में लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिये अब क्या कार्यवाही करने का विचार हैं?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) सरकार संबंधित प्रैस रिपोर्टों से अवगत है।

(ख) और (ग) मिजो विद्रोहियों की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिये लगातार सतर्कता बरती गई है। स्थिति पर कारगर नियंत्रण रखने के लिये सुरक्षा प्रबन्ध और मजबूत कर दिये गये हैं। लोगों का सहयोग तथा समर्थन प्राप्त करने के लिये प्रचार और अन्य उपाय भी किये गये हैं।

फिल्म समारोह में प्रदर्शित फिल्मों का स्तर

311. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :**

श्री सी० जनार्दन:

श्री वयालर रवि:

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत के पांचवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की पूर्वदर्शन जांच समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रकट किये गये इन विचारों की ओर दिलाया गया है कि समिति द्वारा देखी गई फिल्मों की सौन्दर्यात्मक किस्म से वह निराश हुये थे;

(ख) क्या भारत द्वारा आयोजित फिल्म समारोहों में अच्छी किस्म की फिल्में नहीं भेजी जा रही हैं और भारत में आयोजित गत अनेक फिल्म समारोहों के दौरान उनके सौन्दर्यात्मक मूल्यों में सुधार नहीं हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार भविष्य में फिल्म समारोहों में वास्तव में अच्छी फिल्में शामिल करने को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है जिससे भारतीय फिल्म उद्योग पर अच्छा प्रभाव पड़े?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी हां, जहां तक प्रतियोगिता विभाग की फिल्मों का सम्बन्ध है। तथापि, चयन समिति के अध्यक्ष का यह विचार था कि समारोह के सूचना विभाग की फिल्में बहुत अच्छी थीं।

(ख) जैसा कि ऊपर कहा गया है, समारोह के सूचना विभाग की फिल्में बहुत अच्छी थीं। भारत के पांचवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की सूचना विभाग अब तक हुये सभी समारोहों से सबसे बड़ा तथा समृद्ध था।

(ग) भारत के भावी अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों के सभी विभागों में अच्छे स्तर की फिल्मों की प्रविष्टि हो यह सुनिश्चित करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाने का प्रस्ताव है :—

(1) समारोहों को नियमित आधार पर करना;

(2) सरकार को सार्वभौमिक आयात नीति, जिससे फिल्मों के व्यापार में वृद्धि होती है, विदेशी प्रवेशकों के लिये आकर्षण होगी।

(3) अधिकारियों को अच्छी फिल्में ढूंढने तथा उन्हें आमन्त्रित करने के लिये विदेशों में होने वाले महत्वपूर्ण फिल्म समारोहों में भाग लेने तथा श्रेष्ठ फिल्में बनाने वाले प्रमुख देशों में भेजा जायेगा।

(4) महत्वपूर्ण निर्देशकों की नवीनतम फिल्मों की जानकारी रखने के लिये संसार की प्रमुख फिल्म पत्रिकाओं का अध्ययन किया जायेगा ताकि भारत में होने वाले समारोहों में उनको भाग लेने के लिये आमन्त्रित किया जा सके।

हिन्दुस्तान मोटर्स में तीसरी पारी बन्द करना

312. **मोहम्मद इस्माइल** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का ध्यान हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड, उत्तरपाड़ा (पश्चिम बंगाल) के प्रबन्धकों के अपने उत्पादन में एक चौथाई कमी करने तथा तीसरी पारी और अनेक विभाग बन्द करने

सम्बन्धी निर्णय की ओर दिलाया गया है जिसके कारण बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छटनी तथा जबरन छुट्टी हो जायेगी;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) कर्मचारियों की बैरोजगार होने से बचाने तथा उनकी आय बनाये रखने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) टूल रूम और प्रैस शाप को छोड़कर मै० हिन्दुस्तान मोटर्स में तीन पालियों में काम करना एक सामान्य बात नहीं थी। मांग में गिरावट होने से उत्पादन में कटौती के कारण यह अब दो पालियों में काम करने तक कम कर दिया गया है।

(ख) तथा (ग) सरकार स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रही है और उत्पादन बनाये रखने के लिये जिससे छंटनी रोकी जा सकती है, उठाये जाने वाले कदमों के सम्बन्ध में सरकार ने प्रबन्धकों के साथ विचार-विमर्श किया है।

पिछड़े और जनजाति क्षेत्रों में गांवों का विद्युतीकरण

313. **श्री सरजू पाण्डे** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम विद्युतीकरण निगम के निदेशक बोर्ड ने सात राज्यों में पिछड़े और जनजाति क्षेत्रों में 2000 गांवों का विद्युतीकरण करने के लिये 12 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इसके अंतर्गत कौन-कौन से क्षेत्र आएंगे ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के निदेशक मण्डल ने 28 दिसम्बर, 1974 की हुई अपनी बैठक में 2,040 गांवों में विद्युतीकरण के लिये "न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम" के अन्तर्गत 18 स्कीमें स्वीकृत की थीं। इन स्कीमों के लिये 12.14 करोड़ रुपये की ऋण सहायता अपेक्षित है। इनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 8914/75]

डायल घुमा कर सीधे की जाने वाली टेलीफोन कालों का रिकार्ड किया जाना

314. **श्री डी० डी० देसाई:**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया:

श्री पी० गंगा देव:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने डायल घुमा कर सीधे की जाने वाली टेलीफोन कालों को मीटर में बताने और बिलों को त्रुटिहीन बनाने वाली विशेष व्यवस्था तैयार कर ली हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या नई व्यवस्था से स्थानीय कालें भी रिकार्ड की जायेंगी?

(ग) क्या काल की अवधि भी रिकार्ड की जा सकती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) डाक तार विभाग के दूर संचार अनुसन्धान केन्द्र ने उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग की काल यूनिटें रिकार्ड करने में सक्षम एक उपकरण का विकास किया है जिसे एस०टी०डी० चार्ज इंडिकेटर कहा जाता था। शुरू में यह उपकरण प्राइवेट प्रांच एक्सचेंज के उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है और इसमें उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग की चार्ज की हुई यूनिटों की संख्या आती है। यह उपकरण बिल बनाने की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है।

(ख) यह उपकरण केवल उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग की काल यूनिटें रिकार्ड करने के लिये लगाया जाता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की प्राप्त क्रयादेश

315. **श्री डी० डी० देसाई :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

श्री पी० गंगा देव :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड को अब तक अन्तर्राष्ट्रीय विकास ऋण एजेंसी के अन्तर्गत परियोजना उपकरणों के लिये 24 करोड़ रुपये के क्रयादेश प्राप्त हुये है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ?

(ग) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड को इससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी;

(घ) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ईरान में ताहरिज स्टेशन के लिये लिमिटेड तापीय बिजली जनन उपकरण में दो सैट चालू करने के लिये बातचीत कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या यह भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के लिये सब से बड़ा निर्यात व्यापार होगा ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड की अब तक अन्तर्राष्ट्रीय विकास ऋण अभिकरण के अन्तर्गत परियोजना उपकरणों के लिये 2492.40 लाख रुपये के मूल्य के क्रयादेश प्राप्त हुये हैं।

(ख) प्राप्त क्रयादेशों का विस्तृत ब्यौरा बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) कमाई गई कुल विदेशी मुद्रा 2492.40 लाख रुपये की होगी।

(घ) और (ङ) जी हां।

विवरण

राज्य-वार तथा उपकरण-वार क्रयादेश

		(क्रयादेशों का मूल्य लाख रुपयों में)
ट्रांसफार्मर (विद्युत या यंत्र)	उड़ीसा एस०ई०बी०	96.91
	कर्नाटक बिजली बोर्ड	328.20
	राजस्थान एस०ई०बी०	38.47
	महाराष्ट्र एस०ई०बी०	143.91
	केरल एस०ई०बी०	214.11
	म० प्र० बिजली बोर्ड	101.58
	हरियाणा एस०ई०बी०	55.70
	बिहार एस०ई०बी०	51.80
		1030.68
स्विचगियर	आ० प्र० एस०ई०बी०	12.73
	आसाम एस०ई०बी०	10.45
	बिहार एस०ई०बी०	110.77
	हरियाणा एस०ई०बी०	3.10
	महाराष्ट्र एस०ई०बी०	8.58
	कर्नाटक बिजली बोड	8.90
	केरल एस०इ०बी	14.92
	पंजाब एस०ई०वी	27.45
	म० प्र० बिजली बोर्ड	18.36
	उ० प्र० बिजली बोर्ड	56.32
	तमिलनाडू बिजली बोर्ड	9.17
	फर्टिलाइजर कारपो० आफ इंडिया (सिन्दरी)	0.58
		281.33
सिन० गैस कम्प्रैशर्स	फर्टिलाइजर कारपो० आफ इंडिया (नांगल)	356.39
कैपेसिटर्स	उ० प्र० एस०ई०बी०	12.32
	ब्यास कस्ट्रक्शन बोर्ड	5.89
		18.21
बायलर	नांगल विस्तार (सप्लाई एंड एरेक्शन)	805.79
	कुल योग	2492.40

नये आशय पत्रों को जारी करना

316. **श्री डी० डी० देसाई :**

श्री पी० गंगा देव :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये आशय-पत्रों को जारी करने में केन्द्रीय सरकार चयन पद्धति अपनायेगी।

(ख) यदि हां, तो क्या महत्वपूर्ण उद्योगों; आयात प्रतिस्थापन और निर्यात संवर्धन की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जायेगी;

(ग) नये आशय पत्रों को जारी करने के लिये नई नीति की मुख्य बातें क्या हैं;

(घ) क्या वर्तमान एककों से अधिकतम उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिये कोई नयी कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) हां।

(ग) से (ङ) सरकार की यह घोषित नीति है कि औद्योगिक लाइसेंस नीति इस प्रकार तैयार की गई है ताकि वह पांचवीं योजना के संदर्भ में सभी प्राथमिकता वाले उद्योगों के विकास में तेजी ला सके। 2 फरवरी, 1973 को की गई घोषणा के अनुसार विदेशी बहुलांश वाली कंपनियां तथा बड़े औद्योगिक गृह राष्ट्र अर्थ व्यवस्था में महत्व रखने वाले उद्योगों अथवा ऐसे उद्योगों से प्रत्यक्ष रूप से संबंध रखने वाले या दीर्घकालीन निर्यात क्षमता वाले कुछ विशिष्ट कोर उद्योगों में भाग लेने के पात्र हैं उद्योगों के ऐसे क्षेत्रों में भी यदि लघु और मध्यम श्रेणी के उद्यमकर्ताओं में से उपयुक्त आवेदन कर्ता आगे आते हैं तो उन्हें विदेशी बहुलांश वाली कम्पनियों और बड़े गृहों के मुकाबले प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

विद्यमान क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग करने के विचार से सरकार ने मशीनरी और मशीन टूल उद्योगों को अपने उत्पादन क्षेत्र में और उपक्रम की कुल लाइसेंस प्राप्त क्षमता के अन्तर्गत एक विशिष्ट स्वीकृति प्रक्रिया के आधार पर अपने उत्पादन के विविधीकरण को पूर्ण स्वतन्त्रता देने का निश्चय किया है । हाल ही में सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि एक अथवा दोहरी पाली का लाइसेंस रखने वाले उपक्रम अपने संयंत्र और मशीनों की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिये स्वीकृति हेतु आवेदन कर सकते हैं तथा ऐसे निवेदनों पर एक विशिष्ट प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जायेगा तथा मामले के गुणावगुण के आधार पर अनुमति प्रदान की जायेगी। ऐसा समझा जाता है कि इन अभ्युपायों से विद्यमान क्षमता का पूर्णतम उपयोग होगा तथा उत्पादन में वृद्धि होगी।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों की रहस्यमय रूप से मृत्यु

317. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

श्री एन० ई० होरो :

श्री भान सिंह भौंरा :

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों में विभिन्न स्थानों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कई अधिकारी रहस्यमय रूप से 'हिट एण्ड रन' द्वारा हुई दुर्घटना में मरे हुए पाये गये हैं;

(ख) क्या मारे गये अधिकारी अत्यन्त महत्वपूर्ण मामलों की छानवीन कर रहे थे ;

(ग) ऐसे अधिकारियों के नाम तथा संख्या क्या है जो मरे हुए पाये गये हैं; और

(घ) क्या इन दुर्घटनाओं के बारे में सरकार द्वारा कोई जांच की गई है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम महता): (क) से (ग) गत तीन महीनों के दौरान एक दुर्घटना हुई है, जिसमें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के एक अधिकारी को, जिस पर 'हिट एण्ड रन' का शिकार होने का सन्देह है, दिनांक 29 दिसम्बर, 1974 को रात को दक्षिणी दिल्ली में रिंग रोड पर मरा हुआ पाया गया था। इस अधिकारी का नाम श्री डी० रामानाथन् था जो ब्यूरो में एक पुलिस निरीक्षक थे। उनका संबंध किसी मामले की छानबीन से नहीं था।

(घ) दिल्ली पुलिस द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है।

एक इलैक्ट्रोनिक टेलीप्रिंटर का विकास

318. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

श्री बीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड ने हाल में एक ऐसे इलेक्ट्रोनिक टेलीप्रिंटर का विकास किया है जिसमें कुछ ऐसे गुण हैं जो विदेशी टेलीप्रिंटरों में नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं; और

(ग) टाईपिंग स्पीड के लिये यह कितना लाभदायक होगा ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्ज लिमिटेड ने एक इलैक्ट्रोनिक टेलीप्रिंटर का विकास किया है जिसका आदि रूप तैयार करने का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। इस टेलीप्रिंटर की कुछ विशेषताएं है, जैसे '10 वर्णों की स्मृति', 'स्वचालित शिफ्ट' और प्रचालन की विविध गतियां । हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्ज लिमिटेड ने जब इसका डिजाइन कार्य शुरू किया था तब तक किसी विदेशी टेलीप्रिंटरों में ये विशेषताएं उपलब्ध नहीं थीं। आजकल प्रचलित टेलीप्रिंटरों को तो एक सी गति से चलाना पड़ता है पर यह डिजाइन विविध और अधिक तेज गति से टाइप करने पर सन्तोषजनक रूप से काम करेगा ।

दिल्ली के टेलीफोनों से ट्रंक काल करने में कदाचार

319. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि दिल्ली में टेलीफोन प्रयोक्ता टेलीफोन कर्मचारियों से सांठगांठ करके प्रायः ट्रंक कालें करते हैं और उन ट्रंक कालों के लिए बिल भी तैयार नहीं किए जाते ;

(ख) क्या सरकार को अनेक अन्य कदाचारों की सूचना प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं और दोषी पाये गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) दिल्ली में कुछ ऐसे दृष्टांत पकड़ में आए हैं जिनमें विभागीय कर्मचारियों ने मूफ्त ट्रंक कालें लगाई।

(ख) विभाग की जानकारी में कुछ ऐसे दृष्टांत भी आए हैं जिनमें मीटर हुई कालों के चार्ज एक उपयोक्ता से दूसरे उपभोक्ता के नाम करने के लिये उपभोक्ता की लाइनों में क्रास कनेक्शन कर दिया गया।

(ग) वर्ष 1971 के दौरान चार कर्मचारी अनधिकृत ट्रंक कालें लगाने के दोषी पाए गए थे। तीन कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है और चौथे कर्मचारी के मामले में जांच पड़ताल पूरी हो चुकी है और अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 1974 के दौरान अपचारी कर्मचारियों के पांच मामले पकड़े गए थे, जो मुफ्त कालें लगा रहे थे। उनसे कालों के चार्ज वसूल करने के अलावा उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जो अभी चल रही है।

ईराक को फिल्मों का निर्यात

320. **श्री हरी सिंह**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और ईराक की सरकार के बीच हाल में ईराक को कुछ भारतीय फिल्मों का निर्यात करने के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन फिल्मों का निर्यात किया जायेगा और इन फिल्मों का मूल्य क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०--8915/75]

निर्यात के लिए सीमेंट निर्माताओं को राज सहायता

321. **श्री हरी सिंह** :

श्री कमल मिश्र मधुकर:

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमेंट निर्माता अपने निर्यात आश्वासनों को पूरा नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने निर्यात के लिये अच्छी किस्म की सीमेंट बनाने के लिये राज सहायता देने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका उद्देश्य क्या है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) सीमेंट उत्पादकों को स्वीकार्य फैक्टरी से निकलते समय के संधारण (रिटेंशन) मूल्य के अलावा तैयार किए गए सीमेंट पर 80 रु० प्रति मी० टन का अतिरिक्त मुल्य उत्पादकों को देय है जिनसे विशेषरूप से कहा गया है कि वे निर्यात के लिए भट्टी का तेल इस्तेमाल करके ब्रिटिश

मानक की विशिष्टियों के अनुरूप सीमेंट बनायें। अतिरिक्त मूल्य, भट्टी के तेल का उपयोग करके ब्रिटिश मानक की विशिष्टियों के अनुरूप सीमेंट बनाने में लगने वाली अतिरिक्त लागत के लिए उत्पादकों की क्षति पूर्ति करने के लिए दिया जाता है।

औद्योगिक लाइसेंस नीति

322. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान सरकार की उद्योग संबंधी लाइसेंसिंग नीति क्या रही है ;

(ख) पिछड़े राज्यों/क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए और क्या यह सच है कि लाइसेंसिंग व्यवस्था, उद्योगों के समान वितरण करने तथा उन अन्य लोगों को न्याय दिलाने में असफल रहा है, जिन्होंने औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त किये थे;

(ग) क्या लाइसेंसिंग समिति गोपनीयता/लाइसेंस प्राप्त क्षमता चाहे यह अधिष्ठापित भी न हो, को बनाये रखने के नाम पर विदेशी फर्मों के साथ पक्षपात करती है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस त्रुटि को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी०पी० मौर्य) : (क) सरकार ने 2 फरवरी, 1973 के प्रैस नोट के माध्यम से अपनी संशोधित लाइसेंस नीति की घोषणा की थी। संक्षेपत: नीति औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में दिए गए सिद्धान्तों के अनुरूप तथा पांचवीं योजना के संदर्भ में प्राथमिकता वाले उद्योगों में तेजी से विकास करने की लाइसेंसिंग के लिए एकाधिकार प्रतिर्वधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम में दी गयी बड़े गृहों की परिभाषा के अनुसार ही बड़े औद्योगिक गृहों की परिभाषा भी की गयी है। नीति के अन्तर्गत ये गृह और विदेशी बहुलांश वाली कंपनियों (जिसमें अनेक राष्ट्रों से संबंधित कंपनियां भी सम्मिलित हैं) कोर (प्रमुख) उद्योगों में भाग लेने को पात्र हैं जो राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं या उनका इस प्रकार के उद्योगों से सीधा संबंध है अथवा जिनमें लम्बी अवधि तक निर्यात करने की क्षमता है। यदि इन उद्योगों में छोटे और मध्यम श्रेणी के योग्य उद्यमकर्ता आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें भी विदेशी बहुलांश पूंजी वाली कंपनियों और बड़े गृहों के मुकाबिले में प्राथमिकता दी जायगी। सरकार एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम में दिए गए उपबंधों के माध्यम से आर्थिक अधिकारों के कुछेक उद्योगपतियों के हाथों में केन्द्रित हो जाने पर और उनके प्रभुत्व से उत्पन्न कदाचारों पर नियंत्रण सुनिश्चित करती है। सरकार ने विद्यमान क्षमताओं का पूर्णरूप से उपयोग किए जाने की दृष्टि से अनुसूचित उद्योग 8 औद्योगिक मशीनरी के अंतर्गत आने वाली एक या अधिक वस्तुओं के बनाने हेतु वर्तमान लाइसेंसधारी औद्योगिक उपक्रमों को उनकी वर्तमान क्षमताओं के अंतर्गत ही उसी उद्योग अनुसूची के अंतर्गत आने वाली और भी अन्य वस्तुओं को बनाने की हाल ही में अनुमति प्रदान की है। मशीन टूल उद्योग को भी विविधीकरण की यह सुविधा दी गई है पर वे वस्तुएं लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों/उत्पादों की सूची में सम्मिलित नहीं होनी चाहिये। मौटेतौर से सरकार द्वारा अपनायी जाने वाली औद्योगिक लाइसेंस प्रक्रिया के निम्नलिखित उद्देश्य रखे गए हैं, (1) अत्यावश्यक उत्पादन अंतर को कम करना (2) दुर्लभ साधन स्रोतों, विशेष करके अर्थव्यवस्था के नाजुक तथा प्रमुख क्षेत्रों में विदेशी मुद्रा का प्रणालीकरण सुनिश्चित करना (3) कुछ व्यावसायिक समूहों के हाथों में आर्थिक अधिकारों के केन्द्रीयकरण को कम करना (4) क्षेत्रीय असंतुलन कम करना (5) लघु उद्योग क्षेत्र के हितों की रक्षा करना और आयात प्रतिस्थापन को बढ़ाकर और निर्यात् संवर्धन के माध्यम से भुगतान का संतोषजनक संतुलन सुनिश्चित करना।

(ख) पिछड़े क्षेत्रों/राज्यों के विकास हेतु प्राप्त अनेक औद्योगिक लाइसेंसों के आवेदनपत्रों को अगस्त, 1974 से जनवरी, 1975 तक की पूर्ण जानकारी देने वाले आंकड़े उपलब्ध है। देश में इन 6 महीनों में पिछड़े क्षेत्रों में नए उपक्रम स्थापित करने के लिए 291 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इन वर्षों में जैसा कि निम्नलिखित सारिणी से पता चलता है। पिछड़े क्षेत्रों के लिए पहले की अपेक्षा अधिक आशयपत्र और औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं:--

	1972			1973			1974		
	पिछड़े क्षेत्र	योग	प्रतिशत	पिछड़े क्षेत्र	योग	प्रतिशत	पिछड़े क्षेत्र	योग	प्रतिशत
आशयपत्र	108	877	12.03	127	899	14.1	343	1188	29.1
औद्योगिक लाइसेंस	83	563	14.6	103	596	17.2	298	1099	27.1

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना

323. **श्री के० एस० चावड़ा :**

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछड़े क्षेत्रों में लाइसेंस देने के मामले में क्या विशेष रियायतें दी गई हैं;

(ख) पिछड़े क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे, पूंजीगत उपकरणों, भूमि आदि के मामले में क्या अन्य सुविधायें/रियायतें दी गई ; और

(ग) गत तीन वर्षों में पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिये कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए और उनमें से कितने पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से रद्द कर दिए गए?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) औद्योगिक लाइसेंस आवेदनों पर निर्णय लेते समय सरकार क्षेत्रीय मांग और देश के संतुलित औद्योगिक विकास की आवश्यकता सहित स्थापना स्थल आदि विभिन्न पहलुओं पर भी विचार करती है। विशेष रूप से सरकार इस बात की जांच करती है कि पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए जाने योग्य उद्योगों को वहां स्थापित किया जाए अथवा नहीं। सरकार क्षेत्रीय मांग के स्वरूप तथा सप्लाई संबंधी उपलब्धताओं पर भी विस्तार से विचार करती है।

(ख) कुछ राज्य सरकारों द्वारा अवस्थापना ढांचों, पूंजीगत उपकरणों तथा भूमि आदि के संबंध में रियायतें प्रदान की जा रही हैं।

(ग) लाइसेंस जारी करने के लिए पिछड़े क्षेत्रों से प्राप्त आवेदनों का सांख्यिकीय विवरण केवल अगस्त, 1974 के बाद से अलग रखा जा रहा है। अगस्त, 1974 से जनवरी, 1975 की अवधि में पिछड़े क्षेत्रों में उपक्रम स्थापित करने के लिए 393 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इसमें से 64 स्वीकार किए गए हैं। 92 रद्द कर दिए गए हैं। 46 को अन्य प्रकार से निपटा दिया गया है तथा 191 प्रक्रियाधीन है।

कर्नाटक के लिये वर्ष 1975–76 की वार्षिक योजना

324. **श्री के० मालप्पा :**

श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कर्नाटक राज्य के लिये वर्ष 1975-76 की 150 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना स्वीकार कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना में कावेरी परियोजना संबंधी गैर-योजना व्यय भी शामिल है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार ने इस परियोजना को पूरा करने के लिए सहयोग प्राप्त करने हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) : कर्नाटक की वार्षिक योजना 1975-76 को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

बंगला देश द्वारा भारतीय समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं के प्रवश पर प्रतिबन्ध

325. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बंगला देश में भारतीय समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं के प्रवेश पर उस देश द्वारा लगाए गए प्रतिबन्धों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का विचार क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बोगस छोटे एककों को समाप्त करना

326. **श्री एम० गोपाल रेड्डी :**

श्री निम्बालकर :

श्री राम सहाय पांडे :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि देश के कुछ भागों में बोगस एककों की मौजूदगी उन क्षेत्रों में छोटे उद्योगों के विकास में रुकावट डालती है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे बोगस एककों को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है।

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकारों को लघु औद्योगिक एककों की गणना के दौरान कार्यरत पाये गए सभी एककों को विपंजीकृत करने की सलाह दी गयी है। इस उपाय से ऐसे एकक पंजीकृत लघु उद्योगों को मिलने वाली समस्त राजकीय सहायता से स्वतः ही वंचित हो जायेंगे।

Fifth Plan for States

327. Shri Shankar Dayal Singh :
Shri Shankarrao Savant :
Maulana Ishaque Sambhali :

Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether the Planning Commission has concluded discussion with all the States in connection with States' Fifth Five Year Plan;

(b) if so, the amounts sanctioned for each State and the shares of the Centre and States therein; and

(c) if drafts for all the States have not been finalised, the board features in respect of plans of those Status whose drafts have been finalised ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) While discussions with the States in connection with finalisation of their Fifth Five Year Plans have not yet been held, the States Annual Plan for the year 1975-76, discussions regarding which have only recently been concluded, are being finalised within the broad framework of the Draft Fifth Five Year Plan as presented to the Parliament.

(b) and (c) Do not arise.

गुजरात के लिए वर्ष 1975-76 की वार्षिक योजना

328. **श्री प्रसन्नाभाई मेहता** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के लिये वर्ष 1975-76 के वार्षिक योजना परिव्यय के बारे में राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श के बाद निर्णय ले लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी राशि स्वीकृत की गयी ;

(ग) क्या योजना में अभाव संबंधी राहत के लिये पर्याप्त की गयी है क्योंकि राज्य गत दो वर्षों से लगातार सूखे और दुर्भिक्ष का सामना कर रहा है, और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ; और

(घ) राज्य सरकार को कुल कितनी केन्द्रीय सहायता दी जायेगी के और क्या यह गत वर्ष की अपेक्षा अधिक होगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) गुजरात राज्य की वार्षिक योजना 1975-76 के संबंध में अधिकारी और मंत्री स्तरों पर विचार-विमर्श पूरा हो चुका है। इन विचार-विमर्शों के आधार पर गुजरात की वार्षिक योजना 1975-76 के आकार और विषयवस्तु को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) गुजरात के लिए अगले वर्ष के योजना-परिव्यय को अंतिम रूप देते समय सूखा और अभाव के लिए अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने पर यथासंभव विचार किया जाएगा।

(घ) संसाधनों की बेहद कमी को देखते हुए सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि अगले वर्ष की योजना के लिए केन्द्रीय सहायता के पूर्वानुमान पर अपनी वार्षिक योजना के प्रारूप प्रस्तावों को 1974-75 के स्तर पर तैयार करें।

हिंसा और उग्रवादी गतिविधियों का प्रसार

329. **श्री प्रसन्न भाई मेहता .**

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन के मंत्रालय ने बिहार में श्री एल० एन० मिश्र की हत्या या मृत्यु के बाद सम्भावित हिंसात्मक गतिविधियों के बारे में सभी राज्यों को सतर्क कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार हिंसा के प्रसार और उग्रवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिये प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों प्रकार के कुछ उपाय करने पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर विचार करने के लिये मुख्य मंत्रियों की कोई बैठक बुलाई थी ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

नव निर्माण समिति द्वारा आन्दोलन

330. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नव निर्माण समिति ने एक बार फिर गुजरात राज्य में आन्दोलन शुरू कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन आन्दोलन से राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति दोबारा बिगड़ गई है ;

(ग) ऐसे मुख्य मामले क्या हैं जिसके आधार पर समिति ने राज्य में दोबारा आन्दोलन शुरू कर दिया है ;

(घ) क्या सरकार उनकी मांगों को पूरा करने के लिये सहमत हो गई है;

(ङ) क्या समिति की मांग अधिक खाद्यान्नों की सप्लाई तथा अकाल तथा सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों को राहत प्रदान करना है ; और

(च) यदि हां, तो बड़े पैमाने पर फैली हुई हिंसा और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते हुए तनाव को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (च) तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

आकाशवाणी के समाचार बुलिटिनों में प्रधान मंत्री के कथनों को शामिल किया जाना

331. **श्री मधु लिमये :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आल इंडिया रेडियो ने प्रधान मंत्री के भावकतापूर्ण कथनों के भागों को अपने समाचार बुलेटिनों में शामिल करना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) क्या स्वर्गीय श्री एल० एन० मिश्र की हत्या और अथवा कथित 'डाक्टरी हत्या' के बारे में उनके भाषण के अंशों को समाचार बुलेटिन या बुलेटिनों में शामिल किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो समाचार बुलेटिनों में शामिल किये गये इन कथनों के भाग का पाठ क्या है ;

(घ) कितने समाचार बुलेटिनों में यह अंश प्रसारित किया गया था ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्म वीर सिंह) : (क) से (घ) सरकार माननीय सदस्य के प्रश्न में जो आक्षेप है उस पर तीव्र रोष प्रकट करती है । कुछ अवसरों पर समाचार बुलेटिनों में भाषणों के अंश बोलने वाले की आवाज में रखे जाते हैं।

स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिये की गई शोक सभा में प्रधान मंत्री के भाषण के उद्धरण उन्हीं की आवाज में 7 जनवरी, 1975 की रात 8 बजकर 45 मिनट के हिन्दी के बुलेटिन तथा 9 बजे के अंग्रेजी के बुलेटिन में प्रसारित किये गये। मूल पाठ सदन की मेज पर रख दिया गया है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8916/75]**

राज्यों में पिछड़े क्षेत्रों का विकास

332. **श्री मधु लिमये** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों में पिछड़े क्षेत्रों के गहन विकास के लिए योजनाएं तैयार करने के लिए कहा है ;

(ख) क्या भागलपुर, बिहार के जिलाधीश/कलक्टर ने इस जिले के बांका सब-डिवीजन के गहन विकास के लिए योजना बनाई थी ;

(ग) क्या जिलाधीश ने प्रस्तावनात्मक अथवा भूमिका टिप्पणी में कहा है कि यह योजना मंत्रियों द्वारा इस बारे में हुई बैठक में व्यक्त किए गए विचारों के आधार पर तैयार की गई थी ;

(घ) क्या पूर्व घोषणाओं तथा योजना की तैयारी पर किए गए काम के बावजूद यह योजना अब त्याग दी गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो योजना का त्याग करने के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : जी हां ।

(घ) और (ङ) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि यह स्कीम त्यागी नहीं गई है और इस स्कीम में सम्मिलित विभिन्न कार्यक्रमों को यथासम्भव बिहार की वार्षिक योजना में समायोजित किया जा रहा है।

संथाल परगना (बिहार) में टायर कारखाना

333. **श्री मधु लिमये** : क्या **उद्योग और नागरिक** पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के पिछड़े संथाल परगना जिले में जासीडीह के निकट टायर कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव था ;

(ख) क्षमता, रोजगार के अवसरों सहित इस योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या भूमि अर्जित कर ली गई है और अन्य आवश्यक कार्यवाही कर ली गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) से (घ) मोटर गाड़ियों के प्रतिवर्ष 4 लाख टायरों और 4 लाख ट्यूबों का उत्पादन करने के लिए बिहार राज्य के सन्थालपरगना के जसडीह में एक नया औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए 24 अप्रैल, 1972 को मै० इब्कन प्रा० लि० को एक आशय पत्र जारी किया गया था। इस योजना से अनुमानत: 1190 व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा।

बताया गया है कि पार्टी ने योजना के क्रियान्वयन में निम्नलिखित प्रगति कर ली है:

1. बिहार टायर्स के नाम से एक नई कम्पनी का 1 अक्टूबर, 1974 को पंजीयन कर लिया गया है।

2. कम्पनी ने सन्थाल परगना के जसडीह में करीब 312 एकड़ भूमि पर कब्जा कर लिया है। कारखाने के स्थल का रूपरेखा संबंधी सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है:

3. बिजली और पानी सप्लाई की व्यवस्था का प्रबंध राज्य सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है।

4. परियोजना के लिए अपेक्षित पूंजीगत माल के आयात के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है।

5. कम्पनी ने बिहार सरकार तथा आई० बी० डी० आई० के पास वित्तीय और अन्य सहायता के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

6. विदेशी सहयोग संबंधी फर्म का आवेदन विचाराधीन है ।

भूमिगत नागाओं की समस्या हल करने के लिए नागालैंड सरकार की योजना

334. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन महीनों के दौरान भूमिगत नागाओं की गतिविधियां काफी बढ़ गई है ;

(ख) क्या नागालैण्ड सरकार ने भूमिगत नागाओं की समस्या को हल करने हेतु कोई योजना केन्द्रीय सरकार को भेजी है ;

(ग) यदि हां, तो योजना की मुख्य रूप-रेखा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्राज्यीय सीमा विवाद

335. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **गृह मंत्री** 6 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2141 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों के बीच लम्बे समय से चले आ रहे, उन सीमा विवादों का समाधान करने के लिये कोई योजना बनाई है जो इस समय केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या है ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) तथा (ख) सरकार 6 मार्च, 1974 को अतरांकित प्रश्न संख्या 2141 के उत्तर में बताये गये तरीके पर इन विवादों के समाधान निकालने के लिये अपने प्रयास कर रही है असम तथा नागालैण्ड के बीच सीमा संबंधी मामलों पर सलाहकार की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

सिगरेट कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण

336. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत विदेशी सहयोग वाली सिगरेट कम्पनियों का राष्ट्रीकरण करने के बारे में भारत सरकार ने इस बीच कोई निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो निर्णय कब किया जायेगा ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में विदेशी बहुलांश वाली कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करने की व्यवस्था नहीं है। परन्तु विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों से विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के मार्गदर्शी सिद्धान्तों जिन्हें सभा पटल पर रखा जा चुका है, में निर्दिष्ट अंशों तक भारतीयकरण की आशा की जाती है।

दक्षिण गुजरात के डांक क्षेत्र में रेडियो संचार व्यवस्था

337. **श्री डी० पी० जदेजा** :

श्री अरविन्द एम० पटेल : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण गुजरात के डांग क्षेत्र के लिए वहां रेडियो संचार व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में क्या आगे कोई कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्म वीर सिंह) : दक्षिण गुजरात के डांग जिले में प्रसारण सेवा प्रदान करने हेतु आहवा में आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रावधान पांचवीं योजना के प्रस्तावों के मसौदे में शामिल कर लिया गया है।

'सेंट्रल जेनेरेशन कम्पनी' का गठन

338. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **परमाणु ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 'सेंट्रल जेनेरेशन कम्पनीज' का गठन करने के बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) और (ख) : केन्द्रीय विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन और प्रचालन के लिये केन्द्रीय उत्पादन कंपनियों की स्थापना करने का सिद्धांत रूप में निर्णय लिया गया है। केन्द्रीय सेक्टर में ऐसी दो कंपनियों, एक ताप-विद्युत परियोजनाओं तथा दूसरी जल-विद्युत परियोजनाओं के लिए स्थापित करने का प्रस्ताव है।

दिल्ली महानगर क्षेत्र में अपराध

339. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में चार बार दिल्ली महानगर क्षेत्र में कितने अपराध हुए हैं और इनमें से कितने अपराधों की रिपोर्ट की गई है और दिल्ली महानगर पुलिस द्वारा कितने अपराध रजिस्टर्ड किये गये हैं; कितने अपराधियों का पता लगाया गया है; कितने अपराधियों पर मुकदमे चलाये गये हैं और कितने अपराधियों को सजा मिली है;

(ख) इन मामलों में से कितने मामलों में पुलिस संबंद्ध थी; और

(ग) अपराधियों को ढूंढ न सकने के मामलों की अत्यधिक प्रतिशतता होने के क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय म उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) एक निवरण संलग्न है । [ग्रंन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 8917/75]

(ख) 1972 4

1973 21

1974 32

(ग) भारी यायावर जनसंख्या तथा सीमाओं की निकटता के कारण खोज करने का कार्य बड़ा कठिन हो जाता है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा मध्य प्रदेश में स्वीकृत/अनुमोदित परियोजनाएं

340. **श्री नितिराज सिंह चौधरी :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा मध्य प्रदेश में स्वीकृत/अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौर क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : ग्राम विद्युतीकरण निगम ने गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड की 68 स्कीमें स्वीकृत की हैं, जिनमें 2·25 करोड़ रुपये की ऋण सहायता अपेक्षित है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 8918/75]

जुलाई, 1974 में आयोजित विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों को क्रियान्वित करना

341. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1974 में आयोजित विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों की मुख्य रूपरेखा क्या है और इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है।

(ख) क्या वर्ष 1974-75 और वर्ष 1975-76 की विद्युत प्रजनन योजनाओं को कार्य रूप दिया जायगा; और

(ग) क्या अपनी सिफारिशों के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए विद्युत मंत्रियों की बैठक दोबारा हो रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जुलाई, 1974 में हुए विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन ने देश की विद्युत स्थिति और विद्युत उपलब्धता में सुधार लाने के लिये अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन दोनों प्रकार के उपायों, सहित, विभिन्न, उपायों का पुनरवलोकन किया। सम्मेलन द्वारा की

गई कुछ मुख्य सिफारिशें, विद्युत संयंत्रों के लिए अतिरिक्त पुर्जों का प्रबंध करने, ताप-विद्युत केन्द्र को सप्लाई किए जाने वाले कोयले की किस्म में सुधार लाने बायलर का ओवरहाल करने के समय में कमी करने, परियोजना की निर्माण-अवधि में ताप-विद्युत संयंत्रों के मामले में 3 वर्ष तथा जल विद्युत केन्द्रों के मामले में 5 वर्ष तक की कमी करने तथा केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर ही बिजली सप्लाई उद्योग के पुनर्गठन से संबंधित थीं। ऊर्जा मंत्रालय सम्मेलन द्वारा की गई इन सभी सिफारिशों पर अनुगामी कार्यवाई कर रहा है।

(ख) 1974-75 और 1975-76 के कार्यक्रम के निष्पादन के लिए सभी सम्भव प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ग) विद्युत मंत्रियों के आगामी सम्मेलन शीघ्र बुलाये जाने का प्रस्ताव हैं।

Memorandum to Managing Director, HEC

342. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) whether the Hatia Kamgar Union affiliated to the AITUC has submitted a 15-point memorandum to the Managing Director of the Heavy Engineering Corporation;

(b) if so, the broad features thereof ;

(c) whether the Union workers had observed hunger-strike in front of the office of the Corporation in support of the above demands and a delegation of the Union led by the President of the Union had met the Director; and

(d) if so, the reaction of Government to the above demands ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri A. C. George) : (a) Yes, Sir.

(b) The main demands relate to opening of more fair price shops; employment of displaced persons; provision of medical and educational facilitiesin the surrounding villages; provision of residential accommodation to all the workers; abolition of contract labour system; payment of one months' salary to local workers in lieu of leave travel assistance; exemption from Compulsory Deposit Act 1974, payment of House Rent Allowance to officers and workers at the rate of 15% of the basic pay and revision of promotion policy.

(c) A 56 hours relay fast was organised in front of the Headquarters Office of the Corporation from 16-1-75 to 18-1-75. A delegation of the Union did not meet the Managing Director.

(d) All the demands put forth are of a general nature and can be ne gotiated only with the recognised Union by the Management under the regulations of the Labour Department of State Government.

The management of HEC entered into an agreement with the recongised Union on 16-3-74. This agreement effective from 1-1-74, covers revision of the wage structure and other general demands of the workers. This agreement will be operative till 31-12-1977.

Homes for Freedom Fighters

343. Shri Ramavatar Shashtri :

Shri R. N. Barman :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether a Swatantrata Senani Griha (Freedom Fighters' Home) has been established in Delhi for old and infirm freedom fighters;

(b) if so, the capacity thereof and the number of freedom fihgters living there at present, and

(c) whether there is a scheme to set up such Homes in other places also and if so, the facts thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Yes Sir.

(b) The capacity of the Home is to accommodate 25 freedom Fighters at present. There are four freedom fighters in the Home in Delhi at prestent, and more freedom fighters are expected to join.

(c) Another Central Home is being set up in the Union Territory of Pondicherry and arrangements for starting the same are being finalised. The State Governments have also been requested to examine the possibilities of setting up at least one 'Home' in each State for the freedom fighters who are in need of shelter.

Grant of Pension to Freedom Fighters

344. Shri Ramavatar Shashtri : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of freedom fighets who have been granted pension up to 15th February, 1975, Statewise;

(b) the State-wise number of the freedom fighters whose applications are under consideration; and

(c) the time by which Government propose to dispose them of ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs : (Shri F. H. Mohsin) : (a) & (b) 99,581 cases have been approved for the grant of pension. 59,699 applications are under consideration. These include 50,600 applications which have been filed for non receipt of required information for a considerable time and 9,099 applications yet to be examined. State-wise information is given in the attached statement. [Placed in the Library *See* No. LT.-8919/75]

(c) while all efforts are being made to dipose of the applications expeditiously, is not possible to indicate any time frame within which the work will be completed.

पाश्चात्य प्रौद्योगिकी आयात

345. क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के मतानुसार आयातित पाश्चात्य टेकनालाजी हमारे सामाजिक-आर्थिक ढांचे के लिये उपयोगी नहीं है ?

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1973 और 1974 के दौरान आयातित पाश्चात्य टेकनालोजी का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पाश्चात्य टेकनालोजी पर निर्भरता कम करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) सरकार का ध्यान, रुड़की विश्वविद्यालय में 18 जनवरी, 1975 को परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष द्वारा दिये गये दीक्षांत भाषण की ओर दिलाया गया है, उसमें उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा था कि भारत जैसे विकासशील देशों में इस बारे में भारी आशंका है कि क्या समकालीन पश्चिमी प्रौद्योगिकी, जिसके लिये अत्यधिक पूंजी और लम्बी गर्भावधि की आवश्यकता होती है और जो प्रायः निर्भरता को शाश्वत बनाती प्रतीत होती है, सर्वथा संगत है, आदि, आदि।

(ख) विवरण 1 व 2 संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०--8920/75]

(ग) पश्चिमी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता कम करने के लिये इस समय जो उपाय किये जा रहे हैं वे निम्नलिखित हैं :—

(1) लोगों के जीवन में अविलम्ब व्यावहार्यता के लिये देशीय अनुसंधान, तथा अनुसंधान एवं विकास प्रयासों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

(2) विदेशी सहयोग के प्रत्येक प्रस्ताव की तकनीकी जांच पड़ताल करने के लिये एक तकनीकी समिति का गठन किया गया है। इस समिति की बातचीत देश के द्वारा अपनी भावी आवश्यकताओं के लिये अपेक्षित प्रौद्योगिकी की किस्म, की भविश्यवाणी करने उद्योग के अंतर्गत प्रौद्योगिकी की उपलब्धि एवं क्षमता, देशीय अनुसंधान एव विकास प्रयासों के साथ आयातित प्रौद्योगिकी सम्बद्ध करने तथा देश की प्रौद्योगिकी की आवश्यकताओं में अन्तरालों को भरने के लिये शीघ्र कार्यवाही करने की समस्याओं पर केन्द्रित रहता है।

(3) विदेशी सहयोग के प्रस्तावों को स्वीकार करते समय, अनुमोदन पत्र में एक शर्त सदैव रखी जाती है कि, करार के प्रवर्तन के अंतर्गत, भारतीय पक्ष को अपनी अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं को स्थापित करने के लिये आवश्यक कदम उठाने चाहिये ताकि भारतीय पक्ष द्वारा आयातित प्रौद्योगिकी का पूरी तरह से अवशोषण किया जा सके और विदेशी सहयोग पर निरंतर निर्भरता करार की अवधि के बाद आवश्यक न रहे।

(4) साधारणतया सहयोग प्रस्ताव, करार की तिथि से अथवा उत्पादन के प्रारंभ होने से, पांच वर्ष की अवधि के लिये अनुमोदित किये जाते हैं, बशर्ते कि करार पर हस्ताक्षर की तिथि से, तीन वर्ष की अवधि से अधिक विलम्ब न किया जाये। अवधि में वृद्धि केवल विशेष मामलों में ही की जाती है।

(5) विदेशी सहयोग पर एक शर्त के रूप में यह भी निश्चित किया जाता है कि भारतीय कम्पनी की आवश्यकता पड़ने पर तकनीकी जानकारी। उत्पाद अनुज्ञप्ति (लाइसेंस), इंजीनियरी अनुज्ञप्ति को करार के अधीन, दूसरे भारतीय पक्ष को उपअनुज्ञप्ति देने की स्वतंत्रता होनी चाहिये। यह विदेशी सहयोगी और सरकार सहित सभी संबंधित पक्षों की सहमति पर निर्भर होता है।

साहा इंस्टीट्यूट आफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कलकत्ता के रिसर्च वर्क्स तथा कर्मचारियों से अभ्यावेदन

346. **श्री त्रिदिव चौधरी :** क्या **परमाणु ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता स्थित साहा इस्टीटयूट आफ न्यूक्लीयर फिजिक्स के रिसर्च वर्क्स तथा कर्मचारियों की शिकायतों की ओर दिलाया गया है और क्या मंत्री महोदय को इस संस्थान में नियुक्त रिसर्च वर्क्स तथा कर्मचारियों की एसोसियेशन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां तो इनकी शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधानमंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) साहा इंस्टीट्यूट आफ न्यूक्लीयर फिजिक्स के कर्मचारियों से हाल ही में कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के इन्सपेक्टर श्री डी० रामानाथन की दिल्ली में सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु

347. श्री त्रिदिव चौधरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केन्द्रीय जांच ब्यूरो के इंस्पैक्टर श्री डी० रामानाथन् की जिनके बारे में बताया जाता है कि वह पांडिचेरी आयात लाइसेंस काण्ड के (दिल्ली पक्ष) संबंधी कार्य कर रहे थे रहस्यपर्ण परिस्थितियों में दिल्ली में एक सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु के संबंध में लगाये गये आरोप की ओर दिलाया गया है :

(ख) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अपने ही एक अधिकारी श्री डी० रामनाथन् की मृत्यु के बारे में कोई जांच आरम्भ की है और क्या किसी सन्देह के कारण का पता लगा है; और

(ग) सडक दघटना किस प्रकार हुई और क्या इस मामले में सामान्य क्रम में कोई पुलिस केस दर्ज किया गया था :

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सरकार ने इस आशय की प्रैस रिपोर्ट देखी हैं। किन्तु केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निरीक्षक श्री डी० रामानाथन पांडिचेरी आयात लाइसेंस के मामले में जांच पड़ताल से संबंधित नहीं थे।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कोई जांच-पड़ताल हाथ में नहीं ली है। अतः संदेह के लिये किसी कारण का कोई संकेत नहीं है

(ग) 29-12-74 को रात्रि के 11 बज कर 15 मिनट पर थाना आर० के० पुरम को केन्द्रीय पुलिस नियंत्रण कक्ष से सूचना मिली कि सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय से एक व्यक्ति ने टेलीफोन पर बताया था कि जब दिल्ली परिवहन निगम की एक बस में यात्रा कर रहा था तो उसने मोती बाग के निकट रिंग रोड पर एक व्यक्ति का घायल अवस्था में पड़े हुए देखा था। थाना आर० के० पुरम से एक उप-निरीक्षक घटनास्थल पर पहुंचा और दक्षिण मोती बाग में डी-2 फ्लैटों के सामने रिंग रोड पर श्री डी० रामानाथन को घायल अवस्था में पड़ा हुआ पाया। इस बीच नियंत्रण कक्ष को गाड़ी जो घटना स्थल पर पहुंच चुकी थी, ने श्री डी० रामानाथन के संबंधियों को सूचित किया। उसके बाद श्री रामानाथन को सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्ह मृत लाया हुआ घोषित कर दिया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 279/304क के अधीन एक मामला एफ० आई० आर० नं० 858 दिनांक 30 दिसम्बर, 1974 दर्ज किया गया। मामले की जांच पड़ताल हो रही है।

विभागेत्तर ब्रांच डाक डाकघरों का खोला जाना

348. श्री त्रिदिव चौधरी : क्या संचार मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक कारणों से ग्रामीण क्षेत्रों में हर दो हजार निवासियों के लिये विभागेत्तर ब्रांच डाकघर खोलने की नीति में कोई परिवर्तन हुआ है; और

(ख) यदि हां तो इस बारे में नई नीति की मार्गदर्शी बातें क्या हैं ?

संचार मंत्री (डा. शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी नहीं। तथापि पिछड़े हुए पहाड़ी और आदिवासी इलाकों के अतिरिक्त फिलहाल कोई नए डाकघर नहीं खोले जा रहे हैं।

(ख) प्रश्न ही नही उठता।

वितरण योजना के सम्बन्ध में दिसम्बर, 1974 में हुआ राज्यों के नागरिक पूर्ति मंत्रियों का सम्मेलन

349. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन:** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अनिवार्य वस्तुओं को वितरण योजना पर विचार करने के लिये 20 दिसम्बर, 1974 को राज्यों के नागरिक पूर्ति मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया था;

(ख) यदि हां, तो कितने राज्यों ने सम्मेलन में भाग लिया और क्या सरकार ने प्रस्ताव को पूर्णत: स्वीकार कर लिया है; और

(ग) उसके कब तक शुरू किये जाने की संभावना है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० जी० जार्ज) : (क) से (ग) : राज्य सरकारों और केन्द्रशासित क्षेत्रों के खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रियों के सम्मेलन क्षेत्रीय स्तरों पर बुलाये गये थे। उत्तरी और केन्द्रीय क्षेत्र के राज्य और केन्द्रशासित क्षेत्रों के मंत्रियों का सम्मेलन 20 दिसम्बर, 1974 को हुआ था और इसमें सातों राज्यों तथा दोनों केन्द्रशासित क्षेत्रों अर्थात् उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश; हरियाणा, जम्मू तथा कश्मीर, दिल्ली तथा चण्डीगढ़ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

इन सम्मेलनों में आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण में हुई प्रगति की समीक्षा की गई थी। सम्मेलनों में हुए विचारविमर्श के आधार पर कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

प्राथमिकता के आधार पर उर्वरक संयंत्रों को बिजली की सप्लाई

350. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन:** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने अब उर्वरक सयंत्रों को प्राथमिकता के आधार पर बिजली देना मंजूर किया है; और

(ख) क्या योजना आयोग ने कहा है कि ऐसे विद्युत संयंत्रों में धनाभाव के कारण पीड़ित नहीं होने दिया जायेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) विद्युत को योजना के महत्वपूर्ण सेक्टर में शामिल किया गया है और योजना आयोग, योजना के महत्वपूर्ण सैक्टर में शामिल अन्य प्राथमिकता प्राप्त सैक्टरों की पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर रहते हुए धन का आवंटन करता है।

सीमेंट पर से नियंत्रण हटाना

351. **श्री एम० कतामुनु :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट के मूल्यों पर से नियंत्रण हटाने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड, उत्तरपाड़ा, पश्चिम बंगाल के श्रमिक संघ नेताओं की मांग

352. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड, उत्तरपाड़ा, पश्चिम बंगाल, के श्रमिक संघ नेताओं की इस मांग की ओर दिलाया गया है कि सरकार उक्त फर्म को अपने अधिकार में ले ले;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान मोटर्स वर्क्स उत्तरपाड़ा में वेतन और रोजगार हानि की आशंका तथा इसके परिणामस्वरूप अधिग्रहण की मांग की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है।

(ग) सरकार स्थिति पर पूर्ण रूप से निगरानी रखे हुए है और उत्पादन बनाये रखने तथा बड़े पैमाने पर होने वाली छंटनी रोकने के लिये कौन से कदम उठाये जायें, उनका पता लगाने के लिये प्रबन्धक के साथ विचार विमर्श कर रही है।

फिल्म समारोह प्रबन्ध की आलोचना

353. **श्री वयालार रवि :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत के पांचवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिये फिल्मों के चयन, स्थान के चयन तथा अन्य अनियमितताओं संबंधी देश के समाचार पत्रों में प्रकाशित आलोचनाओं का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) प्रबन्ध में सुधार करने तथा हमारे देश में फिल्म समारोह की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्म वीर सिंह) : (क) भारत के पांचवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिये फिल्मों के चयन तथा स्थान के चयन के बारे में अनियमितताओं के संबंध में समाचारपत्रों में हुई कोई आलोचना सरकार के ध्यान में नहीं आई है। तथापि, समारोह की फिल्मों के शो के टिकटों की बिक्री तथा उनकी अनुपलब्धता के संबंध में समाचारपत्रों में कुछ आलोचना प्रकाशित हुई थी।

(ख) तथा (ग) हाल ही में किये गये समारोह में नजर आई कुछ कमियों का पुनर्विलोकन किया जायेगा और भावी फिल्म समारोहों में सुधार किया जायेगा।

नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा देय राशि की अदायगी संबंधी नई दिल्ली नगरपालिका तथा नगर निगम के बीच विवाद

354. **श्री मान सिंह भोरा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा नगर निगम को 6 करोड़ रुपये की देय राशि की अदायगी न करने संबंधी विवाद को निपटाने के लिये कोई कदम उठाये थे; और

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) दिल्ली नगर निगम ने इस मंत्रालय को सूचित किया है कि नई दिल्ली नगरपालिका पर निम्नलिखित देय राशि बकाया है:

(1) 12/74 तक नई दिल्ली नगर पालिका पर बिजली का उपभोग, बिक्री अथवा सप्लाई संबंधी देयकर	5.00 करोड़ (लगभग)
(2) 1974-75 तक नई दिल्ली नगरपालिका पर दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुरक्षण पर व्यय के विभाजन के लिये देय बकाया रकम का दावा	1.00 करोड़ (लगभग)
जोड़	6.00 करोड़ रुपये (लगभग)

नई दिल्ली नगरपालिका ने इन दावों को नामंजूर कर दिया है।

बिजली का उपयोग, बिक्री अथवा सप्लाई संबंधी कर के बारे में नई दिल्ली नगरपालिका ने इस मांग की वैधता को चुनौती दी है। 1960 से विवाद चल रहा है। दिल्ली नगरनिगम और नई दिल्ली नगरपालिका, दोनों ने कानूनी सलाह ली थी और प्रमुख विधिवेताओं ने इस कानून विवाद पर विरोधी राय की थी। कानूनी विवादों को हल करने के लिये समय समय पर अनेक बैठकें हुई। 7-1-1975 को एक बैठक मेयर और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री के बीच हुई थी। जैसी कि बैठक में सहमति हुई थी, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका और गृह मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा 28-1-75 को भी मामले पर विचार विमर्श किया गया था। किन्तु विवाद हल करने के लिये अपनाई जाने वाली पद्धति के बारे में अभी तक कोई सहमति नहीं हुई है।

जहां तक दिल्ली अग्नि शमन सेवा के अनुरक्षण पर व्यय के विभाजन के दावे का संबंध है, उप-राज्यपाल, दिल्ली से मामले पर विचार करने को कहा गया था। 25-1-1975 को दिल्ली प्रशासन से उत्तर प्राप्त हुआ है कि सचिव (एल० एस० जी०) दिल्ली, प्रशासन दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका के अधिकारियों के साथ परामर्श में मामले की जांच कर रहे हैं।

दिल्ली में एक आयकर अधिकारी के घर में अनाधिकार प्रवेश

355. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 दिसम्बर, 1974 को कुछ अनाधिकृत व्यक्तियों ने एक आयकर अधिकारी के पटेल नगर नई दिल्ली स्थित निवास में, उसके परिवार की अनुपस्थिति में, घुसकर घर का साज-सामान जिसमें टेलीविजन इत्यादि भी शामिल है नष्ट कर दिया; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दिल्ली पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है यदि हां, ता तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या घटना की पूरी और समय पर जांच नहीं की गयी यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) 31 दिसम्बर, 1974 की रात्रि में एक व्यक्ति श्री शिवदत्त सलवान अपनी पत्नी, 20 तथा 12 वर्ष की आयु के दो पुत्रों के साथ श्री आर० डी० गांधी, आयकर अधिकारी ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली निवासी के घर में श्री आर० गांधी का लड़का जो श्री सलवान की पुत्री को श्री एम० आर० वर्मा, राजेन्द्र नगर निवासी के घर से भगा ले गया था का विरोध प्रकट करने गये थे। श्री सलवान तथा श्री गांधी के साले श्री के० के० छब्रा के बीच कहा सुनी हो गयी जिसके परिणामस्वरूप हाथापाई हो गई जिसके परिणामस्वरूप घर की कुछ वस्तुएं जिनमें टी० वी० सेट भी सम्मिलित था क्षति पहुंची।

(ख) तीन अभियुक्त (1) श्री शिवदत्त सलवान, (2) श्रीमती राजसलवान और (3) इन्द्रदत्त सलवान को गिरफ्तार किया गया था। न्यायालय द्वारा उनको जमानत पर छोड़ा गया था।

(ग) कन्ट्रोल रूम से सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय पुलिस तुरन्त वहां पहुंची। पटेल नगर थाने में एफ० आई० आर० संख्या-1 दिनांक 1-1-75 द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 452/506/427 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच की जा रही है और संभवतः शीघ्र ही उसको अंतिम रूप दे दिया जायेगा।

प० बंगाल में विद्युत की राशन व्यवस्था के कारण औद्योगिक उत्पादन में गिरावट

356. **श्री रोबिन सेन :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत की राशन व्यवस्था के कारण प० बंगाल में औद्योगिक उत्पादन में अनुमानित कितनी हानि हुई है; और

(ख) इन उद्योगों से सम्बद्ध श्रमिकों और कर्मचारियों की आय में कितनी हानि हुई है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) केवल विद्युत शक्ति के राशनिंग के ही कारण औद्योगिक उत्पादन की अनुमानित हानि का ठीक ठीक निर्धारण करना कठिन है क्योंकि सामान्यरूप से अनेक बाधाओं जैसे, श्रमिक विवाद, विद्युत शक्ति की कमी, ईंधन तेल की अपर्याप्त उपलब्धि, देशी तथा आयातित कच्चे माल की कमी, वित्त की कमी मांग की कमी आदि के कारण भी उत्पादन की हानि हुई है।

पश्चिम बंगाल स्थित निम्नलिखित उद्योगों में भी राज्य में विद्युत शक्ति के राशनिंग किये जाने के परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन प्रभावित होना बताया गया है।

(1) इलैक्ट्रोड

(2) मिडगेट इलैक्ट्रोड

(3) सिनेमा आर्क कार्बन

(4) बिजली तथा दूर संचार उपकरण

(5) इस्पात की ढलाई एवं गढ़ाई

(6) लोह और इस्पात के टूल

(7) कमाया हुआ चमड़ा और चमड़े के जूते

(ख) विद्युत के राशनिंग के कारण मजदूरों एवं कर्मचारियों के वेतन में हानि के आंकड़ों को संकलन नहीं किया गया है।

चालू वर्ष में बिजली का उत्पादन

357. **श्री एस० आर० दामाणी :**

श्री भारत सिंह चौहान :

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान तापीय पन और परमाणु ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न होने वाली बिजली का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है तथा पिछले वर्ष की तुलना में उनकी क्या स्थिति है;

(ख) किन राज्यों में समय-समय पर बिजली में कटौती की गई तथा सामान्य सप्लाई में कितने प्रतिशत कटौती की गई और वास्तविक मांग कितनी थी; और

(ग) इसके क्या कारण हैं और कब तक स्थिति में सुधार होने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) वर्ष 1973 तथा 1974 के लिये सम्पूर्ण देश में कुल उत्पादन के आंकड़े, मिलियन यूनिटों में नीचे दिये गये हैं :—

	1974	1973
जल विद्युत	28130.0	26055.1
ताप-विद्युत	37371.0	34483.7
न्यूक्लीय विद्युत . . .	2107.0	2068.5

(ख) विभिन्न राज्यों में विद्युत की कटौतियां उपलब्धता तथा मांग के आधार पर समय-समय पर भिन्न-भिन्न रही हैं। इस समय लागू विद्युत की कटौतियां संलग्न उपाबन्ध में दी गई हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—8921/75]

(ग) देश में विद्युत की कमी का मुख्य कारण बढ़ रही लोड मांगों को पूरा करने के लिये उत्पादन क्षमता में कम वृद्धियां होना है। देश के विभिन्न भागों में मानसून की असफलता के कारण स्थिति और भी बिगड़ गई है।

ऊर्जा मंत्रालय ने वर्तमान संयंत्रों से अधिकतम उत्पादन करके तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति में तीव्रता लाकर कई उपाय किये हैं। इन उपायों से विद्युत की स्थिति में, विशेषकर पूर्वी क्षेत्र में सुधार हुआ है और स्थिति में यथा समय और अधिक सुधार होने की संभावना है।

वर्ष 1974 में औद्योगिक उत्पादन

358. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 के दौरान प्रमुख उद्योग वार औद्योगिक उत्पादन का रुख क्या रहा और गत दो वर्षों के तत्संबंधी तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ;

(ख) कितनी क्षमता का उपयोग हुआ तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के संदर्भ में कितना उतार चढ़ाव आया ; और

(ग) इसके क्या कारण रहे ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) संलग्न सारिणी 1972-73, 1973-74, 1974-75 (अप्रैल-सितम्बर) का उत्पादन और चुने हुए उद्योगों का अप्रैल से सितम्बर, 1974 तक का क्षमता के उपयोग का प्रतिशत दर्शाती है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—8922/75]** सारिणी में दिये गये उद्योग वे हैं जिनके बारे में योजना आयोग ने अपनी वार्षिक योजना में 1974-75 के लिये उत्पादन के प्रतिशत स्तर का संकेत किया था। विवरण यह बताता है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा उत्पादन की वार्षिक दर 1974-75 में अनेक उद्योगों में अधिक थी। इन उद्योगों में जस्ता, रसायन की मशीनें, कागज और लुग्दी की मशीनों, मशीन टूल, धातु कार्मिक मशीनें, सीमेंट मशीनें, चीनी मशीनें, कृषीय ट्रैक्टर, गाड़ियों के टायर, अखबारी कागज और विक्रेय इस्पात आता है। अनेक उद्योगों में यथा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, कागज और गत्ता तथा स्टील इन गाट्स में 1974-75 के पूर्वार्ध का उत्पादन उसी वार्षिक दर से हुआ जिस दर से वह 1973-74 में हुआ था। दूसरी ओर, कुछ उद्योगों यथा अल्यूमीनियम तांबा, वाणिज्यिक गाड़ियों फास्फेटयुक्त, उर्वरक और सीमेंट की 1973-74 की अपेक्षा 1974-75 वर्ष के पूर्वार्ध में उत्पादन दर कम।

1974-75 की वार्षिक योजना में इन उद्योगों में होने वाली उत्पादन के प्रत्याशित स्तरों का उल्लेख किया गया था। संलग्न सारिणी के छठवे कालम में ये आंकड़े दिये गये हैं। चूंकि समूचे वर्ष 1974-75 के उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं है वास्तविक उत्पादन का 1974-75 की वार्षिक योजना में दिये गये प्रत्याशित उत्पादन से तुलना करना संभव नहीं है। फिर भी संभावना इस बात की है कि प्रत्याशित स्तरों की तुलना में उत्पादन में गिरावट विद्युत शक्ति की कमी, ऊर्जा संकट संचालन संबंधी कठिनाइयों के कारण आई थी जिससे हर संयंत्र पर प्रभाव पड़ता है।

दिल्ली में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि

359. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान राजधानी में आपराधिक घटनाओं में निरन्तर वृद्धि होती रही है और पुलिस इस स्थिति को काबू में नहीं कर सकी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में उचित कार्यवाही करने तथा इस संगठन का उचित रूप में आधुनिकीकरण करने की परमावश्यकता है ;

(ग) क्या तृतीय वेतन आयोग की चिर-प्रतिक्षित सिफारिशों को अभी तक क्रियान्वित न किये जाने के कारण पुलिस कर्मचारियों में भारी असन्तोष व्याप्त है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं श्रीमान्। 1973 में भारतीय दंड संहिता के 34174 मामलों की तुलना में 1974 में इनकी संख्या 33824 थी।

(ख) जब कभी आवश्यकता होती है तो उपयुक्त कदम उठाये जाते हैं।

(ग) अब दिल्ली पुलिस के संशोधित वेतनमान स्वीकृत कर दिये गये हैं और कार्यान्वित किये जा रहे हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

'प्रीमीयर प्रेजीडेंट' कार का मूल्य

360. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रीमियर प्रेजीडेंट कार का मूल्य उसके नियंत्रण के बाद भी दो बार बढ़ाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) मूल्य में कितनी वृद्धि की गई है; और

(घ) क्या कम्पनी ने इसके लिये पूर्व अनुमति ली थी ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ) सरकार ने 1-1-1975 से प्रीमियर प्रेजीडेंट कार से मूल्य नियंत्रण हटा लिया है। निर्माताओं ने बताया है कि नियंत्रण हटाये जाने के पश्चात् उनकी कारों के कारखानों से निकलते समय के खुदरा बिक्री मूल्य में 8-1-1975 से एक बार 1501 रुपये की वृद्धि की गई है। उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण मूल्य वृद्धि की गई थी। मूल्य नियंत्रण समाप्त हो जाने के बाद सरकार की पूर्व स्वीकृति लेना कोई आवश्यक नहीं है।

दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक

361. **श्री सी० जनार्दन** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण क्षेत्रीय परिषद् की बैठक 31 दिसम्बर, 1974 को त्रिवेन्द्रम में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या सुझाव दिये गये और सिफारिशें की गईं और क्या उस बैठक में 'स्थानीय लोग' का मामला भी उठाया गया था; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार से कोई मार्गदर्शी सिद्धांत मांगे गये थे और यदि हां, तो क्या सभी राज्यों के लिये कोई समान मार्गदर्शी सिद्धांत बनाये गये हैं और तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग) जिन विषयों पर बैठक में विचार विमर्श हुआ था उनकी एक सूची संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—8923/75]** भाषाई अल्पसंख्यकों के लिये संरक्षणों की प्रगति का पुनरीक्षण करते समय यह सुझाव दिया गया था कि केन्द्र सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों और स्थानीय उम्मीदवारों के लिये रोजगार के अवसरों से संबंधित मार्गदर्शी रूपरेखायें बनाने में पहल करनी चाहिये। परिषद् की यह धारणा थी कि सदस्य राज्य केन्द्र सरकार को अपने सुझाव भेज सकते हैं और मामले पर मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में आगे विचार किया जा सकता है।

औद्योगिक लाइसेंस नीति में परिवर्तन

362. **श्री एफ० ए० गुरुगनन्तम :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लाइसेंस नीति में आमूल परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें और उद्देश्य क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि के लक्ष्यों सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकारी नीतियों को नियंत्रित करता रहा है । औद्योगिक नीति संकल्प के विशद ढांचे के अन्दर सरकार ने वृद्धि को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से विशेष रूप से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस संबंधी नीति में समय-समय पर परिवर्तन किये हैं।

महराष्ट्र राज्य विद्युत् बोर्ड के लिए पुर्जों का आयात

363. **श्री धामनकर :**

श्री वसन्त साठे :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इक्लहारे (नासिक) स्थिति 140 मेगावाट क्षमता वाले दो सैटों में से एक केवल 60 मेगावाट विद्युत् पैदा कर रहा है और महाराष्ट्र राज्य विद्युत् बोर्ड ने केन्द्रीय सरकार से ऐसे पुर्जों का आयात करने का अनुरोध किया है जिनसे सैट पूर्ण क्षमता से विद्युत् उत्पादन करने लगेगा;

(ख) यदि हां, तो उन पुर्जों के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी; वे पुर्जे पुराने पुर्जों के स्थान पर कब तक लगा दिए जाएंगे;

(ग) क्या सैट के खराब होने के तकनीकी कारणों की जांच कराने का निर्णय कर लिया गया है ताकि भविष्य में वह पुनः खराब न हों और पुर्जों पर खर्च की गई राशि व्यर्थ न हो; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है और उसका क्या परिणाम निकला ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। ब्लेडों को बदलने के लिए 23.58 लाख रुपये का आयात लाइसेंस महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड को प्राप्त हो गया है। दोषपूर्ण ब्लेडों के जुलाई/अगस्त, 1975 तक बदले जाने की संभावना है।

(ग) और (घ) ब्लेडों की खराबी के तकनीकी कारणों की जांच-पड़ताल, उपस्कर के संभरकों के सहयोग से की जा रही है, ताकि भविष्य में किसी खराबी से बचा जा सके।

आई० ई० एस० और आई० एस० एस० को फोडर लिस्ट का अन्तिम रूप से तैयार किया जाना

364. **श्री धामनकर :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० ई० एस० और आई० एस० एस० को फोडर लिस्ट अंतिम रूप से अभी तक तैयार नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो फोडर लिस्ट को शीघ्र तैयार करने और सम्बद्ध सेवाओं में ग्रेड 4 के पदों को भरने के लिए उसे प्रभावी बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासन सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) फोडर लिस्टों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) संबंधित मंत्रालयों/विभागों को लिखा गया है कि वे भारतीय अर्थ सेवा तथा भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड 4 में पदोन्नति के लिए पात्र अधिकारियों के संबंध में पूरी सूचना भेजें। संबंधित मंत्रालयों/विभागों से सूचना प्राप्त करने के लिए प्रयत्न जारी हैं।

गुजरात में हरिजनों पर अत्याचार

365. **श्री अमर सिंह चौधरी :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत छह महीनों के दौरान गुजरात में हरिजनों तथा अन्य पिछड़ी जातियों और जमींदारों, खेतिहरों तथा अन्य लोगों के अत्याचार बढ़ गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) हरिजनों तथा अन्य पिछड़ी जातियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (घ) राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में निर्माण कार्यों का क्रियान्वित न किया जाना

366. **श्री बी० आर० शुक्ल :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की परियोजनाओं, योजनाओं या निर्माण कार्यों को इसलिए क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है क्योंकि योजना आयोग द्वारा राज्य की योजना को अंतिम रूप से मंजूर नहीं किया जा रहा है; और

(ख) क्या पहले मंजूर की गई योजना के अन्तर्गत आरंभ किये गये कार्य भी इसलिए रुके पड़े हैं क्योंकि केन्द्रीय सहायता नहीं मिल रही है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं।

(ख) वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार योजना आयोग राज्यों की वार्षिक योजना के आकार और विषय-वस्तु को स्वीकृति सभी उपलब्ध संसाधनों के आधार पर देता है। सभी संसाधनों का निर्धारण संबंधित राज्य के अपने संसाधनों का अनुमान लगाकर उसके साथ परामर्श करके लगाया जाता है, और राज्य योजनाओं के लिए वित्तीय व्यवस्था करने के वास्ते उपलब्ध की जाने वाली कुल केन्द्रीय सहायता

के आधार पर किया जाता है। यह केन्द्रीय सहायता केन्द्र के पास उपलब्ध कुल संसाधनों के अनुमान पर आधारित होती है। योजना आयोग ने उत्तर प्रदेश की वार्षिक योजना के आकार और उसकी विषय वस्तु की ऐसी प्रक्रिया के अनुसार स्वीकृति दी थी। उत्तर प्रदेश की प्रत्येक वार्षिक योजनाओं के कार्यक्रमों और परियोजनाओं का निष्पादन इन्हीं परिमापों के अन्तर्गत किया गया है और किया जा रहा है।

जिला बहराइच (उत्तर प्रदेश) के गांवों में बिजली लगाने का काम

367. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना त्याग दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या जिला बहराइच (उत्तर प्रदेश) के किसी भाग में गांवों में बिजली लगाने का कार्य किया जा रहा है; और

(ग) क्या जिला बहराइच (उत्तर प्रदेश) के सिरसिऊ खंड और जमना बाजार में बिजली की कोई लाइनें नहीं हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में ग्राम विद्युतीकरण का कार्य जारी रखा जा रहा है। जिले के कुल 1,873 गांवों में से दिसम्बर, 1974 तक 318 गांव विद्युतीकृत किए जा चुके थे।

(ग) बहराइच जिले में सिरसिया और जमनाहा बाजार ब्लाकों में 11 कि०वो० की लाइनों का निर्माण-कार्य प्रगति पर है।

राष्ट्रीयकरण से पहले और उसके बाद की कोयले की बिक्री से कुल आय

369. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या ऊर्जा मंत्री राष्ट्रीयकरण से पहले और उसके बाद की कोयले की बिक्री के बारे में 4 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3161 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच लेखों की लेखापरीक्षा कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रबन्ध अवधि के खातों की औपचारिक समाप्ति राष्ट्रीयकरण से पूर्व की देयताओं के भुगतान को अंतिम तारीख तथा राष्ट्रीयकरण से पूर्व कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 जिसे 30-11-74 से 30-6-1975 तक बढ़ा दिया गया है, के खंड 19 के उप-खण्ड (3) और (4) के अनुसार बकाया राशि की प्राप्ति पर होगी। उसके बाद खातों की अधिनियम के खंड 19 के अनुसार लेखा परीक्षा की जाएगी।

अखबारों की अर्थव्यवस्था संबंधी जांच

370. **श्री भोगेन्द्र झा :**

श्री रूरूल हुडा :

श्री बसन्त साठे :

श्री निम्बालकर :

श्री धामनकर .

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारों की अर्थव्यवस्था संबंधी जांच समिति (फैक्ट फाइंडिंग कमेटी) ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने सिफारिशों पर विचार कर लिया है; और यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) . (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) समाचारपत्रों की अर्थव्यवस्था संबंधी तथ्य अन्वेषण समिति की हाल ही में प्राप्त हुई रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है और यह सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

योजना अवकाश

371. **श्री वरके जार्ज** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना मंत्रालय द्वारा योजना अवकाश करने पर विचार किया जा रहा है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार सम्पूर्ण पांचवीं योजना पर पुनर्विचार करने का है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) देश में व्याप्त अद्यतन स्थिति को ध्यान में रखते हुए, पांचवीं पंचवर्षीय योजना प्रारूप में समायोजन करने के लिए योजना आयोग कतिपय अभ्यास कर रहा है ;

तमिलनाडु में रावण लीला

372. **श्री वरके जार्ज** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में रावण लीला की गई थी ;

(ख) क्या राम, लक्ष्मण और सीता के पुतले भी जलाए गए थे;

(ग) क्या ऐसा राज्य सरकार की अनुमति से किया गया था; और

(घ) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) राज्य सरकार से तथ्य मालूम किए जा रहे हैं।

महाराष्ट्र में रोजगार गारंटी योजना

373. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार द्वारा योजना आयोग को 50 करोड़ रुपये की रोजगार गारंटी योजना भेजी हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं और उस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य की वार्षिक योजना 1975-76 में, 50 करोड़ रुपए की रोजगार गारंटी स्कीम बताई गई है। यह राज्य सरकार के द्वारा तैयार की गई है। स्कीम का लक्ष्य रोजगार के ऐसे अवसर सुलभ करना है जिसके फलस्वरूप उत्पादक परिसम्पत्तियों का निर्माण होगा। इस अर्थ में योजना आयोग ने स्कीम का बुनियादी ढांचा स्वीकार किया है।

'अम्बेसेडर' कार का मल्य

374. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे** : क्या **उद्योग और नागरिक** पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मोटर्स ने 'अम्बेसडर' कार का मूल्य बढ़ाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राशि क्या हैं;

(ग) क्या हिन्दुस्तान मोटर्स द्वारा बनाई जाने वाली कारों के मूल्य और वितरण पर सरकार का किसी किस्म का नियंत्रण है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) मूल्य नियंत्रण समाप्त करने के बाद से लेकर अब तक मे० हिन्दुस्तान मोटर्स ने अम्बेसडर कार के कारखाने से निकलते समय के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

आयात समर्थक समूह की गतिविधियां औद्योगिक विकास में बाधक

375. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने देश में एक आयात समर्थक समूह बन जाने के बारे में संकेत दिया था जो सुनियोजित औद्योगिक विकास में बाधक बन रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी गतिविधियों और ऐसे समूहों को समाप्त करने के लिए कोई ठोस योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) से (ग) औद्योगिक उत्पादन के लिए सरकार की नीति ऐसे पूंजीगत और कच्चे माल का आयात करने की है जो देश में उपलब्ध नहीं हैं। देश में प्राप्त अनेक वस्तुओं का आयात करने हेतु यद्यपि अनेक अनुरोध प्राप्त होते हैं पर सरकार के पास ऐसा सप्रभावी तंत्र भी है जो यह सुनिश्चित करता है कि देश में उपलब्ध वस्तुओं का अनावश्यक आयात करने की अनुमति न दी जाये। प्रतिवर्ष प्रकाशित निर्यात व्यापार नियंत्रण नीति प्रलेख प्रत्येक वस्तु की आयात नीति भी निर्धारित करता है।

दिल्ली में स्वाधीनता सेनानियों के लिये गृह

376. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वृद्ध तथा अशक्त स्वाधीनता सेनानियों के लिये दिल्ली में 2 अक्तूबर, 1974 को स्थापित गृह में अभी तक केवल एक व्यक्ति रह रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस गृह में प्रवेश पाने के पात्र स्वाधीनता सेनानियों को इस में प्रवेश पाने में क्या-क्या कठिनाइयां आ रही हैं; और

(ग) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं श्रीमान्। इस समय दिल्ली के गृह में चार स्वतन्त्रता सेनानी हैं। अन्य स्वतन्त्रता सेनानियों के शीघ्र प्रवेश करने की आशा है।

(ख) सरकार के ध्यान में कोई कठिनाइयां नहीं लाई गई हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

डाक विभाग में सावधिक वेतनमान वाले क्लर्क-सुपरवाइजर

377. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई उच्च न्यायालय ने 1 सितम्बर, 1969 के अपने एक निर्णय के अन्तर्गत यह निदेश दिया था कि डाक विभाग में सावधिक वेतनमान वाले क्लर्क-सुपरवाइज़रों को लोअर सलैक्शन ग्रेड में नियुक्ति के समय मूल वेतन के रूप में 20 रुपये की अदायगी की जाये; और

(ख) यदि हां, तो उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) श्री गोन्धलेकर द्वारा दायर की गई एक समादेश याचिका में बम्बई उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि उन्हें टाइम स्केल पर्यवेक्षक के रूप में 20 रुपये का जो विशेष वेतन मिलता था, उसे लोअर सलैक्शन ग्रेड में वेतन निर्धारित करने के लिये मूल वेतन के एक भाग के तौर पर माना जाये।

(ख) इस फैसले को लागू कर दिया गया है और इस कर्मचारी के मामले को निपटा दिया गया है।

हिन्दुस्तान लीवर्स लिमिटेड के विरुद्ध शिकायत

378. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संसद सदस्यों द्वारा उसका ध्यान हिन्दुस्तान लिवर्स लिमिटेड के कार्यकरण के बारे में कुछ शिकायतों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या उनकी त्रिची फैक्टरी को सरकारी नियंत्रण में लेने के लिये अनुरोध किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० वी० मौर्य) : (क) से (ग) मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा उनके त्रिची स्थित कारखाने की प्रस्तावित बिक्री के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं । इन शिकायतों की खाद्य विभाग द्वारा जांच की गयी थी जिसने बताया है कि आंशिक रूप से दक्षिण में वनस्पति की अपेक्षाकृत सीमित मांग होने और उस क्षेत्र में कम्पनी की गतिविधियों में विविधता लाने की असमर्थता के कारण कम्पनी को त्रिची संयंत्र चालू रखना अत्यधिक अलाभप्रद हो गया है । इसलिये वह इस संयंत्र की बिक्री के लिये बातचीत कर रही है ।

दूर संचार विभाग के कर्मचारियों के लिए वेतन सहित छुट्टियां

379. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूर संचार विभाग के कर्मी वर्ग के कर्मचारी (आपरेटिव स्टाफ) वेतन सहित छुट्टियां पाने के पात्र हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में अन्तिम रूप से कोई निर्णय किया गया है, और इस संबंध में इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) डाक-तार प्रचालन कर्मचारी वर्ग में 9 प्रभावी छुट्टियां पाने के हकदार हैं, इनमें 3 राष्ट्रीय छुट्टियां शामिल हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

संगीत और नाटक प्रभाग के कर्मचारियों की शेष मांगें

380. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगीत और नाटक प्रभाग के कर्मचारियों की कुछ मांगें लम्बे समय से शेष चली आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उन मांगों की पूर्ति के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या ऐसी मांगों के बारे में बातचीत करने के लिये कोई व्यवस्था विद्यमान है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्म वीर सिंह) : (क) तथा (ख) मांगों पर सरकार द्वारा विचार किया गया है । उनमें से कुछ पर निर्णय ले लिया गया है, उन स्टाफ आर्टिस्टों, जिन्होंने कठिनाइयों के आधार पर पुन: स्थानान्तरण की प्रार्थना की थी, को जगह देने के लिये दो टुकड़ियों के मुख्यालय पुन: दिल्ली में स्थानान्तरित कर दिये गये हैं, अनिवार्य बचत (अतिरिक्त परिलब्धियां)

अधिनियम, 1974 के परन्तुकों के अधीन स्टाफ आर्टिस्टों को सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला अनिरिक्त भत्ता स्वीकृत कर दिया गया है तथा स्टाफ आर्टिस्टों को लघु अवधि के अनुबन्धों के स्थान पर एक समय में 5 वर्ष की अवधि के दीर्घकालीन अनुबन्ध, जिनकी समाप्ति पर नवीकरण किया जा सकता है, दिये जायेंगे । कुछ मांगें अभी भी सरकार के विचाराधीन हैं जब कि कुछ स्वीकार नहीं की जा सकीं।

(ग) जी, हां । 1972 में एक तदर्थ परामर्शदात्री ग्रुप गठित किया गया था जिसमें स्टाफ आर्टिस्टों के प्रतिनिधि तथा मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं । यह ग्रुप समय समय पर मिलता है तथा कर्मचारियों की शिकायतों को देखता है ।

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक घर

381. **श्री मुल्कीराज सैनी :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने डाक-घर हैं;

(ख) इनमें से कितने डाकघरों में बचत बैंक खाते की सुविधायें उपलब्ध हैं; और

(ग) क्या सरकार लघु बचत योजना को सफल बनाने के लिये और अधिक डाक घरों में बचत बैंक खाते की व्यवस्था करेगी ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल तर्मा) : (क) 13139 ।

(ख) 13121

(ग) जैसा कि उपर्युक्त आंकड़ों से मालूम होता है, अधिकतर शाखा डाक-घरों को बचत बैंक के अधिकार दिये गये हैं । सिर्फ 18 शाखा डाक-घर बचत बैंक का काम नहीं करते क्योंकि वे मौसमी शाखा डाक-घर हैं जोकि दूरस्थ पहाड़ी इलाकों में काम करते हैं ।

'सेटेलाइट इन्स्ट्रेक्शनल टेलीवीजन एक्सपेरीमेंट' आरम्भ करने में विलम्ब

382. **श्री पी० आर० शिनाय :** क्या **अन्तरिक्ष मंत्री** यह बतेाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में 'सेटेलाइट इन्स्ट्रैक्शनल टैलीविजन एक्सपेरीमेंट आरम्भ करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) प्रयोग कब तक आरम्भ कर दिये जाने की संभावना है; और

(ग) प्रयोग को सफल बनाने के लिये अपेक्षित संख्या में टैलीविजन सेटों का निर्माण करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) यह विलम्ब मुख्यतया 'नासा' द्वारा ए० टी०एस०-6 उपग्रह को छोड़ने की तारीख को स्थगित करने के कारण हुआ है तथा उसके परिणामस्वरूप सेटेलाइट इन्स्ट्रेक्शनल टैलीविजन एक्सपेरीमेंट कार्यक्रम के लिये भारत पर उपग्रह को अवस्थित करने में देरी हो गई है ।

(ख) 1975 के मध्य तक।

(ग) इलैक्ट्रोनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित सीधे संचार ग्रहण करने वाले 1,300 से अधिक सेट पहले ही सेटेलाइट इन्स्ट्रेक्शनल टैलीविजन एक्सपेरीमेंट क्लस्टर मुख्यालयों में प्राप्त हो गये हैं और 1,000 से अधिक सेट चुने हुए गांवों में लगा दिये गये हैं।

उचित मूल्य की दुकानों में आवश्यक वस्तुयें उपलब्ध होना

383. **श्री पी० आर० शिनाय :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री** उपभोक्ता केन्द्रों की संख्या के बारे में 18 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5103 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उचित मूल्यों की दुकानों पर कौन-कौन सी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध होती हैं; और

(ख) उचित मूल्य वाली कितनी दुकानें उन व्यापारियों द्वारा चलायी जा रही हैं जो सामान्य व्यापार-कार्य में लगे हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) उचित मूल्य की दुकानों/राशन की दुकानों वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रबन्ध राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है । इन उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से गेहूं, चावल और लेवी चीनी वितरित की जाती है इनके अतिरिक्त, कुछ राज्यों में उचित मूल्य की दुकानें मोटा अनाज, गेहूं से बनी वस्तुयें, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल तथा दालों जैसी अन्य आवश्यक वस्तुओं की सीमित मात्रा का वितरण भी करती हैं ।

(ख) सभी उचित मूल्य की दुकानों, जिनमें निजी व्यापारियों की दुकानें भी शामिल हैं, पर राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रण रखा जाता है । उचित मूल्य की कुल दुकानें लगभग 2.13 लाख हैं ।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को कोयला खान प्राधिकरण की सहायक कम्पनी बनाया जाना

384. **श्री पी० आर० शिनाय :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को कोयला खान प्राधिकरण की सहायक कम्पनी बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) मामला विचाराधीन है ।

द्रुत कार्यक्रमों को समाप्त करना

385. **श्री वाई ईश्वर रेड्डी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगे द्रुत कार्यक्रमों की व्यवस्था न करने और सामाजिक सेवा योजनाओं में भी कमी करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो किस-किस प्रकार के व्यय में कटौती करने पर विचार किया जा रहा है और उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशी सहयोग से घड़ियों के कारखाने की स्थापना

386. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहयोग से देश में घड़ियों के कारखाने की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) किस देश के साथ सहयोग किये जाने की सम्भावना है ;

(ग) इस उद्देश्य के लिये किस स्थल का चयन किया गया है ; और

(घ) इसका वित्तीय प्रभाव क्या होगा ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) इस समय ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

एच० एम० टी० घड़ियों की मांग

387. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत सरकार ने देश में एच०एम०टी० घड़ियों की मांग का कोई आकलन किया है ;

(ख) क्या देश में एच०एम०टी० घड़ियों की कमी है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार मांग को पूरा करने के लिये एच०एम०टी० घड़ियों का निर्माण बढ़ाने का है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भारत सरकार का विचार है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स 30 लाख के लगभग घड़ियां बेच सकता था यद्यपि इन घड़ियों की मांग के बारे में कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) मांग और सप्लाई के बीच अन्तर होने के कारण ।

(घ) जी, हां । जटिल प्रकार के पुर्जे बनाने की क्षमता में वृद्धि करने जैसे उपाय किये गये हैं ।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत ऋण

388. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों में वर्षवार तथा राज्यवार कितने ऋण की मंजूरी दी गई ;

(ख) यह ऋण किन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत किए गए ।

(ग) क्या स्वीकार किये गये ऋणों का राज्य सरकारों द्वारा पूरी तरह उपयोग कर लिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) ग्राम विद्युतीकरण का कार्यक्रम राज्य बिजली बोर्डों द्वारा तैयार तथा कार्यान्वित किया जाता है । ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ने गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों को इस प्रकार ऋण सहायता स्वीकृत की थी:—

1971-72	64.59 करोड़ रुपये
1972-73	93.42 करोड़ रुपये
1973-74	73.81 करोड़ रुपये

जिन स्कीमों के लिये ये ऋण स्वीकृत किये गये थे, उनके ब्यौरे विवरण में दिये गये हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०-8924/75]

उत्तरी क्षेत्र में बिजली की कमी

389. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा**: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के उत्तरी क्षेत्र में बिजली की भारी कमी का पता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार बिजली की कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तरी क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों को सर्वाधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है । इन राज्यों को बदरपुर परियोजना से अधिकतम सहायता दी जा रही है । राजस्थान परमाणु विद्युत् परियोजना और चम्बल प्रणाली को भाखड़ा प्रणाली के साथ समानान्तर रूप में प्रचलित करके, राजस्थान में उपलब्ध अतिरिक्त विद्युत् को इन राज्यों में भेजने के भी प्रयत्न किये जा रहे हैं । राजस्थान में दिखावटी कार्यों के लिये विद्युत् के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लागू किये गये हैं । दिल्ली में भी ऐसे ही प्रतिबन्ध तथा उद्योगों पर 10 प्रतिशत तक कटौतियां लागू की गई हैं, जिससे यथासंभव अधिकतम विद्युत् को बचाकर इन राज्यों की सहायता की जा सके। किये जा रहे और उपाय इस प्रकार हैं :—

(i) वर्तमान ताप-विद्युत् केन्द्रों से अधिकतम उत्पादन करना।

(ii) निर्माणाधीन परियोजनाओं को शीघ्रतापूर्वक चालू करना ।

धीन बांध परियोजना

390. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा**: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब राज्य सरकार ने केन्द्र से आग्रह किया है कि धीन बांध परियोजना को शीघ्र स्वीकृति दी जाये, और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) पंजाब सरकार धीन बांध परियोजना को शीघ्र स्वीकृति देने का अनुरोध करती रही है । बहरहाल, परियोजना में कुछ अन्तर्राज्यीय पहलू निहित हैं, जिन पर परियोजना को स्वीकृति देने से पूर्व ध्यानपूर्वक विचार करके उन्हें हल किया जाना है । लागत और लाभों के विभाजन के अतिरिक्त जम्मू और काश्मीर में भूमि के अधिग्रहण और

विस्थापित परिवारों के पुनर्वास से संबंधित मामलों पर विचार करके उन्हें निपटाया जाना है । बांध का दक्षिण बाजू जम्मू और काश्मीर राज्य में तथा बाम बाजू पंजाब राज्य में स्थित होगा । भारत सरकार ने सुझाव दिया है कि परियोजना पर आगे कार्यवाही करने से पूर्व, जम्मू और काश्मीर तथा पंजाब सरकार के अधिकारियों को मिलकर दोनों राज्यों के हितों के मामलों को हल करना चाहिये। तदनुसार, दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच विचार-विमर्श में अब प्रगति हो रही है ।

जम्मू-काश्मीर में पाकिस्तानी गुप्तचरों का जाल

391. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में जम्मू काश्मीर में कार्यरत एक पाकिस्तानी गुप्तचरों का जाल पकड़ा गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) तथा (ख) जम्मू तथा काश्मीर सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार जासूसी एजेंट होने के संदेह में हाल ही में पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

राजकोट में एक डाकघर का जलाया जाना

392. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 जनवरी, 1975 को कुछ शरारती तत्वों ने राजकोट में एक डाकघर को जला दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कुल कितनी सम्पत्ति की हानि हुई है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी हां । इस डाकघर में 19-1-75 को आग लगा दी गई थी ।

(ख) कार्यालय के रिकार्ड के नष्ट होने के अतिरिक्त, विभाग को लगभग 3,035 रुपये की हानि हुई है ।

द्वितीय प्रेस आयोग की स्थापना

393. **श्री बसन्त साठे** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्यूज पेपर इकनामिक्स संबंधी समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर द्वितीय प्रेस आयोग की स्थापना करने के बारे में निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रेस आयोग की स्थापना करने के बारे में निर्णय लेने में कितना समय लगेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग) जी, नहीं । समाचार-पत्रों की अर्थ-व्यवस्था संबंधी तथ्य अन्वेषण समिति द्वारा हाल ही में पेश की गई रिपोर्ट पर सरकार द्वारा विचार किया जाना है ।

लघु उद्योगों का पंजीकरण करना और पंजीकरण समाप्त करना

394. **श्री वसन्त साठे** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने समूचे देश में लघु उद्योगों के पंजीकरण के लिये और पंजीकरण समाप्त करने के लिये एक युक्तिसंगत व्यवस्था बनाई है तथा आगामी वित्तीय वर्ष से इस योजना की क्रियान्विति के लिये प्रारम्भिक कार्यवाही कर दी है; और

(ख) यदि हां तो योजना की मुख्य बातें क्या है तथा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) और (ख) लघु उद्योगों के पंजीकरण के लिये समन पद्धति अपनाने के संबंध में लघु उद्योग बोर्ड की सिफारिशों पर राज्य सरकारों को विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी कर दिये गये हैं जिसकी एक प्रति संलग्न है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०-8925/75]

वर्ष 1975-76 और पांचवीं योजना में विद्युत की सप्लाई की स्थिति में सुधार लाने के लिए पश्चिम बंगाल द्वारा धन का मांगा जाना

395. **श्री आर० एन० बर्मन**: क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने वर्ष 1975-76 और पांचवीं योजनावधि के दौरान राज्य में विद्युत की सप्लाई की स्थिति में सुधार लाने के लिये केन्द्रीय सरकार से कितना धन मांगा है तथा उसे वस्तुतः कितनी राशि की मंजूरी दी गई है ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल में उद्योगों के लिये रजित विद्युत् यूनिट पर निर्माण करने के लिये मंजूरी दी गयी है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने 1975-76 के लिये 92.68 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुरोध किया है । राज्यों के परिव्ययों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है । बहरहाल, योजना आयोग के कार्यकारी दल ने 63.98 करोड़ रुपये के परिव्यय की सिफारिश की है । जहां तक पांचवीं योजना का संबंध है, अनन्तिम रूप से स्वीकृत परिव्यय 471.10 करोड़ रुपये है ।

(ख) और (ग) इस मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है ।

केरल में निर्यातोन्मुखी उद्योगों का विकास

396. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन**: क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्याप्त वित्तीय साधनों के अभाव के कारण केरल राज्य में निर्यातोन्मुखी उद्योगों के विकास तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त राज्य को इस उद्देश्य के लिये पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध करेगी; और

(ग) उस राज्य में निर्यात योग्य वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार पांचवीं योजना के दौरान कोई विशेष कार्यवाही करना चाहती है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकार की नीति उद्योगों विशेषकर निर्यात पूरक उद्योगों का विकास करने की है। वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहायता प्रदान करने की एक शर्त उद्योगों का निर्यात परक होना है। निर्यात परक एककों को प्राथमिकता के आधार पर तकनीकी और प्रबन्धकीय सहायता प्रदान की जायेगी। केरल सरकार की वर्ष 1975-76 की वार्षिक योजना के लिये ग्राम और लघु उद्योग क्षेत्र के लिये प्रस्तावित 260 लाख रुपये के परिव्यय में 235 लाख रुपये का परिव्यय अन्तिम रूप से प्रस्तावित है। इसमें कयर उद्योग जो केरल का एक निर्यात परक उद्योग है के विकास की 72 लाख रुपये की राशि भी सम्मिलित है। 1974-75 में कयर उद्योग का विकास करने की केरल सरकार की योजना के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा 100 लाख रुपये स्वीकार किये गये हैं। और 1975-76 की वार्षिक योजना के लिये 100 लाख रुपयों के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है।

सीमेंट की कमी

397. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76 के दौरान सीमेंट की अनुमानतः कितनी कमी रहेगी ; और

(ख) इस कमी को किस प्रकार पूरा करने का विचार है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) (क) 1973-74 में सीमेंट की मांग का अनुमान 190 लाख मीट्रिक टन लगाते हुए वार्षिक वृद्धि दर 8 प्रतिशत और निर्यात 5 लाख प्रतिवर्ष का अनुमान लगाते हुए सीमेंट उद्योग के कृतिकदल ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिये अनुमान लगाया है कि 1975-76 में सीमेंट की मांग 221.6 लाख मीट्रिक टन हो जायेगी। 1975-76 के अन्त में देश में सीमेंट उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता 217.00 लाख मीट्रिक टन हो जायेगी।

(ख) सरकार अधिकतम उत्पादन की प्राप्ति हेतु कोयले और विद्युत् की पर्याप्त सप्लाई का सुनिश्चिय करने तथा उद्योग की रेल परिवहन की आवश्यकताएं पूरी करने के लिये सभी संभव कदम उठा रही है। हाल के महीनों में उत्पादन में वृद्धि की उत्साहवर्धक प्रवृत्ति दिखाई दी है।

पांच लाख व्यक्तियों को रोजगार देने की योजना के अन्तर्गत उपलब्ध करवाये गये रोजगार

398. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सम्पूर्ण देश में पांच लाख व्यक्तियों को रोज़गार देने की योजना के अन्तर्गत अब तक कितने रोजगार उपलब्ध करवाये जा चुके हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : पांच लाख रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1973-74 के दौरान देश में 3,34,184 रोजगार के अवसर अर्जित किए गये।

P. C. O's in Porasa and Baroda Villages of Madhya Pradesh

399. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether P.C.O's have been sanctioned for Porasa Village of Ambah Tehsil in district Morena and Baroda village in Sheopur Kalan of Madhya Pradesh and the same have been shown in the Telephone Directory of Madhya Pradesh;

(b) if so, when these P.C.O's were installed; and

(c) the number of calls booked by the people since the installation of the P.C.O's.

The Minister of Communications (Dr. Shankar Dayal Sharma):(a) & (b) A Telephone Exchange has been sanctioned for Porasa village in district Morena without sanctioning a PCO. This exchange has been opened on 31-3-74. It does not appear in the telephone directory of M. P. circle which was issued in September, 1973.

A PCO at Baroda village of Sheopur Kalan has since been sanctioned in February, 1975. The PCO is yet to be opened. It will appear in the Directory after it is opened.

(c) The total number of calls booked during the period 31-3-74 to 25-12-74 from the telephone exchange at Porasa is 2243. The P.C.O. at Baroda village in Sheopur Kalan is yet to be opened.

Telephone Exchange in Morena District

400. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :—

(a) whether the batteries of telephone exchanges at Morena, Amba, Jaora, Sabalgarh, Vijaypur and Sheopur of Morena district remain frequently out of order ;

(b) if so, the arrangements being made by Government to make them workable; and

(c) the number and the nature of the complaints received by telephone exchanges from traders and citizens during the years 1972-73 and 1973-74 and the action taken by Government in the matter ?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma) : (a) Stand-by batteries are available at Morena and Sabalgarh, and are working satisfactorily. No standby batteries are available at Jaora, Shivpurkalan, Vijaypur and Amba.

(b) For Amba and Shivpurkalan, battery installations are under progress. For Jaora and Vijaypur supply is awaited.

(c) No written complaint was received during 1972-73. During 1973-74 only one complaint of a General nature was received from Vijaypur.

दिल्ली के जामा मस्जिद क्षेत्र में घटी घटनाओं की चर्चा के बारे में

Re : Discussion on incidents in Jama Masjid Area, Delhi.

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : श्रीमान हमें जामा मस्जिद क्षेत्र में हुई घटनाओं पर स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि इस संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर्याप्त नहीं होगा। क्योंकि इसमें कुछ प्रश्न ही पूछे जाते हैं जिनका उत्तर मंत्री दे देता है और इस प्रकार कई बातों का पता नहीं चलता। अतः इस पर स्थगन प्रस्ताव होना चाहिए।

सुलेमान सेट (कोजीकोड) : हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं होंगे।

श्री एस० ए शमीम : हम सारी सच्चाई जानना चाहते हैं। जो कुछ हुआ है उस पर पूरी चर्चा की जानी चाहिए।

व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : यदि आप सभी लोग बोलेंगे तो मैं किसी की भी बात नहीं सुन पाऊंगा

श्री एस० ए शमीम : क्या इमाम बुरा व्यक्ति समझा जाता था और आज अच्छा व्यक्ति समझा जा रहा है। स्थगन प्रस्ताव के रूप में तत्संबंधी सारी जानकारी सभा को दी जानी चाहिए। आसुंका के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया देश-विरोध व्यक्ति आज कैसे अच्छा समझा जाने लगा है ? इस पर पूरी चर्चा की जानी चाहिए।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : स्थिति गंभीर है और कर्फ्यु अभी भी जारी है ।

अध्यक्ष महोदय : कल मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दे दी थी। इसे मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में पेश करने की अनुमति दे दी है।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से हमें संतुष्टि नहीं होगी। लगभग 700 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और इसलिए यह एक गम्भीर मामला है ।

श्री एस० ए० शमीम : 70 आदमी मारे गए हैं और 500 व्यक्तियों से अधिक जेल में हैं... (**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय : आप सभी एक साथ बोल रहे हैं जिससे मुझे कुछ नहीं सुनाई देता । कृपया बैठ जाइये ।

Shri Atal Behari Vajpayee (Gwalior) : There is no assembly in Delhi. Delhi Administration is under Parliament. Ten people have been killed in police firing on 2nd February. How we will discuss this serious matter.

Mr. Speaker : Till you do not sit, we can not do anything in this regard.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : क्या इसका अर्थ यह है कि इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश करके और कोई चर्चा नहीं होगी ?

Mr. Speaker : Everything will be done, provided you sit down.

श्री इन्द्र जीत गुप्त : यदि आप इस पर अग्रेतर चर्चा करने की अनुमति देते हैं तो फिर ठीक है (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आपसे निवेदन है कि आप बैठ जाइये।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I have to raise a point of orde..

Mr. Speaker : What is your point of order. For the time being Call attention Notice is before the house.

श्री एस० ए० शमीम : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव का अनुकल्प नहीं होता। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

Shri Madhu Limaye : Whether you have made it a rule that no point of order will be allowed during this Session.

अध्यक्ष महोदय : जब तक सभा के समक्ष कोई कार्य नहीं तब तक मैं स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दे सकता। यहां अभी पहली मदों पर ही चर्चा समाप्त हुई है।

कृपया सब बैठ जायें। जब तक आप नहीं बैठेंगे तब तक मैं अपना कोई निर्णय नहीं दूंगा। मुझे कल जितने भी व्यवस्था के प्रश्न प्राप्त हुए हैं, मैंने उन सबको अस्वीकार कर दिया है। मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार किया है। किन्तु उस पर चर्चा की अनुमति नहीं दे सकता। अब आपकी इच्छा है कि आप चर्चा चाहते हैं या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री एस० ए० शमीम : हम चर्चा स्वीकार करते हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : श्रीमान जी मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

Mr. Speaker : The meeting of the Business Advisory Committee will be called this evening. Time will be allotted there for discussion on this matter.

श्री बसंत साठे (अकोला) : इस पर चर्चा के लिए दो घंटे से अधिक नहीं दिए जाने चाहिएं।

अध्यक्ष महोदय : कार्य मन्त्रणा समिति से परामर्श करके मैं इसके लिए समय निर्धारित करूंगा।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : श्रीमान जी चर्चा के लिए समय हम कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में निर्धारित कर लेंगे। **(व्यवधान)**

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री, अंतरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : श्रीमान जी इस पर आज चर्चा करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। वैसे आपकी इच्छा है।

Shri Madhu Limaye : If you allow discussion on this matter today, I am prepared to postpone my half an hour discussion.

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिये। हम इस पर 3.30 बजे चर्चा आरंभ करेंगे। तब तक हम कार्य मंत्रणा समिति में समय निर्धारित कर लेंगे।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : कृपया जब चर्चा चल रही हो तो आप बैठक न बुलाएं।

अध्यक्ष महोदय : कई और भी कार्य करने हैं। यह पहले ही निर्धारित कर ली गई है। कई अन्य मामले भी हैं।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : हम कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में कैसे उपस्थित हो सकते हैं? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे कल तक के लिए स्थगित कर सकता हूं। मैं आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुला रहा हूं।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : आज ही चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप सुनते क्यों नहीं? हम इस पर दो बजे से 6 बजे तक चर्चा करेंगे और इसके बाद एक मिनट भी चर्चा नहीं चलेगी। जिन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया है, उन्हीं के नामों पर यह प्रस्ताव पेश किया जायेगा।

Yesterday the house sat upto 10 O'Clock. It can not be a daily feature. If you want to sit late, please inform us so that we may make arrangements accordingly. Otherwise the House will adjourn exact at 6 P.M.

यह चर्चा नियम 193 के अधीन होगी। जिन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया है, उन्हें बोलने का अवसर दिया जायेगा।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमान जी, कल मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि पटसन मजदूरों की हड़ताल के संबंध में बातचीत असफल हो गई है। मैं उस पर स्थगन प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पटसन मजदूरों की हड़ताल के बारे में कभी भी स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया।

श्री एस० एम० बनर्जी : श्रीमान जी आपको इस मामले पर चर्चा की अनुमति देनी चाहिए। **(व्यवधान)**

सभा पटल पर रखे गए पत्र

Papers laid on the table

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम 1955 के अन्तगर्त अधिसूचनाएं तथा मंत्रियों के (भत्ते और चिकित्सा तथा अन्य विशेषाधिकार) दूसरा संशोधन नियम, 1974।

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं श्री ओम मेहता की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) चौबीसवां संशोधन नियम, 1974 जो दिनांक 30 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सा०नि० 1260 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) सातवां संशोधन नियम, 1974 जो दिनांक 30 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सा०नि० 1261 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय वन सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन (नियम), 1974 जो दिनांक 30 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सा०नि० 1262 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०-8825/75]

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) चौबीसवां संशोधन विनियम, 1974 जो दिनांक 7 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सा०नि० 1299 प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तेइसवां संशोधन नियम 1974 जो दिनांक 7 दिसम्बर 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सा०नि० 1300 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल०टी० 8827/75]

(2)(क) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 2 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

(एक) अखिल भारतीय सेवाएं (भविष्य निधि) दूसरा संशोधन नियम, 19 जो दिनांक 14 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सा०नि० 1317 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) दूसरा संशोधन नियम 1974 जो दिनांक 11 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सा० नि० 11 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय पुलिस सेवा (विशेष रूप से भर्ती किये गये व्यक्तियों की वरीयता) संशोधन विनियम, 1974 जो दिनांक 11 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 12 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1974 जो दिनांक 11 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 13 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) अखिल भारतीय सेवाएं (भविष्य तथा कुटुम्ब पेंशन निधियों में जमा तथा उनसे भुगतान) संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 18 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 38 में प्रकाशित हुए थे ।

(छः) अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 18 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 39 में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) अखिल भारतीय सेवाएं (चिकित्सा सुविधा) संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 18 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां०नि० 40 में प्रकाशित हुए थे ।

(आठ) अखिल भारतीय सेवाएं (भविष्य निधि) संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 18 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां० नि० 41 में प्रकाशित हुए थे ।

(नौ) अखिल भारतीय सेवाएं (यात्रा भत्ते) संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 18 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 42 में प्रकाशित हुए थे ।

(दस) अखिल भारतीय सेवाएं—सेवा की शर्तें—अवशिष्ट मामले संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 18 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 43 में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्यारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पर्यवीक्षा) संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 18 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 44 में प्रकाशित हुए थे ।

(बारह) अखिल भारतीय सेवाएं (गोपनीय पंजी) संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 18 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 45 में प्रकाशित हुए थे ।

(तेरह) अखिल भारतीय सेवाएं (प्रतिकर भत्ता) (संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 18 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 46 में प्रकाशित हुए थे ।

(चौदह) अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति लाभ) संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 18 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 47 में प्रकाशित हुए थे ।

(पंद्रह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 18 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 48 में प्रकाशित हुए थे ।

(सोलह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वरिष्ठता का विनियमन) संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 18 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 49 में प्रकाशित हुए थे ।

(सत्रह) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 18 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 50 में प्रकाशित हुए थे ।

(अठारह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 18 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 51 में प्रकाशित हुए थे ।

(उन्नीस) भारतीय पुलिस सेवा (वर्दी) संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 18 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 52 में प्रकाशित हुए थे ।

(बीस) भारतीय पुलिस सेवा (पर्यवीक्षा) संशोधन नियम, 1974 जो दिनांक 18 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 53 में प्रकाशित हुए थे ।

(इक्कीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (विशेष रूप से भर्ती किये गये व्यक्तियों की वरिष्ठता) संशोधन विनियम, 1975 जो दिनांक 18 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 54 में प्रकाशित हुए थे ।

(बाइस) भारतीय पुलिस सेवा (वरिष्ठता का विनियमन) संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 18 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 55 में प्रकाशित हुए थे ।

(तेईस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) चौथा संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 18 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 56 में प्रकाशित हुए थे ।

(चौबीस) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 1 फरवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 136 में प्रकाशित हुए थे ।

(पच्चीस) भारतीय पुलिस सेवा (वर्दी) दूसरा संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 1 फरवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 137 में प्रकाशित हुए थे ।

(ख) मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1952 की धारा 11 की उपधारा (2) के अन्तर्गत मंत्री (भत्ते, चिकित्सा तथा अन्य विशेषाधिकार) दूसरा संशोधन नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे जो दिनांक 23 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां०नि० 693 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए एल०टी० संख्या 8896/75]

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी भी दशा में व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दंगा ।

श्री पी० जी० मावलंकर : मैं स्थगन प्रस्ताव के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी भी प्रकार का स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर रहा हूं। (**व्यवधान**)

श्री पी० जी० मावलंकर : व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : आप अनुरोध कर सकते हैं किन्तु व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते ।

श्री पी० जी० मावलंकर : यह स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के संबंध में नहीं है ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Have points of order been removed from the Rules ? (*interruptions*). You are trying to be dictator day by day. (*interruptions*). You will not listen to my point of order ? Point of order is allowed in every Parliament. (*interruptions*).

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। आप इसे वापस ले लीजिए या सभा से बाहर चले जाइये ।

Shri Madhu Limaye : I do not withdraw it (*interruptions*).

अध्यक्ष महोदय : मैं यह सब कुछ सहन नहीं कर सकता । आप या तो इसे वापस लीजिए या फिर सभा से बाहर निकल जाइये । आप इस तरह की बातें करने के आदी हो गए हैं।

कुछ माननीय सदस्य : उन्हें यह वापस लेना ही होगा ।

अध्यक्ष महोदय : सभा के समक्ष कोई कार्य नहीं है। व्यवस्था का प्रश्न तब उठाया जाता है जब सभा में किसी विषय पर चर्चा चल रही हो । जब तक वह इसे वापस नहीं लेते तब तक मैं अग्रेतर कार्यवाही नहीं करूंगा ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : क्या मैं अनुरोध कर सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात वापस लेनी होगी या वह सभा से बाहर चले जायें ।

प्रो० मधु दंडवते : क्या मैं निवेदन कर सकता हूं ?

श्री सी० एम० स्टीफन (मुक्तुपुजा) : हम सुनने के लिए तैयार नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं तब तक काम को आगे नहीं चलाऊंगा। या तो आप इसे वापस लीजिए या फिर सभा से बाहर चले जाइये । मैं ऐसा कई सत्रों से देखता आ रहा हूं ।

Shri Madhu Limaye : Will you not listen to my point of order ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी मामले पर चर्चा नही हो रही हैं अतः व्यवस्था के प्रश्न का प्रश्न ही नहीं है । आपको सभा की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग पहले बैठ जायें ।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आप अध्यक्ष की बात को नहीं मानेंगे तो अध्यक्ष अपना कार्य नहीं कर पायेंगे । मुझे आशा है कि आप इस बात से सहमत होंगे । जब तक इन नियमों का पालन नहीं किया जाता तब तक लोकतंत्र या संसद अपना कार्य नहीं कर सकती । हमें अध्यक्ष का कहना मानना चाहिए अन्यथा यह स्वाभाविक है कि सभा आज्ञा का पालन न करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करेगी। अब मेरा श्री मधु लिमये से अनुरोध है कि वह अपना व्यवस्था का प्रश्न वापस ले लें ताकि सभा का कार्य आगे चले । (**व्यवधान**)

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर): सारी गलतफहमी इस लिए हुई है कि श्री मधु लिमये तथा अन्य सदस्यों ने यह समझा कि आप किसी भी व्यवस्था के प्रश्न को नहीं सुनेंगे । मेरा ख्याल है कि जो कुछ आपने कहा है वह इस तरह नहीं होगा । (**व्यवधान**) आपको तो केवल सदस्यों को यह आश्वासन देना है कि समुचित व्यवस्था के प्रश्नों को सुना जायेगा । यदि आप इस तरह का आश्वासन दे दें तो मैं श्री मधु लिमये से यह अनुरोध करूंगा कि वह अपने कथन को वापस ले लें जिससे आपको गलतफहमी हुई है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप यह स्पष्ट कर दें कि आप व्यवस्था के प्रश्नों पर रोक नहीं लगायेंगे ।

श्री ज्योतिमय बसु (डायमंड हार्बर) : उठे

अध्यक्ष महोदय : मैं यह सहन नहीं कर सकता कि आप जब चाहें अपने स्थान से उठ जायें ।

जब मैंने पुराने मामलों को निपटा लिया है और चर्चा के लिए समय निर्धारित कर लिया है तो वे व्यवस्था के प्रश्न को लेकर उठ खड़े हो । और मैं यह सभा को बता चुका हूं कि जब सभा किसी विषय पर चर्चा नहीं कर रही हो तो व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता । मैंने श्री मावलंकर को कहा है कि वह निवेदन कर सकते हैं किन्तु व्यवस्था का प्रश्न उठाने की कोई बात ही नहीं है क्योंकि हम अभी किसी विषय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। श्री मधु लिमये मेरी बात से सहमत न हों लेकिन उनका यह कहना कि "आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं," उचित नहीं है ।

प्रो० मधु दंडवते : मैं मानता हूं कि जब सभा के समक्ष को मामला न हो तो व्यवस्था का प्रश्न ही नहीं होता । किन्तु श्री लिमये सभा के कार्य के बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते थे । यदि आपने उन्हें सुना होता तो आप ने उनकी बात जान ली होती ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनसे अनुरोध करने के लिए कह दिया था । फिर इस तरह की बातें क्यों की गई ।

प्रो० मधु दंडवते : सदस्यों तथा अध्यक्ष, सभी को प्रक्रिया के नियमों का अनुसरण करना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह सब सुनने के लिए तैयार नहीं हूं ।

प्रो० मधु दंडवते: यदि आप यह समझते हैं कि यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है तो आप उसे अस्वीकार कर सकते हैं ।

श्री सी० एम० स्टीफन : प्रश्न यह है कि क्या आपके आदेशों का पालन किया जायेगा । नियम 377 के अंतर्गत दिया गया आदेश मनवाना पड़ता है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थीं । अतः उन्हे पहले अपनी कही हुई बातें वापस लेनी होंगी ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : श्रीमन् जी में एक अनुरोध करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अब किसी भी तरह का अनुरोध नहीं । मैं अपने धैर्य की चरम सीमा पर पहुंच गया हूं । मैंने उन्हें इस तरह की भाषा का प्रयोग न करने के लिए कहा।

प्रो० मधु दंडवते : मेरा पुनः आपसे निवेदन है कि आप उन्हे अपना व्यवस्था का प्रश्न उठाने दें।

अध्यक्ष महोदय : पहले आप उनसे अनुरोध करें कि वह अपने शब्द वापस ले लें ।

प्रो० मधु दंडवते : यदि आपको गुस्सा आया है तो आपको दूसरे व्यक्ति की बात को समझना भी चाहिए । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कोई सीमा भी होनी चाहिये ।

श्री मधु दंडवते : जब किसी समाचार पत्र में यह छपता है कि आपसे कांग्रेस पार्टी ने कुछ सदस्यों को निलम्बित करने को कहा है.....।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इसे न्यायोचित मानते हैं ? क्या यह अध्यक्ष पीठ की गरिमा के मुताविक है?

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad) : If someone calls you dictator, we are not prepared to accept it, neither we like it, but you see we have been trying to raise points of order since yesterday, then why.....

अध्यक्ष महोदय: व्यवस्था का प्रश्न किसी विषय पर चर्चा के समय ही तो उठाया जा सकता है न कि हर समय ?

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : When Shri Limaye rose on a point of order yesterday, a copy of the President's Address was being laid on the Table. You did not allow him to do so even today, he thought you have made up your mind not to allow him. After your clarification it appears that he wanted to raise a point of order before the said copy was laid.

Mr. Speaker : I have ruled many a time that you can make a submission while the papers are being laid. You cannot raise point of order because the papers have to be laid after all.

मेरा विनिर्णय कोई नया नहीं है, किसी विषय के विचाराधीन न होने पर व्यवस्था का प्रश्न कैसे उठाया जा सकता है ? यही बात मैंने श्री मावलंकर से भी कही थी कि आप अपनी बात कह सकते हैं यह प्रश्न नहीं उठा सकते ।

श्री ज्योतिमय बसु : आपने एक गलती की है..:(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इस नियम के बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगा । मुझे आपकी सलाह नहीं चाहिये ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगू सारय) : मैं समझता हूं कि यदि आप ने बुरा मान है तो हमारे प्रतिनिधि होने के नाते हमें भी बुरा लगेगा अतः यदि किसी शब्द पर आपको आपत्ति है तो वह इसे वापस ले सकते है या आप उसे कार्यवाही से निकाल सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मैं दो विकल्प प्रस्तुत कर रहा हूं । आप इस बात पर भी विचार करेंगे कि वह तब से खड़े थे जब आप ध्यान आकर्षण सूचना को नियम 193 के अधीन प्रस्ताव में बदलने के लिए सभा से कह रहे थे । क्या इस स्थिति में मैं इस संबंध में अपनी बात नहीं कह सकता ?

अध्यक्ष महोदय : सभा की इच्छानुसार ही मैंने ऐसा करना स्वीकार किया था ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : यह बात नहीं है । मैं तो यह कह रहा था कि क्या किसी सदस्य को उस स्थिति के बारे में अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है:--

अध्यक्ष महोदय : उस समय की स्थिति यह है कि उस समय बहुत से सदस्य अपने विचार प्रकट करना चाहते थे । मैंने सभा में अपना प्रस्ताव रखा जो मान लिया गया । यहां तक कि समय भी निश्चित हो गया । जैसे ही मैं दूसरी मद की घोषणा करने जा रहा था, तभी व्यवस्था का प्रश्न उठाने की बात चल पड़ी । इस पर ही मैंने कहा था कि यदि उन्हें कोई बात कहनी है तो व्यवस्था का प्रश्न उठा कर नहीं बल्कि निवेदन के रूप में कही जा सकती है क्योंकि पिछली मद निपटाई जा चुकी है । इससे अधिक न्यायोचित बात क्या हो सकती है ?

श्री श्याम नन्दन मिश्र : फर्क तो नाम का ही हुआ इसलिए आप उन्हें अवश्य अपना वाक्य वापस लेने के लिये कह सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह कहें तो कि वह उसे वापस लेते हैं ।

श्री समर गुह (कंटाई) : यहां कुछ शान्ति है । आज के लिये ही श्री लिमये के नाम आधे घंटे की चर्चा भी है । अतः जब आपने नियम 193 के अधीन चर्चा के लिये समय निश्चित किया तो उनका प्रश्न उठाना उचित ही था । वास्तव में नियमानुसार ऐसी स्थिति में संबंधित सदस्य से भी पूछा जाना चाहिये था।

अध्यक्ष महोदय : श्री लिमये मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अध्यक्ष पीठ के विरुद्ध कहे गए वाक्य वापस लें ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मैं आपका आभारी हूं कि छः वर्ष के बाद आज हमें बताया गया है कि किन अवसरों पर व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाना चाहिये और किन अवसरों पर निवेदन किया जाये ।

दूसरे यह एकमात्र घटना नहीं हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं ।..

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें इसे वापस लेने को कहा है । यदि मैं तानाशाह हूं तो मुझे अध्यक्ष बने रहने का कोई अधिकार नहीं है । मुझे सभा की कार्यवाही को चलाना होता है और मैं आपकी अधिकांश मागें मानता रहा हूं, परन्तु ऐसा सीधा प्रहार मैं सहन नहीं कर सकता ।

श्री पीलू मोदी: मैं तो चाहता हूं कि आप तानाशाह होते ताकि सरकार से वह सभी जानकारी दिलवाते जो उन्हें यहां देनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय: मैं चाहूंगा कि आपका दल सत्तारूढ़ होने पर आपको अध्यक्ष बनाए । अध्यक्ष बनते ही आपकी बोलती बन्द हो जाएगी ।

श्री पीलू मोदी: इस मजाक के बावजूद मैं अपनी बात अवश्य कहूंगा ।

आज की सभा की बैठक आरंभ होने से पूर्व ही हमें पता लगा था कि विपक्ष के कुछ सदस्य को सभा से निष्कासित करने की योजना है । अतः आपको तानाशाह और कठपुतली में से एक स्थिति को चुनना है । अतः आपको नाराज़ होने की आवश्यकता नहीं है । यह तो कई मास से हो रहा है और सभा की कार्यवाही... ।

श्री पीलू मोदी: आप कृपया मेरी बात सुनें ।

अध्यक्ष महोदय: शांति रखिए ।

श्री पीलू मोदी: कई बार आप मुझे टोक चुके हैं ।

अध्यक्ष महोदय: आप असंगत बात कह रहे हैं ।

श्री पीलू मोदी: मैं तो केवल इतना बताना चाहता हूं कि भारत में एक दल शासन नहीं चल सकता । सरकार को वर्तमान प्रणाली को जारी रखना होगा और उन्हें मेरी बात सुननी होगी....

अध्यक्ष महोदय: आप पीठासीन अधिकारी से इस तरह नहीं बोल सकते ।

श्री पीलू मोदी: मेरा सुझाव है कि हम कार्यसूची की अगली मद पर चर्चा करें ।

अध्यक्ष महोदय: नहीं ! जब तक श्री मधु लिमये इसे वापिस नहीं लेते, ऐसा नहीं हो सकता।

श्री सी० एम० स्टीफन: मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय: अब आप व्यवस्था का प्रश्न न उठाएं । श्री मधु लिमये यह बताएं कि वह अपना प्रस्ताव वापिस ले रहे हैं अथवा नहीं ।

Shri Madhu Limaye: Firstly I would like to make it clear that I do not want to do any thing which is against the procedure and the dignity of the House. But for upholding dignity of the House is it not necessary that not only we on this side but those belonging to the ruling party and you yourself should follow the rules.

I have got the impression from newspapers that points of order raised by the Opposition Members during Budget Session will not be allowed. Will you please remove my apprehension ?

यक्ष महोदय: यदि आपका व्यवस्था का प्रश्न उचित होगा तो आपको कोई नहीं रोक सकता ।

Shri Madhu Limaye : Without listening how can you know whether it is properly raised or not ? There is a news in today's Hindustan Times that S/Shri Jyotirmoy Bosu, Janeshwar Mishra and Madhu Limaye are to be expelled from the House for the whole of the session. If you want to do so, you can do it because you have got two third majority.

Shri Atal Bihari Vajpayee : How can they do that ?

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : हम जनता द्वारा चुनकर भेजे गए हैं ।

Shri Madhu Limaye : After the Question Hour, I stood on a point of order and wanted to make a suggestion that if you are going to accept a motion regarding Jama Masjid incident, I am prepared for the postponement of my half-an-hour discussion. But you did not allow me to say that. My submission is this that if you feel that my point of orderis bogus, you can dispose it of quickly.

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि एक मद की समाप्ति और दूसरी मद के प्रारम्भ होने के बीच यदि किसी विषय पर चर्चा न होनी हो तो उस समय व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नियम संख्या 376 में कहा गया है:—

"परन्तु अध्यक्ष किसी सदस्य को कार्य की एक मद समाप्त होने और दूसरी के प्रारम्भ होने के बीच की अन्तरावधि में औचित्य प्रश्न उठाने की अनुमति दे सकेगा यदि वह सभा में व्यवस्था बनाए रखने या सभा के समक्ष कार्य-विन्यास के सम्बन्ध में हो"

इस प्रकार व्यवस्था का प्रश्न सुने बिना आप निर्णय कैसे कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने स्पष्ट कर दिया था कि आप निवेदन कर सकते हैं ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : If Congress party tries to expell any member, it will have to expell all the members of opposition parties. The Parliament will not be able to work that way.

गुजरात में चुनाव कराने के बारे में

Re : Holding of Elections in Gujarat

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहा था लेकिन आपने उसकी अनुमति न देते हुए मुझे निवेदन करने के लिये कहा था । मेरा निवेदन यह है कि गुजरात राज्य में चुनाव करवाने में केन्द्रीय सरकार की असफलता के बारे में मैंने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था । मैंने सोचा था कि आप सदन की इस नोटिस की जानकारी देंगे । यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है । सरकार द्वारा गुजरात विधान सभा के चुनावों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना कहां तक संगत है ? क्या ऐसा करना गुजरात की जनता को उनके प्रजातांत्रिक अधिकारों से वंचित करना नहीं है । आप स्वयं निर्णय करें क्या यह मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है ? मुझे खेद है कि अध्यक्ष महोदय ने इस मामले को सदन की जानकारी में लाना आवश्यक नहीं समझा । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब कोई सदस्य न उठे मैं किसी को बोलने की अनुमति नहीं दूंगा ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

Papers laid on the table

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स, इन्दूनगर, ऊटाकमंड का वर्ष 1973-74 की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन और टायर और ट्यूब (लाने-ले जाने पर नियन्त्रण, संशोधन आदेश, 1974

उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (1) मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:—

(एक) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स (स) इन्दूनगर, ऊटाकमंड के 31 मार्च, 1974 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स इन्दूनगर, ऊटाकमंड के 31 मार्च, 1974 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी-8897/75]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत टायर और ट्यूब (लाने– ले जाने पर नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1974 (हिन्दी तथा अंगेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 27 दिसंबर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 736 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी-8898/75]

व्याज-कर अधिनियम 1974, दानकर संशोधन तथा नियम, 1970, आयकर अधिनियम, 1961, आयकर संशोधन तथा नियम 1974-75 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, सीमाशुल्क कम्पनी अधिनियम (लाभ) अतिकर (संशोधन) नियम के अर्न्तगत अधिसूचनाएं, तथा धनकर अधिनियम और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के अर्न्तगत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) ब्याज-कर अधिनियम, 1974 की धारा 27 की उपधारा (4) के अन्तर्गत व्याज-कर नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 30 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 740 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी-8899/74]

(2) दानकर अधिनियम, 1958 की धारा 46 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दानकर (संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 19 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 727 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी-8900/75]

(3) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) आयकर (छठा संशोधन) नियम, 1974 जो दिनांक 19 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० आ० 725 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आय-कर (प्रमाण-पत्र कार्यवाही) (संशोधन) नियम, 1974 जो दिनांक 30 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० आ० 738(ङ) में प्रकाशित हुये थे ।

(तीन) आयकर (संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 10 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सां० आ० 25 (ङ) में प्रकाशित हुये थे ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 8901/75]

(4) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 181 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 8 फरवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी-8902/75]

(5) कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 की धारा 25 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कम्पनी (लाभ) अतिकर (संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 19 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 728 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी-8903/75]

(6) धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 46 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) धन-कर (तीसरा संशोधन) नियम, 1974 जो दिनांक 19 दिसम्बर-1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 726 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) धन-कर, (चौथा संशोधन) नियम, 1974 जो दिनांक 30 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 739 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी-8904/75]

(7) केन्द्रीय उत्पाद शुल्कनियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गयी निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) सा० सां० नि० 105 जो दिनांक 25 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सां० नि० 42 (ङ) जो दिनांक 3 फरवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-8905/75]

भारतीय तार (बारहवां तथा तेरहवां संशोधन नियम, 1974 तथा दूर-संचार शाखा क वर्ष 1972-73 के लाभ तथा हानि लेखे और तुलन-पत्र

संचार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:—

(1) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) भारतीय तार (बारहवां संशोधन) नियम, 1974 जो दिनांक 14 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1341 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय तार (तेरहवां संशोधन) नियम 1974 जो दिनांक 28 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1396 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी-8906/75]

(2) भारतीय डाक और तार विभाग की दूर संचार शाखा के वर्ष 1972-73 के लाभ तथा हानि लेखे और तुलन पत्र (उपार्जित आधार पर) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-8907/75]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

50वां प्रतिवेदन

श्री जी० जी० स्वैल (स्वायतशासी ज़िले) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 50 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

लोक वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन विधेयक)
Public Financial Institutions Laws (Amendment) Bill

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किय जाने के समय का बढ़ाया जाना

श्री के० सूर्यनारायण (एलूरू) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले वर्षाकालीन सत्र (1975) के दूसरे सप्ताह के प्रथम दिन तक और बढ़ाती है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि यह सभा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले वर्षाकालीन सत्र (1975) के दूसरे सप्ताह के प्रथम दिन तक और बढ़ाती है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

नियम 377 के अधीन मामला
Matter under Rule 377

रेल विभाग के पास कोयले का स्टाक कम होने के कारण गाड़ियों का रद्द किया जाना

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : Mr. Speaker, Sir, a serious news has been published in today's newspapers saying that Indian Railways have only three days' stock of Coal and a number of trains have been cancelled due to shortage of Coal. The other day the Minister of Energy told us that production of Coal is on the increase. I would like to know the factual position in this regard. The Minister of Energy and the Minister of Railways should make a statement in the House and also see that no train is cancelled due to shortage of coal. Strict action should be taken against those who are responsible for the shortage of Coal.

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अदायगी के बारे में
Re : Payment of D. A. to Central Government Employees

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : कल मैंने नियम 377 के अन्तर्गत एक महत्वपूर्ण मामला उठाने की अनुमति मांगी थी लेकिन आपने कहा था कि मैं कल अपनी बात कहूं । आपको पता है कि सरकार ने कर्मचारियों को जून, जुलाई तथा सितम्बर के देय मंहगाई भत्ते की किस्तें देना स्वीकार कर लिया है । पहली नवम्बर तथा पहली दिसम्बर से दो किस्तें और देय हैं । वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि जब मूल्य सूचकांक 272 के अंक पर पहुंच जाएगा तो वेतन-मानों में संशोधन किया जाएगा । श्री जगजीवन राम ने 18 जनवरी, 1975 को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते हुए इस बात पर सहमत हुए थे कि इस सम्बन्ध में चर्चा की जाएगी । उन्होंने यह भी स्वीकार किया था कि कर्मचारियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की जाएगी ।

मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री यह वक्तव्य दें कि मार्च, 1975 से सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों तथा सरकारी प्रतिनिधियों के बीच वेतनमानों में संशोधन करने के बारे में बातचीत शुरू हो जाएगी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : जामा मस्जिद पर चर्चा 2 बजे होगी । इस समय 1.25 बज चुके हैं । इस पर चार घंटे लगेंगे । यदि हम 2.30 बजे यह चर्चा आरंभ करें तो 6.30 बजे समाप्त होगी उसके बाद और सदस्यों को भाषण करने की आज्ञा नहीं दी जा सकेगी । अब सभा भोजनकाल के लिए स्थगित होगी ।

(तद्पश्चात लोक सभा भोजन काल के लिए 2-30 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।)

(The Lok Sabha then adjourned for lunch till thirty minutes past fourteen hours of the Clock.)

(लोक सभा भोजनकाल के पश्चात् 2-30 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई)

(The Lok Sabha reassembled after lunch at half past fourteen hours of the Clock.)

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए । Mr. Deputy speaker in the Chair]

मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में अकाल की स्थिति के बारे में
Re : Famine Condition in Chhatisgarh, Madhya Pradesh

Shri Madhu Limaye (Banka) : Sir, I want to make a submission. I have been informed by a Telegram from Chhatisgarh area that there is much tension in Raipur after the successful Bandh which was observed due to starvation and scarcity conditions. I, therefore, request you to kindly get a statement from Government as it is a Central Subject.

राजस्थान में भुखमरी के कारण हुई कथित मौतों के बारे में
Re : Reported Starvation deaths in Rajasthan

श्री कृष्ण चन्द्र हालदर (औसग्राम): मैंने नियम 337 के अधीन एक नोटिस दिया था । समाचार छपा है कि राजस्थान में भूख से सात व्यक्ति मर चुके हैं । अतः मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री से एक वक्तव्य देने और राजस्थान को पर्याप्त अनाज सप्लाई करने का अनुरोध करता हूं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डाइमंड हार्बर) : गत सत्र एक कार्य सूची में श्री रघुरामैया ने नगरीय संपत्ति परिसीमन विधेयक लाने की बात कही थी जबकि लोक सभा के समाचार भाग-2 के अनुसार अब नगरीय भूमि परिसीमन विधेयक लाया जाएगा यह धोखा है ।

दिल्ली के जामा मस्जिद क्षेत्र में पुलिस के कथित अत्याचारों के बारे में चर्चा
Discussion Re: Reported police atrocities in Jama Masjid area, Delhi

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर)। : जामा मस्जिद शाहजहां द्वारा लगभग 400 वर्ष पूर्व बनाई गई थी । खेद है कि पुलिस ने अल्पसंख्यकों के इस ऐतिहासिक उपासनागृह को भी नहीं बख्शा है क्योंकि उसकी दीवारों पर गोलियों के 12 निशान मैंने स्वयं गिने हैं ।

यह एक दुखद घटना है और नृशंस पुलिस वालों ने 25 व्यक्तियों की जानें ली हैं । दस मास में यह दूसरी घटना है और मैं श्री रेड्डी से जानना चाहूंगा कि सदर बाजार वाली घटना की जांच-रिपोर्ट क्या है । एक छात्र को गोली के सात घाव लगे हैं । कितनी शर्म की बात है । पुलिस ने झूठ पर झूठ बोला है । उनके अनुसार भीड़ ने पुलिस चौकी को आग लगा दी थी परन्तु हमें वहां जाने पर आग के कोई प्रमाण नहीं मिले । पुलिस की गोली-बारी से 18 वर्षीय मुस्लिम युवती फरीदा सदा के लिये

अपाहिज हो गई है। एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार स्वयं थानेदार ने मस्जिद की दीवार के साथ बनी 25 रुई की दुकानों को आग लगाई और समाज-विरोधी तत्वों को सहायता के लिए पुकारा। औजारों आदि की 40 दुकानें कर्फ्यू के दौरान लूटी गई। इस थानेदार को तुरन्त गिरफ्तार करके इस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिये और कड़ा दण्ड देना चाहिये। वहां के लोगों ने मुझे बताया है कि जामिया होटल में आग लगने पर पुलिस ने उन्हें इसे बुझाने से रोका।

जामा मस्जिद के इमाम पर राजद्रोह का अपराध लगा कर 'सी' श्रेणी में बन्दी रखा गया है। यह वही इमाम है जो कई बार सरकार द्वारा विदेश-यात्रा के लिये भेजा गया था। अब क्योंकि वह सरकार की आलोचना करता है इसलिये उसे हटाया जा रहा है। यह इमाम उसी के वंश में से है जिसे स्वयं शाहजहां ने नियुक्त किया था और वह जनता की इच्छा और मतों से इस पद पर आसीन है।

इन्दिरा सरकार जामा मस्जिद और उस क्षेत्र के लोगों को परेशान करने पर तुली हुई है। वहां कई दिनों से कर्फ्यू लगा हुआ है ताकि वे गरीब लोग अपनी रोजी-रोटी भी न कमा सकें।

आइये हम इस घटना की तह तक पहुंचे। कुछ मुसलमानों ने प्रधान मंत्री को याचिका भेजी है जिसमें वक्फ अधिनियम के अनुसार जामा मस्जिद के लिये समिति न बनाने की शिकायत की गई है, यह भी पता चलता है कि दिल्ली में वक्फ की 5 करोड़ की सम्पत्ति का किराया तीन लाख से कम नहीं होना चाहिये जबकि वास्तव में यह केवल 25 हजार है क्योंकि शेष धन किरायेदारों से मिलीभगत द्वारा हड़प लिया जाता है। इस बात को भूतपूर्व वक्फ मंत्री श्री अहमद ने 30 जुलाई, 1973 के प्रश्न संख्या 1023 के उत्तर में भी स्वीकार किया है।

देश में 1972 में 240 दंगे हुए परन्तु 1973 में पहले छः मास में ही 242 दंगे हुए यह स्वयं गृह मंत्रालय के आंकड़े हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: इस समय तो हम केवल जामा मस्जिद की घटनाओं की ही चर्चा कर रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु: अब मैं सदर बाजार के दंगों की चर्चा करूंगा जो 1.30 बजे शुरू हुए। 5 बजे श्री सुलेमान सेट ने प्रधान मंत्री से बात की और उन्होंने सेना बुलाने का बचन दिया। इन पांच घंटों में ही 25 व्यक्तियों की जानें गई, 300 व्यक्ति घायल हुए और अल्पसंख्यकों की 1.5 करोड़ की सम्पत्ति की क्षति हुई।

मुसलमानों की 60 दुकानें और 5 मस्जिदें जला दी गई। 1973 में भी ऐसी घटना घटी थी। श्री रेड्डी आपको त्याग पत्र दे देना चाहिये। सभी मंत्रियों को विशेष रूप से अल्प-संख्यक समुदाय के मंत्रियों को त्याग पत्र दे देना चाहिए। बार बार दंगे होने के बावजूद सरकार पर कुछ असर नहीं पड़ा। 1968 के बाद राष्ट्रीय एकता परिषद् की कोई बैठक नहीं हुई।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी. (निजामाबाद) विचारणीय विषय के साथ इसकी कोई संगति नहीं है। हाल की घटनाएं सामान्य रूप से हिन्दू-मुस्लिम दंगों के अन्तर्गत नहीं आती।

श्री ज्योतिर्मय बसु: 1968 में राष्ट्रीय एकता परिषद् ने प्रस्ताव पारित किया था कि जिला तथा राज्य स्तर पर नागरिक परिषद् स्थापित की जायेंगी। 6 वर्ष बीत जाने पर भी प्रस्ताव में उल्लिखित अन्य विषयों के बारे में भी कुछ भी प्रगति नहीं हुई।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब समाप्त करें ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : लन्दन में मुस्लिम जगत के विद्वानों का एक सम्मेलन हुआ था उस ने इस सरकार की उच्च सेवाओं में अल्प संख्यकों का प्रतिनिधित्व सबसे कम बताया है । उच्च शिक्षा पाने वाले मुसलमानों की संख्या शून्य बतायी गई है । 28 वर्ष में अल्प संख्यकों के लिये क्या किया गया है । जब वे सुरक्षा मांग रहे थे तब पुलिस को तो उन पर गोली नहीं चलानी चाहिए थी । मामले की न्यायिक जांच आवश्यक है और दोषी व्यक्तियों को दंड दिया जाना चाहिए । लूटी तथा जलाई गई दुकानों की क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए ।

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : श्री ज्योतिर्मय बसु ने मामले के कारणों की ओर ध्यान देने के स्थान पर अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले मामले रखने की चेष्टा की है । श्री बसु सदा ही झूठे आरोप लगाते हैं ।

जामा मस्जिद की घटनाओं से कोई भी प्रसन्न नहीं है । मामले के विवरण में गये बिना इन घटनाओं के लिये सरकार को दोषी नहीं ठहराना चाहिए ।

इस दुखद घटना पर 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के सम्पादकीय में कहा गया है कि पुलिस पर गोलियां चलाई गई हैं । सौभाग्य से कर्फ्यू लगा कर स्थिति पर नियंत्रण किया गया । लगभग सभी समाचार पत्रों ने समाचार दिया है कि यह घटना पूर्व नियोजित थी ।

समाचार पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार चले आ रहे तनाव में तीव्रता उस समय आई जब श्री बुखारी, जिनकी मान्यता वक्फ बोर्ड द्वारा समाप्त कर दी गई थी, ने अपने 500 समर्थकों का नेतृत्व करते हुए 'बच्चों की सराह' पहुंचे, यहां पर श्री शाहनवाज खां के नेतृत्व में बोर्ड की बैठक चल रही थी ।

यदि इमाम की वक्फ बोर्ड के प्रति कोई शिकायत थी तो वह सरकार से उसे दूर करने की मांग कर सकते थे । उन्होंने अपने आचरण द्वारा प्रजातन्त्र तथा सरकार को बहुत हानि पहुंचाई है ।

मेरा इमाम से, वक्फ बोर्ड से अथवा पुलिस से कोई विरोध नहीं है । मैं जामा मस्जिद की दुःखद घटनाओं का सही विश्लेषण करना चाहता हूं ।

यदि मेरी किसी व्यक्ति के प्रति शिकायत है तो क्या मैं कानून को अपने हाथ में लेकर उस पर हमला कर सकता हूं ? इस प्रकार के आचरण निश्चय ही सरकार और देश के विरुद्ध हैं । दिल्ली जनसंघ के प्रधान श्री मल्होत्रा ने कहा है कि यदि पुलिस गोली न चलाती तो स्थिति इतनी गम्भीर न होती ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : उनका कथन सही रूप से उद्धृत नहीं किया गया । उन्होंने कहा था :

यदि पुलिस ने गोली न चलाई होती तो स्थिति शांतिपूर्ण ढंग से नियंत्रित की जा सकती थी ।

श्री अर्जुन सेठी: यह सारी कार्यवाही दिल्ली की शांति को भंग करने तथा मैत्रीपूर्ण ढंग से कुछ मामलों में सरकार की उपलब्धियों को समाप्त करने के उद्देश्य से की गई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन सभी व्यक्तियों को अवसर दिया जायेगा जिनके नाम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में हैं । मैं पार्टियों के आधार पर सदस्यों को बोलने के लिये बुला रहा हूं ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी: पार्टी की सदस्यता के आधार पर आपने भारतीय साम्यवादी पार्टी के सदस्य को बुलाया है.....(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यह पूरी तरह अध्यक्षपीठ का उत्तरदायित्व है कि वह किसे बुलाये तथा किसे न बुलाये । श्री सेट ।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (कोजीकोड): जामा मस्जिद के हत्या काण्ड पर मैं बड़े दुःख के साथ बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मामला अत्यन्त नाजुक एवं गम्भीर है ।

इस दुःखद घटना को हुए 16 दिन व्यतीत हो गये हैं । अभी भी घायल होने वाले व्यक्ति, अस्पतालों में पड़े हैं । 700 से 800 व्यक्ति जैलों में हैं , कर्फ्यू जारी है और दैनिक मजदूरी पर निर्वाह करने वाले गरीब लोग भूखे मर रहे हैं । केन्द्रीय सरकार जो व्यवस्था तथा कानून बनाये रखने के लिये पूरी तरह उत्तरदायी है, इस बारे में सर्वथा विफल रही है ।

मुझे मालूम है कि इमाम को रिहा कर दिया गया है । यहां तक तो ठीक है । 4 तारीख को गृह मंत्री से अपनी भेंट के दौरान मैंने उनकी रिहाई की मांग की थी तथा पुलिस अत्याचारों की न्यायिक जांच के लिये भी कहा था । बिना इसके शांति स्थापित नहीं हो सकती ।

एक बड़े समुदाय के आध्यात्मिक नेता को आसुका के अधीन गिरफ्तार किया गया । जब आसुका पारित हुआ था तब सदन को आश्वासन दिया गया था कि इसका दुरूपयोग नहीं किया जायेगा । क्या यह आंसुका के दुरुपयोग का उदाहरण नहीं है ?

कहा गया है कि इमाम स्थायी नहीं था । परन्तु तथ्य इसके विपरीत हैं । इमाम को वर्षों पूर्व मास्को तथा मध्यपूर्वी देशों की यात्रा के लिये भेजा गया था । तब पासपोर्ट में "शाही इमाम" के रूप में उनका उल्लेख किया गया था ।

वर्तमान इमाम के पिता जब बीमार थे तब वह चाहते थे कि सईद अब्दुल्ला बुखारी का इमाम नियुक्त किया जाये । किशन गंज के दंगों के बाद ही इमाम ने सरकार की आलोचना की थी । इमाम ने घोषणा की थी कि वह वक्फ बोर्ड की बैठक जो दरियागंज में 'बच्चों के घर' में होनी थी के बाहर प्रदर्शन करेंगे । गृह मंत्रालय तथा वक्फ मंत्रालय को इसका पता था । उन्होंने बैठक स्थल में प्रवेश करने की चेष्टा की तथा उन्हें किसी ने नहीं रोका और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया । क्या यह सरकार का षड़यंत्र नहीं था । यदि मैं भूल नहीं करता तो श्री शाह नवाज खां ने कहा था कि सरकार उन्हें गिरफ्तार करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी ।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां): यह मनगढ़न्त बात है । मैंने ऐसा नहीं कहा था ।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : लगता है कि सरकार समाचारपत्रों में ऐसी बातें छापने के बाद उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है और क्योंकि मस्जिद में ऐसा नहीं हो सकता था इसलिए उसके लिए जाल बिछाया गया ।

बाद में इमाम की गिरफ्तारी के विरुद्ध लोगों का प्रदर्शन करना भी स्वाभाविक था परन्तु पुलिस का उन पर गोली चलाना किसी भी प्रकार उचित नहीं था चाहे कुछ लोगों ने उन पर पथराव भी क्यों न किया हो । क्या पुलिस ने गोली चलाने से पूर्व चेतावनी दी थी ? क्या इससे पहले लाठी चार्ज या अश्रुगैस छोड़ी गई थी ? मैं समझता हूं कि पुलिस ने बिना औचित्य और उत्साहट के गोली चलाई है । साधारणतया भीड़ को भगाने के लिए भी गोली चलाई जाती है परन्तु गोलियां शरीर के निचले भाग पर टांगों आदि पर चलाई जाती हैं जबकि जामा मस्जिद में सभी लोगों को गोलियां छाती और सिर पर लगी हैं । पुलिस द्वारा यह गोली कांड कितना भयानक और हृदयविदारक है यह इस बात से सिद्ध होता है कि मृतकों में एक भी व्यक्ति 28 वर्ष से अधिक का नहीं है और एक छात्रा जो 18 वर्ष की है अपने घर में सिलाई कर रही थी कि पुलिस वाले उसके मकान में घुस आए और दो गज दूर से उस पर गोली चलाई गई । इस प्रकार सभी 14–15 मामलों में बिना किसी शरारत के निर्दोष और निहत्थे लोगों को गोलियों से भून दिया गया । अतः हम आपके द्वारा सरकार से न्यायिक जांच की मांग करते हैं और सरकार यदि इसे नहीं मानेगी तो मैं यही कहूंगा कि सरकार किसी को बचाना चाहती है और सच्चाई का सामना नहीं करना चाहती ।

इन घटनाओं में एक और बात रहस्य बनी हुई है और वह है––दुकानों को आग किस ने लगाई ? यहां एक बात की सराहना करनी होगी कि इस नाजुक घड़ी में भी हिन्दुओं और मुसलमानों में पूर्ण प्रेम और सौहार्द का वातावरण था––फिर भी दुकानें जली हैं एक बात ही ठीक लगती है कि पुलिस की शह पर गुंडों ने दूकानें लूट कर उन्हें आग लगादी––मैं यह आरोप यहां लगाता हूं कि उन्होंने ऐसा किया ताकि इस घटना को साम्प्रदायिक रंग दिया जा सके ।

गत शुक्रवार को एक और गम्भीर घटना घटी है । जब लोग नमाज के बाद बाहर आ कर इमाम की गिरफ्तारी के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्होंने अपने इर्दगिर्द पुलिस ही पुलिस देखी इस पर उन्हें गुस्सा आ गया और वे अपना नियंत्रण खो बैठे परन्तु चावड़ी बाजार में जामिया होटल में आग लगाने पर जब लोगों ने पुलिस को ताला खोलने को कहा तो कोई कार्यवाही नहीं की गई और एक 60 वर्षीय वृद्ध सहित कई लोग जिन्दा जल मरे । क्या इसे उचित ठहराया जा सकता है ?

यही नहीं जो लोग गरीब लोगों को भोजन और दवाइयों आदि से सहयता के लिए जाते हैं उन्हें ही कर्फ्यू के उल्लंघन के आरोप में पकड़ लिया जाता है और जमना-पार के हमारे मुस्लिम-लीगियों को भी पकड़ लिया जाता है जबकि स्वयं पुलिस उन्हें शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सहायता देने को कहती है । यह सब प्रधान मंत्री और गृह मंत्री की नाक तले ही हो रहा है ।

यह तो अच्छी बात है कि इमाम साहिब को छोड़ दिया गया है परन्तु इस पूरे कांड की न्यायिक जांच होनी ही चाहिये ताकि पुलिस की बर्बरता और अन्याय पर से पर्दा उठ सके और उन्हें इतना कठोर दण्ड मिले कि भविष्य में उन्हें ऐसा करने का साहस न हो ।

मैं चाहता हूं कि अग्निकांड के सभी पीड़ितों को पूरा मुआवजा दिया जाये जिनमें जामा मस्जिद के अतिरिक्त चावड़ी बाजार का क्षेत्र भी शामिल हो जहां जामिया होटल तथा अन्य दुकानें भस्म हुई हैं ।

बन्दी बनाए गए सभी 700 व्यक्तियों को रिहा किया जाए क्योंकि उनका दोष केवल यही था कि उन्होंने इमाम साहिब की रिहाई की मांग की थी ।

इन मांगों के साथ ही मैं अपनी ओर से शांति स्थापना में पूरे सहयोग का आश्वासन देता हूं और चाहता हूं कि देश की प्रगति के लिए साम्प्रदायिक एकता सदा बनी रहे ।

Shrimati Subhadra Joshi (Delhi-Chandni Chowk) : Sir, the incident being discussed here is very grave and tragic but more tragic is the attitude of the Opposition who want to make a political capital of the situation.

I feel that if these elements had not instigated the Imam, this tragedy would have been avoided. I also apprehend that behind the arson there is a hand of the communal elements.

Regarding the nomination/election of the Imam, I think the communal parties like the Muslim League and the Jan Sangh have quarrel the pitch by poking their nose in this issue.

The origin of this incident may be traced to the quarrel between two factions going to Ajmer's Urs. Afterwards people of the other faction paraded the area and cried 'Blood for Blood' so as to start a communal riot (*Interruption*). We have all along maintained that the policy of revenge has no place in secularism.

After riots I found the entire area littered with brickbats, bricks and glass and among the injured a good number was those of policemen.

Sir, the role played by these parties and their press is very shameful. Provocative photos and writings were published to add fuel to fire.

Members of the Jan Sangh party and Muslim League addressed a meeting in Anglo-Arabic school and distributed black flags among the people. Such communal elements went around the streets and provoked the people to oppose the Government. They offered volunteers for this purpose (*interruptions*).

Jansangh paper "Motherland" and 'Organizer' shed crocodile tears and instigated the Muslim Community to rise against the Government. These papers published news about arson, riots and looting although these incidents had not yet taken place. A number of persons belonging to Jamiate-Islami started marching towards Delhi to join the Muslim brothers. Violent incidents took place on 14th. Although police men were beaten and stones were thrown upon them but they did not take any action.

Communal elements and reactionary forces have indulged in creating unrest among the people. Shri Jyotirmoy Bosu has alleged that Congress party is responsible for the violent activities. Perhaps their object is only to malign the Government. However, it is the public in Delhi and the Delhi Administration which should be praised for having averted the situation taking shape of Communal Confrontation.

It has been asked that what is the mystery of shops which were gutted in fire. It is a fact that these shops were put on fire by Communal elements. Had these elements been arrested on the day of tragic incident, which took place on 14th, this could have been avoided. It is shameful that persons were burnt alive in broad daylight in the presence of police and no action was taken against them.

In the end, I would request the Government to take strict action against those who believe in suppressing minorities.

Shri Atal Bihari Vajpayee: A judicial enquiry should be conducted into the incidents of Jama Masjid. There can be no two opinions about it. Police had resorted to firing in which 10 persons were killed. Was it not possible for them to control the situation peacefully and without resort to firing? Why precautionary measures were not taken when Government were aware that Imam had announced to go to Daryaganj where a meeting of Wakf Board was being held? Why the police did not arrest the persons who forced open the door where the meeting was being held? Why then was the Imam not arrested?

It has been stated that inspite of demonstrations, meeting continued as usual. It means that demonstrators were not violent. If such was the situation, then what was the justification of resorting to fire in which ten persons were killed? This matter should be fully enquired into : I am of the view that Ruling party wanted to teach lesson to the Muslims living in the vicinity of Jama Masjid. Therefore, I demand that judicial enquiry should be ordered to go into the causes etc. of the incidents.

It has been stated that Shri Abdulla Bukhari was Niab-Imam and his Dastarbandi was performed by Mir Mustaq Ahmed in July, 1973. I would like to know whether this function was organised for the post of Niab Imam or Imam. It is also well known that he was sent to the Middle-east and the Arabian countries and Russia as Shahi Imam. May I know how this controversy arose, as to whether he is Shahi Imam or not? Is it that the Imam is not doing things according to the wishes of Congress?

Imamt should be settled according to tradations. Wakf Board has no right to decide the issue because it is a Government nominated body.

According to law there should be one 'Mutvalli' in the Wakf Board. But at present are there 7 'Mutvallis' in the Wakf Board and they are misusing property of Wakf Board. Every Muslim should be given right to elect his representative for the management of masjids. Government should not intervene in the religious matters.

Dispute was between Imam and General Shahnawaz or between police and the people. But it was given a communal colour and copies of 'Davat' and 'March' were proscribed. But on the other hand a newspaper 'Alajmaiyat' was not touched because it is a pro-Congress paper. Jansangh and Jayparkash Narayan were also blamed for the incident.

It has been alleged that slogans of 'Har-Har, Bum-Bum' were shouted and the persons entered the shops and put these shops to fire. But who were these persons? Who raised those slogans? Why did the police not arrest them? These things should be inquired into and for that a judicial inquiry should be ordered.

The Wakf Board should be re-organised and streamlined. It has property worth crores of rupees and there should be some check on its expenditure. There are many examples which prove that members of Wakf Board are misusing Wakf property.

It is good that Imam has been released. But may I know why he was detained under MISA. If he went there for demonstration and took law in his own hands, he should have been prosecuted under relevant section of Indian Penal Code.

Persons arrested during curfew should also be released. Curfew should also be lifted.

Muslims should be given opportunity to elect their Imam through votes. Government should not interfere in the matter.

The Lt. Governor of Delhi should also be removed. He invited Shri Anwar Dehalvi, a member of Metropolitian Council at home and asked him to leave Jansangh and join Congress. He is not worth this post. This cannot be tolerated. I would request the hon. Home Minister to take serious note of it.

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : जामा मस्जिद में हुई घटना अत्यन्त दुःखजनक है । इस घटना में भोले-भाले लोग मारे गए हैं तथा कई लोग तथा पुलिस कर्मचारी घायल हो गए हैं । केवल दुःख प्रकट करने से ही स्थिति में सुधार नहीं हो सकता । आज भी कई घरों में हाहाकार मचा हुआ है । इस समय ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे और अधिक तनाव पैदा हो । बात कहने का भी कोई अवसर होता है । हमें देखना यह है कि बातें करके हम क्या उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं ।

स्थिति पर महानुभूतिपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है । बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इमाम को रिहा कर दिया गया है । यह भी खुशी की बात है कि रिहा होते ही इमाम ने लोगों से अपील की है कि वे शांति से रहें और राजनीति से बचे रहे ।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हम राजनीति से बचे रहें और इस चर्चा को राजनीति का विषय न बनाएं ।

इस बात का उतना महत्व नहीं है कि आप क्या बात करते हैं अपितु महत्व इस बात का है कि बात किस उद्देश्य से कही गई है ।

इमाम का रिहा किया जाना अच्छा कार्य है । मेरा सरकार से निवेदन है कि अन्य गिरफ्तार व्यक्तियों को भी रिहा कर दिया जाये । राहत कार्यों की प्रशंसा करते हुए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि राहत पर्याप्त मात्रा में दी जाये और स्थिति सामान्य बनाने के लिये जी जान से चेष्टा की जाये और ऐसी दुःखद घटना दुबारा न हो इसके लिये प्रयत्न किये जायें ।

मैं घटना का पता लगते ही वहां पर गया था और जामा मस्जिद की चौकी से मैंने देखा कि चितली कब्र से जामा मस्जिद तक सारा इलाका पत्थरों एवं शीशों से भरा पड़ा है । कर्फ्यू के होते हुए भी लोग सड़कों पर घूम रहे थे । लगभग डेढ़ फर्लांग के इलाके में गम्भीर झगड़ा हुआ ।

इमाम को गिरफ्तार करने का निश्चय करना कोई सरल कार्य नहीं था । जो भी घटनाएं हुई हैं वे अत्यन्त दुःखद हैं और यह दिल्ली के नागरिकों के लिये शर्म की बात है ।

जामा मस्जिद को जो दुकानें जलाई गई थीं उनके आस-पास मुझे कोई झगड़े का निशान नहीं दिखायी दिया । भीड़ ने दुकानें जला दीं जिसमें कुछ व्यक्ति जल मरे । बाद एक होटल में आग लगा दी गई । इसके बारे में जांच आयोग की नियुक्ति की जानी चाहिए ।

कर्फ्यू की कुछ सदस्यों ने निन्दा की है परन्तु इसके कारण तथा जनता के सहयोग से ही स्थिति पर काबू पाया गया । यदि निरोधात्मक उपाय न बरते गये होते तो स्थिति और भी गम्भीर हो जाती ।

घटनास्थल पर पहुंचने वाले संवाद-दाताओं ने पूर्वोक्त बात की पुष्टि की है ।

श्री वाजपेयी जी ने कहा है कि सरकार मुसलमानों को दबाना चाहती थी । भला ऐसा करने में सरकार का उद्देश्य क्या हो सकता है । मुस्लिम सम्प्रदाय की देशभक्ति की शानदार परम्परा रही है । उन्होंने सदा हमारा समर्थन किया है । यदि उनके प्रति किसी की शिकायत हो सकती है तो आप लोगों की हो सकती है । कुछ दिन पहले आपके समाचार-पत्र इमाम की निन्दा करते थे आज वही उसे सम्मान दे रहे हैं । आज जो भाषण दिये गये हैं वे मुस्लिम समुदाय को भड़काने वाले हैं । परन्तु मुझे पूरा विश्वास है कि वे लोग इनकी बातों में नहीं आयेंगे ।

यह तर्क दिया जा सकता है कि स्थिति से और अच्छी तरह निपटा जा सकता था । दिल्ली के मामले में ऐसा हो जाता है क्योंकि यहां पर प्रशासन के कई स्तर हैं ।

मुझे श्री वाजपेयी द्वारा दिल्ली के उप राज्यपाल श्री किशन चन्द्र पर आरोप लगाना समझ में आता है क्योंकि उन्होंने जब दिल्ली बंद का आह्वान किया था तब उनके दल के विरुद्ध उप राज्यपाल ने कार्यवाही की थी । उप राज्यपाल निष्पक्ष प्रशासक हैं और दिल्ली की जनता की उनमें पूरी आस्था है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने कहा है कि इस घटना का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव होगा । क्या अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भड़का कर इस मामले में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया पैदा करना चाहते हैं । जामा मस्जिद और दिल्ली के लोग प्रशंसा के पात्र हैं कि उन्होंने झगड़े को फैलने नहीं दिया ।

श्री वाजपेयी ने कहा है कि 'अल-जमायत' समाचार पत्र उसी ढंग से समाचार दे रहा है जैसे 'पाकिस्तान टाइम्स' दे रहा है । उन्होंने यह भी कहा है कि 'मदर लैंड' जनसंघ का प्रमुख पत्र नहीं है । श्री भुट्टो और श्री वाजपेयी की पार्टी एक बात करते हैं ।

श्री सैट का कथन है कि राहत नहीं दी गई ठीक नहीं है । मैंने स्वयं देखा है कि स्वयं सेवकों द्वारा राहत कार्य की व्यवस्था की गई थी ।

बल्लीमारान् में एक कांस्टेबल का एक अन्य व्यक्ति से झगड़ा हो गया इस पर 25 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया । मैं इस कार्यवाही को उचित नहीं समझता ।

सबको मिल कर जामा मस्जिद के लोगों को साथ लेकर दिल्ली के हालात सामान्य बनाने में मदद करनी चाहिए ।

Shri Ishaque Sambhali (Amroha): At the outset I want to make it clear as to how the incident occurred. There was no previous dispute between the Imam and Waqf Board. It is true that it is not Islamic practice that any Imam may nominate any other person as Imam during his lifetime. But the actual process is that when Imam is no more the Naib-Imam may lead the prayer meeting and the people gathered there may elect another Imam. It is not the job of Waqf Board to appoint any body as Imam. I do not know how the Delhi Waqf Board or the Waqf Minister permitted this.

The entire property of Jama Masjid is managed by Waqf Board. The Imam imposed a tax on visitors and photography which started yielding Rs. 27 thousands per year. This is the root cause of dispute.

The Imam announced that he would break the meeting of Waqf Board. He actually led a procession and broke open the doors of 'Bachon ka Ghar.' I condemn the losses to that organisation and the attitude of the police in the matter. Why did the police not arrest the Imam when he made that announcement ? Why was section 144 not imposed there beforehand ? The procession could have been held up a few yards from Bachon ka Ghar.

Shri Bosu and Shri Bhagat have said that stones were thrown there. The fact is that curfew was imposed at 12 and the police attacked the people at 12.30. If the police resorted to firing in self-defence then the bullets should have been found on the spot where police is alleged to have been attacked. But the people had been pulled in the streets. Ten persons were killed in firing and 8 were burnt in fire.

(**श्री बसन्त साठे पीठासीन हुए**
Shri Vasant Sathe in the Chair.)

Why did the police not prevent the people from burning shops. Riots took placein front of Jama Masjid but curfew was imposed in B allimaran, Kasabkhana and Bara Hindu Rao areas which are three miles away.

Innocent persons including children of 10, 12 and 14 years were arrested after imposing curfew. Curfew for 96 hours continuously was imposed.

Though Jan Sangh and other communal parties can make use of the situation but what was the Delhi Administration doing. It is necessary that prosecution cases are filed against the police under Section 302.

While the cotton shops were set on fire a Sardarji who is incharge of fire brigade of the area came with fire brigades to control the fire. But the fire brigades were allowed to enter only after an hour when about 20 cotton shops were burnt rendering loss worth over Rs. 30 Lakhs of rupees.

Jamia Hotel was set on fire and ten persons including children were crying for coming out, but even fire brigade people were not allowed to come to their rescue.

The curfew passes were given liberally to members of communal parties. Shri Bhagat has praised Delhi Administration, But I want that action be taken against them as well.

The National Integration conference decided that wherever riots take place the district officers be held responsible for that.

I congratulate the people for maintaining communal harmony.

Curfew was imposed continuously for 94 hours. The children were deprived of even milk. 25 innocent persons including children suffering from T.B. were arrested.

I demand that immediate judicial enquiry into the police excesses be ordered. The Police Officers of Jama Masjid area and other areas be prosecuted. Instead of being punished there has not been even a single transfer. Of course Shri Kaul has been promoted from S.P. to D.I.G. All persons arrested during curfew hours are innocent and they may be released.

Shri T. Sohan Lal (Karol Bagh) : There is an element in Delhi which creates troubles between the members of a community and when such a trouble spreads they make use of it in the other manner. One such incident took place in my area wherein their intention was to kill me. It was followed by incidents of Sadar Bazar. There is an organization in Delhi called Singh Sena. They indulge in all sorts of lawless activities. It is surprising that the Home Ministry has not taken any action in the matter.

I had seen the members of that organization in Jama Masjid area an hour prior to the happenings. I can even tell their names.

I also demand an enquiry committee. If this is delayed things more serious than the present ones can happen.

I appreciate that the curfew was imposed and the riots were not allowed to spread.

'I want that thorough enquiry may be conducted, the bad elements and the parties connected with them be brought to light.

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : यह मामला कोई साधारण नहीं है । लोगों पर गोली चलाई गई है जिनमें बालक और बालिकाएं भी सम्मिलित हैं । जान माल को बहुत क्षति पहुंचाई गई है ।

यह दुःखद घटना 2 सप्ताह पूर्व हुई परन्तु अब भी कर्फ्यू जारी है । क्या सरकार को स्वतः ही इस पर वक्तव्य नहीं देना चाहिए था ? मैं तो समझता था कि प्रधान मंत्री वक्तव्य देंगी । सरकार अपनी ओर से तथ्य क्यों नहीं बताती । अभी तक हमने वही बातें सुनी हैं जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई हैं ।

इसमें एक ही संतोषप्रद बात है कि इसमें साम्प्रदायिकता का रंग नहीं था । इसे सरकारी तंत्र तथा मस्जिद के प्रबन्ध कर्त्ताओं के बीच का संघर्ष कहा जा सकता । राजधानी की यह एक गम्भीरतम घटना है ।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि इससे राजनीतिक लाभ नहीं उठाये जाने चाहिए । श्री भगत ने कहा कि मात्र शब्दों से उन परिवारों को राहत नहीं मिलेगी जिन्हें जान माल की क्षति उठानी पड़ी है । ऐसी दुःखद घटनाएं दुबारा न हों इसके लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है । जांच से हमारा आशय यही है कि क्षति उठाने वाले समुदाय में विश्वास पैदा हो तथा ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके ।

प्रकाशित समाचारों के अनुसार श्री शाहनवाज खां ने शाही इमाम पर कुछ दोषारोपण किये हैं । परन्तु शाही इमाम को एक समय मास्को तथा मध्य पूर्व में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिये आध्यात्मिक पुरूष के रूप में युक्त समझा गया । इमाम के विरुद्ध अभी भी आरोप बने हुए हैं । मैं समझता हूं कि उन्हें जमानत पर रिहा किया गया है ।

वर्तमान इमाम को जून, 1973 में सरकार की पूरी जानकारी के साथ इमाम नियुक्त किया गया था । सरकार ने नियुक्ति का अनुमोदन अथवा निरानुमोदन करते हुए कुछ नहीं कहा ।

अब सहसा यह आरोप लगाए गए हैं कि वह प्रधान मंत्री तथा अन्य मुस्लिम मंत्रियों के विरुद्ध बोलते रहे हैं । दूसरे जब 15 अगस्त को, प्रधान मंत्री लाल किले से भाषण दे रही थीं, तब उन्होंने सामानान्तर सभा बुलाई जिसमें सरकार की निन्दा की गई । 2 फरवरी को उन्हें 'मीसा' के अधीन गिरफ्तार किया गया तथा कल छोड़ दिया गया । क्या यह उन पर आज लागू नहीं होता और 2 तारीख को लागू होता था ।

यदि इमाम ने देश के कानून को तोड़ा है तो कानून को अपनी कार्यवाही करने देना चाहिए। जिस व्यक्ति को कुछ समय पूर्व मास्को तथा मध्यपूर्व में आध्यात्मिक प्रतिनिधि बना कर भेजा गया था, उसे अब मीसा के अधीन गिरफ्तार किया गया है । यह कितनी अजीब बात है ।

इस मामले की न्यायिक जांच की तथा जान माल की क्षति उठाने वाले परिवारों को क्षतिपूर्ति की मांग करते हैं ।

यदि हम अल्पसंख्यकों को संरक्षण नहीं देंगे, उनमें विश्वास पैदा नहीं करेंगे तो इस देश में प्रजातन्त्र नहीं ला सकेंगे ।

Shri S. A. Shamim (Srinagar): The incidents of Jama Masjid are not a communal problem. Secondly, this has nothing to do with the problems of Muslims. As members of the minority community the Muslims have numerous problems.

The issue is connected with Imam as an individual, Waqf Board and the attitude of Shri Shah Nawaz Khan.

The people in general are of the view that Imam has been misusing Jama Majid for political propaganda. The sober element among the Muslims who go there for prayer do not like that. So long as the Political propaganda was in favour of the Government it continued to encourage. The Imam wanted to become leader of the Muslims and wanted Jama Masjid to make his property.

Shri Shah Nawaz Khan in his press conference stated that Imam made speeches against the Prime Minister, the Muslims Ministers and the Congress.

Shri Mohammed Shafi Quareshi in a press conference has said about the Imam that 'this well meaning person' should be immediately released. On 26th December, 1974, while addressing Id congregation Shri Mohisin praised the Imam.

So according to these contradictory statements of the Central Ministers, the Maulana was anti-national earlier, now he has become a nationalist. This is personal affair of Imam.

Here I want to express my sympathy for those 17 persons who lost their lives in police firing and the persons whose shops were set on fire.

We cannot demand from the Government to kill 17 guilty government servants out of which some may be Ministers. Perhaps this may not be possible.

I am sorry to say that those 17 persons who lost their lives in those riots were not at all aware of the issues involved I therefore want a judicial probe into this.

If today the Jan Sangh has shown sympathy for the Muslims, they can hardly be blamed for that. But it is Government and the Delhi Administration which has afforded an opportunity to them. Shri Bhagat and Smt. Subhadra Joshi should hang their heads in shame for these happenings.

Why this dispute about the Imamat of Jama Masjid has suddenly arisen today ? There was some give and take compromise between Government and the Imam and when the Imam wanted to take everything rather than sharing it, the trouble arose. I am sorry to say that utter poverty and filth greet you when you visit the Jama Masjid area whereas it should have been the show piece, because foreigners and other dignataries visit the place. It is therefore a socio-economic problem also. The demonstration organised by the Moulana consisted of 300 gullible illiterate persons who could be easily excited in the name of religion but the blame for this incident goes largely to Government. All these things will come to light only when a judicial enquiry is ordered.

Secondly, those innocent persons who have been killed, should get full compensation and lastly, steps should be taken to make Jama Masjid area a show-piece so that we might have a beautiful monument to show to the world.

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad) : Sir, I will take up the strands where Shri Shamim had left them and say that not only with the Imam but Government wants a pact with the entire Muslim community of the country that as long as they toe the official line, they can exist otherwise like Sheikh Abdullah and the Imam, they would be crushed.

Now the present Imam, Abdullah Bukhari, as long as he was backing Government and her policies in regard to family planning and other things, he was recognised as the Imam and was quoted over the radio to attract Muslims to accept family planning also. But now if he spoke against the present Government the Prime Minister and the Congress, he is alleged to be indulging in politics, which is a sin, to the Ruling Party.

I Think the future of Muslims in India is doomed because the Ruling Party has all along been bullying Muslims into voting for them for the past 27 years.

Now, the very legality if Imamat is being questioned by the Congress whereas since Shah Jehan's reign, the descendants of family of the present Imam have been Imams of Jama Masjid. The same Ruling Party in a democracy is having hereditary systems as far as the Prime Minister and other Ministers are concerned.

Another charge against the Imam is that he collected money from the public. The fact on the other hand is that after having failed in getting funds from the Waqf Board for new carpets and repairs to the Masjid, he notified on the Masjid Notice Board that voluntary contribution is sought for the above. What is wrong in this ?

In fact Government have set up the Waqf Board in respect of Muslim religious places only to exert her own influence over Muslims and this incident proves—if any proof was needed at all—that the Government will crush all those who would raise their heads.

I want to know the justification for resorting to firing inside the Jama Masjid ? During curfew hours a 16 months old child fell from the top but his elders were not allowed to take him to a hospital resulting in his tragic death a few hours later. The police indulged in such inhuman acts.

Smt. Sahodra Bai Rai (Sagar) : The Muslims are enjoying all rights here so much so, one Muslim is adorning the office of the President of India.

Shri Janeshwar Mishra : Yes this proves what I had said that if Muslims acted as faithfull pets, they could be granted the empire of J&K India or Bihar.

Coming back to Jama Masjid 48 hours long Curfew was clamped and the residents were put to unending distress. Water and Electricity was not supplied to the Masjid from 2nd to 6th Feburary.

An hon. Member : some else might have done that to malign the Government.

Shri Janeshwar Mishra : Let every one know how such acts are being defended.

This issue cannot end with the release of the Imam because people have lost their lives. Enquiry should be ordered to apprehend and punish the guilty. I also want to get the Waqf Broad to go because when Hindu and Sikh religious Shrine can be managed without such Boards, Muslims can also do so without them. The very fact that Government in anxious to have Waqf Board creates doubts in our minds that they want to indulge in bungling somehow, (*Interruption*)

I, therefor want the Waqf Board to be abolished and action taken against not only the Delhi Police and the Lt. Governor but also against the Home Ministry under whose, regime Muslims consider them unsafe in the country.

श्री समर गुह (कंटाई) : मैं जामा मस्जिद की घटना को घिनौनी और बर्बरतापूर्ण ही कह सकता हूं जिसमें पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चला कर 17 युवकों की हत्या की और एक कालेज-छात्रा को घायल किया तथा अनेक दूकानें लूटीं। इस खून खराबे और दुखद घटना से भी एक बात हमें सीखनी चाहिये कि पुलिस और कुछ राजनीतिज्ञों के प्रयासों के बावजूद यह दंगा साम्प्रदायिक रूप नहीं ले सका इसके लिए जामा मस्जिद के लोग बधाई के पात्र हैं।

सरकार ने अब तक तानाशाह रवैया अपनाया है और लोगों में यही धारणा बनती है कि यदि मुसलमान सरकार का साथ देंगे तो इमाम अवतार हैं अन्यथा वह दानव हैं ।

आश्चर्य है कि उसी इमाम को जिसे स्वयं श्रीमती सुभद्रा जोशी ने 'आदरणीय शाही इमाम' कहा था, आज मीसा के अधीन पकड़ लिया गया है ।

उस दिन सुबह वक्फ बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी । इस बात की अफवाह थी कि कुछ घटित हो सकता है । यह सभी को मालूम था । यह एक बड़ा नाजुक मामला था कि उत्तराधिकारी पुराने ही तरीके से चुना जाये या इसके लिए निर्वाचन सिद्धान्त लागू किया जाये । जामा मस्जिद के इमाम की नियुक्ति का यह मामला बड़ा नाजुक है । श्री शाह नवाज खां को इसका पहले ही पता था और इसलिए यह उनका कर्तव्य था कि वह इस मामले को शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत के माध्यम से हल करते । मुझे मालूम है कि श्री शाह नवाज खां आज क्या बन गए हैं । 1956 में नेताजी के सम्बन्ध में एक दस्ताविज पर हस्ताक्षर करने के तीन महीने पश्चात् उन्हे मंत्री बनाया गया । खोसला आयोग ने अपन प्रतिवेदन सामने लाने से पहले उसे श्री शाह नवाज खां को दिखाया किन्तु उन्होंने उस बारे में अपने विचार नहीं दिए । उन्होंने नेता जी के बारे मे खोसला आयोग द्वारा कही गई अपमानजनक बातों को सहन कर लिया । और इस प्रकार अपनी आत्मा को धोखा दिया । यदि उनमें कुछ अक्ल होती तो उन्होंने पुलिस वालों को इस तरह गोली चलाने की अनुमति नहीं देनी थी जिसके परिणामस्वरुप कई लोगों की जाने गई । मेरी समझ मैं नहीं आता कि ऐसी कौन सी बाध्यता थी जिसके कारण उन्होंने पुलिस वालों को अन्धाधुन्ध रूप से गोलियां चलाने दीं । समझ में नहीं आता कि किस तरह वहां कर्फ्यू लगाया गया और

कैसे उसे जारी रहने दिया । नवयुवकों को पीटा गया और गरीब लोगों के लिये अपनी रोजी कमाने की समस्या खड़ी हो गई । इससे तो ऐसे लगता है कि यह एक राजनीतिक षडयंत्र था । यह घटना अकस्मात ही नहीं हुई । मैं इस बारे में थोड़ी सी बातें और कहूंगा और फिर अपना भाषण समाप्त करूंगा ।

सभा ने दोनों पक्षों के सदस्यों के भाषण सुन लिए हैं । जिस ढंग से गोलियां चलाई गई, जिस ढ़ंग से लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिस ढंग से अत्याचार किए गए और जिस ढंग से कर्फ्यू लगाया गया तथा उसे जारी रखा गया उससे ऐसा लगता है कि यह सब कुछ भारतीय राजनीति के इस केन्द्र की आखों के सामने हुआ है । मैं समझता हूं कि यदि यह मामला न्यायिक जांच के लिए उपयुक्त नहीं है तो फिर ऐसा कौनसा मामला हो सकता है जिसकी न्यायिक जांच करायी जाये । इसकी न्यायिक जांच आवश्यक है क्योंकि उससे पता लग जायेगा कि इस दुर्घटना के लिये कौन उत्तरदायी है । अतः हमारी मांग है कि इस घटना की निष्पक्ष अदालती जांच करायी जाये । दूसरे यदि श्री शाह नवाज खां को अपनी इज्जत का कुछ ख्याल है तो उन्हें तत्काल त्यागपत्र दे देना चाहिए । तीसरे जिस पुलिस अधिकारी ने गोलियां चलाने की आज्ञा दी है, उसे तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए । सभी गिरफ्तार व्यक्तियों को रिहा किया जाना चाहिए ।

अन्त में सरकार धार्मिक मामलों में चौधरी बनने का प्रयास न करे । मेरी भी यही मांग है कि वक्फ बोर्ड एक मनोनीत निकाय नहीं होना चाहिए और इस बोर्ड का निर्वाचन उस समुदाय के लोगों द्वारा किया जाना चाहिए ।

Shri Shyam Nandan Mishra (Begusarai) : It is shameful that inspite of such a large police forces under the very nose of administration, such riots usually take place in the capital. An hon. Member Shri Suleman Sait has just narrated the whole sad story and I think every member in the House will be moved by this sad story. Today, when we see that atrocities are being Committed on minorities, it seems that Government have failed in protecting there interests. I want to ask the House, that what is our duty when such incidents take place. If we say anything about these riots Government blame us and say that a opposition parties instigate people to do such things.

It is shameful that 17 persons lost their lives in this incident. It appeared that adequate preventive measures were not taken after the incident on 2nd Fdebruary to avert recurrence of disturbances. Government could have made arrangements to avoid such incident. when such shameful happennings are taking place in the capital, can we keep our mouths shut ? we want that this incident should be inquired into and efforts should be made to ascertain the causes of the riots . This job should be entrusted to a judge and not to any political person. It is not good for Government to interfere in the religious affairs of the minorities. Government should not have control in dealing with the religious matters why ministers are made chairman or members of Wakf Board ? The way the Waqf Board has been constituted shows that Government want to draw political capital out of it. It is quite clear that this incident took place on account of Governments interference into the affairs of Imperial Mosque of Jama Masjid. Steps should be taken to see that Wakf Council is reorganised and it is kept free from political affairs. Why ministers are willing to become member or Chairman of such bodies ? Perhaps they are not satisfied along with salaries and other facilities enjoyed by them, and they want to get benefit from these religious places also. No minister should be in such Board.

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : आपको यह बता दूं कि यह इस सभा द्वारा पारित किए गए अधिनियम के अनुसार है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या अधिनियम के अनुसार ऐसे बोर्ड में मंत्री को रखा जाना आवश्यक ।

The Act is being misused Mr. Chairman the new Imam who wanted to enter the Jama Masjid is of the view that no one should speak against the administration and if anybody

does so, he is anti-national (*interruptions*). Every one says that religious places are not political fields. We are also of the same opinion.

So far as the appointment of Imam is concerned Government have nothing to do with it. The muslim leaders could have taken decision in this regard. (*interruption.*)

It is said that Imam proceeded along with his supporters to demonstrate and creat trouble in the meeting of the wakf council. So far as demonstration is concerned, it is a democratic right. But if it was true that the Imam and his followers were fully equipped with lethal weapons the question is why the Government allowed them to proceed in a procession and when Government was aware of their being equipped with arms. With in two hours 10 persons were killed and about 100 persons injured. It showed that it was all well pre-planned.

It is agreeable that nothing should happen against communal harmony. But I do not understand why Censorship was imposed specially on Urdu newspapers. When there was perfect communal harmony in the City. Even in this matter, discrimination was made in the sense that a pro-Government Urdu paper" "Al Jamiyat" was excluded from that censorship. It is a great injustice.

At last I want that those who were killed or injured, should be given adequate compensation as early as possible. Those persons should also be given compensation who lost their property in arson. Besides this, steps should be taken to lift censorship on urdu papers. No such discremination should be made against some newspapers which are not pro-Government and a judicial inquiry should be ordered into the whole matter.

Shri S.M. Banerjee (Kanpur) : This incident is very serious. In this incident many persons lost their lives and a large number of persons were injured. Childern, women and other were fired upon. But Government do not feel shame for this incident. It was expected that the Government will come out with a statment.

Mention has been made about the payment of Compensation. I also agree that those who were killed and injured should be given full compensation, but they can not be taken back to life still there is terror in that area. The Government should immediately take necessary steps to restore normalcy in the riot affected areas.

You say that Imam was arrested for certain objectionable activities. But why he has been arrested under Misa. It is gross misue of this Act. He could have been arrested under some other section.

One of my friend told me that the police did not do anything against the public and showed great patience. But what happened later on ? The police fired at people indiscreminately. It is shame ful that this incident took place in the capital under the very nose of the administration. Such serious things happened in Jama Masjid area, but Government failed to control the situation. This matter should be investigated by a judicial inquiry.

All these things happend there, but the Home Minister did not feel it necessary to visit that area. He should have gone there to appeal to the people to be peaceful.

The Government take steps to find out the causes leading to firing, arson and looting. The police officers, who are respssibe for this incident, should immediately be suspended. If Such things will continue in the coutntry, the democracy in the country will be in danger.

गृहमंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी): श्रीमन् जी 2 फरवरी तथा 14 फरवरी 1975 को जो कुछ हुआ है उस पर मैं खेद व्यक्त करता हूं। मैं मृतकों के शोक संतप्त परिवारों को अपनी संवेदनाएं भेजता हूं। जो लोग घायल हुए उनके प्रति दुःख प्रकट करता हूं।

दुर्भाग्य की बात है कि चर्चा में इस तरह की घटना को राजनीति का रंग दिया जाता है।

जब उपद्रवियों द्वारा बड़े पैमाने पर उपद्रव किया जा रहा था तो पुलिस ने बड़े धैर्य से काम लिया ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : जब 7, जन्तर मंतर रोड पर छापा मारा गया था, हमने पुलिस का धैर्य तभी देख लिया था ।

Shri Ishaqe Sabhali : Hon. minister is insutlting the house by appriciating police action.

Shri Janeshwar Mishra : Whatever the Hon. Minister has aid showed that he has been made Home minister by the policemen and not by this House.

श्री नूरुल हुडा (कछार) : शर्म की बात है कि उन्होंने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलायी । (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : आप उन्हें पूरी बात कहने दीजिए । यदि आपको कुछ और पूछना होगा तो आपको अवसर दिया जायेगा । कृपया आप उन्हें बीच में न टोकिए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या श्री रेड्डी ने उस क्षेत्र का दौरा किया है ? क्या वे मृतकों के घरों पर उन्हें सांत्वना देने भी गये ?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : 2 तारीख को श्री अब्दूला बुखारी तथा उनके अनुयायियों ने 10.30 बजे वक्फ बोर्ड की बैठक में बाधा पहुंचाई । वे इमारत के अन्दर घुस गए और उन्होने शमियाने को आग लगाना चाहा ।

श्री शाह नवाब खां पर आक्रमण करने की चेष्टा की गई किन्तु वह साथ के दूसरे कमरे में घुस गए । श्री बुखारी तथा उनके 87 अनुयायियों को गिरफ्तार कर लिया गया । शेष जामा मस्जिद की ओर भाग गए और उन्होंने यह अफवाह फैला दी कि श्री बुखारी पुलिस की गोली से मार दिए गए है । अब उनके अनुयायी पुलिस से बदला लेने की सोचने लगे ।

तभी जामा मस्जिद पर बहुत भीड़ एकत्रित हो गई । उसने पुलिस चौकी को घेर लिया । पुलिस गाड़ी को आग लगा दी । पुलिस चौकी तथा इमारत को तोड़ने की भी चेष्टा की ।

श्री ज्योतिर्मय बसु: यह झूठ है । (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया बीच में मत बोलिये । यह कोई संसदीय प्रणाली नहीं है । ठीक है आप उनकी बातों से सहमत न हों किन्तु उन्हें बीच में मत रोकिए ।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : पुलिस चौकी पर सोडा की बोतलें, इंटे आदि फेकी गई ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान जी व्यवस्था का प्रश्न ।

सभापति महोदय : किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम 376 के अन्तर्गत। बात यह है कि हम कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे है हम तो वे बातें कह रहे है जो हमने अपनी आंखो से देखी हैं । मंत्री महोदय जो कुछ कर रहे हैं वह गलत है । यही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । यह तो उसका दुरुपयोग है ।

श्री कें० ब्रह्मानन्द रेड्डी: चावड़ी बाजार तथा जामा मस्जिद के क्षेत्र में स्थिति तब और गंभीर हो गई जब भीड़ ने एक डी० टी० सी० बस तथा कुछ दुकानों को आग लगा दी । मस्जिद के पश्चिमी, दक्षिणी तथा उत्तरी और बडे पैमाने पर उपद्रव हुआ । पुलिस पर घरों की छतों से इंटे फेंकी गई तथा गोलियां चलाई गई । अश्रु गैस तथा लाठी चार्ज का कोई प्रभाव नहीं पड़ा । तब पुलिस ने गोलियां चलाई और स्थिति पर नियंत्रण किया ।

खेद की बात है कि 1 व्यक्तियों की जाने गई । दो आग से जलकर मरे तथा सात पुलिस की गोलियों के शिकार हुए 91 व्यक्तियों को चोटें आई जिनमें पुलिस मनों के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सैन्ट्रल) ए० डी० एम० (सैन्ट्रल) अतिरिक्त उप निरीक्षक (सैन्ट्रल) तथा दरिमायज के एम० डी० एम० भी हैं । पुलिस की तीन गाडियों, एक डी० टी० सी० वस चार प्राइवेट कारों और कई साइकिलों तथा 23 दुकानों को क्षति पहुंची । दंगो, कत्ल करने के प्रयास, अगजनी आदि के पांच मामले दर्ज किए गए हैं । सम्पूर्ण प्रभावित क्षेत्र में 2 फरवरी, 1975 को 12 बजकर 15 मिनट से 4 फरवरी, 1975 के सुवह सात बजे तक के लिये कर्फ्यू लगा दिया गया था । पूर्वोपाय के रूप में सदर बाजार तथा अन्य नाजुक क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया । 5 और 6 फरवरी को सुवह 9 से 11 तथा शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच कर्फ्यू हटा दिया गया । 7 तारीख को सुबह 8 से 10 दोपहर 12-30 से 2-30 तथा शाम 4 से 6 के बीच कर्फ्यू हटा दिया गया ताकि लोग जुम्मे की नमाज पढ़ सकें ।

7 फरवरी को जामा मस्जिद क्षेत्र में बिजली बंद रही क्योंकि दंगे फसाद के कारण लाइने खराव हो गई थी । उसी दिन शाम को बिजली की सप्लाई शुरु कर दी गई । पानी सप्लाई में रुकावट आने की कोई खबर प्राप्त नहीं हुई है ।

7 फरवरी को लोगों ने नमाज पढ़कर वापिस आते हुए कुछ स्थानों पर पथराव किया और कांस्टेबलों से राइफलें छीनने के प्रयत्न भी किए गए जिसमें दो पुलिसमैन घायल हो गए ।

8 फरवरी को सुवह 8 से 10 तथा शाम 4 से 6 बजे तक कर्फ्यू हटा दिया गया । 9 तथा 10 फरवरी को सुबह 8 से 12 तथा शाम 3 से 6 के बीच कर्फ्यू हटाया गया अन्य प्रभावित क्षेत्रों में रात 10 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया । 11 फरवरी तथा उसके बाद शाम के 6 से 8 तक कर्फ्यू लगाया गया ।

14 फरवरी को दोपहर डेढ़ बजे नमाज पढ़कर वापिस आते हुए लगभग 800 लोगों ने जामा-मस्जिद की पुलिस चौकी पर पथराव किया और पुलिस पर पटाखें फेंके । पुलिस द्वारा लोगों को तितर बितर होने की अपील करने के बावजूद भी भीड़ ने हिंसक रूप धारण कर लिया और बड़े पैमाने पर पथराव शुरु कर दिया । कुछ लोगों ने आगजनी भी की । लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को अश्रु गैस छोड़नी पड़ी । जिस रेस्टोरेंट में आग लगाई गई वहां फंसे 6 व्यक्ति आग से झुलस गए । पुलिस और अग्नि शाम दल ने उन्हे बाहर निकाला और उन्हे अस्पताल पहुँचाया गया जिनमें से तीन व्यक्ति मर गए । आग पर जल्दी ही नियंत्रण पा लिया गया पर इस बीच तीन दुकानों को नुक्सान हो गया । पथराव से 28 पुलिस मैन घायल हो गए जिनमें एक डी० एस० पी० भी था । 6 व्यक्तियों की हालत गम्भीर है । 14 तारीख के दोपहर ढ़ाई बजे से 18 फरवरी के 12 बजे दोपहर तक कर्फ्यू लगा दिया गया । 16 फरवरी को शाम 3 से 5 तथा 17 और 18 फरवरी को सुबह 8 से 10 तक

तथा शाम को 4 से 6 बजे तक कर्फ्यू हटा दिया गया । इस सम्बन्ध में 68 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं । पुलिस उस क्षेत्र में गश्त लगा रही है । अब तक कुल 681 व्यक्ति गिरफ्तार किए जा चुके हैं ।

प्रत्येक मृतक के परिवार को 5000 रुपये तथा घायल व्यक्ति के परिवार को 1000 रुपये दिए जाएंगे । इसके लिए 88,000 रुपये स्वीकृत किए जा चुके हैं जिनमें से अब तक 59,000 रुपये बांटे जा चुके हैं ।

दिल्ली के बड़े-बड़े नेताओं ने जिनमें से श्री खुर्शीद अहमद खान संसद सदस्य, श्री मीर मुश्ताक अहमद, पीर जमीन निजामी साहिबजादा मस्तहसीन फारुकी प्रो० मुहम्मद हुसैन, जामिया मिलिया के कुलपति, प्रमुख हैं वक्फ बोर्ड और श्री अब्बदुला बुखारी को इस बात के लिए राजी किया है कि वे इस मामलों में श्री मुहम्मद शफी कुरेशी, रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, को मध्यस्थ बनाए और उन्होंने यह सलाह मान ली है । श्री अब्बदुल बुखारी ने फरवरी को हुई घटनाओं पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि स्थिति को सामान्य बनाने में तथा शांति बनाए रखने में पूरा सहयोग देंगे । श्री बुखारी को रिहा कर दिया गया है ।

मैं सदन के सदस्यों तथा जन नेताओं से अनुरोध करता हूं कि वह सहयोग तथा शांति बनाए रखने में पूरा सहयोग दें ।

मुझे इस बात का दुःख है कि राजनीतिक उद्देश्य सिद्ध करने के लिये तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है ।

श्री श्यामनंदन मिश्र और प्रो० समर गुह ने पूछा है कि वक्फ बोर्ड में केन्द्रीय मंत्री क्यों है ! इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि 1954 में संसद में एक अधिनियम बनाया गया था जिसमें कहा गया था कि वक्फ परिषद् का चेयरमैन केन्द्रीय मंत्री होगा और इस परिषद् में अधिक से अधिक 20 सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी ।

श्री श्यामनंदन मिश्र : : अनुभव के आधार पर इसमें संशोधन कर देना चाहिए ।

सभापति महोदय: यह एक अलग मामला है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री शाहनवाज खान बोर्ड के चेयरमैन बनने के पात्र नहीं है ।

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाएं और ऐसे मामले न उठाऐ ।

श्री ज्योतिर्मय बसु: मंत्री महोदय ने केन्द्रीय मंत्री' शब्द का प्रयोग करके सदन को गुमराह किया है । राज्यमंत्री केन्द्रीय मंत्री कैसे हो सकता है ?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों में कहा है कि मंत्री का अर्थ है 'मंत्री परिषद् का सदस्य, राज्य मंत्री, उपमंत्री अथवा संसदीय सचिव' है ।

राज्य सभा के एक सदस्य ने मुझे बताया है कि वह घटना के दूसरे दिन जामा मस्जिद गये और वहां उन्होंने श्री कंवरलाल गुप्त और श्री अनवर देहलवी को श्री बुखारी के लड़के से बातचीत करते देखा ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र: : इसमें क्या खराबी है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : सरकार जानती है कि हम वहां गये थे और लोगों से बातचीत की थी। यह हमारा कर्तव्य था । क्या प्रधानमंत्री वहां गई थी ?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मैं 2 तारीख रात को मद्रास के दौरे से वापिस आया और 3 तारीख को रांची चला गया । यही कारण है कि मैं घटना स्थल पर शीघ्र नहीं पहुँचा सका । मेरे सहयोगी श्री ओम् मेहता वहां गए थे ।

सभापति महोदय : यह प्रश्न किस प्रकार संगत है? बार-बार ऐसा प्रश्न पूछना आपको शोभा नहीं देता । नियम संख्या 349 में यह लिखा हुआ है कि जब सदन की बैठक चल रही हो तो कोई सदस्य दूसरे सदस्य भाषण में व्यवधान नहीं डालेगा । अतः आप ऐसा न कीजिए । (**व्यवधान**)

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न हैं । क्या सदन का समय बढा दिया गया है ।

सभापति महोदयः : आपको 6 बजे आपत्ति करनी चाहिए थी । चूंकि आपने आपत्ति नहीं की इसलिए सदन चलता रहेगा ।

श्री पी० एम० मेहता : संसदीय मंत्री का कर्तव्य था कि वह प्रस्ताव पेश करते ।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : प्रायः ऐसा होता है कि आपसी सहमति से सदन तब तक चलता रहता है जब तक चर्चा समाप्त नहीं हो जाती ।

सभापति महोदय : क्या सभी सहमत हैं कि जब तक चर्चा समाप्त नहीं होती , सदन चलता रहेगा ।

माननीय सदस्य: जी, हां ।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी: प्रसन्नता की बात है कि वक्फ बोर्ड और श्री बुखारी के बीच चल रहे विवाद में श्री कुरेशी को मध्यस्थ बना दिया गया है और श्री कुरेशी द्वारा दिया गया निर्णय दोनों को स्वीकार्य होगा ।

श्री जनेश्वर मिश्र : मंत्री महोदय त्याग-पत्र दें क्योंकि वह ही इस घटना के लिए उत्तरदायी हैं ।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : जब आप मुझे त्याग-पत्र देने के लिए कहते हैं, तो मुझे कम से कम एक या दो महीने का समय तो दें । श्री मिश्र के अनुसार तो श्री बुखारी और वक्फ बोर्ड का समझौता भी आपत्तिजनक है । यदि आप वास्तव में इस बात के इच्छुक हैं कि उस क्षेत्र में शांति बनी रहे, तो उस क्षेत्र के मुसलमानों की भावनाओं को ठेस न पहुंचायी जाये । परन्तु 'जो वक्तव्य यहां दिये गये हैं । उनसे ऐसा लगता है कि मुस्लिम जाति के साथ चलें आ रहे संबंधों को बिगाड़ने का प्रयत्न किया गया है । यह ठीक है कि शांति और व्यवस्था बनाये रखने के बारे में सदस्यों को कुछ कहना था, परन्तु कुछ घटनाओं का उल्लेख केवल राजनीतिक लाभ उठाने के लिए किया गया है । यह दुर्भाग्य की बात है कि घटनाओं को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है और "फरीदा" वाला मामला इसी का एक उदाहरण है । इसी प्रकार श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा ऐसे आदमी का उल्लेख किया गया जिसके शरीर पर गोलियों के 7 घाव हैं । परन्तु उन्होंने उसका नाम तो नहीं बताया ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वह तो स्कूल जाने वाला एक लड़का था । आप वाद-विवाद को पढ़ने के बाद कल उत्तर दे दीजियेगा ।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी: ऐसा कोई भी व्यक्ति मृत या जीवित नहीं है जिसे 7 घाव लगे है या जिसे 4 या 5 घाव लगे हों।

श्री ज्योतिमय बसू : आप इनकी न्यायिक जांच करवाइये।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : श्री ओम् मेहता द्वारा भी उस क्षेत्र का दौरा किया गया है। श्री भगत ने भी यह कहा है कि वहां के सभी गली कूचे पत्थरों, बल्बों तथा कांच आदि से भरे हुये थे।

एक बात यह भी कही गई है कि जब श्री बुखारी कुछ अन्य लोगों के साथ चले आ रहे थे, तो उन्हे बीच में ही क्यों नहीं रोक लिया गया जबकि उस समय काफी पुलिस वहां उपस्थित थी। परन्तु मान लीजीये यदि उन्हे गिरफ्तार कर लिया जाता तो माननीय सदस्य यह प्रश्न उठा देते की बिना कुछ कहने से पूर्व ही उन्हे गिरफ्तार क्यों कर लिया गया ?

बातानुकूलित कमरों में गद्देदार कुर्सियों पर बैटे हुए मेरे मित्र स्थिति का ठीक अनुमान नहीं लगा सकते हैं। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वह व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। जब सैकडों लोग ईंटे और पत्थर बरसा रहे हों, तो इस प्रकार की तनावपूर्ण स्थिति का उचित मूल्यांकन करना तथा अपेक्षित कार्यवाही करना सरकार का कर्तव्य ही था। पुलिस द्वारा चार स्थानों पर गोली चलाई गई और इनमें से तीन स्थान ऐसे थे जहां गोली मजिस्ट्रेट के आदेश से चलाई गई। गोली चलाने के आदेश एम० डी० एम० अथवा ए० डी० एम० द्वारा किये गये। **(व्यवधान)** केवल एक स्थान पर गोली चलाने का आदेश पुलिस इन्सपेक्टर फाजुल अहमद द्वारा दिया गया। अतः वहां पुलिस ने जो कुछ भी किया वह अपनी इच्छा से वहीं अपितु मजिस्ट्रेटों के आदेशों से किया।

यह दुर्भाग्य पूर्ण बात है कि श्री वाजपैयी द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल के विरुद्ध टिप्पणी की गई है। उन्हें अभी इस पद का कार्यभार संभाले कुछ ही समय हुआ है और वह सक्रिय रूप से लोगों की सेवा करने का प्रत्यन कर रहे है।इसी प्रकार एक माननीय सदस्य द्वारा यह भी कहा गया है कि कर्फ्यू के समय में और अधिक ढ़ील दी जानी चाहिये ताकि लोगों को अपनी जरुरियात की चीजे खरीदने के लिये अधिक समय मिल सके। सरकार द्वारा इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है और साथ ही इस पर भी विचार किया जा रहा है कि कर्फ्यू आदेशों का उल्लंघन करने वाले लोगों को अभी रिहा किया जाये या नहीं ?

श्री बुखारी को 'आंसुका' के अधीन गिरफ्तार करने का प्रश्न भी उठाया गया था। वास्तव में बात यह है कि पहले उन्हे दंगे तथा गैर कानूनी सभा सम्बन्धी सामान्य कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था परन्तु बाद में उनपर 'आंसुका' लागू कर दिया गया। जिन दुकानदारों की दुकानें जलाई गई, उन्हें किसी प्रकार की सहायता देने का सुझाव भी दिया गया है। आपको मालूम होगा कि मैं अपने पूर्व वक्तव्य में यह कह चुका हूं कि प्रत्येक मृतक के परिवार को 5000 रुपये तथा घायल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 1000 रुपये सहायता के रूप में दिये गये हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र द्वारा कहा गया है कि 'नयी दुनिया' जैसे पत्रों के मुद्रण तथा प्रकाशन के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि अब यह आदेश वापिस ले लिये गये हैं।

मैं अपने संक्षिप्त वक्तव्य के अन्त में यही कहना चाहता हूं कि यह काफी संतोषजनक बात है कि सम्पूर्ण क्षेत्र में स्थिति सामान्य होती जा रही है। अतः हम सभी को मिलजुल कर यह प्रयत्न करना चाहिये कि स्थिति शीघ्रता पूर्वक सामान्य हो जिससे कि लोग पहले की तरह ही अपना कामकाज आरम्भ कर सकें।

इस कार्य के लिये मैं सदन के सभी दलों से सहयोग की आशा करता हूं । मैं अन्य सम्बद्ध लोगों से भी निवेदन करता हूं कि वह इस कार्य में अपना सहयोग दें । **कुछ माननीय सदस्य उठ खड़े हुये**

सभापति महोदयः मैं प्रत्येक राजनीतिक दल से एक व्यक्ति को तथा निर्दलीय पक्ष से श्री शमीम को अपनी बात कहने की अनुमति दूंगा ।

श्री एस० एम० बनर्जी: इन घटनाओं में 17 व्यक्ति मारे गये है परन्तु मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया कि वह इसकी न्यायिक जांच करवायेंगे या नहीं । वह न्यायिक जांच नहीं करवाना चाहते । अतः इसके लिए विरोध प्रकट करते हुए हम सदन से बाहर जा रहे हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसुः : विरोध प्रकट करते हुए हम सदन से बाहर जा रहे हैं।

तत्पश्चात् कुछ माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।
(Some Members then left the House)

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 20 फरवरी, 1975/1 फाल्गुन 1896 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thrusday, the 20th February 1975/Phalguna 1, 1896 (Saka)

MGIPRRND—Sec. III (N)—58 LSS/74—29.4.75—200